द्वादश माला, खंड 5, अंक 31

सोमवार 27 जुलाई, 1998
5 श्रावण 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्यः पचास रुपये

विषय सूची

[द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र 1998/1920 (शक)]

अंक 30, सोमवार, 27 जुलाई, 1998/5 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 562 से 564	4–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 565 से 581	31–134
अतारांकित प्रश्न संख्या 5633 से 5862	134–517
सभा पटल पर रखे गए पत्र	518–529
राज्य सभा से संदेश	530, 587–588
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	530–531
विधेयक – पुरःस्थापित	531–532
(एक) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक	
श्री वाझापडी के. राममूर्ति	531
(दो) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक	
श्री सिकन्दर बख्त	532
बंगलाभाषी मुस्लिम मजदूरों को मुम्बई से कथित रूप से वापस भेजा जाना	532–565
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	565–566, 591–592
(एक) सरदार सरोवर परियोजना पर एक वृत्तचित्र का प्रसारण	
श्रीमती सुषमा स्वराज	565
(दो) दिल्ली में अंतर-राज्यीय बस अड्डे पर हुई बम विस्फोट की घटना	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	591
नियम 377 के अधीन मामले	600–607
(एक) गुजरात के जामनगर शहर का दर्जा बढ़ाकर उसे बी-2 श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेश पटेल	600

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(ii) अनुव

विषय कालम

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के शिक्षुओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगतवीर सिंह द्रोण 601

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा रीवा (मध्य प्रदेश) के मेडिकल कॉलेज की मान्यता को समाप्त न किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी 601

(चार) सिंचाई प्रयोजनों के लिए बूंदी और टोंक जिलों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में बीसलपुर बांध को उसके मूल स्वरूप में लाए जाने की आवश्यकता

श्री रामनारायण मीणा 602

(पांच) पुना जिले में शेलारवाड़ी गांव में रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिगृहीत भूमि को किसानों को वापस लौटाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल 603

(छः) क्षेत्रीय चैनल (डी.डी. 8) पर दिन में दो बार तेलुगू समाचार प्रसारित किए जाने की आवश्यकता

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी 603

(सात) नॉन-ओ.वाई.टी. कोटे से टेलीफोन के आवंटन के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के प्रेसीडेंट, वाइस-प्रेसीडेंट और चेयरमैनों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार 604

(आठ) हरदोई, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा 605

(नौ). ग्रेनाइट खनन कार्य को उद्योग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. मुनूसामी 605

(दस) डी.सी.एम. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लेन-देन की जांच किए जाने तथा जमाकर्ताओं को देय राशियों का प्रति संदाय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू 606

(ग्यारह) चेन्नई-अराकोणम ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में कटपाडी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.टी. षणमुगम 607

विषय	कालम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
महिलाओं पर अत्याचार	608–633
डा. प्रभा ठाकुर	608–613
कुमारी ममता बनर्जी	614–623
श्रीमती संध्या बौरी	623–628
श्रीमती आभा महतो	628–629
श्रीमती ऊषा मीणा	629–632
बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक	634–649, 651–696
विचार करने के लिए प्रस्ताव	634
डा. सत्यनारायण जटिया	634–635, 690–696
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे	636–641
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	641–645
श्री अबुल हसनत खां	645–648
श्री एस. मुरूगेसन	648–649
श्री ए.सी. जोस	651–656
श्री चेतन चौहान	657–659
श्री शैलेन्द्र कुमार	659–661
श्री वीरेन्द्र कुमार	661–664
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	664–666
श्री बी.एम. मेनसिंकाई	666–667
श्री अजय चक्रवर्ती	667–669
श्री सी. कुप्पुसामी	669–671
श्रीमती जयंती पटनायक	671–672
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	673–674
श्री आर.एस. गवई	675–678
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	678–679

विषय	कालम
श्री मित्रसेन यादव	680
श्री वीर सिंह महतो	680–681
श्री एन.टी. षणमुगम	681–683
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे	683–685
श्री सी.एच. विद्यासागर राव	685–686
श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या	686–687
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	687–688
श्री टी. गोविन्दन	688–689
श्री कोनिजेटी रोसैया	689–690
खंड 2 और 1	695
पारित करने के लिए प्रस्ताव	696
कार्य मंत्रणा समिति.	650
पांचवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	650

लोक सभा

सोमवार, 27 जुलाई, 1998/5 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

7 [*अनुवाद*]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हमने प्रश्न काल को न रखने के नोटिस दिए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 562, प्रो. पी.जे. कुरियन।

...*(व्यवधान)*

डा. असीम बाला : महोदय, हमने मुम्बई से बंगाली बोलने वाले मुस्लिम कामगारों के निर्वासन के मुद्दे पर प्रश्न काल स्थगित करने के नोटिस दिए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके नोटिस देखे हैं। प्रश्न काल स्थगित करना उचित नहीं है। मैं आपको शून्य काल के दौरान मामला उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मामला शून्य काल में उठा सकते

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके नोटिस पढ़े हैं। आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 562, प्रो. पी.जे. कुरियन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, हमारे देश में क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को शून्य काल में मौका दूंगा। कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : इसमें दो राज्य शामिल हैं। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए, उसके बाद ही इस विषय पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[*हिन्दी*]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, पूरा भारत देश एक है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। वहां जबर्दस्ती सरकार और पुलिस के बल पर ये सब हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला अभी न उठाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बताइए, हम क्या करें?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो आवर में रेज करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दो राज्यों का मामला है। इस पर सरकार को स्टेटमैंट देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया इस बात को समझें कि आपको प्रश्न काल में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन जो कुछ कह रहे हैं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, बहुत हो चुका। कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों की भावनाओं को महसूस नहीं करता हूं लेकिन हमें यह मामला शून्य काल में उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारा मामला भी मुम्बई है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : हम सबका है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह केवल बंगाली सदस्यों की भावना नहीं है। यह पूरे सदन की भावना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : हमें इसे प्रश्न काल के दौरान उठाना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उन्हें शून्य काल में अनुमति दूंगा। अब, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं आपके निर्णय का पालन करता हूं। प्रश्न संख्या 562।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पारेषण तथा वितरण प्रणाली

***562. प्रो. पी.जे. कुरियन :**[+]
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने पारेषण तथा वितरण प्रणाली में लगभग 13,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ने कतिपय अन्य स्रोतों से 4000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण भी मांगा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विस्तार हेतु कारपोरेशन के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने तथा नई स्कीमों को आरंभ करने के लिए आवश्यक राशि क्रमशः 5700 करोड़ रुपये तथा 7235 करोड़ रुपये है। उड़ीसा में लिए 6×660 मे.वा. ताप विद्युत संयंत्र को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करेगा, उससे विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली का निर्माण करने हेतु 5000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) पावरग्रिड ने पहले ही 2921 करोड़ रुपये के ऋण हेतु संविदा कर ली है। यह विदेशी बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषक एजेंसियों से ऋणों के जरिए 7641 करोड़ रुपये तथा स्वदेशी वित्त पोषण संस्थानों से ऋण के द्वारा 2300 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव रखता है।

(ङ) और (च) सरकार ने 100 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए पावरग्रिड को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। सभी निर्माणाधीन स्कीमों को अनुमोदित कर दिया गया है। पावरग्रिड ने नौवीं योजना अवधि के दौरान 27 नई परियोजनाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव रखा है। 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 17 परियोजनाओं के लिए सरकार का अनुमोदन इन परियोजनाओं द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही प्रदान किया जाएगा। 100 करोड़ रुपये से कम के निवेश वाली शेष 10 परियोजनाओं को पावरग्रिड बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए मेरे प्रश्न के उत्तर को पढ़ चुका हूं। उन्होंने कहा कि पावरग्रिड ने पहले ही विदेशों से 2,924 करोड़ रुपये के ऋण हेतु संविदा कर ली है। यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश में विद्युत पारेषण के कारण होने वाला नुकसान काफी उच्च है। यह 21 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन अन्य विकसित देशों और यहां तक कि विकासशील देशों में भी विद्युत पारेषण के कारण होने वाला नुकसान अपेक्षाकृत बहुत कम है। यह इतना कम है कि इसका प्रतिशत तीन से चार है। आप कृपया देखिए कि पारेषण में हम विद्युत का कितना नुकसान उठा रहे हैं। यदि हम केवल इस विद्युत हानि को ही कम करने में सक्षम हो जाते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि देश में बिजली की कमी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन न तो मैं उनके उत्तर में इस बारे में कुछ देख रहा हूं और न सरकार अथवा पावरग्रिड कार्पोरेशन की ओर से पारेषण हानि को कम करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं।

अब जबकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना विकास हो चुका है और जब आप विदेशों से कर्जा ले रहे हैं तो आप इस पहलू पर विचार क्यों नहीं करते और आप ऐसी प्रौद्योगिकी क्यों नहीं लाते जिससे विद्युत पारेषण से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

मैं एक प्रश्न तीन भागों में पूछना चाहूंगा :

(क) हमारे देश में पारेषण हानि का प्रतिशत कितना है?

(ख) पारेषण हानि को कम करने के लिए सरकार किन कदमों को उठाने पर विचार कर रही है?

(ग) विद्युत पारेषण हानि को ठीक करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई हैं?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान उच्च पारेषण और वितरण हानि की ओर आकर्षित किया है। माननीय सदस्य ने जो आंकड़ा दिया है वह केवल पारेषण हानि के बारे में ही नहीं है। यह पारेषण और वितरण, दोनों के बारे में है। जिस क्षेत्र की देखभाल पावरग्रिड के पास है उसमें होने वाली हानि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भीतर हैं, जैसाकि माननीय सदस्य ने इंगित किया है। लेकिन पारेषण के संबंध में, जिसे उप-पारेषण कहते हैं, और 1995-96 में स्टेट सेक्टर में पारेषण औसत था। यह पूरे देश में 22.67 प्रतिशत के इर्द-गिर्द था। हम इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। हमारे पास राज्यों के पारेषण और वितरण प्रणाली को सुधारने का कार्यक्रम है। हम प्रौद्योगिकीय परामर्श और सहायता, दोनों, दे रहे हैं तथा विद्युत वित्त निगम को ब्याज की कम दर पर ऋण भी दे रहे हैं ताकि राज्यों में पारेषण और वितरण प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जा सके। सौभाग्य से नेशनल ग्रिड का पारेषण नया और बहुत ही कुशल है। लेकिन केवल उससे काम नहीं चलेगा। हमें राज्यों में पारेषण प्रणाली में सुधार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में सक्षम हैं।

श्री शरद पवार : प्रश्न विशिष्ट रूप से पारेषण हानि के कुल प्रतिशत के बारे में था।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह राष्ट्रीय पारेषण के बारे में था या कुल पारेषण के बारे में था?

श्री शरद पवार : कुल पारेषण के बारे में।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : 1995-96 में कुल हानि 22.67 प्रतिशत थी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : और पारेषण में?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : ठीक है। मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मेरे प्रश्न के तीन भाग है, (क), (ख) और (ग) उन्होंने भाग (ख) और (ग) को उपेक्षा कर दी है। क्या आपने पारेषण हानि की पूर्ति करने के लिए कोई धनराशि नियत की है। आपकी विशिष्ट योजनाएं क्या हैं? मैंने उस बारे में भी पूछा था लेकिन आपने उसका उत्तर नहीं दिया। मैं समझता हूं कि आपके पास उत्तर नहीं है। यदि अभी इस वक्त आपके पास इसका उत्तर नहीं है तो कृपया आप मुझे लिखें। यदि अभी आपके पास उत्तर है तो कृपया मुझे बताएं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : हमें कोई धनराशि नियत करने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में यह हमारा एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में, जब कभी भी राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत वित्त निगम के ज़रिए ऋण सहायता की मांग करते हैं, असल में हम उन ऋणों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देते हैं। धनराशि निर्धारित करने की कोई समस्या नहीं है। स्थिति यह है कि हमारे बजटीय समर्थन का लगभग 50 प्रतिशत पारेषण तथा वितरण के लिए है। हम उन राज्यों को सहायता दे रहे हैं जिनके पास धन नहीं है। कई राज्यों ने पारेषण तथा वितरण में सुधार को प्रथम प्राथमिकता के तौर पर लिया है। मैं यह आशा करता हूं कि योजनावधि के अंत तक हम काफी बेहतर स्थिति में होंगे।

मेरे विचार में श्री पवार जिस प्रश्न का उत्तर मुझसे चाहते थे वह राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की हानि से संबंधित था। इस समय हम चार प्रतिशत के विश्व औसत की तुलना में साढ़े तीन प्रतिशत से भी कम हैं। अतएव, हम राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर स्थिति में हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन को अपना दूसरा अनुपूरक पूछना है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, हम लोगों में से जो दिल्ली में रहते हैं वे विद्युत आपूर्ति ठप्प होने के प्रभाव से परिचित हैं। प्रतिदिन बिजली गुल होती है तथा अब यह सांसदों के घरों में भी शुरू हो रही है। जब मैंने संबंधित विभाग से पूछा तो मुझे बताया गया कि मुख्य दोष वितरण प्रणाली का है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया इस बात को समझिये कि बारह सदस्य इस प्रश्न पर अनुपूरक पूछना चाहते हैं। इसलिए कृपया समय का ध्यान रखें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। परन्तु मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं।

महोदय, प्रतिदिन बिजली गुल हो जाती है। यह कहा जाता है कि अकुशल वितरण प्रणाली के कारण बिजली गुल होती है। आगे यह और कहा गया है कि इसमें अप्रचलित तकनीक का उपयोग होने के कारण ऐसा होता है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि यह विद्युत ठप्प होना अकुशल वितरण प्रणाली तथा अप्रचलित तकनीक के उपयोग के कारण होता है या नहीं। यदि हां, तो इस स्थिति में सरकार द्वारा सुधार के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

महोदय, मेरा अनुपूरक का दूसरा हिस्सा यह है। सरकार द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं में दक्षिणी ग्रिड विशेषरूप से केरल की कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है। इस कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना को अब चालू किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस परियोजना के पारेषण ग्रिड के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है? मैं माननीय मंत्री से इन दो विशिष्ट अनुपूरक का उत्तर चाहूंगा। मैंने इसके लिए काफी कम वाक्यों का उपयोग किया है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहमत होने के लिए बाध्य हूं कि हम दिल्ली सहित सभी जगहों पर अकुशल वितरण प्रणाली के कारण काफी ज्यादा विद्युत आपूर्ति ठप्प होने का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसका कारण केवल खराब स्थानीय वितरण प्रणाली ही नहीं है अपितु योजना भी है जो चार वर्ष पूर्व दिल्ली के चारों ओर 'रिंग' पारेषण प्रणाली बनाने के लिए घोषित की गई थी और वह अब तक पूरी नहीं हुई है।

महोदय, मध्यावधि आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम 400 किलोवाट बामनौली एस.एस. तथा एक सब स्टेशन अर्थात् बवाना-बामनौली-बल्लभगढ़ लाइन वाला 400 किलोवाट युक्त रिंग स्थापित कर रहे हैं जो इस रिंग को पूरा करेगा यह मेरी आशा है कि यह रिंग कम से कम दिल्ली के आसपास उसी तरह से कुशल पारेषण सुनिश्चित करेगा जिस तरह से रिंग रोड पर यातायात का आवागमन होता है और दिल्ली में इस तरह से विद्युत पारेषण सुनिश्चित करना अपेक्षित भी था।

महोदय, वितरण प्रणाली में वृद्धि करने तथा पारेषण और वितरण घाटों को कम करने के संबंध में कई विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि वे दिल्ली में कुछ क्षेत्रों की वितरण प्रणाली का निजीकरण करेंगे ताकि निवेश किया जा सके तथा वितरण के ढंग का आधुनिकीकरण किया जा सके और राजस्व की उगाही के तरीके का भी आधुनिकीकरण किया जा सके।

महोदय, आई.सी.आई.सी.आई. को परामर्श के लिए प्राधिकृत किया गया है। उसने 40 सप्ताह का समय मांगा है। हम उसे यह आश्वस्त करने में लगे है कि इसमें कम से कम अवधि का समय लिया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : बवाना फेज-1 तथा बवाना फेज-2 दो-दो साल से बंद पड़े हैं। उनको भी चालू कराइए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हम ऐसी समस्या में अपना दिमाग लगा रहे हैं जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।

यह मेरी आशा है कि इस सभा के सदस्यों के समर्थन से अगले कुछ वर्षों में हम अधिकांश समस्याओं का हल ढूंढ़ लेंगे।

कायमकुलम के प्रश्न के संबंध में मैं नहीं जानता कि मेरे अच्छे मित्र ने मुझे सावधानीपूर्वक सुना या नहीं, लेकिन कायमकुलम दक्षिणी क्षेत्र में एक चालू परियोजना है जिसके लिए 202.7 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तथा हमें आशा है कि कायमकुलम-I 1999 तक तैयार हो जायेगी जो 1000 मेगावाट बिजली पारेषण कर सकेगी। हम कायमकुलम-II के 2000 मेगावाट की विस्तार योजना पूरी करने के चरण में पहुंच गए हैं जहां हम काफी शक्तिशाली पारेषण लिंक भी होंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे समझिये। वे दूसरे हस्ताक्षरकर्ता हैं। उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री ने कई अवसरों पर यह जोर दिया कि नौवीं योजना में वे 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन चाहते हैं। उनके वचन देने तथा सक्रिय भूमिका निभाने के बाद भी, मैं नहीं समझ पाया कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र विशाखापत्तनम में 1040 मेगावाट की विद्युत परियोजना क्यों नहीं शुरू की जा सकीं। माननीय मंत्री ने विशाखापत्तनम के लोगों को यह वचन दिया था कि इस माह के अंत में वे 1040 मेगावाट विद्युत परियोजना शुरू कर देंगे तथा वे इसका उद्घाटन करने विशाखापत्तनम भी गए थे। अब तक यह इंडामार्वा जैसा कि तेलुगू में कहा जाता है, जिसका अर्थ दूर से पानी देखना होता है, हो गया है। कुछ भी नहीं घूम रहा है, सभी चीजें स्थिर हैं। मैं समझता हूं कि रेल मंत्री, वित्त मंत्री तथा आपके विचार में काफी अंतर है। अंतर जो भी हो, देशहित में तथा विद्युत उत्पादन के हित में मंत्री यह स्पष्ट करें कि इस संबंध में वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। मंत्री सभा को आश्वस्त करें कि वे कब हिन्दुजा विद्युत परियोजना शुरू करते जा रहे हैं। मंत्री जी 1040 मेगावाट की विद्युत परियोजना शुरू करके विशाखापत्तनम के लोगों को नई जिंदगी कब देंगे? मंत्री महानदी कोल लिंकेज एग्रीमेंट कब करेंगे? मेरे विचार से इस समझौते के बिना परियोजना शुरू नहीं की जा सकती है। मैं मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैंने आश्वासन दिया है कि कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है तथा कैबिनेट का निर्णय तब लागू होता जब इस माह के अंत तक तीन प्रति गारंटी परियोजनाओं को प्रति गारंटी का मसौदा उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपके माध्यम से सभा को सूचित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि कम से कम हिन्दुजा राष्ट्रीय विद्युत निगम परियोजना के संबंध में प्रति गारंटी मसौदा वित्त मंत्रालय द्वारा साहूकारों के साथ करार करने के लिए शुरू किया गया है तथा इसे कम्पनी को भेज दिया गया है। अब, यह राज्य सरकार, कम्पनी तथा केन्द्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतिम प्रति गारंटी देने तथा 'फाइनांसियल क्लोजर' में जाने का मामला है। यह सच है कि एम.सी.एल. तथा कम्पनी के बीच ठेके पर अंतिम हस्ताक्षर करने में कई छोटी-बड़ी रुकावटें हैं, यह मेरी आशा हैं कि हम इसे तुरंत ही हल करने में सफल होंगे।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : आपको ऐसा कब तक कर लेने की आशा है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझे अपना भाषण पूरा करने दें। यह काफी जल्दी किया जायेगा। यह कम्पनी के फाइनांसियल क्लोजर के चरण में पहुंचने से काफी पहले कर लिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पावरग्रिड में नौवीं योजना अवधि के

दौरान 27 नई परियोजनाओं को आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है। सौ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 17 परियोजनाओं के लिए सरकार का अनुमोदन इन परियोजनाओं द्वारा तकनीकी और आर्थिक स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही प्रदान किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इन 27 नई परियोजनाओं के आरम्भ करने के प्रस्ताव में मध्य प्रदेश की कितनी परियोजनाएं हैं और देश में राज्यवार कितनी-कितनी परियोजनाएं हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां पर सन् 2003 तक सिपत परियोजना के सन् 2002 तक लोड डिस्पेचिंग कम्युनिकेशन, पश्चिमी क्षेत्र के और वेस्टर्न-ईस्टर्न इंटर-रीजनल लिंक के 2001 तक कार्य आरंभ कर देने की आशा है। सिपत परियोजना की लागत 1000 करोड़ रुपए है, लोड डिस्पेच कम्युनिकेशन आफ वेस्टर्न रीजनल की लागत 298 करोड़ रुपए और वेस्टर्न-ईस्टर्न इन्टर रीजनल लिंक की लागत 680 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश की परियोजनाओं का यही विवरण है। सिपत परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है और धनराशि की भी घोषणा की जा चुकी है। लोड डिस्पेच परियोजना पी.आई.बी. के पास है और वेस्टर्न-ईस्टर्न इन्टर रीजनल लिंक परियोजना इस समय टी.ई.सी. मंजूरी के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लंबित पड़ी हुई है।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष जी, इस समय मध्य प्रदेश में व्यापक बिजली संकट है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष जी, इस समय मध्य प्रदेश में व्यापक बिजली संकट है, और मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली देता है उसका भुगतान विद्युत मंडल मध्य प्रदेश को नहीं हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन : महोदय, केरल को विद्युत उत्पादन, पारेषण और आपूर्ति के मामले में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। केरल में उदुमलपेट से त्रिसूर के बीच केवल 400 किलोवाट क्षमता की एक लाईन है। अभी किए गए करार के अनुसार 250 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत केरल को मिलने वाली है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या तेलचर से केरल के लिए 400 किलोवाट की नई लाईन का प्रस्ताव है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : तेलचर-II परियोजना के प्रस्ताव के अन्तर्गत 2003 तक कार्यारंभ करने की आशा है और इसके लिए 3589.17 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसे अब पी.आई.बी. के विचारार्थ भेजना है।

श्री अनिल बसु : महोदय, बारहवीं लोक सभा में मुझे पहली बार बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

विभिन्न लोड केन्द्रों पर लोड जाने के लिए पारेषण लाइनों की आवश्यकता पड़ती है जो कि विद्युत को विद्युत उत्पादन केन्द्रों से लोड केन्द्रों तक ले जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोई भी पारेषण लाईन, चाहे वह विदेशी सहायता से स्थापित की गई हो अथवा ऋण से, अनुमानित विद्युत की मात्रा को विभिन्न लोड केन्द्रों पर नहीं ले जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि योजना के समय तो लोड आता है परन्तु बाद में पता चलता है कि लोड उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में पारेषण लाइनों पर किया गया निवेश बेकार हो जाता है। क्या विदेशी ऋण की सहायता से पहले से ही चालू पारेषण लाईनों संबंधी कोई आकलन कराया गया है। क्या यह सच है कि विदेशी ऋण से स्थापित की गई पारेषण लाईनें योजना के दौरान अपेक्षित मात्रा के अनुसार विद्युत की मात्रा की संवहन नहीं कर रही है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसी कोई पारेषण लाईन नहीं है जो अपेक्षित मात्रा में लोड संवहन कर पाने में असफल रही हो। यह सच है कि कुछ मामलों में लोड केन्द्रों पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में। मैं यह शर्त लगाना नहीं चाहता कि वे क्यों नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा है। यदि मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो उन्हें कुछ क्षेत्रों की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझे एक बात स्पष्ट करने दें कि श्री अनिल बसु ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है कि अनेक बार ऐसा होता है। जैसाकि मैंने कहा है कि विशेष रूप से स्थापित की गई पारेषण लाइनें नियत विशेष भार का संवहन करने में सक्षम हैं।

किन्तु किसी भी पारेषण लाईन के दो सिरे होते हैं। जिसका एक सिरा उत्पादन केन्द्र से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा लोड केन्द्र से जुड़ा होता है। यदि एक भी सिरे में विद्युत संवहन में विलम्ब हो जाता है तो पारेषण लाईन की उपयोगिता घट जाती है। ऐसे कई मामले हैं जब लोड केन्द्रों में विद्युत की मात्रा में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मैं इसका एक कटु उदाहरण पेश कर सकता हूं परन्तु मैं ऐसा करना नहीं चाहता। परन्तु विद्युत में वृद्धि की समस्या तो है और जब यह वृद्धि नहीं होती तब तक सभी को इसमें एहतियात बरतनी होगी।

अनेक बार विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के चालू होने में हुई देरी से कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। परन्तु ये समस्याएं कुछेक ही हैं और वास्तव में हम पारेषण लाइनों का कार्य उस समय शुरू करते हैं जब हम यह देख लेते हैं कि उत्पादन केन्द्र और लोड केन्द्र तैयार हो गए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। इस संबंध में हम काफी सुरक्षित स्थिति में हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, मंत्री जी ने एक दिन संवितरण के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों को सभा पटल पर रखा था। उनका स्वयं का वक्तव्य है कि एन.टी.पी.सी. द्वारा ग्रिड माध्यम से तैयार विद्युत को एन.टी.पी.सी. सीधे ही उपभोक्ता को एन.टी.पी.सी. की अपनी दरों पर आपूर्ति नहीं कर सकेगा। दुर्भाग्य से एक किलोग्राम का भी निर्यात न करने वाली लौह मिश्र धातु उद्योगों से निर्यातोन्मुखी इकाइयों के नाम पर 1.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति शुल्क लिया जा रहा है और विद्युत बोर्डों को 2.00 रुपए प्रति यूनिट से भी वंचित किया जा रहा है।

आप आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड का ही उदाहरण लें जहांकि विद्युत बोर्ड को 600 करोड़ का घाटा हो रहा है। मंत्री महोदय को विद्युत बोर्डों के हितों की रक्षा करनी होगी। मंत्री महोदय को एन.टी.पी.सी. की दरों पर विद्युत आपूर्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री जी ने राज्य विद्युत बोर्डों को ऐसा करने के निर्देश दे रखे हैं। महोदय यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आधे घन्टे का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सीधे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है परन्तु आपको भी समय का ध्यान रखना चाहिए कि समय ज्यादा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : 18 जून को वह विशाखापट्टनम में थे। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने आधिकारिक रूप से यह बात कही है। मैं मंत्री महोदय से सीधी आपूर्ति प्रणाली की पुनरीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। वस्तुस्थिति यह है कि मंत्री महोदय या तो इसकी पुनरीक्षा करें अथवा 1.50 रुपए प्रति यूनिट पर विद्युत की आपूर्ति को बंद करें क्योंकि यह सही नहीं है। इसके कारण राज्य विद्युत बोर्ड को घाटा हुआ। क्या मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को हुए 600 करोड़ रुपए के घाटे को पूरा करेंगे?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : जी हां यह सच है कि अधिनियम के अन्तर्गत एन.टी.पी.सी. कोई वितरक नहीं है और न ही उसके पास सीधे आपूर्ति करने का लाइसेंस है परन्तु अधिनियम में यह प्रावधान है कि राज्य विद्युत बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी विद्युत उत्पादन इकाई को यह अधिकार दे सकती है कि वह किसी उद्योग विशेष अथवा उपभोक्ता को सीधे आपूर्ति करे। वास्तव में ये ऐसे मामले जो हमारी सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही प्रकाश में आए हैं। मेरे प्रश्नकर्त्ता मित्र की पार्टी ने ही ये निर्देश दिए थे ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं किसी पार्टी से नहीं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : आप ही की पार्टी सत्ता में थी जब यह निर्देश दिया गया था। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार की सिफारिश और सहमति पर ही किया जाता है। हम इस बारे में बहुत ही सावधान हैं। हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते जब तक कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने आपसे इसकी पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है। ...*(व्यवधान)* यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने न तो मुझे कोई पत्र लिखा है और न ही इसकी पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है। यदि ऐसा कोई पत्र मुझे मिलेगा तो मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : आपने कभी उन दरों की चर्चा नहीं की, जिन दरों पर विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : जहां तक दरों की बात है तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि दरें एन.टी.पी.सी. की होंगी ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : ये दरें राज्य विद्युत बोर्ड की नहीं हैं। राज्य विद्युत बोर्ड की दर 3.75 रुपए प्रति यूनिट है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की दर है।

श्री बिक्रम केशरी देव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि पावर ग्रिड द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं में से उड़ीसा में कितने 400 के.वी. और 132 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित किए गए।

दूसरा, 6/660 मेगावाट परियोजना...

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, दूसरा नहीं।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, यह उसी का हिस्सा है।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले 6×600 मेगावाट परियोजना को कब तक पूरा किया जाना है और कब से विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, उड़ीसा में तीन परियोजनाएं हैं। पूर्वी क्षेत्र के लोड एवं डिस्पैच एवं संचार केन्द्र को वर्ष 2002 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। 210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तालचेर परियोजना 2003 तक पूरी की जानी है। इसकी लागत 3,589.17 करोड़ रुपए है। तथा पश्चिमी-पूर्वी अन्तर-क्षेत्रीय लिंक की लागत 680 करोड़ रुपए की है।

हिरमा परियोजना या 6×660 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उड़ीसा सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कोयले की रायल्टी के अलावा 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली दी जाए। किसी भी ताप परियोजना के संबंध में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा करने से बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि बेची नहीं जा सकेगी। इस अन्तर-राज्यीय परियोजना में खरीदने वाले राज्यों ने इस 12 प्रतिशत के बोझ को वहन करने से मना कर दिया है। जब तक इसे हल नहीं किया जाता हिरमा परियोजना को पूरा करने की तारीख नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में नार्दर्न इंडिया की बात नहीं आई है...*(व्यवधान)* उसके बाद जहां बिजली की आवश्यकता है वहां पर...*(व्यवधान)* मैं वह बात समझ गया हूं। ...*(व्यवधान)* महत्वपूर्ण मुद्दा नार्दर्न इंडिया का है जो कि सारे देश को अनाज सप्लाई करता है। वहां बिजली की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री भजनलाल : आप किसी उत्तर भारत के मैम्बर को सवाल पूछने की इजाजत न दें, यह मुनासिब बात नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : भजन लाल जी, गाड़ी छूट गई है।

[अनुवाद]

विदेशों में भारत महोत्सव

***563. श्री पी. उपेन्द्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में विभिन्न देशों में अनेक भारत महोत्सव आयोजित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निकट भविष्य में किन-किन देशों में भारत महोत्सव आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार इन महोत्सवों का आयोजन करने में रुचि नहीं ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत महोत्सव 1982 में ब्रिटेन में, 1985-86 में फ्रांस में, 1985-86 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, 1987 में स्वीडन में, 1987-88 में सोवियत संघ में, 1988 में जापान में, 1991-92 में जर्मनी में, 1994 में चीन में और 1995-97 में थाईलैंड में आयोजित किये गये। इटली में एक महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : वर्ष 1982 में हिचकिचाते हुए इंग्लैंड में भारत महोत्सव आरंभ होने के बाद, विभिन्न देशों में भारत महोत्सव आयोजित किए गए। वास्तव में राजीव गांधी ने विदेशों में भारत महोत्सवों की अवधारणा को हमारी सांस्कृतिक कूटनीति के अंग के तौर पर जोर दिया। इसके द्वारा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार तथा बदले में भारत में अन्य देशों के महोत्सव आयोजित करके हमारे लोगों को अन्य देशों की संस्कृति से परिचित कराने का लाभदायक उद्देश्य प्राप्त हो रहा था। मगर उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया।

श्री नरसिंह राव के कार्यकाल में तीन महोत्सव आयोजित किए गए थे। मगर उसके बाद कोई भी भारत महोत्सव आयोजित नहीं किया गया।

प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि भारत महोत्सव के आयोजन में सरकार ने अवधि नहीं दिखाई है। मगर 1995 से एक भी भारत महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री का अरुचि से क्या अभिप्राय है। क्या यह अरुचि नहीं है।

माननीय मंत्री ने कहा कि इटली में भारत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह आयोजित किए जाने वाले महोत्सवों की श्रृंखला का अंग है या सरकार द्वारा यूं ही आयोजित किया जा रहा है।

मानव संसाधन मंत्रालय में एक महोत्सव निदेशालय है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या कर रहा है। क्या यह खाली बैठा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे महोत्सवों की श्रृंखला का आयोजन करने जा रहे हैं और क्या इन महोत्सवों के आयोजन में वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को भी शामिल करेंगे?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन् 1995 और 1997 में थाईलैंड में भारत महोत्सव आयोजित किया गया था। इसलिए यह कहना कि पिछले तीन वर्षों में कोई फैस्टिवल नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र : 1995 में हुआ है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : 1995 से 1997 में हुआ है।

श्री पी. उपेन्द्र : 1995 में उधर और 1997 में इधर हुआ है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : वही बात है कि 1995 से 1997 में हुआ। भारत महोत्सव हम जिस देश में करते हैं फिर वही देश हमारे यहां भी करते हैं। इस तरह से कभी हम वहां करते हैं फिर वह हमारे यहां करते हैं। यह सीरिज उसी प्रकार की है, जो सीरिज चल रही है।

इटली में जो महोत्सव आयोजित किया जाना है, उसके बारे में निर्णय हो चुका है। हमने उनको कलैन्डर दे दिया, कार्यक्रम भी दे दिया। प्रोटोकाल की सारी कार्यवाही हमने अपनी तरफ से उनके पास भेज दी। अब हम इटली सरकार के रिसपाँस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वहां से इस बारे में कोई सूचना आएगी, हम इसे आगे चलाएंगे। यह अक्टूबर में होना प्रस्तावित था लेकिन अभी तक इटली की सरकार की ओर से इस बारे में हमें कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए शायद अक्टूबर में नहीं हो सकेगा। अगली तिथियां उनके रिसपाँस पर निर्भर करती हैं। 1999 में जर्मनी हमारे देश में महोत्सव कर रहा है। इसलिए डिवीजन ऑफ फैस्टीवल चुप नहीं बैठा है, वह काम कर रहा है। लेकिन यह होस्ट गवर्नमैंट के रिसपाँस पर भी निर्भर करता है। हम प्रयास कर रहे हैं, तिथि तय हो चुकी है, प्रोटोकोल भेज दिया, कार्यक्रमों की सूची भेज दी। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि यदि वे इसमें आगे बढ़ें तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।

दूसरी बात यह ध्यान में रखें कि 1997-98 के साल में हिन्दुस्तान में ही आजादी की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में बहुत सारे

कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इस देश में ही नहीं हो रहे हैं, विदेशों में भी हो रहे हैं। इसलिए 1997-98 के समय में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश के लोग विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई चुप नहीं बैठा है। हमारा मंत्रालय इस बारे में बिल्कुल जागरूक है और हम भारत की संस्कृति के आधार पर अन्य देशों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति यहां बताना चाहते हैं, उनकी संस्कृति को यहां समझना चाहते हैं। सरकार की तरफ से इसमें थोड़ी सी भी लैक्सिटी नहीं है और न हम होने देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, सभा में बहुत हंगामा हो रहा है। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। सदस्य आपस में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। कृपया बातचीत बन्द करें।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, राष्ट्रीय संस्कृति नीति प्रारूप में भारत महोत्सव का जिक्र है। ये राष्ट्रीय संस्कृति नीति के अंग हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थाई समिति द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति नीति के दृष्टिकोण-पत्र को अनुमोदन किए हुए तीन साल से ज्यादा हो गया और इसे मंत्रालय को वापस भेज दिया गया था। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति नीति का अंतिम प्रारूप संसद के समक्ष बहुत पहले ही प्रस्तुत किया जाना था। अब तक यह नहीं किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति नीति प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? संसद के समक्ष आप इसे कब प्रस्तुत करेंगे क्योंकि भारत महोत्सव राष्ट्रीय संस्कृति नीति का एक हिस्सा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह प्रश्न इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र : इसी का हिस्सा है ...*(व्यवधान)* वो कैसे कह सकते हैं कि प्रश्न का हिस्सा नहीं है? भारत महोत्सव राष्ट्रीय संस्कृति नीति का अंग है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : यह प्रश्न का हिस्सा है या नहीं। इसका निर्णय करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय की है। मंत्री महोदय को इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र : आप ऐसा कह सकते हैं मगर यह नहीं कह सकते कि यह प्रश्न का हिस्सा नहीं है ...*(व्यवधान)* यदि आप तैयारी करके नहीं आए हैं तो ऐसा आप कह सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से क्षमा चाहता हूं, प्रश्न का जितना छोटा रिप्लाई बनाकर उनको दिया गया है, मैं नहीं समझता कि इससे छोटा कोई उत्तर हो सकता है। माननीय सदस्य ने डिटेल मांगी थी। प्रश्नकाल इसलिए होता है कि इस बहाने बहुत सारे सदस्यों को उन फैस्टीवल्स के बारे में जानकारी मिले। किन्तु सिवाए इस बात के कि इस साल में कहां-कहां फैस्टीवल्स हो रहे हैं, कोई जानकारी नहीं मिली। उत्तर में कहीं 1998 में लिखा गया है, कहीं 1995 से 1997, दो साल के अंदर लिखा गया है।

दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि इन फैस्टीवल्स पर कितना खर्च हो रहा है? मंत्री जी ने बताया कि स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन सदन में किसी मैम्बर को कोई जानकारी नहीं है कि देश और विदेश में कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं। क्या मंत्री जी उन सबकी डिटेल्ड जानकारी देने की कृपा करेंगे और इटली में क्या कार्यक्रम होंगे, उनकी डिटेल बताएंगे? मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले कार्यक्रम में, उस फैस्टीवल में कितना खर्च हुआ था?

डा. मुरली मनोहर जोशी : इटली में यदि यह कार्यक्रम होगा, तो रोम में उसका उद्घाटन 5 और 6 अक्तूबर को होना था ...*(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र : अगर होगा 'होगा' से आपका क्या मतलब है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपने मेरा उत्तर ध्यान से नहीं सुना। यह इस पर निर्भर करता है कि इटली की सरकार हमें कब जवाब देती है कब नहीं देती। अगर इस साल जवाब नहीं देगी तो आगे होगा। जब भी होगा तब इसका उद्घाटन रोम में थियेटर ओपरा में होगा। फिर क्लासीकल म्यूजिक और डांस के फैस्टीवल्स मिलान, वीरोना, पादुआ, बोलग्ना और नैपल्स थियेटर्स में होंगे। फिर शास्त्रीय संगीत, नृत्य के उत्सव होंगे जो बुद्ध से गांधी : स्नेह, शांति और सहनशीलता का भारतीय विरासत (बातचीत/

विचार-गोष्ठी) (दो दिन) ये रोम में पैलेजो डैले ऐस्पोसीज़ियान या कम्पलेसो डी.एस. मिचेले में होंगे।

फिर इसमें तीन दिन की परफोरमेंस होगी, एक महीने की पेंटिंग एग्जीबीशन होगी, एक महीने की फोटोग्राफिक एग्जीबीशन होगी, एक महीने की पुस्तक एग्जीबीशन होगी, एक महीने का फिल्म फैस्टीवल होगा और ये रोम, मिलान, ट्यूरिन, रैमिस, यूराइन, बोलन, रेमिनी, जिनेवा, पीसा, पेरूजिया, नेपल्स, पेलोर्मो, केप्लियारी में होगा। फिर कास्टयूम एण्ड टैक्सटाइल एग्जीबीशन होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वो व्यय के बारे में जानना चाहते हैं।

डा मुरली मनोहर जोशी : उन्हें सारा विवरण चाहिए। उन्होंने समस्त विवरण मांगा है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मंत्री जी सही बता रहे हैं, मैंने ही डिटेल्स मांगी थी और खर्चा भी पूछा था कि कितना होगा? ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : बताएंगे, पहले डिटेल्स तो सुन लो। मैं पूरा विवरण दे रहा हूं। उन्होंने पूरा विवरण मांगा है।

श्री विजय गोयल : ठीक है, दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : कृपया ध्यान दीजिए, सम्मानित सदस्य ने कहा था कि उन्हें ब्यौरा चाहिए। मैं ब्यौरा दे रहा हूं।

श्री विजय गोयल : ठीक है, ब्यौरा आना चाहिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपको जितना ब्यौरा चाहिए, उतना ब्यौरा दूंगा। उसके बाद फोटोग्राफी की एग्जीबीशन होगी, पुस्तकों की एग्जीबीशन होगी, फिल्म की एग्जीबीशन होगी। उसके पश्चात् कास्ट्यूम एण्ड टेक्सटाइल एग्जीबीशन होगी, फैशन शो होगा, साइंस एण्ड टैक्नोलोजी एग्जीबीशन होगी, पुस्तक एग्जीबीशन होगी।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : यह भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संघर्ष से संबंधित है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : यह मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं है

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं उत्तर दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन कृपया बैठ जाएं, उन्हें पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मैंने जो पूछा है, वह बता दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : एक सम्मानित सदस्य का प्रश्न है, मुझे उसका उत्तर देना है।

श्री चन्द्रशेखर साहू : चाहे आधा घंटा लगे, पूरी डिटेल्स दीजिए।

श्री अनिल बसु : लेकिन हाउस को परेशान करना तो उचित नहीं है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : लेकिन आप पूरी डिटेल्स दीजिए।

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : पुस्तक प्रदर्शनी, गोष्ठी, आदिवासी और लोक कला तथा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, लोक उत्सव : (एक) भारतीय गांव (लोक संगीत और नृत्य, लोक कला और हस्तशिल्प, आहार और परिवेश,

[हिन्दी]

यह रोम और बारी में होगी। फोक म्यूजिक एंड डांसेज़ फ्लोरेंस, पार्दुआ, गैरोना, नेपल्स, पेलोरमो, कैप्लियारी, इन स्थानों पर होंगे। इसका और पिछले का उसके अन्दर खर्चा लगभग 40 करोड़ रुपये का हुआ है, जो अभी तक फैस्टीवल्स हुए हैं। अब पूरा जो 1995 ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : जवाब कैसे देना है, इसका भी ओरिएण्टेशन प्रोग्राम होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। उन्हें पूरा करने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : यह 40 करोड़ रुपये एक फैस्टीवल का खर्च है कि सारे का है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : पिछले सारे फैस्टीवल्स का खर्च 40 करोड़ रुपये का है। अलग-अलग किस-किस देश में कितना खर्च हुआ है, वह भी मैं बता दूंगा।

श्री विजय गोयल : इटली का बता दीजिए, कितना खर्च होगा?

डा. मुरली मनोहर जोशी : इटली के फेस्टिवल के लिए करीब दो करोड़ बयालीस लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इनका सवाल है कि विदेशों में पचासवीं वर्षगांठ के अन्त में क्या-क्या हुआ है। मैं यह तो पढ़कर सुना दूं कि ये-ये हो रहा है।

श्री विजय गोयल : इसकी एक-एक कापी भिजवा दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : वह अलग बात है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि भारत महोत्सव आयोजित करने हेतु देशों का चयन के लिए किन मानदण्डों को अपनाना गया है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने मध्य-पूर्व या अफ्रीका के किसी देश से संपर्क किया है, विशेषकर उन देशों में जहां लाखों भारतीय रहते हैं। मैं माननीय मंत्री से ब्यौरा जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अभी तक इन फैस्टीवल्स के बारे में जो चर्चा होती है, ज्यादातर आई.सी.सी.आर. की तरफ से इस बारे में सम्पर्क किया जाता है। तुर्कमेनिस्तान के साथ इंडिया फैस्टीवल की चर्चा हो रही है। अगर वहां से ठीक-ठीक प्रोटोकोल हो गया तो उसके बारे में आगे विचार होगा। इसमें होस्ट और सरकार दोनों तरफ की रजामंदी चाहिए, केवल हमारी तरफ की नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : माननीय मंत्री ने उन देशों का नाम नहीं बताया है जिनसे संपर्क किया गया है। यही मेरा प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मध्य-पूर्व के किसी देश से संपर्क किया है या नहीं। यही मेरा सवाल है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वी. पाटील : महोदय, ये फैस्टीवल ऑफ इंडिया इसलिए शुरू किये थे कि भारत की संस्कृति के बारे में दूसरे देशों के लोगों को ज्यादा जानकारी हो और दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में भारत के लोगों को ज्यादा जानकारी हो। इसका दूसरा उद्देश्य था कि पर्यटक ज्यादा संख्या में इस देश में आ जायें। इसका तीसरा उद्देश्य था कि आज के संसार में सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का अपना एक महत्व है, इसके बारे में भी इस माध्यम से हम कुछ आगे बढ़ना चाहते थे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन उद्देश्यों को सही मानती है, और अगर सही मानती है तो इस दृष्टि से आगे कदम बढ़ाने के लिए वह भविष्य में क्या करने जा रही है, ताकि ये उद्देश्य पूरे हो सकें?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जो उद्देश्य आपने गिनाए हैं, वे बिल्कुल सही हैं और सरकार इन उद्देश्यों से सहमत है। हम इस बारे में प्रयत्नशील हैं कि भारत की संस्कृति का दुनिया के देशों को पता चले और दुनिया में होने वाले आजकल के जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, उनका हमें पता चले। केवल सांस्कृतिक क्रियाकलापों का ही पता न चले, बल्कि सांस्कृतिक आधार पर विश्व में अच्छे सम्बन्ध पैदा किए जाएं। इसीलिए जैसे मैंने निवेदन किया कि इस वर्ष इटली से बातचीत चल रही है, अगले वर्ष जर्मनी हमारे यहां फैस्टिवल करने वाला है। हम तुर्कमेनिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं। यह पिछले दिनों में अभी तक की योजना है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने का जो अंतिम समारोह है, उसमें विदेशों से सांस्कृतिक ट्रुप यहां आएं। मैं आशा करता हूं कि जब आप 15 अगस्त के कार्यक्रम को देखेंगे, उसमें भारत के आसपास के देशों और एशिया के अन्य देशों के साथ हमारे कैसे सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं और आज उनके आधार पर हम कैसे उन्हें निमंत्रित कर रहे हैं, उसकी झांकी भी हम दिखाएंगे। आई.सी.सी.आर. इस दृष्टि से विशेषरूप से सक्रिय रहता है। यह विभाग मेरे मंत्रालय में नहीं है, लेकिन हमारा उनसे सम्बन्ध रहता है। उसके द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे, हमारा मंत्रालय उनको पूरा सहयोग देगा और समर्थन करेगा। सांस्कृतिक आधार पर विश्व में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में हम बहुत तीव्र गति से आगे चल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको : अध्यक्ष महोदय, जब संयुक्त राज्य अमरीका में भारत महोत्सव हुआ था तो हमारे संग्रहालयों से कई बहुमूल्य वस्तुएं तथा तमिलनाडु के मंदिरों के गर्भगृहों से कई पवित्र मूर्तियां भी वहां ले जाई गई थीं। जब इन बहुमूल्य वस्तुओं को संयुक्त राज्य अमरीका ले जाया गया था तो इनमें से कुछ क्षतिग्रस्त भी हो गई थीं। धार्मिक प्रधानों के जबर्दस्त प्रतिरोध तथा आपत्तियों के बावजूद भी इन मूर्तियों को ले जाए जाने की योजना थी तथा यह मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाया गया था। और अंततः सरकार ने यह विचार छोड़ दिया। यहां तक कि अत्यन्त बहुमूल्य वस्तुएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

महोदय, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र को फ्रांस से बाहर ले जाने की कभी भी अनुमति नहीं दी गई। वे रोम के मिलान शहर में भारत महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे डर है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं कि क्या वे इस पहलू पर विचार करेंगे क्योंकि हमें 1984-85 में की गई गलती को पुनः नहीं दोहराना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : भारत से ले जाये जाने वाले प्रत्येक एग्जीबिट की हम पूरी सुरक्षा रखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत नष्ट न होने पाए।

प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरणीय खतरा

***564. श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्टों के कुल भार का 1 से 4 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट होता है। अधिकांश प्लास्टिक अपशिष्टों का पुनःचक्रण किया जाता है। कार्यबल ने प्लास्टिक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए निरोधात्मक, संवर्धनात्मक और निवारण संबंधी उपायों के लिए एक कार्यक्रम की सिफारिश की है। इस संबंध में हुई प्रगति को देखने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एवं मानीटरी समिति गठित की गई है। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिकारी स्टैलिन स्मिथ ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे औद्योगिक देश अपने-अपने देश में पर्यावरण की बिगड़ती हुई सेहत को देखकर बहुत चिंतित हैं। इसलिए वे अपने-अपने देशों का कचरा भारत में डम्प कर रहे हैं। इस कचरे की वजह से भारत में कचरा निपटान की समस्या बहुत ही गम्भीर हो गई है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलीजेंस की रिपोर्ट के अनुसार 1992-93, 1993-94 और 1995-96 में क्रमशः 1,70,000 टन, 2,51,000 टन और 3,25,000 टन कचरा भारत आया। क्या यह सिलसिला अभी जारी है? क्या इसकी वजह से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर का सरकार ने अध्ययन कराया है? दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ था, जिसकी रिपोर्ट यह आई थी कि आतंकवादियों के द्वारा वह अग्निकांड हुआ था लेकिन प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली मीथेन गैस, जो स्वास्थ्य के लिए कार्बनडाइ ऑक्साइड से भी बीस गुना हानिकारक होती है और जिससे आग लगने की भी आशंका रहती है, क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि प्लास्टिक के आयात से और इस कचरे के डम्प होने से भारत पर जो पर्यावरण के खतरे पैदा हो रहे हैं, वे कितने हैं? इस तरह की आग जो मीथेन गैस से लग रही है तथा हिन्दुस्तान की जनता के स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, क्या सरकार के किसी संगठन के द्वारा या भारत सरकार द्वारा जांच कराने की जरूरत महसूस की है?

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, इस अनुपूरक प्रश्न के तीन भाग हैं तथा मैं इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत करूंगा।

यह सत्य है कि विगत कुछ वर्षों में देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात की अनुमति दी गई है। देश में आयातित प्लास्टिक अपशिष्टों का प्रयोग पुन:चक्रण के लिए किया जाता है। हम वस्तुत: प्लास्टिक के स्रोत के बारे में नहीं जानते हैं तथा जब उसका पुन:चक्रण किया जाता है तो इसके स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अतएव यह बिल्कुल सत्य है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात की अनुमति देते समय तथा पुन: चक्रण के समय काफी सावधानी की जरूरत है। हम लोग न सिर्फ आयातित अपितु ...*(व्यवधान)* प्रयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री तरित बरण तोपदार : इसके आयात की अनुमति कौन दे रहा है? जब आप कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए तो वह कौन है जिसे सावधान रहना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए न कि सदस्यों को।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, सच है कि हम देश में इनके आयात की अनुमति दे रहे हैं। सरकार पुन:चक्रण नहीं कर रही है। सरकार निगरानी, कार्यान्वयन तथा नियमित करने वाली एजेन्सी है। जब मैं किसी एक की बात करता हूं तो, इसमें वे सभी सम्मिलित हैं जो इस सामग्री के प्रसंस्करण या पुन:चक्रण में लगे हुए हैं। सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि वे समय-समय पर निर्धारित कतिपय मानदंडों तथा दिशानिर्देशों का अनुसरण करें। इसीलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि आयातित सामग्री का सावधानी से प्रयोग किया जाए।

देश में लगभग तीन मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग होता है तथा इसमें से लगभग 1.2 मिलियन टन प्लास्टिक का देश में पुन:चक्रण किया जाता है। इसीलिए पुन:चक्रित प्लास्टिक का उपयोग करते समय हमें अत्यधिक सावधान रहना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, यह सच भी है कि इससे स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि पुन:चक्रित प्लास्टिक में नुकसानदेह डाई, हैवी मैटल्स तथा प्लास्टिसाइजर से युक्त हैं तो इससे कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर तथा श्री सुल्तानपुरी कृपया अपनी सीट पर जाइये।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह भी प्रदूषण हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यही कारण है कि हमने नए दिश निर्देश जारी किए हैं। अगले दो सप्ताहों में, हम यह सुनिश्चि करने के लिए ऐसे उपाय करेंगे कि वे सभी जो विभिन्न प्रका की सामग्रियों के विनिर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली प्लास्टि का पुन:चक्रण कर रहे हैं कतिपय दिशानिर्देशों का पालन करें तथ इनसे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी खतरा उत्पन्न नहीं हो, ऐसा सुनिश्चि करने के लिए सभी उपाय करेंगे।

यह भी सच है कि प्लास्टिक से अग्निकांड का भी खत रहता है। लेकिन इसके साथ ही कितने ही ज्वलनशील पदार्थ जिससे आग लगने का खतरा होता है।

यह सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं है अपितु कई दूसरे ज्वलनशी पदार्थ भी हैं जिनके समुचित भंडारण तथा निपटान के अभाव आग लगने का भीषण खतरा रहता है। यह भी एक पहलू जिसके बारे में सभी स्थानीय स्वशासनों, जिन पर अग्निकांड संबंधित मामलों से निपटने की जिम्मेदारी होती है, को प्लासि के भण्डारण तथा इसके निपटान के बारे में अत्यधिक साव रहना होगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमको गांव किसान समझकर अंग्रेजी में ज्यादा समझा रहे थे। हमें समझा थे कि प्लास्टिक के जलाने से खतरा उत्पन्न नहीं होता है।

श्री सुरेश प्रभु : ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि प्लास्ि इन्फ्लेमेबल है और खतरा हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण और वन जी से जानना चाहता हूं कि गंगा की पवित्रता

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह एक अच्छे मंत्री हैं, उन्हें मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं नहीं कहता हूं कि बैड मिनिस्टर हैं। मैंने भी कहा है कि गुड मिनिस्टर हैं। हमको जो समझाएगा, उसको मैं अच्छा मंत्री मानता हूं और जो हमको नहीं समझाएगा, मैं उसको गलत मंत्री मानूंगा।

महोदय, गंगा की पवित्रता हमारे देश में प्रतीक के रूप में मानी जाती है। देहरादून, मंसूरी और हरिद्वार - इन जगहों से निकलने वाली गंगा की धारा कचरों से प्रभावित हो रही है। गंगा की पवित्रता के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसके बावजूद भी गंगा की धारा पवित्र नहीं हो रही है। गंगा की पवित्रता को दूसरा खतरा प्रदूषण का है। जहा पर भी पशुओं के कत्ल करने के कारखाने हैं और उनसे जो निकलने वाली गलत तरह की वस्तुयें हैं जैसे मांस या अन्य वस्तुयें, ये बेतरतीब तरीके से सड़कों, नदियों या नालों में बहा दी जाती हैं और प्रदूषण पैदा होता है। जैसे दलीलाबाद में पशुओं के काटने का कारखाना है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए, यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : उसी तरह से देश में कई तरह के पशुओं के कत्ल करने के कारखाने हैं, जिनसे प्रदूषण पैदा होता है और पर्यावरण को खतरा पैदा होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या वन मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय जिन कारखानों से कोई जहरीली गैस निकलती है या जिन कारखानों से पशुओं के कत्ल करने से गन्दगी फैलती है या जिन कारखानों में ध्वनि प्रदूषण होता है और सेहत पर असर पड़ता है, कानूनी तरीके से ऐसे कारखानों को बन्द करने के लिए कोई कानून बनाने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मूल प्रश्न प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में है। मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूं कि क्या माननीय सदस्य प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित जन्तुओं से जनित पर्यावरणीय समस्या के बारे में जानना चाहते हैं अथवा वे जीवित पशुओं की बात कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक पशुओं तथा उनके वध का संबंध है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आता है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रभाव मूल्यांकन के लिए उल्लिखित 29 कार्य 'वधशाला' के संवर्ग में नहीं आते हैं। तथापि, ऐसी परिस्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. थामस।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानंद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने पहले ही आपको एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दे दी है। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानंद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, यह सच है कि कई देशों को हमारे विशाल देश में अपने अपशिष्ट को फेंकने का अच्छा तरीका मिल रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

उस संबंध में, प्लास्टिक तथा अन्य वस्तुएं जिनसे प्लास्टिक जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं, का निर्यात किया जा रहा है। पौलीयूरेथीन एक वस्तु है जिसका निर्यात किया जा रहा है तथा हम ऐसी सामग्रियों पर से आयात तथा निर्यात शुल्क कम कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री अपने देश में इसके आयात के लिए कुछ कर सकते हैं? हमने, प्रत्येक बजट में पालीयूरेथीन पर से आयात शुल्क कम किया है। इसलिए, क्या पर्यावरण मंत्रालय इसे गंभीरता से ले सकता है और क्या सरकार इन सभी सामग्रियों तथा पॉलीयूरेथीन जिससे किसानों को भी भारी हानि हो रही है पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, आयात शुल्क लगाना मेरे मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। तथापि मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावना को निश्चित रूप से संबंधित मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

महोदय, हमारा देश बसाल कन्वेन्शन का अंग है तथा बसाल कन्वेन्शन की अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप हम अपने देश में अपशिष्ट तथा खतरनाक पदार्थों का बिना सोचे-समझे प्रयोग की अनुमति नहीं देते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास पुनः लिखना

***565. श्री जी. गंगा रेड्डी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इतिहास में राष्ट्रवादी विचारधारा वाले इतिहासकारों के दृष्टिकोण का समावेश करते हुए उस इतिहास को पुनः लिखे जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वनरोपण कार्यक्रम के लिए धनराशि

***566. श्री माधवराव पाटील :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वनरोपण कार्यक्रम के लिए अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितना अनुमानित क्षेत्र इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान अथवा दानकर्ता एजेंसी से सम्पर्क किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित कार्यदल ने नौवीं योजना अवधि में वनीकरण के लिए 7.04 लाख हैक्टेयर के वार्षिक लक्ष्य का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों दोनों के लिए नौवीं योजना अवधि में धन की आवश्यकता 20,300 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें से केन्द्रीय क्षेत्र के लिए लगभग 9,450 करोड़ रुपए प्रस्तावित था। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के लिए स्कीमों की सूची, प्रत्येक स्कीम के लिए प्रस्तावित परिव्यय सहित, और प्रस्तावित क्षेत्र कवरेज संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

देश की सभी आवश्यकताओं पर कार्यदल की सिफारिशों का मूल्यांकन किया गया था और कोई राज्यवार अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया था। तद्नन्तर, योजना आयोग ने मंत्रालय को यह सलाह दी थी कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रस्तावित अनुमानों को सही रूप में आठवीं योजना व्यय से लगभग 35 प्रतिशत अधिक अनुमानित किया जाना था। इस आधार पर वनीकरण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आवंटन लगभग 765 करोड़ रुपए लगाया गया है।

नौवीं योजना के संबंध में आगे हुए विचार-विमर्शों में मंत्रालय ने वनीकरण के लिए और अधिक धन देने के अपने अनुरोध को दोहराया है।

लगभग 4,043.66 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से विदेशी सहायता प्राप्त 17 परियोजनाएं 12 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। चार और परियोजनाएं भी दानकर्त्ता एजेंसियों को विचारार्थ भेजी गई हैं। इससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वानिकी के लिए प्रस्तावित नौवीं योजना परिव्यय
(केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र)

सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र जो शामिल किया जाना है (लाख हैक्टेयर में)	नौवीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय (रुपए करोड़ में)
	2	3	4
	घने वनों का प्राकृतिक पुनरुद्धार	5.00	4500.00
	अवक्रमित वनों का विकास		
	(क) ईंधन, लकड़ी और चारा वृक्षों का रोपण	5.00	6500.00
	(ख) इमारती लकड़ी से इतर वनोपज		
	(1) बांस	1.00	750.00
	(2) औषधीय/मिश्रित	0.50	750.00
	(ग) आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां	1.50	3500.00
	(घ) चरागाह	1.00	1000.00
	(ङ) एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजनाएं	1.00	1500.00
	आठवीं योजना के दौरान किए गए वृक्षारोपण का रख-रखाव		500.00
	संयुक्त वन प्रबंध को सहायता		150.00
	सुरक्षा		500.00

1	2	3	4
6.	गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान		25.00
7	बीज और रोपण सामग्री का विकास		100.00
8.	अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जन-जातियों और निर्धन ग्रामीणों का सहयोग		225.00
9.	आग से वनों की सुरक्षा		200.00
10.	पंजीकृत पौधशालाएं		50.00
11.	संचार और विस्तार		50.00
	योग	15.00	20,300.00

स्रोत :-नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वानिकी पर कार्यदल की रिपोर्ट।

विवरण-II

वानिकी के लिए प्रस्तावित नौवीं योजना परिव्यय (केन्द्रीय क्षेत्र)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	केन्द्र और राज्य के बीच भागीदारी	नौवीं योजना के लिए लक्ष्य (लाख हैक्टेयर में)	नौवीं योजना के लि प्रस्तावित योजना
1	2	3	4	5
क. चल रही स्कीमें				
1	एकीकृत वनोकरण और पारि-विकास परियोजनाएं	100% केन्द्रीय	1.00	1500.00
2	क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा परियोजनाएं	50% केन्द्रीय और राज्य	3.75	2400.00
3	इमारती लकड़ी से इतर वनोपज	100% केन्द्रीय	1.50	1500.00
4	गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	100% केन्द्रीय		25.00

2	3	4	5
बीज और रोपण सामग्री का विकास	100% केन्द्रीय		50.00
अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जन-जातियों और निर्धन ग्रामीणों का सहयोग	100% केन्द्रीय	0.20	225.00
आग से वनों की सुरक्षा	100% केन्द्रीय		200.00
स्कीमें			
घने वनों का प्राकृतिक पुनरुद्धार	50% केन्द्रीय और राज्य	2.50	1125.00
आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों का रोपण	50% केन्द्रीय और राज्य	0.75	1750.00
शहरी वानिकी	100% केन्द्रीय		100.00
चरागाह विकास	100% केन्द्रीय	1.00	100.00
पंजीकृत पौधशालाएं	100% केन्द्रीय		50.00
संचार और विस्तार	100% केन्द्रीय		25.00
सुरक्षा	50% केन्द्रीय और राज्य		
(1) सर्वेक्षण और सीमांकन			150.00
(2) संचार			75.00
(3) अतिरिक्त व्यय जिसमें बढ़ते हुए संस्थान और वाहन शामिल हैं			25.00
संयुक्त वन प्रबंध को सहायता	100% केन्द्रीय		150.00
योग		10.70	9,450.00

त:- नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वानिकी पर कार्यदल की रिपोर्ट।

विवरण III

वाह्य सहायताप्राप्त चल रही वानिकी परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	निधीयन एजेंसी	परियोजना लाग (करोड़ रुपए
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना (2328-आई.एन.)	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	431.51
2.	आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना (2573-आई.एन.)	आंध्र प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	353.92
3.	डुंगरपुर एकोकृत बंजर भूमि विकास परियोजना	राजस्थान सरकार	एस.आई.डी.ए.	28.21
4.	अरावली, हरियाणा में समान भूमि का विकास	हरियाणा सरकार	ई.ई.सी.	48.15
5	इंदिरा गांधी नहर सहित वनीकरण और चरागाह विकास (आई.डी.-पी.-73)	राजस्थान सरकार	ओ.ई.सी.एफ. (जापान)	107.5
6.	राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में वनीकरण (आई.डी.-पी.-80)	राजस्थान सरकार	ओ.ई.सी.एफ. (जापान)	176.69
7.	पश्चिमी घाट वानिकी परियोजना	कर्नाटक सरकार	ओ.डी.ए. (यू.के.)	84.2
8.	चेंजर के लिए वानिकी और पारि-विकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश सरकार	एफ.आर.जी.	18.7
9.	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना, कुल्लू मंडी	हिमाचल प्रदेश सरकार	ओ.डी.ए. (यू.के.)	13.92
10.	मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना, (2700-आई.एन.)	मध्य प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	245.94
11.	एकीकृत गुजरात वानिकी विकास परियोजना	गुजरात सरकार	आई.सी.एफ. (जापान)	608.5
12.	राजस्थान वानिकी परियोजना (आई.डी.-पी.-104)	राजस्थान सरकार	आई.ई.सी.एफ. (जापान)	139.18

1	2	3	4	5
13.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना	तमिलनाडु सरकार	ओ.ई.सी.एफ. (जापान)	499.2
14.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना	कर्नाटक सरकार	ओ.ई.सी.एफ. (जापान)	565.54
15.	भागीदारी के आधार पर वनों के प्रबंध के लिए क्षमता निर्माण परियोजना	उड़ीसा सरकार	एस.आई.डी.ए. (स्वीडन)	8.5
16.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	उत्तर प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	272
17.	पंजाब वनीकरण परियोजना	पंजाब सरकार	ओ.ई.सी.एफ. (जापान)	442

दानकर्ता एजेंसियों को भेजी गई परियोजनाएं

	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	निधीयन एजेंसी	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1.	केरल वानिकी परियोजना	केरल सरकार	विश्व बैंक	179.68
2.	फसल परिवर्तन के लिए पारि-संरक्षण और पुन: वनीकरण, नागालैंड	नागालैंड सरकार	ई.ई.सी.	41.25
3.	अरावली वानिकी परियोजना	राजस्थान सरकार	ओ.ई.सी.एफ. (जापान)	563.08
.	मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना, चरण-2	मध्य प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	1380.00

एफ.एम. स्लाट्स पर निजी प्रसारण बंद किया जाना

*567. **श्री वैको :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती बोर्ड ने 26 जून, 1998 से एफ.एम. स्लाट्स पर निजी प्रसारण बंद करने का निर्णय लिया है और आकाशवाणी को सभी एफ.एम. स्लाट्स पर कार्यक्रम प्रसारित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रसार भारती बोर्ड का ऐसा निर्णय मनमाना है जबकि एफ.एम. आकाशवाणी चैनल आपरेटरों के तीन मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 29 मई, 1998 के आदेशानुसार एफ.एम. स्लॉट्स पर निजी आपरेटरों द्वारा प्रसारण को दिनांक 26 जून, 1998 से बन्द कर दिया गया था जिसमें उन तीन आपरेटरों की याचिका खारिज हो गई जिन्होंने अपने लाइसेंस जारी रखने एवं संविदाओं को रद्द करने की वकालत की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें केवल 25.6.98 तक जारी रखने की अनुमति दी थी।

निजी लाइसेंसधारियों द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई तथा पणजी में चलाए जा रहे 40 स्लॉटों में से 27 स्लॉट अब दिनांक 26.6.98 से आकाशवाणी द्वारा चलाये जा रहे हैं। जहां तक अन्य स्लॉटों का संबंध है, इनके ऑपरेटरों ने विभिन्न न्यायालयों में मामले दायर किए हुए हैं और अपने पक्ष में अंतरिम आदेश ले लिए हैं।

(ङ) और (च) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं को खारिज किए जाने और उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किये जाने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है।

युवकों को खेलकूद में प्रशिक्षण

***568. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम उम्र के बालक-बालिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए उनका चयन करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसी योजनाएं आरंभ की गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई के माध्यम से, कम आयु के बच्चों के चयन तथा प्रशिक्षण के लि निम्नलिखित खेल संबंधी योजनाएं पहले ही आरंभ कर दी हैं तां अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार खेलों में उनकी प्रतिभा का विक किया जा सके:-

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)

(2) विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

(3) आर्मी बाल खेल कंपनियां (ए.बी.एस.सी.)

(4) एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्र (ये केन्द्र दो स्कीमों विलय का परिणाम हैं अर्थात् खेल परियोजना विका क्षेत्र तथा खेल छात्रावास योजना)

(ग) एस.ए.जी. तथा ए.बी.एस.सी. को छोड़कर, ये स योजनाएं सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को आच्छादित कर हैं।

(घ) ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दि गया है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चल रही भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाएं

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजन

योजना का उद्देश्य एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, फुटबा जिम्नास्टिक, हाकी, तैराकी, टेबल टेनिस, कुश्ती व वालीबाल परीक्षण श्रृंखला के माध्यम से 8-12 वर्ष के आयु वर्ग के स्कू बच्चों का चयन करना है ताकि उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण द्व अपनाए गए स्कूलों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिलाया जा सके वर्तम में संपूर्ण देश में 30 स्कूल कार्य कर रहे हैं।

जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब में स्कूलों जिन्हें वहां कानून व्यवस्था की समस्या के कारण पहले आस्थगित रखा गया था, पुनर्जीवित करने की कार्रवाई की जा रही है।

1.1 कुश्ती के संवर्धन के लिए अखाड़ों को अपनाना

ग्रामीण युवाओं को तैयार करने के लिए जिनको परंपरा अखाड़ों में प्रशिक्षित किया जाना जारी है, अखाड़ों को अपनाने

योजना प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे जिन्होंने अखाड़ों में प्रशिक्षण के दौरान पहले ही ख्याति का प्रदर्शन कर दिया है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाते हैं तथा उनकी खुराक एवं विद्यालय में पढ़ाई पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। एन.एम.टी.सी. योजना के अंतर्गत, फिलहाल निम्नलिखित 2 अखाड़ों को अपनाया गया है:-

1. क्रीड़ा विकास व्यायाम मंडल, संगली

2. गोकुल उस्ताद तालीम, पुणे

2. सेना में बाल खेल कम्पनी (ए.बी.एस.सी.) योजना

यह योजना एन.एस.टी.सी. योजना का व्यापक रूप है और इस योजना के अंतर्गत 8-12 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली लड़कों का पता लगाया जाता है। पता लगाए गए लड़कों को सेना के रेजीमेंटल केन्द्रों में दाखिल किया जाता है जहां उन्हें नियमित शिक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धति पर और प्रशिक्षण दिया जाता है। योजनाओं की समीक्षा करने के फलस्वरूप सुभाथू (हि.प्र.) स्थित एक ए.बी.एस.सी. को बंद कर दिया गया था। इस समय 16 ए.बी.एम.सी. हैं जो कार्य कर रहे हैं।

3. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजना

इस योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों से विकासमान प्रतिभा का पता लगाना है जहां विशेष खेल विधाओं जैसे तीरंदाजी फेंसिंग, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, कुश्ती, हाकी, जलक्रीड़ा, साइकिलिंग, जूडो आदि में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए स्वाभाविक एवं शारीरिक क्षमता विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, देश के देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट्स से भी प्रतिभा का पता लगाया जाता है। चयनित प्रतिभाशाली लड़कों एवं लड़कियों को एस.ए.जी. केन्द्रों में दाखिल किया जाता है ताकि वे वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण ले सकें। वहां उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस समय 9 एस.ए.जी. केन्द्र कार्यरत हैं।

4. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र

शासी निकाय द्वारा खेल संवर्धन योजना के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, खेल छात्रावास योजना तथा खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) योजना भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना में मिला दी गई है। ये केन्द्र 14-21 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के खान-पान का प्रबंध करते हैं। 41 भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो कार्य कर रहे हैं।

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (क्षेत्र-वार) के नाम जहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं

1. पूर्वी क्षेत्र

(क) एन.एस.टी.सी. स्कूल (भा.खे.प्रा. द्वारा एन.एस.टी.सी. योजना के तहत अपनाए गए)

क्र.सं.	स्कूल का नाम	खेल विधा
1	2	3
	संट इग्नेटियस हाई स्कूल, गुमला (बिहार)	एथलेटिक्स फुटबाल हाकी
2	सुकांतानगर विद्या निकेतन साल्ट लेक सिटी कलकत्ता (प. बंगाल)	फुटबाल एथलेटिक्स जिमनास्टिक
3.	भवानी शंकर हाई स्कूल सुदंगरगढ़ (उड़ीसा)	एथलेटिक्स हाकी
4.	उमाकांत अकादमी, अगरतला (त्रिपुरा)	फुटबाल जिमनास्टिक
5.	ताशी नामग्याल अकादमी, गंगतोक (सिक्किम)	फुटबाल बैडमिंटन तैराकी टेबल टेनिस एथलेटिक्स
6.	राजकीय बालिका हाई स्कूल, रांची (बिहार)	एथलेटिक्स हाकी
7.	राजकीय बालिका हाई स्कूल, कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल)	एथलेटिक्स जिम्नास्टिक

1	2	3
	(ख) आर्मी बाल खेल कम्पनियां	
	एस.आर.सी., रामगढ़ (बिहार)	हाकी फुटबाल एथलेटिक्स विविध
2.	बी.आर.सी., दानापुर (बिहार)	हाकी तैराकी फुटबाल एथलेटिक्स
	(ग) विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र	
1	भारतीय खेल प्राधिकरण-वि.क्षे.खे. केन्द्र रांची (बिहार)	हाकी एथलेटिक्स तीरंदाजी
2.	विशेष क्षेत्र खेल, जगतपुर उड़ीसा	कायकिंग व केनोइंग
	(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्र	
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, बर्दवान (पश्चिम बंगाल)	बास्केटबाल जिम्नास्टिक वालीबाल
2	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, लेबांग, पश्चिम बंगाल	तीरंदाजी फुटबाल
3	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	एथलेटिक्स फुटबाल
4	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	एथलेटिक्स तीरंदाजी फुटबाल

1	2	3
5.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, कटक, उड़ीसा	एथलेटिक्स फुटबाल बास्केटबाल जिम्नास्टिक
6.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, धनकेनाल, उड़ीसा	एथलेटिक्स फुटबाल
	2. पश्चिमी क्षेत्र	
	(क) एन.एस.टी.सी. स्कूल (एन.एस.टी.सी. योजना के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए)	
1.	मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल, पुणे, महाराष्ट्र	एथलेटिक्स जिम्नास्टिक
2.	प्रवर पब्लिक स्कूल, प्रवरनगर, महाराष्ट्र	एथलेटिक्स तैराकी जिम्नास्टिक बास्केटबाल
3.	भूप्लस नोबल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, उदयपुर, राजस्थान	एथलेटिक्स कुश्ती
	डे-बोर्डिंग स्कूल	
	1. भोंसला मिलिट्री स्कूल, नासिक (महाराष्ट्र)	
	2. संजीवन विद्यालय, पंचगनी (महाराष्ट्र)	
	3. सेंट एंथोनी हाई स्कूल, गोवा	

1	2	3
	(ख) आर्मी बाल खेल कम्पनियां	
1	बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप किर्की (महाराष्ट्र)	मुक्केबाजी तैराकी जिम्नास्टिक एथलेटिक्स रोइंग
2	आर्टिलरी सेंटर, नासिक (महाराष्ट्र)	बास्केटबाल कुश्ती विविध
3	गार्ड्स रेजीमेंटल सेंटर, कामटी (महाराष्ट्र)	बास्केटबाल तैराकी विविध
	(ग) विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र	
1.	विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर	कायकिंग तथा कैनोइंग रोइंग साईकलिंग फुटबाल
	(घ) भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र	
1.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, कांडीवली (महाराष्ट्र)	एथलेटिक्स हाकी कुश्ती
2	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, देवगढ़ बारिया (गुजरात)	तीरंदाजी एथलेटिक्स
3	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, गांधी नगर (गुजरात)	एथलेटिक्स हाकी हैंडबाल तैराकी कुश्ती बास्केटबाल फुटबाल

1	2	3
4	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर (राजस्थान)	एथलेटिक्स वालीबाल
5	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर (राजस्थान)	एथलेटिक्स बास्केटबाल वालीबाल कुश्ती
6	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, मडगांव (गोवा)	एथलेटिक्स फुटबाल मुक्केबाजी
	3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
	(क) एन.एस.टी.सी. स्कूल (भा.खे.प्रा. द्वारा एन.एस.टी.सी. योजना के अंतर्गत अपनाए गए)	
	डोनी पोलो विद्या भवन, इटानगर (अरूणाचल)	एथलेटिक्स फुटबाल
2.	सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा (असम)	फुटबाल एथलेटिक्स
3.	डोन बास्को हाई स्कूल, गुवाहाटी (असम)	बैडमिंटन तैराकी टेबल टेनिस
4.	सैनिक स्कूल, इम्फाल (मणिपुर)	एथलेटिक्स बैडमिंटन फुटबाल हाकी
	डे-बोर्डिंग स्कूल	
1	सेंट एंथोनी हाई स्कूल, शिलांग (मेघालय)	फुटबाल
	(ख) आर्मी बाल खेल कम्पनियां	
1.	असम रेजिमेंटल केन्द्र, शिलांग (मेघालय)	मुक्केबाजी फुटबाल

1	2	3
3.	कुमाउ रेजिमेंटल केन्द्र, रानीखेत (उ.प्र.)	मुक्केबाजी फुटबाल विविध
4.	राजपूत राईफल रेजिमेंटल केन्द्र, दिल्ली	बालीबाल बास्केटबाल एथलेटिक्स विविध
5.	जाट रेजिमेंटल केन्द्र, बरेली (उ.प्र.)	बालीबाल बास्केटबाल कुश्ती
(ग) विशेष क्षेत्रीय खेल केन्द्र		
1.	एम.ए.जी. केन्द्र, दिल्ली	तीरंदाजी फेंसिंग
(घ) भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र		
1.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, धार (म.प्र.)	एथलेटिक्स
2.	भा.खे.प्रा.प्र.के., जबलपुर (म.प्र.)	एथलेटिक्स
3.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (म.प्र.)	हाकी बास्केटबाल एथलेटिक्स
4.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (उ.प्र.)	फुटबाल मुक्केबाजी
5.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, राय बरेली (उ.प्र.)	एथलेटिक्स बालीबाल
6.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, सैफई इटावा (उ.प्र.)	एथलेटिक्स कुश्ती

1	2	3
5. उत्तरी क्षेत्र		
(क) एन.एस.टी.सी. स्कूल (भा.खे.प्रा. द्वारा एन.एस.टी.सी. योजना के अंतर्गत अपनाये गए स्कूल)		
1.	शिवालिक पब्लिक स्कूल, चंडीगढ़	एथलेटिक्स बैडमिंटन फुटबाल हाकी बालीबाल कुश्ती
2.	राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जालंधर (पंजाब)	एथलेटिक्स हाकी
3.	मोती लाल नेहरू खेल विद्यालय, राई (हरियाणा)	एथलेटिक्स जिम्नास्टिक तैराकी
4.	छोटू राम जमींदार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोनीपत (हरियाणा)	एथलेटिक्स हाकी कुश्ती
(ख) सेना बाल खेल कम्पनियां		
	शून्य	
(ग) विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र		
	शून्य	
(घ) भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र		
1.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, भिवानी (हरियाणा)	एथलेटिक्स मुक्केबाजी वालीबाल कुश्ती

1	2	3
2.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	एथलेटिक्स वालीबाल
3.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, लुधियाना (पंजाब) भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, पटियाला (पंजाब)	एथलेटिक्स बास्केटबाल जिम्नास्टिक हाकी जूडो साईकिलिंग
4.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, धर्मशाला (हि.प्र.)	एथलेटिक्स वालीबाल मुक्केबाजी
5.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, चंडीगढ़	एथलेटिक्स बास्केटबाल वालीबाल हाकी
6.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर (हि.प्र.)	एथलेटिक्स मुक्केबाजी कुश्ती

(6) दक्षिणी क्षेत्र

(क) एन.एस.टी.सी. स्कूल (भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एन.एस.टी.सी. योजना के अंतर्गत अपनाये गये स्कूल)

1	2	3
1.	सेंट जोसफ इंडियन हाई स्कूल, बंगलौर (कर्नाटक)	एथलेटिक्स फुटबाल हाकी तैराकी
2.	माऊंट कार्मेल स्कूल, कोट्टायम (केरल)	एथलेटिक्स
3.	वी.पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	एथलेटिक्स बैडमिंटन जिम्नास्टिक

(ख) सेना बाल खेल कम्पनियां

1	2	3
1.	तोपखाना केन्द्र, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	वालीबाल कुश्ती एथलेटिक्स विविध
2.	मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, बंगलौर (कर्नाटक)	मुक्केबाजी तैराकी एथलेटिक्स
3.	एम.एल.आई.आर.सी., बेलगाम (कर्नाटक)	वालीबाल हाकी कुश्ती तैराकी एथलेटिक्स
4.	सेना आपूर्ति कोर (दक्षिण) बंगलौर (कर्नाटक)	हाकी बास्केटबाल फुटबाल

(ग) विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र

1	2	3
1.	एस.ए.जी. केन्द्र, अलेप्पी (केरल)	केनोइंग औ क्याकिंग रोइंग
2.	एस.ए.जी. केन्द्र, तेल्लीचेरी (केरल)	जिम्नास्टिक्स एथलेटिक्स

1	2	3
(घ)	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र	
1	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, इंलूरू (आं.प्र.)	एथलेटिक्स वालीबाल भारोत्तोलन
2	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, सिकंदराबाद (आं.प्र.)	एथलेटिक्स फुटबाल मुक्केबाजी हाकी बैडमिंटन
3	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, धारवाड़ (कर्नाटक)	एथलेटिक्स बास्केटबाल
4.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, मेदीकेरी (कर्नाटक)	एथलेटिक्स हाकी
5.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर	एथलेटिक्स मुक्केबाजी फुटबाल हाकी जूडो
6.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, कोल्लम (केरल)	एथलेटिक्स वालीबाल हाकी
7.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिचूर (केरल)	एथलेटिक्स बास्केटबाल बैडमिंटन तैराकी
8.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, कालीकट (केरल)	एथलेटिक्स वालीबाल फुटबाल बास्केटबाल
9.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, पांडिचेरी	फुटबाल हाकी भारोत्तोलन वालीबाल
10.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास	हाकी फुटबाल
11	भा.खे. प्राधि. प्रशिक्षण केन्द्र, सेलम (तमिलनाडु)	एथलेटिक्स
12.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र, निजामाबाद	तीरंदाजी

विदेशी कंपनी को ठेका

*569. **कर्नल सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सी डॉट" ने अमरीका की मैसर्ज कोमसैट को कोई ठेका दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है,

(ग) क्या 20 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इस परियोजना को त्यागना पड़ा है,

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परियोजना त्यागे जाने के बाद भी "सी-डॉट" द्वारा मैसर्ज कोमसैट को भुगतान किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का संबंधित "सी-डॉट" अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार विभाग ने, सी×एस बैंड ट्रांस्पोंडरों के प्रयोग के माध्यम से इनसैट मोबाइल उपग्रह सेवा (एम.एस.एस.) के

लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपस्कर के विकास के कार्य को सी-डॉट को सौंपा है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए, सी-डॉट ने, उपग्रह के क्षेत्र में विख्यात अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनिर्माताओं से पेशकश आमंत्रित की। उन पेशकशों पर समुचित विचार करने के पश्चात् सी-डॉट ने पोर्टेबल तथा मैरीटाइम किस्मों सहित हब स्टेशन तथा मोबाइल टर्मिनल्स का विकास एवं उनकी आपूर्ति करने के लिए मै. कॉमसैट को 47,75,000 यू.एस. डॉलर मूल्य का ठेका दिया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र के लिए पैकेज

***570. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त पैकेज की घोषणा कब तक की जाएगी; और

(घ) इस पैकेज के फलस्वरूप विद्युत स्थिति में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के पुनरुत्थान हेतु हाल ही में अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णय हैं:

1. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई है। अनेक राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हेतु कदम उठाए हैं। इससे टैरिफ यौक्तिकरण तथा अधिक कुशल व प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत क्षेत्र के सृजन में सहायता मिलेगी, ऐसी अपेक्षा की ...

2. पारेषण को एक स्वतंत्र गतिविधि के तौर पर निर्धा[रित] करने और पारेषण में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्सा[हन] देने के लिए विद्युत प्रदान अधिनियम के संशोधन [हेतु] एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है।

3. विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृतियों के लिए प्रक्रिया को सहज और सरलीकृत किया गया है। राज्यों [को] विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति स[हित] स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्तियों [का] प्रत्यायोजन किया गया है।

4. वार्षिक योजना 1998-99 में सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना[ओं] के लिए वित्तीय आवंटन पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया ग[या] है।

5. राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं के शीघ्र [पूरा] किए जाने, पुराने केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीक[रण] तथा विद्युत वित्त निगम से रियायती वित्त पोषण वा[ली] प्रणाली सुधार योजनाओं को नौवीं योजना तक ब[ढ़ा] दिया गया है। राज्य विद्युत बोर्डों का गठन करने व[ाले] राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों को अतिरिक्त प्रोत्सा[हन] दिए गए हैं।

6. प्रति गारन्टियां प्रदान करने की प्रक्रिया को संशोधि[त] किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि [प्रति] गारन्टी केवल समापन कर दी जाए और केवल बक[ाया] विदेशी ऋण तक ही सीमित हो।

7. विद्युत परियोजनाओं के लिए तरल ईंधनों के प्रयोग [की] नीति को संशोधित किया गया है। तदनुसार राज्य त[रल] ईंधनों पर आधारित 12,000 मे.वा. से अधिक क्षम[ता] वाले केंडेनसेट आर ओरीमलशन जैसे अपरम्परागत ईं[धन] और फर्नेस तेल पर आधारित नई विद्युत परियोजना[ओं] हेतु संविदा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

8. विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु परियोजना[ओं] को स्वचालित अनुमोदन रूट पर 100% तक विदे[शी] इक्विटी भागीदारी की स्वीकृति प्राप्त है बशर्ते [इस] प्रकार की किसी भी परियोजना में विदेशी ईक्वि[टी] 1500 करोड़ रु. से अधिक न हो।

ऐसी आशा की जाती है कि उठाए गए कदमों से न[ौवीं] योजना के अंत तक देश में विद्युत की कमी को दूर करने [में] सहायता मिलेगी।

पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत डाकघर

*571. श्री रामचन्द्र बैंदा :
श्री पंकज चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में ऐसे डाकघर खोले जाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य को आरंभ करने में कितना समय लगने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी हां।

(ख) संसद मार्ग प्रधान डाकघर को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इस डाकघर को 26.6.1998 को जन सेवा के प्रति समर्पित किया गया है।

(ग) से (ङ) डाकघर का कम्प्यूटरीकरण विभाग का एक योजना कार्यकलाप है। डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के लिए विभाग ने तीन पहुंच मार्ग अपनाये हैं, प्रथम चरण में फ्रंट आफिस का कम्प्यूटरीकरण करना, दूसरे चरण में पंजीकरण वितरण कार्य का कम्प्यूटरीकरण करना तथा अंततोगत्वा एक डाकघर के फ्रंट तथा बैक आफिस के बीच कम्प्यूटर के माध्यम से संपर्क कायम करना निहित है। जब ये तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तो एक डाकघर पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत हो जाता है। कम्प्यूटरीकृत किए जाने वाले डाकघरों की संख्या न केवल डाकघर के आकार, महत्व, कार्यों और उसकी मितव्ययिता पर बल्कि योजना के अंतर्गत विभाग को मुहैया कराए गए संसाधनों पर भी निर्भर करती है।

[अनुवाद]

महिला आयोग

*572. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से महिलाओं और बच्चों के लिए महिला आयोग गठित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से धनराशि देने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त आयोग गठित करने के संबंध में आन्ध्र प्रदेश के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(च) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार का विचार बाल श्रमिकों और वेश्यावृत्ति में लिप्त बच्चों सहित महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी राहत कोष की स्थापना करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) राज्यों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब तक कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य महिला आयोगों की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधेयक राज्य सरकारों से प्राप्त हुए थे और इन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है:-

क्र.सं.	विधेयक का नाम	राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति की तारीख
1	2	3
1.	महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग विधेयक, 1993	24-4-93
2.	उड़ीसा राज्य महिला आयोग विधेयक, 1993	24-9-1994
3.	केरल महिला आयोग विधेयक	22-8-1995

1	2	3
4.	मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1996	5-12-1996
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1996	9-10-1997
6.	आन्ध्र प्रदेश महिला आयोग विधेयक, 1997	9-3-1998

(ग) और (घ) संघ सरकार की इन आयोगों के निधियन की कोई स्कीम नहीं है।

(ङ) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश महिला आयोग विधेयक, 1997 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 मार्च, 1998 को प्राप्त की, जिसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गयी थी। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश महिला आयोग अधिनियम, 1998 को अधिसूचित कर दिया, जो 6 अप्रैल, 1998 से लागू हो गया।

(च) और (छ) आन्ध्र प्रदेश सरकार का बलात्कार, दहेज उत्पीड़न तथा अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान करने और पुनर्वास के लिए 50 लाख रुपए की कॉरपस निधि से राहत और पुनर्वास कोष बनाने का प्रस्ताव है।

(ज) राज्य महिला आयोगों की स्थापना करना राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है।

[हिन्दी]

देश में शिपयार्डों द्वारा निर्मित पोत

***573. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक शिपयार्ड द्वारा कितने-कितने पोतों का निर्माण किया गया है;

(ख) इन पोतों के निर्माण पर आई वास्तविक लागत क्या है और प्रत्येक पोत के संबंध में हुए लाभ और हानि का शिपयार्ड-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पोतों की निर्माण लागत को कम करने और शिपयार्डों का आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों द्वारा निर्मित जलयानों की संख्या, वास्तविक उत्पादन लागत और लाभ/हानि के ब्यौ संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उत्पादन की लागत को कम कर और सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों का आधुनिकीकरण कर तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यिक दृष्टि उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए ग हैं:-

(1) घरेलू और विदेशी मांग की पूर्ति हेतु समुद्रगाम जलयानों के निर्माण पर 30% सब्सिडी का प्रावधान

(2) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्र के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को जहाज निर्माण और जहाज-मरम्मत सुविधाओं के उन्नय और आधुनिकीकरण तथा संवर्धन के लिए योजनाग सहायता दी जा रही है।

(3) कर्मचारियों की संख्या का इष्टतम स्तर बनाए रख के उद्देश्य से फालतू कर्मचारियों को कम कर हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना चलाई जा र है।

(4) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम की पूंजीग पुनर्संरचना और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनिय लि., कलकत्ता के लिए अल्प-कालिक पुनरुद्ध योजना को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

(5) उदारवादी निर्यात-आयात नीति के अनुसार जहाज पुर्जों का आयात करने के लिए शिपयार्ड ओ.जी.एल के तहत सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन की लागत कम करने के लिए और यार्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए शिपयार्ड निम्नलिखित उपाय भी कर रहे हैं:-

(1) मौजूदा सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग।

(2) बेहतर इनवेंटरी कंट्रोल सिस्टम।

(3) गुणता नियंत्रण प्रणाली।

(4) नई प्रौद्योगिकी/तकनीक का उपयोग—यथा:

(i) जहाजों का माड्यूलर निर्माण।

(ii) कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन सुविधाएं।

(5) संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों द्वारा निर्मित जलयानों की संख्या, वास्तविक उत्पादन लागत और निर्मित प्रत्येक जलयान पर हुई लाभ/हानि के ब्यौरे

क्र.सं.	शिपयार्ड का नाम	वर्ष	जलयानों की संख्या और प्रकार	उत्पादन की वास्तविक निर्माण लागत (लाख रु.)	लाभ + हानि (-) (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापत्तनम	1994-95	1 (1000 टी. एच.एस.डी. ऑयलर)	549.39	-264.39
		1995-96	1 (42750 डैड वेट टनेज बल्क कैरियर)	10672.0	-4334.04
		1996-97	-	-	-
2.	कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन	1994-95	1 (टग)	1197.00	+211.00
		1995-96	2 (टग्स)	2568.00	+248.00

1	2	3	4	5	6
		1996-97	5 (गश्ती नौकाएं)	835.00	+25.00
3.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकत्ता	1994-95	–	–	–
		1995-96	–	–	–
		1996-97	2	–	.7
–			(1 लैंडिंग फैरी)	8[illegible]0.00	-322
			(1 टग)	850.00	-404
4	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कलकत्ता का राजाबागान डॉकयार्ड	1994-95	2		
			(1 डंब बार्ज)	218.85	-43.89
			(1 पुशर टग)	400.43	-32.51
		1995-96	2 (पोंटून)		
			प्रथम	49.07	-21.07
			द्वितीय	32.73	-4.73
		1996-97	1 (डंब बार्ज)	331.74	-16.45

दूरसंचार नेटवर्क

*574. **श्री मुरेश चन्देल :**
श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सभी राजधानियों, नगरों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों को "माइक्रोवेव मीडिया" तथा "आप्टिकल फाइबर केबल्स" द्वारा दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वे कौन कौन से स्थान हैं जिन्हें अभी तक दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती स्वराज) : (क) से (घ) कुल 32 राज्य की राजधानियों त राज्य क्षेत्र के मुख्यालयों में से 22 में आप्टिकल फाइब माइक्रोवेव दोनों ही तरह की संयोजकता (कनेक्टीविटी) उ है। अन्य 7 स्थानों पर माइक्रोवेव या आप्टिकल फाइबर उपलब्ध है। तथापि, उक्त सभी स्थानों के लिए दोनों उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है और इन्हें 1998- 2000-2001 तक उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध करा दिए ज संभावना है: द्वीपों में आप्टिल फाइबर तथा माइक्रोवेव प्रदान तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। अत: केवल उपग्रह के से ही दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है। गंगटोक में परिस्थितियों के कारण अभी तक माइक्रोवेव तथा उपग्रह मा प्रदान किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य की राजधानी/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालय	उपलब्ध संयोजकता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	आप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव
2.	बिहार	पटना	-वही-
3.	गोवा	पणजी	-वही-
4.	गुजरात	गांधीनगर	-वही-
5.	हरियाणा	चंडीगढ़	-वही-
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	-वही-
7.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू श्रीनगर	-वही- माइक्रोवेव
8.	कर्नाटक	बंगलौर	आप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव
9.	केरल	तिरूवनन्तपुरम	-वही-
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल	-वही-
11	महाराष्ट्र	मुम्बई	-वही-
12	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	माइक्रोवेव
13	असम	दिसपुर	आप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव
14	[illegible]	शिलांग	-वही-

1	2	3	4
15.	नागालैण्ड	कोहिमा	माइक्रोवेव
16.	मणिपुर	इम्फाल	-वही-
17.	मिजोरम	आइजोल	-वही-
18.	त्रिपुरा	अगरतला	-वही-
19.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	आप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव
20.	पंजाब	चण्डीगढ़	-वही-
21.	राजस्थान	जयपुर	-वही-
22.	तमिलनाडु	चेन्नई	-वही-
23.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	-वही-
24.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	-वही-
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	उपग्रह
26.	दिल्ली	दिल्ली	आप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव
27.	दमन एवं दीव	दमन	-वही-
28.	दादर एवं नगर हवेली	सिलवासा	-वही-
29.	लक्षद्वीप	कवरत्ती	उपग्रह
30.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	आप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव
31.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	आप्टिकल फाइबर
32.	सिक्किम	गंगटोक	माइक्रोवेव और उपग्रह

[अनुवाद]

नेहरू युवा केन्द्र

***575. श्री एस.एस. ओवेसी :**
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक शुरू की गई और पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नेहरू युवा केन्द्रों को विभिन्न राज्यों में उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई और कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) इन केन्द्रों ने इस अवधि के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की; और

(घ) नेहरू युवा केन्द्रों की देश में वर्ष 1998-99 के लिए योजना, परियोजनाओं और प्रस्तावों का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) ने तीन विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत कई परियोजनाएं और कार्य आरंभ तथा पूरे किए हैं, नामत: नियमित कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की योजनाएं और अन्य एजेंसियों के विशेष कार्यक्रम तथा परियोजनाएं। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने नेहरू युवा केन्द्रों को मंजूर तथा प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन केन्द्रों द्वारा खर्च की गई कुल रकम संलग्न विवरण V में दर्शाई गई है।

(घ) देश में वर्ष 1998-99 के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन की आयोजना, परियोजनाओं और प्रस्तावों का (केन्द्र-वार) ब्यौरा संलग्न विवरण VI और VII में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान आयोजित किये गए नियमित कार्यक्रमों की राज्यवार सूची

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अण्डमान निकोबार	4	10	2	11	9	9	5	0	18	0	2	7	77
2.	आंध्र प्रदेश	36	51	17	239	100	51	47	426	71	23	76	23	1160
3.	अरूणाचल प्रदेश	11	2	2	9	2	2	2	1	1	1	1	4	38
4.	असम	23	32	21	105	52	36	26	122	82	15	66	28	611
5	बिहार	42	67	7	292	190	133	119	74	313	41	161	122	1561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	चण्डीगढ़	1	1	1	1	18	1	1	0	0	3	0	0	27
7.	दादर नगर व हवेली	1	1	1	1	2	2	.	4	12	1	1	1	28
8.	गोवा दमन व दीव	5	3	3	9	8	0	3	4	8	46	12	3	104
9.	गुजरात	17	17	13	228	47	16	53	0	123	22	62	37	635
10.	हरियाणा	29	17	21	118	54	22	22	53	161	57	64	51	669
11.	हिमाचल प्रदेश	16	12	13	108	58	31	17	254	109	31	59	36	745
12.	जम्मू व कश्मीर	10	5	9	84	19	5	13	19	78	18	63	24	347
13.	कर्नाटक	22	33	16	324	127	36	43	9	511	299	317	14	1751
14.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000
15.	केरल	37	19	18	441	61	76	68	28	133	44	174	55	1154
16.	मध्य प्रदेश	52	69	51	913	140	50	314	69	576	237	373	52	2896
17.	महाराष्ट्र	35	32	21	1214	65	107	270	258	351	44	404	23	2824
18.	मणिपुर	0	9	11	55	19	9	8	31	75	9	23	8	26[illegible]
19	मेघालय	2	3	5	13	7	3	4	1	6	2	5	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	मिजोरम	2	2	12	16	2	3	29	2	0	6	2	4	80
21	नागालैण्ड	5	4	7	12	13	10	6	4	7	5	4	3	80
22.	दिल्ली	9	52	3	24	14	4	96	20	14	32	10	4	282
23.	उड़ीसा	14	30	17	116	85	28	24	74	65	7	73	77	610
24	पाण्डीचेरी	2	2	1	13	4	6	3	1	10	0	14	1	57
25.	पंजाब	16	15	14	136	43	21	42	39	228	115	77	38	784
26.	राजस्थान	32	32	26	297	67	39	50	84	308	103	161	51	1250
27.	सिक्किम	2	5	1	10	2	6	5	0	0	0	2	6	39
28.	तमिलनाडु	25	29	15	262	152	58	52	9	176	19	105	35	937
29.	त्रिपुरा	3	2	3	84	6	4	2	34	21	1	58	3	221
30.	उत्तर प्रदेश	49	125	65	855	210	99	260	1053	1428	256	534	160	5094
31.	पश्चिम बंगाल	25	43	31	180	131	85	60	250	141	24	83	65	1118
	कुल	537	724	427	6171	1707	952	1645	2923	5029	1461	2986	937	25499

टी.एस.ई.पी. - स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, वाई.एल.टी.पी. - युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, डब्ल्यू.सी. - कार्य शिविर, एन.वाई.डी./डब्ल्यू. - राष्ट्रीय युवा दिवस/सप्ताह, वी.टी.(एन.टी.) - व्यावसायिक प्रशिक्षण (गैर तकनीकी), वी.टी.(टी.) - व्यवसायिक प्रशिक्षण (तकनीकी), बी.एल.सी. - खण्ड स्तरीय अभियान, एस.सी. - सामाजिक अभियान, एन.डी./डब्ल्यू. - राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह का आयोजन, एल.एन.ई.बी. - स्थानीय आवश्यकता आधारित कार्यक्रम, गांधी जयंती, पी.आर.ए.टी. - पंचायती राज जागरूकता प्रशिक्षण।

वर्ष 1996-97 के दौरान आयोजित किये गए नियमित कार्यक्रमों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी.एम.ई.पी.	वाई.एल.टी.पी.	वाई.सी.	एस.वाई.डी./डब्ल्यू.	वी.टी.(एस.टी.)	वी.टी.(टी.)	बी.एल.सी.	एस.सी.	रा.दि./सप्ताह	एस.एस.बी.पी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अण्डमान निकोबार	0	9	3	17	12	5	11	0	9	1	67
2.	आंध्र प्रदेश	1	36	22	163	102	46	36	64	209	4	683
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	2	2	1	15	4	2	0	4	0	30
4.	असम	2	21	33	128	85	36	108	187	238	72	910
5.	बिहार	77	50	30	380	206	103	108	91	429	150	1624
6.	चण्डीगढ़	0	1	0	3	4	0	1	0	0	10	19
7.	दादर व नगर हवेली	0	1	1	1	4	0	1	0	0	0	8
8.	गोवा, दमन व दीव	0	4	4	20	14	0	8	0	30	7	87
9.	गुजरात	2	20	13	195	57	15	19	23	223	11	578
10.	हरियाणा	7	48	12	200	44	12	2021	576	888	34	3842
11.	हिमाचल प्रदेश	3	13	11	89	58	21	13	18	454	16	696
12.	जम्मू व कश्मीर	7	5	9	114	37	12	33	26	135	15	393
13.	कर्नाटक	0	19	11	235	123	24	21	4	324	73	834
14.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	केरल	0	20	0	227	33	24	16	52	254	1	627
16.	मध्य प्रदेश	10	57	50	909	140	69	122	66	795	55	2273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	महाराष्ट्र	7	29	21	926	64	39	86	124	1169	0	2465
18.	मणिपुर	1	9	12	72	16	21	15	49	56	8	259
19	मेघालय	1	4	5	22	5	6	3	72	9	3	130
20	मिज़ोरम	0	2	5	10	2	5	2	0	16	13	55
21	नागालैण्ड	3	7	7	17	9	13	5	1	7	4	73
22	दिल्ली	0	2	0	19	6	4	2	0	10	1	44
23	उड़ीसा	0	13	1	109	56	45	12	46	182	1	465
24.	पाण्डिचेरी	0	3	1	10	7	6	3	0	42	1	73
25.	पंजाब	3	14	11	189	59	12	31	34	160	8	521
26.	राजस्थान	0	30	21	382	103	26	122	56	334	86	1160
27.	सिक्किम	1	2	0	6	0	3	2	0	4	0	18
28.	तमिलनाडु	1	22	4	191	100	29	25	39	173	11	595
29	त्रिपुरा	0	3	3	54	11	12	34	261	482	2	862
30	उत्तर प्रदेश	7	48	67	634	294	117	486	539	1778	229	4199
31	पश्चिम बंगाल	0	20	12	147	79	45	35	132	343	58	871
	कुल योग	133	514	371	5470	1745	754	3383	2460	8757	874	24661

टी.एस.ई.पी. - स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, वाई.एल.टी.पी. - युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, एन.वाई.डी./डब्ल्यू. - राष्ट्रीय युवा दिवस/सप्ताह, वी.टी./एन.टी. - व्यावसायिक प्रशिक्षण (गैर तकनीकी), बी.एल.सी. - खण्ड स्तरीय अभियान, एस.सी. - सामाजिक अभियान, एल.एन.बी.पी. - स्थानीय आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम

वर्ष 1997-98 के दौरान आयोजित किये गए नियमित कार्यक्रमों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाई.सी.डी.पी.	डब्ल्यू.सी.	वी.टी.	एन.वाई.डी./डब्ल्यू.	खेल कार्यक्रम	जांचकर्ता शिविर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अण्डमान नि.	3	1	4	24	5	3	4	44
2.	आंध्र प्रदेश	27	15	90	235	46	82	12	507
3.	अरूणाचल प्रदेश	5	2	24	47	3	8	3	92
4.	असम	21	12	80	90	38	27	9	276
5.	बिहार	62	22	228	368	82	181	40	983
6.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	000
7.	दादर व नगर हवेली	5	1	8	15	3	3	1	36
8.	गोवा दमन व दीव	10	4	27	44	12	95	10	202
9.	गुजरात	38	13	95	268	43	12	19	488
10.	हरियाणा	15	13	71	209	39	77	21	445
11.	हिमाचल प्रदेश	20	11	75	190	37	78	18	429
12.	जम्मू व कश्मीर	15	8	59	155	28	57	8	330
13.	कर्नाटक	22	14	111	291	52	99	24	613
14.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	केरल	23	15	90	247	49	96	17	537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मध्य प्रदेश	61	19	210	521	92	201	39	1143
17.	महाराष्ट्र	44	12	87	269	46	90	12	560
18.	मणिपुर	8	2	19	62	16	31	7	145
19.	मेघालय	3	1	11	31	4	15	2	67
20.	मिजोरम	2	1	7	15	3	–	3	31
21.	नागालैण्ड	3	–	9	20	4	4	2	42
22.	दिल्ली	4	3	15	15	7	7	4	55
23.	उड़ीसा	28	14	124	271	50	112	19	618
24.	पाण्डिचेरी	5	00	00	9	4	3	5	26
25.	पंजाब	19	10	73	203	36	80	18	439
26.	राजस्थान	38	19	161	398	69	151	30	866
27.	सिक्किम	3	4	18	41	5	8	2	81
28.	तमिलनाडु	25	12	170	267	57	115	28	674
29.	त्रिपुरा	3	4	15	94	4	7	9	136
30.	उत्तर प्रदेश	94	15	339	852	151	324	62	1837
31.	पश्चिम बंगाल	28	16	118	220	60	77	27	546
	कुल योग	634	263	2338	5471	1045	2043	454	12248

वाई.सी.डी.पी. युवा मंडल विकास कार्यक्रम, डब्ल्यू.सी. - कार्य शिविर, वी.टी. व्यावसायिक प्रशिक्षण, एन.वाई.डी./डब्ल्यू. - राष्ट्रीय युवा दिवस/सप्ताह

विवरण-II

नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा 1995-96 से 1997-98 तक लागू की गई युवा कार्य एवं खेल विभाग की योजनाओं का विवरण

	राष्ट्रीय सेवा कर्मियों की नियुक्ति			युवा क्लब को सहायता			सर्वश्रेष्ठ युवा क्लबों को दिये गए पुरस्कारों की संख्या			युवा विकास केन्द्रों की स्थापना		
राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	134	129	138	29	17	25	15	12	13	4	10	12
असम	94	88	105	54	28	63	17	11	18	36	21	22
बिहार	266	251	216	26	8	3	7	1	6	–	3	3
गुजरात	77	82	71	–	6	21	8	4	9	1	1	–
हरियाणा	69	217	81	54	42	82	13	14	13	10	8	1
हिमाचल प्रदेश	38	40	52	40	17	52	11	10	11	7	9	7
जम्मू व कश्मीर	56	47	49	5	6	5	4	4	3	2	2	1
कर्नाटक	83	84	74	55	41	112	17	15	10	1	5	6
केरल	70	70	61	83	26	78	13	13	12	27	20	22
मध्य प्रदेश	275	252	225	115	33	93	28	18	30	11	7	8
महाराष्ट्र	157	133	116	159	30	100	16	11	21	6	3	8
मणिपुर	24	24	23	18	14	32	6	4	7	14	11	9
मेघालय	15	18	20	8	5	8	1	2	–	–	–	2
नागालैण्ड	21	24	22	–	5	1	6	2	3	–	1	2
उड़ीसा	102	80	66	56	18	43	8	–	7	18	28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	58	62	64	4	11	7	10	11	9	1	1	–
राजस्थान	153	144	149	32	17	36	15	15	13	6	1	2
सिक्किम	9	6	14	6	–	–	1	–	1	–	–	–
तमिलनाडु	142	138	133	54	33	48	15	20	9	7	3	57
त्रिपुरा	12	11	25	12	5	11	3	2	3	2	3	–
उत्तर प्रदेश	740	793	768	73	26	94	27	24	32	4	9	10
पश्चिम बंगाल	146	151	102	34	22	33	9	1	10	12	15	9
अरुणाचल प्रदेश	7	7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अण्डमान व निकोबार	16	12	10	2	–	1	1	–	–	–	–	–
चण्डीगढ़	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	12	9	7	1	2	–	–	1	1	–	–	–
गोवा दमन व दीव	6	10	7	–	–	5	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पाण्डिचेरी	7	12	9	1	1	–	1	2	–	1	3	2
मिजोरम	6	11	15	–	5	1	1	–	2	–	–	–
दादर व नगर हवेली	4	4	3	3	2	6	1	1	1	–	–	–
योग	2803	2913	2635	924	420	960	254 22 राज्य स्तरीय 3 राष्ट्रीय स्तर	200 17 राज्य स्तरीय 3 राष्ट्रीय स्तर	244 19 राज्य स्तरीय 3 राष्ट्रीय स्तर	170	166	185

विवरण-III

अन्य एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान की गई

युवा लक्ष्य 2000 (उत्तर प्रदेश में)

लक्ष्य वर्ष 1995-96, 996-97 और 1997-98 की उपलब्धियां

1995-96

क्रम संख्या	गतिविधि का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
1.	परियोजना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	403
2.	जागरूकता कार्यक्रम	37630

1996-97 और 1997-98

1. बाल शिक्षा (संख्या)

	बालक	बालिका	कुल
1. नामांकन	380309	287213	667522
2. पुनर्नामांकन	79056	63143	143199

2. बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण (संख्या)

	बालक	बालिका	कुल
बी.सी.जी.	365395	553967	919352
डी.पी.टी. पोलियो-1	620837	586862	1207699
डी.पी.टी. पोलियो-2	611654	535570	1147224
डी.पी.टी. पोलियो-3	522691	422717	945408
पोलियो बूस्टर	648430	877019	1525449
खसरा	507225	423157	930382

जल एवं सफाई (संख्या)

हैण्ड पम्प मरम्मत	98231
कुओं की सफाई	69561
कुओं में दवाई डलवाना	164568
गटरों का निर्माण	108175
शोक पिट का निर्माण	141591
कम्पोजिट पिट का निर्माण	690672

4. **कुपोषण का नियंत्रण (संख्या)**

आयोडिन नमक की जांच	कुल	15 पी.पी.एम.	15 पी.पी.एम.
परिवारों की संख्या	2699577	1193812	1505765

आँयरण फोलिक एसिड गोलियों का आवंटन	5563034
किचन उद्यानों का निर्माण	586692

5. **परिवार कल्याण**

गर्भवती महिलों का पंजीकरण एवं जांच	496006
कॉपर टी सुविधा	120910
वैसकटॉमी	69356
गर्भ निरोधकों का आवंटन	187811

अन्य एजेंसियों को सहायता दी गई

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता इकाई परियोजना के अन्तर्गत आयोजित किये गए कार्यक्रमों की राज्यवार सूची (कुछ राज्यों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	5	199	182
2.	बिहार	05	2474	2422
3.	गुजरात	00	1538	1065
4.	हरियाणा	70	2305	2300
5.	कर्नाटक	138	190	1643
6.	केरल	126	755	330
7.	मध्य प्रदेश	1230	17108	8325
8.	महाराष्ट्र	140	1518	1145
9.	उड़ीसा	263	2344	1198
10.	पंजाब	34	569	291
11.	राजस्थान	00	5713	7086
12.	तमिलनाडु	27	988	552
13.	उत्तर प्रदेश	139	19546	10126
14.	पश्चिम बंगाल	38	2685	1817
	कुल योग	2215	57932	38482

विवरण-IV

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों में नेहरू युवा केन्द्रों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाई गई धनराशि का विवरण

1995-96

क्र.सं.	राज्य	एफ.ए.वाई.सी.	ए.ओ.वाई.सी.	वाई.डी.सी.	एन.एस.वी.	रेगु. प्रो.	एच.ए.यू.	एम.एम.वाई.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	145000	75000	120000	1125600	2198800	95401	—	3759803
2	असम	270000	85000	1080000	788600	2103200	-		4327800
3	बिहार	130000	35000		2234400	4397600	490108		7287108
4	गुजरात		40000	30000	646800	1720800	258000		2595600
5	हरियाणा	270000	65000	300000	579600	1529600	183514		2927714
6	हिमाचल प्रदेश	200000	55000	210000	319200	1147200			1931400
7.	जम्मू व कश्मीर	25000	20000	60000	470400	1338400			1913800
8.	कर्नाटक	275000	85000	30000	697200	1816400	129000		3032600
9	केरल	415000	65000	810000	588000	1338400	86000	-	3302400
10.	मध्य प्रदेश	575000	140000	330000	2310000	458800	1431670		9374870
11	महाराष्ट्र	795000	80000	180000	1318800	2772400	129000		5275200
12	मणिपुर	90000	30000	420000	201600	860400			1602000
13	महाराष्ट्र								0
14	मणिपुर								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मेघालय	40000	5000		126000	382400		-	553400
16.	नागालैण्ड	—	30000	—	176400	669200	—	—	875600
17	उड़ीसा	280000	40000	540000	856800	1434000	180130	-	3330930
18.	पंजाब	20000	50000	30000	487200	1338400	86000	-	2011600
19.	राजस्थान	160000	75000	180000	1285200	286800	1206875	-	5775075
20.	सिक्किम	30000	5000		75600	286800		-	397400
21.	तमिलनाडु	270000	75000	210000	1192800	2198800	86000	-	4032600
22.	त्रिपुरा	60000	15000	60000	100800	286800	-	-	522600
23.	उत्तर प्रदेश	365000	135000	120000	6216000	6022800	1749253	-	14608099
24.	पश्चिम बंगाल	170000	45000	360000	1226400	2103200	180130	-	4084730
25	अरूणाचल प्रदेश	-		-	58800	382400	-	-	441200
26	अण्ड व निकोबार	10000	5000		134400	573600	-	-	123000
27	चण्डीगढ़		-		33600	95600	-	-	129200
28.	दिल्ली	5000			100800	286800	-	-	392600
29	गोवा, दमन व दीव		-	-	382400	-	-	432800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	लक्षद्वीप								0
31	पाण्डिचेरी	5000	5000	30000	58800	191200			29000
32	मिज़ोरम		5000	—	50400	286800			342200
33	दादर व नगर हवेली	15000	5000		33600	95600	-		149200
	योग	4620000	1270000	5100000	23545200	45896800	6290483	2130000	1000000

1996-97

क्र.सं.	राज्य	एफ.ए.वाई.सी.	ए.ओ.वाई.सी.	वाई.डी.सी.	एन.एस.वी.	रेगु. प्रो.	एच.ए.यू.	एम.एस.वाई.	योग
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	85000	65000	30000	1083600	1183005	10000	50000	2836605
2.	असम	140000	55000	690000	739200	1131570	-	10000	2855770
3.	बिहार	40000	5000	90000	2108400	2571750	385000	200000	5400150
4.	गुजरात	30000	20000	30000	688800	925830	21000	-	1904630
5.	हरियाणा	210000	70000	240000	1822800	822960	140000	150000	3455760
6	हिमाचल प्रदेश	85000	50000	270000	336000	617220		150000	1508220
7.	जम्मू व कश्मीर	30000	20000	60000	394800	7220090		150000	1374896
8.	कर्नाटक	205000	80000	150000	705600	977265	105000	50000	2272865
9	केरल	130000	65000	600000	588000	720090	70000	50000	222[illegible]

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	मध्य प्रदेश	165000	90000	210000	2116800	2468880	1050000	150000	6250680
11.	महाराष्ट्र	150000	55000	90000	1117200	1543050	105000	200000	3260250
12.	मणिपुर	70000	20000	330000	201600	462915	-	-	1084515
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	0
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	0
15.	मेघालय	25000	10000	—	151200	205740	-	50000	441940
16.	नागालैण्ड	25000	10000	30000	201600	360045	-	-	626645
17.	उड़ीसा	90000	-	840000	672000	771525	140000	100000	2613525
18.	पंजाब	85000	55000	30000	520800	720098	70000	100000	1580890
19.	राजस्थान	85000	75000	30000	1209600	1543050	875000	-	3817650
20.	सिक्किम	-	-	-	50400	154305	-	-	204705
21.	तमिलनाडु	165000	100000	90000	1159200	1234440	70000	50000	2868640
22.	त्रिपुरा	25000	10000	90000	92400	154305	-	50000	421705
23.	उत्तर प्रदेश	130000	120000	270000	6661200	3240405	1295000	150000	11866605
24.	पश्चिम बंगाल	11000	5000	450000	1268400	1131570	140000	100000	3204970
25.	अरूणाचल प्रदेश				58800	205740		-	264540

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
26	अण्ड. व निकोबार				100800	308610	-	-	409410
27	चण्डीगढ़				33600	51435	-		85035
28	दिल्ली	10000	5000		75600	154305		-	244905
29	गोवा, दमन व दीव				84000	205740	-	50000	339740
30	लक्षद्वीप		-			-	-		0
31.	पाण्डिचेरी		5000	10000	90000	100800	205740		461540
32.	मिजोरम	25000	-		92400	154305	-	-	271705
33.	दादर व नगर हवेली	10000	5000		33600	51435	—	50000	150035
	योग	2130000	1000000	4980000	24469200	24997410	4725000	2000000	64301610

1997-98

क्र.सं.	राज्य	एफ.ए.वाई.सी.	ए.ओ.वाई.सी.	वाई.डी.सी.	एन.एस.वी.	रेगु. प्रो.	एच.ए.यू.	एम.एस.वाई.	योग
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	125000	65000	360000	1159200	808933	53500	-	2571633
2.	असम	315000	90000	660000	882000	773762	-	-	2720762
3.	बिहार	15000	30000	90000	1814400	1758550	278500	-	3986450
4.	गुजरात	105000	45000		596400	633078	150000	-	1529478
5.	हरियाणा	410000	65000	30000	680400	562736	103500	-	1851636

1	2	19	20	22	22	23	24	25	26
6.	हिमाचल प्रदेश	260000	55000	210000	436800	422052	-	-	1383852
7	जम्मू व कश्मीर	25000	15000	30000	411600	492394	-	-	973994
8.	कर्नाटक	560000	50000	180000	621600	668249	75000	-	2154849
9.	केरल	390000	60000	660000	512400	492394	57000	-	2171794
10.	मध्य प्रदेश	465000	150000	240000	1890000	1688208	767000	-	5200208
11.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	0
13.	महाराष्ट्र	500000	105000	240000	974400	1055130	78500	-	2953030
14.	मणिपुर	160000	35000	270000	193200	316539	-	-	974739
15.	मेघालय	40000	—	60000	168000	175855	—	—	443855
16.	नागालैण्ड	5000	15000	60000	184800	246197	—	—	510997
17.	उड़ीसा	215000	35000	60000	554400	527565	100000	-	1491965
18.	पंजाब	35000	45000	-	537600	492394	53500	-	1163494
19.	राजस्थान	180000	65000	60000	1251600	1055130	628500	-	3240230
20.	सिक्किम		50000	-	117600	140600	140684	-	263284

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
21.	तमिलनाडु	240000	45000	1710000	1117200	1019959	50000	-	4182159
22.	त्रिपुरा	55000	15000	-	210000	105513	-	-	385513
23.	उत्तर प्रदेश	470000	160000	300000	6451200	2215773	946000	-	10542973
24.	पश्चिम बंगाल	165000	50000	270000	856800	773762	100000	-	2215562
25.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	84000	140684	-	-	224684
26.	अण्ड. व निकोबार	5000	-	-	84000	211026	-	-	300026
27.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	35171	-	-	35171
28.	दिल्ली	-	5000	-	58800	105513	-	-	169313
29.	गोव, दमन व दीव	25000	-	-	58800	140684	-	-	224484
30.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	0
31.	पाण्डिचेरी	-	-	60000	75600	140684	-	-	276284
32.	मिजोरम	5000	10000	-	126000	105513	-	-	246513
33.	दादर व नगर हवेली	30000	5000	-	25200	35171	-	-	95371
	योग	4800000	1220000	5550000	22134000	17339303	3441000	—	54484303

एफएआईसी-युवा क्लबों को आर्थिक सहायता, एओवाईसी-सर्वश्रेष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार, वाईडीसी-युवा विकास केन्द्र, एनएसवी-राष्ट्रीय सेवा कर्मी एनएयू-स्वास्थ्य जागरूकता इकाई, एमएसवाई-महिला समृद्धि योजना, रैगूलर प्रोग्राम कार्य शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिवस/सप्ताह समारोह, खेल प्रोत्साहन युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (सम्मिलित)

पहले बताये गये कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए भी नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा केवल मण्डल कार्यालयों को उनके अन्तर्गत आने वाले राज्यों को निधि आवंटित की गई

1.	पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स जागरूकता अभियान	रुपये 18,84,000.00
2.	पूर्वोत्तर स्कूल छात्रों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	रुपये 06,73,280.00
3.	विभिन्न मण्डलों में जल संसाधनों पर जागरूकता-सह-प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर	रुपये 05,10,000.00
4.	सद्भावना ज्योति यात्रा	रुपये 64,000.00
5.	स्वास्थ्य एवं लिंग संवेदनशीलता एवं प्रजनन पर कार्यशाला	रुपये 02,35,000.00
6.	राज्य स्तरीय युवा पुरस्कारों के लिए निधि	रुपये 22,700.00

विवरण-V

नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान किया गया खर्च

क्र.सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4002853	2406208	1412363
2.	असम	2874268	3698410	2735221
3.	बिहार	6874015	4771662	3104831
4.	गुजरात	2605100	1730376	1709039
5.	हरियाणा	2422241	2499100	2595161
6.	हिमाचल प्रदेश	1729003	1458363	1144932
7.	जम्मू व कश्मीर	937618	669506	643168

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	2851891	1582251	1295297
9.	केरल	2480085	2207462	1064597
10.	मध्य प्रदेश	6293476	7140493	4446875
11.	महाराष्ट्र	4903875	3595130	2087910
12.	मणिपुर	1210827	1401047	1088321
13.	मेघालय	254531	546800	324743
14.	नागालैण्ड	637306	750694	533410
15.	उड़ीसा	2215340	1535372	398030
16.	पंजाब	1689806	1308738	1032805
17.	राजस्थान	3651239	3026782	3054052
18.	सिक्किम	335259	189164	185932
19.	तमिलनाडु	3786655	2682738	2033894
20.	त्रिपुरा	413757	604630	563328
21.	उत्तर प्रदेश	8218699	7362928	10408199
22.	पश्चिम बंगाल	3491343	257880	2082787
23.	अरूणाचल प्रदेश	2525245	209670	165737

1	2	3	4	5
24.	अण्डमान व निकोबार	566422	389783	318785
25.	चण्डीगढ़	136106	71425	5868
26.	दिल्ली	302650	363561	327255
27.	गोवा, दमन व दीव	257361	2226405	199040
28.	लक्षद्वीव	–	–	–
29.	पाण्डिचेरी	268620	343383	182517
30.	मिजोरम	244182	316840	221640
31.	दादर व नगर हवेली	163410	203442	71559
	कुल योग	66071381	55750148	46348316

विवरण-VI

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के वर्ष 1998-99 के नियमित कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना

					आर्थिक लक्ष्य (प्रति ने.यु.के.)		कुल लक्ष्य (सभी केन्द्र)			कुल योग
							वास्तविक	आर्थिक (लाख में)		
क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रति कार्य रुपये में (साधारण क्षेत्र जिला)	बजट प्रति कार्य रुपये में (सर्वोत्त. क्षेत्र जिला)	वास्तविक लक्ष्य प्रति ने.यु.के.	साधारण क्षेत्र	सर्वोत्त क्षेत्र	वास्तविक	साधारण क्षेत्र	सर्वोत्त क्षेत्र	आर्थिक (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	युवा मंडल विकास कार्यक्रम	4,690	5,470	5	23,450	27,350	2,600	92.86	28.44	121.30
2.	व्यवसायिक प्रशिक्षण	4,000	4,000	8	32,000	32,000	4,000	126.72	33.28	160.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	जागरूकता अभियान	2,000	2,200	10	20,000	22,000	5,000	79.20	22.88	102.08
4.	कार्य शिविर	4,690	5,470	5	23,450	27,350	2,600	92.86	28.44	121.30
5.	खेल प्रगति	3,000	3,000	8	24,000	24,000	4,000	95.04	24.96	120.00
6.	कार्यशाला व संगोष्ठी	6,000	6,000	1	6,000	6,000	500	23.76	06.24	030.00
7.	राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह समारोह									
	योग	24,380	25,940	37	1,28,900	1,38,700	18,700	510.44	144.24	654.68

396 माधारण जिले · 104 खर्चीले जिले · 500 नेहरू युवा केन्द्रों के लिए 6.55 करोड़ रुपए।

विवरण-VII

वर्ष 1998-99 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा अन्य एजेंसियों की योजनाएं

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की योजनाएं

चालू वित्तीय वर्ष के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रखे गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	योजना का नाम	लक्ष्य (संख्या में)
1.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक	8500
2.	युवा विकास केन्द्र	166
3.	युवा क्लबों को वित्तीय सहायता	1000
4.	उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार	-
5	जिला स्तर	500
6.	राज्य स्तर	26
7.	राष्ट्रीय स्तर	03

अन्य एजेंसियों के विशेष कार्यक्रम और परियोजनाएं

(1) स्वास्थ्य जागरूकता इकाई परियोजना

चालू वित्तीय वर्ष में देश में पता लगाए गए 135 जिलों में "स्वास्थ्य जागरूकता इकाई परियोजना" के अंतर्गत कई कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में युवाओं की भूमिका, बच्चों के जन्म में तीन वर्ष का अंतर संबंधी प्रचार, लड़के तथा लड़की की समान स्थिति के बारे में प्रचार, एस.टी.डी./एच.आई.वी., एड्स का खतरा और इस रोग की रोकथाम और उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए तथा किशोर लड़कियों और लड़कों को जानकारी देने के लिए प्रचार करना। इस योजना के अन्तर्गत समूह तथा जिला स्तर पर पुरस्कार देने की स्कीम भी इस वर्ष तैयार की गई है।

(2) युवा कार्रवाई लक्ष्य - 2000 उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने उत्तर प्रदेश में यूनिसेफ के सहयोग से जनसंख्या विस्फोट के खतरों, कुपोषण, निरक्षरता, प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, बाल विवाह, एच.आई.वी.-एड्स, मादक द्रव्यों का सेवन : नियंत्रण तथा रोकथाम, गर्भधारण तथा शिशु देख-रेख का महत्व, संतुलित आहार, आयोडीन युक्त नमक, टीकाकरण, छोटे परिवार के आदर्श, जन्म में अंतर और बच्चों की शिक्षा आदि के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करने

और उन्हें जागरूक बनाने के लिए इस चुनौती का सामना करने हेतु योजना बनाई है।

(3) पूर्वोत्तर छात्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

यह अद्भुत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम नेहरू युवा केन्द्र संगठन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इस शुरूआत के माध्यम से, भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों से संबंधित स्कूली छात्रों को देश में स्थित सांस्कृतिक रुचि के विभिन्न स्थानों पर जाने का मौका दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे 5 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऐसे प्रत्येक दल में 30 सहभागी (अर्थात् स्कूल जाने वाले बच्चे) होंगे।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

***576. श्री चन्द्रशेखर साहू :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य विद्युत बोर्डों को वर्ष 1995-96, 1996-97 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत उत्पादन और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : 1995-96 और 1996-97 के दौरान रा.वि.बो. के लाभ/घाटे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य बिजली बोर्डों के लेखों को संबंधित वर्ष के समाप्त होने के छ: माह के भीतर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अग्रेषित करना आवश्यक होता है वस्तुत: चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 के लेखे अभी बकाया नहीं हैं।

(ख) रा.वि.बो. को होने वाली हानियों के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति की औसत लागत और वसूली के मध्य बढ़ता हुआ अन्तर, विलंब के साथ-साथ टैरिफ का अपर्याप्त संशोधन, विद्युत की बिक्री के लिए रा.बि.बो. द्वारा बकाया राशियों की वसूली न करना, विद्यमान संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन के निम्न स्तर तथा उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार की विद्यमान नीति विद्युत के उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी की अनुमति प्रदान करती है।

विवरण

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान रा.बि.बो. के अधिशेष/ हानियों (लेखे में दी गई ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता की गणना किए बगैर) का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	रा.वि.बो. का नाम	1995-96	1996-97
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	-1128.58	-721.26 (ए)
2.	बिहार	-27.52	-27.52 (पी)
3.	गुजरात	-1003.39	-1069.68 (ए)
4.	हरियाणा	-536.59	-593.98 (ए)
5.	हि.प्र.	35.53	24.80 (ए)
6.	कर्नाटक	-499.41	-646.48 (यू)
7.	केरल	-30.48	-223.12 (यू)
8.	मध्य प्रदेश	-458.46	-210.91 (यू)
9.	महाराष्ट्र	-280.24	87.87 (ए)
10.	उड़ीसा	-230.68	-230.68 (पी)

1	2	3	4	
11.	पंजाब	-325.64	-295.91	(यू)
12.	राजस्थान	-343.87	-499.92	(ए)
13.	तमिलनाडु	-76.74	-256.88	(ए)
14.	उत्तर प्रदेश	-1495.00	-1385.97	(ए)
15.	पश्चिम बंगाल	-64.49	-227.27	(ए)
16.	असम	-261.46	-411.05	(यू)
17.	मेघालय	-2[illegible].66	-42.02	(ए)
	जोड़	6748.68	-6729.98	

(ए) लेखा परीक्षित

(यू) गैर-लेखा परीक्षित

(पी) अनंतिम

[अनुवाद]

ललित कला अकादमी द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

***577. श्री मुकुल वासनिक :**
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि:**

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1998 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आर्टफुल गोइंग्स आन एट ललित कला एक्सपोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत की आजादी के 50वें वर्ष पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) 30 जून, 1998 तक आयोजित किए गए कार्यक्रमों तथा धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ललित कला अकादमी द्वारा स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में हुए समारोह में धनराशि का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संबंध में वास्तविक स्थिति जानने के लिए सरकार द्वारा कोई जांच की गई हो, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ज) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) एक विवरण संलग्न है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान भारत की स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे कर लिए जाने के उपलक्ष्य पर समारोहों के लिए ललित कला अकादेमी के पास 103 लाख रुपये का बजट था। इसमें से 41 लाख रुपये की राशि नौवें त्रिवार्षिकी भारत के लिए आवंटित की गयी थी, जिसमें से 28.35 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी। विशेष प्रदर्शनियों के लिए 32.00 लाख रुपये की आवंटित राशि में से 31.77 लाख रुपये व्यय कर दिए गए। 15 लाख रुपये के वास्तविक आवंटन की तुलना में केवल 8.22 लाख रुपये की राशि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सेमिनार के लिए खर्च की गयी। इसी प्रकार से, 15.00 लाख रुपये के आवंटन में से, 14.15 लाख रुपये की राशि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कार्यशाला (शिविर) के लिए व्यय की गयी। इस प्रकार से, 193 लाख रुपये के समग्र बजट में से, केवल 82.43 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी जिसमें 20.51 लाख रुपये की बचत हुई।

"दि हिन्दुस्तान टाइम्स" नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार में लगाए गए विभिन्न आरोपों पर सरकार द्वारा पता

लगायी गयी स्थिति निम्नानुसार है:

	समाचार-रिपोर्ट में लगाए गए आरोप	वास्तविक स्थिति
1.	अकादेमी ने दस अवार्ड वापस ले लिए और 9वें त्रिवार्षिकी भारत के प्रदर्शनों में से कलाकृतियों की खरीद की गयी।	भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादेमी के लिए गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिवार्षिकी में पुरस्कार प्रदान करने की प्रथा समाप्त कर दी गयी। हक्सर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रदर्शित प्रदर्शों में से कलाकृतियों को क्रय करने के कार्य में रोक लगा दी गयी।
2.	9वें त्रिवार्षिकी भारत के अवैतनिक निदेशक को मानदेय (8000/-रु.) जल-पान पर परिहार्य व्यय (5,62,125/- रु.) स्टाफ को मानदेय (35,000/- रु.) देने का आरोप है।	त्रिवार्षिकी के उद्घाटन में जल-पान की व्यवस्था करना अनिवार्य है। वास्तविक व्यय मात्र 57,000/- रुपये था। पूर्व त्रिवार्षिकी (1994) की 51,347/- रु. की तुलना में स्टाफ को मात्र 37,052/- रु. के मानदेय का भुगतान किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.1995 के अनुदेशों के अंतर्गत यथा अनुमत्य 8000/- रुपये की राशि का भुगतान मानदेय के रूप में अवैतनिक निदेशक को किया गया।
3.	"मानवीय रूप व कला" नामक प्रदर्शनी के सूची-पत्र पर 3.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी।	वास्तविक व्यय मात्र 2.62 लाख रुपये था।
4.	"मानवीय रूप व कला" नामक प्रदर्शनी के दौरान 1.00 लाख रुपये का "विविध" व्यय वहन किया गया।	"विविध" शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय वहन नहीं किया गया।
5.	समकालीन कला की प्रवृत्तियों के लिए सूची-पत्र पर 7.50 लाख रुपये का व्यय था।	वास्तविक व्यय मात्र 6.49 लाख रुपये था।
6.	पेरू में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी के लिए आवंटित 7.00 लाख रुपये की राशि में से 50% से अधिक राशि प्रदर्शनी-पूर्व यात्रा व्यय पर खर्च कर दी गयी।	पेरू में आयोजित प्रदर्शनी सहित विशेष प्रदर्शनियों के लिए 32.00 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। पेरू प्रदर्शनी पर 12.44 लाख रुपये का व्यय वहन किया गया। इसमें से 5.71 लाख रुपये यात्रा-व्यय के रूप में तथा 5.39 लाख रुपये कलाकृतियों के भाड़ा व बीमा में खर्च किए गए।
7	अकादेमी ने पेरू की प्रदर्शनी के सूची-पत्र पर 1.55 लाख रुपये की राशि व्यय की।	इस द्विभाषी सूची-पत्र (स्पैनिश व अंग्रेजी) पर 1.09 लाख रुपये का वास्तविक व्यय किया गया।

दूरसंचार विभाग का निगमीकरण

*578. श्री चंदू लाल अजमीरा :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग का निगमीकरण कर दिया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार विभाग का निगमीकरण करने से क्या लाभ होंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सरकार ने दूरसंचार विभाग को अभी तक निगम नहीं बनाया है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ उभरती हुई प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी ढंग से समाना करने के लिए इसकी कार्यकारी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुख्यत: नीति-निर्माण तथा लाइसेंसिंग कार्यों को प्रचालनात्मक कार्यों से अलग करने के संबंध में दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) का पुनर्गठन करने के मामले की जांच की जा रही है। पिछले वर्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना को भी नीति निर्माण तथा लाइसेंसिंग कार्यों को प्रचालनात्मक कार्यों से अलग करने की दिशा में एक तर्क संगत कदम माना जा रहा है।

2. ज्ञातव्य है कि, कुछ वर्ष पूर्व, भावी प्रचालनात्मक तथा विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रबंध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे के बारे में सिफारिश करने के लिए डा. अधरेय, एक जाने-माने प्रबंध विशेषज्ञ, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने (जिसने मार्च, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (किसी भी संशोधित संरचना में ''नीति तथा नियमन'' टियर को ''प्रचालन'' (आपरेशन) टियर से अलग करने की आवश्यकताओं को स्वीकार किया लेकिन, समिति इस विभाग के भावी संगठन के आकार के बारे में एकमत नहीं थी।

3. तदनुसार, 1995 में डी.ओ.टी. मुख्यालय की पुनर्संरचना के बारे में सिफारिश करने के लिए श्री डी.के. गुप्ता, सेवानिवृत सदस्य (सेवाएं) दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान समिति ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की कि डी.ओ.टी. के दो स्पष्ट रूप से परिभाषित निकायों में विभाजित कर दिया जाए, एक निकाय को नीति तथा योजना तैयार करने के लिए तथा दूसरा दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य करने के लिए, जिसे ''इंडिया टेलीकॉम'', कहा जा सकता है।

4. डी.के. गुप्ता समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्वतंत्र मूल्य एवं लाभ केन्द्रों के रूप में सर्किलों/जिलों के साथ-साथ ''इंडिया टेलीकाम'' को एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। इस रिपोर्ट की और आगे जांच की गई और इस बात पर सहमति हुई कि दूरसंचार विभाग के प्रचालन कार्यों को लाइसेंसिंग तथा नीति कार्यों से अलग किया जाए ताकि प्रचालन को डेडिकेटेड मैनेजमेंट इनपुट्स प्रदान किया जा सके तथा सभी दूरसंचार प्रचालकों को लेवल-प्लेइंग फील्ड प्रदान किया जा सके।

5. हाल के महीनों में, इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न यूनियनों तथा स्टाफ संघों के साथ चर्चा की गई है। प्रस्तावित पुनर्संरचना तथा इससे जुड़े जटिल मुद्दों के संबंध में जबकि अनेक विचार एवं मत दिये गये है, निगम बनाने के विकल्प का अनुसरण करने के साथ-साथ, डी.ओ.टी. का तर्क संगत पुनर्गठन करने तथा उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में व्यापक सर्वसहमति पाई गयी है। इनके बारे में (तथा इससे जुड़े मुद्दे) व्यापक अध्ययन करने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिसकी विधिवित शुरूआत कर दी गई है।

6. इस प्रस्तावित पुनर्संरचना का उद्देश्य, प्रचालनात्मक निकाय की स्वायत्ता के विस्तार द्वारा इसे अधिक सक्षम बनाना है ताकि बदलती परिस्थितियों में यह प्रभावी ढंग से अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतियोगिता कर सके तथा साथ ही प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास संबंधी समुचित व्यवस्था की जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ''बी.ओ.टी.'' (बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर) परियोजनाओं में इक्विटी

*579. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री'' ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निजी क्षेत्र

में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए "बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर" परियोजनाओं में 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी अपने पास रखनी चाहिए;

(ख) क्या चैम्बर ने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रान्तीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव के लिए विशेषरूप से एक "राजमार्ग कोष" स्थापित करने का भी सुझाव दिया है;

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को मामला दर मामला आधार पर 30% तक इक्विटी लेने और परियोजना लागत के 40% तक पूंजीगत सब्सिडी देने की अनुमति दी गई है। राजमार्ग समर्पित निधि की स्थापना अभी नहीं की गयी है लेकिन हाल ही में बजट में प्रति लीटर पैट्रोल पर एक रुपया उपकर का प्रावधान किया गया है और उससे प्राप्त राशि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों के लिए एन.एच.ए.आई. को दे दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में साक्षरता

***580. श्री अजीत जोगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में साक्षरता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जातियों के लोगों में साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता का राज्य-वार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) साक्षरता अभियान का सम्बन्ध न सिर्फ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से है, बल्कि यह देश के उन सभी वर्गों के लिए जो अत्यधिक पिछड़े, निरक्षर और दरिद्र हैं। इस तरह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और इन वर्गों को अभिन्न रूप से साक्षरता सुलभ कराई जाती है।

देश में साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक त्रि-आयामी कार्य नीति है, जो निम्नवत् है:

1. प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने की योजना;
2. स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा; तथा
3. 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संपूर्ण साक्षरता अभियान।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा जो विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, वे निम्नलिखित हैं:-

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा साक्षरता परियोजनाओं को अन्य क्षेत्रों के लिए 2:1 की तुलना में जनजातीय जिले के लिए 4:1 के अनुपात में वित्तपोषण करना, प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक स्कूलों को खोलना, प्रारंभिक स्तरों पर जन जातीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री का विकास करना, छात्रावासों, आवासीय स्कूलों तथा आश्रम स्कूलों की स्थापना करना, छात्रवृत्तियों तथा नि:शुल्कताओं की व्यवस्था करना और प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को खोलना है।

विवरण

कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की साक्षरता दरें 1991

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
1	2	3	4	5
	भारत*	52.21	37.41	29.60
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.09	31.59	17.16
2.	अरूणाचल प्रदेश	41.59	57.27	34.45
3.	असम	52.89	53.94	49.16
4.	बिहार	38.48	19.49	26.78
5.	गोवा	75.51	58.73	42.91
6.	गुजरात	61.29	61.07	36.45
7.	हरियाणा	55.85	39.22	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	63.86	53.20	47.09
9.	कर्नाटक	56.04	38.07	36.01
10.	केरल	89.81	79.66	57.22
11.	मध्य प्रदेश	44.20	35.08	21.54
12.	महाराष्ट्र	64.87	56.46	36.79
13.	मणिपुर	59.89	56.44	53.63

1	2	3	4	5
14.	मेघालय	49.10	44.27	46.71
15.	मिजोरम	82.27	77.92	82.73
16.	नागालैंड	61.65	0.00	60.59
17.	उड़ीसा	49.09	36.78	22.31
18.	पंजाब	58.51	41.09	0.00
19.	राजस्थान	38.55	26.29	19.44
20.	सिक्किम	56.94	51.03	59.01
21.	त्रिपुरा	60.44	56.66	40.37
22.	तमिलनाडु	62.66	46.74	27.89
23.	उत्तर प्रदेश	41.60	26.85	35.70
24.	पश्चिम बंगाल	57.70	42.21	27.78
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अं. और नि. द्वीप समूह	73.02	0.00	56.62
2.	चंडीगढ़	77.81	55.44	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	40.71	77.64	28.21
4.	दमन और दीव	71.20	79.18	52.91
5.	दिल्ली	75.29	57.60	0.00
6.	लक्षद्वीप	81.78	0.00	80.58
7.	पांडिचेरी	74.74	56.26	0.00

*इसमें जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वर्ष 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

[अनुवाद]

न्यायपालिका को नया स्वरूप देना

***581. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान न्यायपालिका, अपराध संहिताओं और विधिक कार्यवाहियों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार और न्यायपालिका की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या न्यायपालिका को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्हें नया रूप देने और आम जनता की पहुंच इस तक करने हेतु इनका सरलीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (ङ) विधि आयोग और बकाया समिति जैसे विभिन्न अन्य निकाय समय-समय पर न्यायपालिका, दंड संहिता और विधिक कार्यवाहियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अध्यन करते रहे हैं। हाल में ही, विधि आयोग ने, दंड प्रक्रिया संहिता का व्यापक पुनर्विलोकन आरंभ किया और दांडिक मामलों के त्वरित निपटान की बाबत अनेक सिफारिशें करते हुए अपनी 154वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिए विधेयक, राज्य सभा में, क्रमशः मई, 1994 और अगस्त, 1997 में पुरःस्थापित किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ मामलों के त्वरित निपटान के लिए कतिपय उपबंध भी हैं।

2. आयोग समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कालिकतः समुचित उपाय करती रही है। इन उपायों में मामलों के त्वरित निपटान के लिए विधिक कार्यवाहियों का सरलीकरण, न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण, जिसके अंतर्गत मामलों का सूचीकरण भी है, विशेष मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन भी है। इनके अतिरिक्त, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम भी, न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के आवासों के सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए 1993-94 से प्रवर्तित की जा रही है।

3. और, सरकार ने, माध्यस्थम, मध्यस्थता और समझौते जैसी विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियां अपनाई हैं। 9-11-95 से यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन के साथ लोक अदालतों को कानूनी आधार दे दिया गया है। लोक अदालतें, विवादों के समाधान के लिए प्रभावी और सफल अनुपूरक मंच साबित हुए हैं।

खराब टेलीफोन

5633. डा. जयंत रंगपी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम टेलीकॉम सर्किल के टेलीफोन एक्सचेंज विशेषरूप से डिफू जिले के एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) असम दूरसंचार सर्किल के टेलीफोन एक्सचेंज सामान्यतया संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं। मार्च-अप्रैल, 1998 में बिजली गिरने के कारण दिफू की दूरसंचार सेवाओं में व्यवधान पैदा हो गया था। अप्रैल, 1998 के प्रथम सप्ताह में वहां के एन.ई.ए. एक्स. एक्सचेंज को बदलकर एस.बी.एम. सी-डॉट एक्सचेंज लगा दिया गया है।

[हिन्दी]

वन भूमि का राजस्व भूमि में परिवर्तन

5634. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस आशय का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है कि वन भूमि के पट्टे से संबंधित कागजात केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम से पंजीकृत किए जाएं जो वहां पहले से खेती कर रहे हों और वहां पर बसे हुए हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव किस तारीख को भेजा गया था;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार, दिनांक 23.5.1989 के पत्र के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में 2.73 लाख है. वन भूमि के अतिक्रमण के नियमन के लिए "डाइवरसन" संबंधी प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है। उक्त में से लगभग 1.03 लाख है. वन भूमि के संबंध में मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1990 में पहले ही औपचारिक सहमति प्रदान की जा चुकी है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने, दिनांक 5 दिसम्बर, 1995 के पत्र के माध्यम से लगभग 1.81 लाख है. अतिरिक्त वन क्षेत्र पर अतिक्रमण के नियमन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इस प्रस्ताव के संबंध में, राज्य सरकार को जुलाई, 1990 में अतिक्रमण के नियमन के संबंध में पहले अनुमोदित किए गए प्रस्तावों में लगाई गई शर्तों के अनुपालन संबंधी स्थिति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है इस मुद्दे को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव स्तर पर उठाया गया है। राज्य सरकार से इस प्रकार का विवरण उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो सका।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा

5635. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अनिवार्य सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो चालू शैक्षिक सत्र के दौरान कितने नए प्राथमिक विद्यालय खोले गये/खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) कितने विद्यालय मात्र एक अध्यापक से चल रहे हैं;

(घ) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितने सरकारी प्राथमिक, मिडिल, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं तथा विभिन्न श्रेणियों में विद्यालय-वार अध्यापकों के स्वीकृत पद कितने हैं और इनमें शिक्षा का माध्यम क्या है; और

(ङ) इस समय श्रेणी-वार और माध्यम-वार कितनी रिक्तियां हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र का वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान 15 प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार संघ राज्य में एक शिक्षक वाला कोई स्कूल नहीं है।

(घ) और (ङ) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार्यरत सरकारी प्राथमिक, मिडिल, हाई तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की संख्या 286 है। सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों के स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित है:-

सरकारी स्कूलों में शिक्षण पद	संस्वीकृत संख्या	रिक्त पद
प्रधानाचार्य	34	17
उप प्रधानाचार्य	37	03
प्रधान अध्यापक (एस.एस.)	28	-
प्रधान अध्यापक (एम.)	49	12
प्रधान अध्यापक (पी.)	132	55
पी.जी.टी.	418	13 (एस.टी.)
जी.टी.टी.	1251	27 (एस.टी.)
पी.ई.टी.	173	02
पी.पी.टी.	08	04
पुस्तकालयाध्यक्ष	82	01
कम्प्यूटर अनुदेशक	01	-
बैण्ड मास्टर	02	-
पी.एस.टी.	1715	60

शिक्षण पदों की स्कूलवार और माध्यम-वार स्थिति का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

गंगा नदी में नौवहन सुविधाएं

5636. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी में उपलब्ध नौवहन सुविधाओं के संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान समय में योजना किस चरण में है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) स्कीमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(1) नौचालन मार्ग के उथले भाग को गहरा करने के लिए कलकत्ता से कैथी तक बंडालिंग और अनुरक्षण निकर्षण का कार्य वर्ष दर वर्ष आधार पर शुरू किया गया है।

(2) पटना-समरिया क्षेत्र में 99.85 लाख रु. की अनुमानित लागत पर नदी प्रशिक्षण स्कीम चालू वित्त वर्ष के दौरान आरंभ होगी।

(3) हल्दिया, कलकत्ता, पाकुर, फरक्का और कैथी में मौजूदा टर्मिनलों के अतिरिक्त पटना, मुंगेर, भागलपुर और कारागोला में फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध कराए गए हैं और उनका रख-रखाव किया जा रहा है।

(4) कलकत्ता और फरक्का के बीच 24 घंटे नौचालन साधन उपलब्ध कराने से संबंधित स्कीम 4.61 करोड़ रु. की लागत पर अनुमोदित की जा चुकी है। निविदा-आमंत्रण की प्रक्रिया चल रही है।

(5) गायघाट (पटना) में स्थायी टर्मिनल का निर्माण करने संबंधी स्कीम 14.45 करोड़ रु. की लागत पर अनुमोदित की जा चुकी है। कार्य के.लो.नि.वि. (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) को सौंपा गया है।

(6) वॉटर इंजेक्शन ड्रेजर की खरीद के लिए स्कीम को अनुमोदन दिया जा चुका है और निर्माण-कार्य सौंपने के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा ड्रेजर की आपूर्ति करने के लिए निविदा-आमंत्रण की प्रक्रिया चल रही है।

स्थानीय लूप में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रौद्योगिकी

5637. **श्री ए. गणेशमूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) द्वारा स्थानीय लूप (डब्ल्यू.आई.एल.एल.) में वायरलेस उपलब्ध कराने हेतु आगे जारी की जाने वाली निविदा में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रौद्योगिकियों को वापिस करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 800 एम.एच.जैड. स्पेक्ट्रम में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) उपस्कर के विनिर्माण के लिए पंजीकृत भारतीय कम्पनियों से निविदा आमंत्रित की गई है। तथापि, इस निविदा के लिए सप्लाई किए जाने वाले उपस्कर के विनिर्माण में विदेशी टेक्नालॉजी प्राप्त करने के लिए उन पर कोई पाबन्दी नहीं है।

(ख) 16 शहरों के लिए 56 के लाइनों हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

5638. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में जिला-वार टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) राज्य में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए, 1998-99 के दौरान 2.72 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

30.6.98 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश (पूर्व) की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	इलाहाबाद	953
2.	कौशाम्बी	2092
3.	कानपुर सिटी	5824
4.	कानपुर ग्रामीण	441
5.	लखनऊ	9654
6.	वाराणसी	5696
7.	फैजाबाद	921
8.	अम्बेडकर नगर	794
9.	बलिया	1776
10.	गाजीपुर	645
11.	जौनपुर	2944
12.	सुल्तानपुर	1371
13.	प्रतापगढ़	620
14.	शाहजहांपुर	1774
15.	हरदोई	1217
16.	सीतापुर	796
17.	गोण्डा	1983
18.	बलरामपुर	391
19.	सन्त कबीर नगर	179
20.	लखीमपुर	1490
21.	सिद्धार्थनगर	367
22.	बस्ती	1183
23.	बांदा	760
24.	मैनपुरी	1176
25.	उरई	2679
26.	हमीरपुर	963
27.	फतेहपुर	186
28.	रायबरेली	608
29.	उन्नाव	850
30.	गोरखपुर	2665

1	2	3
31.	महाराजगंज	100
32.	बहराइच	938
33.	शावस्ती	170
34.	देवरिया	732
35.	मऊ	595
36.	पडरौना	1011
37.	झांसी	785
38.	ललितपुर	215
39.	फर्रूखाबाद	631
40.	कन्नौज	243
41.	मिर्जापुर	354
42.	सोनभद्र	477
43.	इटावा	1189
44.	औराला	859
45.	आजमगढ़	2277
46.	भदोही	815
47.	महोवा	859
48.	शिकोहाबाद	818
49.	चन्दौली	116
50.	बाराबंकी	1299
	कुल	67,481

विवरण-II

30.6.98 को उत्तर प्रदेश (पश्चिम) की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	30.6.98 को जिलेवार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आगरा	5714
2.	फिरोजाबाद	1924
3.	अलीगढ़	4145
4.	महामायानगर	511
5.	अल्मोड़ा	295
6.	पिथौरागढ़	676
7.	चम्पावत	शून्य
8.	बागेश्वर	शून्य

1	2	3
9.	बदायूं	1021
10.	बरेली	5242
11.	बिजनौर	3614
12.	देहरादून	6682
13.	एटा	1510
14.	गाजियाबाद	13798
15.	बुलंदशहर	3567
16.	गौतमबुद्धनगर	2256
17.	मथुरा	2818
18.	मेरठ	3071
19.	बागपत	898
20.	मुरादाबाद	6198
21.	ज्योतिबा फुलेनगर	883
22.	नैनीताल	3026
23.	ऊधमसिंह नगर	1916
24.	मुजफ्फरनगर	3399
25.	रामपुर	1132
26.	पीलीभीत	619
27.	सहारनपुर	7678
28.	हरिद्वार	4126
29.	पौड़ी	926
30.	रूद्रप्रयाग	67
31.	चमोली	139
32.	टिहरी	347
33.	उत्तरकाशी	192
	कुल	88390

[अनुवाद]

बेपोर पत्तन से लक्षद्वीप तक यात्री पोत सेवा

5639. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल को बेपोर पत्तन से लक्षद्वीप तक कोई यात्री पोत सेवा प्रतिदिन उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट से लक्षद्वीप तक यात्रियों और सामान को काफी उतराई और चढ़ाई होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल से लक्षद्वीप तक और पोत सेवा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) एक खुश्क मौसमी यात्री जलयान एम.वो. द्वीप सेतु जिसकी 150 यात्री ले जाने की क्षमता है, बेपोर पत्तन और लक्षद्वीप के बीच यात्री सेवा प्रदान करता है। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा तैयार की गई यात्रा समय-सारणी का उद्देश्य एक निश्चित क्रम में आने वाले सभी द्वीप समूहों को न्यूनतम समयावधि में यात्रा सुविधा प्रधान करना है। औसतन यह जलयान 3-4 दिनों में बेपोर तक का चक्कर पूरा कर लेता है। इसके अतिरिक्त, एक अंतरद्वीपीय फैरी और कार्गो बार्ज का यदा-कदा इस रूट पर प्रचालन होता है।

(ग) से (ङ) जी हां। सरकार ने मुख्य भूमि लक्षद्वीप क्षेत्र में प्रचालन के लिए एक 150 यात्री व 25 एम.टी. कार्गो वाले जलयान की खरीद के लिए संस्वीकृति दे दी है।

केरल में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधाएं

5640. श्री टी. गोविन्दन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो जिला-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में ऐसी सुविधाएं अभी भी उपलब्ध कराई जानी हैं; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में स्थान-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में ये सुविधायें प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) उपरोक्त "क" में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1998-99 के दौरान, संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए 56 नए टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधाएं प्रदान करने की योजना है। स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केरल के उन नए टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान-वार ब्यौरे, जिन्हें वर्ष 1998-99 के दौरान चालू किए जाने की योजना है

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	वीयापुरम
2.	अरिकुलम
3.	चेरूवड़ी
4.	कक्कायम
5.	कक्कोडी
6.	मुडाडी
7.	ओमस्सेरी
8.	चेंगारा
9.	इडायूर
10.	एलनकुर
11.	करिगापाड़ा
12.	किज्जातूर
13.	कन्नूप्पुरम
14.	मरूवा

1	2
15.	टुव्वूर
16.	उप्पाड़ा
17.	वल्लीककपेट्टा
18.	चुल्लीगोड़े
19.	पेरिया
20.	तिरूनेल्ली
21.	वलाड़
22.	कछेरीकडावू
23.	मंगट्टीडम
24.	पडियूर
25.	पट्टूवम
26.	थिरूवट्टूर
27.	कडुमेनी
28.	कनाथूर
29.	कयूर
30.	मियापडावू
31.	कडालिक्कड
32.	ममालाकडम
33.	मन्नतूर
34.	मुक्कानूर
35.	बिसनवल्ली
36.	इरूत्कूनम
37.	कायाललूर
38.	कुनिनजी
39.	पट्टूपेट्टी
40.	मुल्लारीकुड़ी
41.	पूमाला
42.	वजहतहोपे
43.	थरिक्कोडीथनम
44.	इलमबुलासेट्टी
45.	करिडमकुन्नू
46.	इनाडीमंगलम
47.	थेक्कूथोडे
48.	चिथारा

1	2
49	इडाक्कड
50	इलक्कट्टूर
51	नेडुमोनकाव
52	वनियमपारा
53	वेट्टूकड
54	कल्लीकड
55	मन्नूरकोनम
56.	वजहालिया

आदिवासियों की परम्परागत कानून प्रणाली

5641. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा आदिवासियों की परम्परागत कानून प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई अध्ययन आरंभ कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बहु-विधिक प्रक्रियाओं में आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उनको संहिताबद्ध करने के लिए आदिवासियों की परम्परागत कानून का पता लगाने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश राज्यों में जनजाति समुदायों की रूढ़िजन्य विधियों का अध्ययन प्रायोजित किया था और सामाजिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र द्वारा आरंभ की गई रूढ़िजन्य विधि के अध्ययन पर एक रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त हुई थी। यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने विभिन्न समुदायों के संबंध में जनजातियों की रूढ़िजन्य विधियों पर कतिपय व्यापक कार्य आरंभ किए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वनों का विकास

5642. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सतना जिले के वन क्षेत्रों के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सरकार कब तक मंजूर करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के कार्यकरण में सुधार

5643. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज-वार पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। 1993-94 के दौरान, सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष

अवधि के लिए सामान्य योजना अनुदान के अतिरिक्त योजनागत अनुदान के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए का विशेष अनुदान प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल की थी ताकि 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को निम्नलिखित क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके इंजीनियरी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में विकसित किया जा सके:-

1. सामान्य प्रबंध
2. भवनों, पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाओं के बेहतर स्तर
3. अनुसंधानकर्त्ताओं, छात्रों द्वारा और प्रशासन/वित्त में व्यापक उपयोग के लिए पर्याप्त सम्पर्क वाली कम्प्यूटर प्रणाली
4. शिक्षक उन्नयन को सुकर बनाना
5. उद्योग और जनता के लिए कार्यक्रमों की शुरूआत।

वित्तीय वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद, भोपाल, कालीकट, दुर्गापुर, हमीरपुर, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, कुरूक्षेत्र, नागपुर, राऊरकेला, सिल्चर, श्रीनगर, सूरत, सूरतकल, तिरूचिरापल्ली और वारंगल स्थिति 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में प्रत्येक कालेज को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए मुक्त किए गए हैं।

त्रिपुरा में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम

5644. श्री समर चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम की योजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) त्रिपुरा एपैक्स वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, अगरतला द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) स्कीम के अन्तर्गत रेशम कीट पालन परियोजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे स्टैप स्कीम के लिए परियोजना संस्वीकृति समिति ने अपनी 25-6-1998 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया था। इस परियोजना के अन्तर्गत, 335.96 लाख रुपए की कुल लागत से शहतूत की खेती, ककून (कोयो) पालन, रेशम का धागा निकालना और बुनना आदि कार्यों के लिए 4 साल की अवधि में 4200 लाभार्थी महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिया जायेगा।

अधिक राशि के टेलीफोन बिल

5645. श्री विठ्ठल तुपे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान अधिक राशि के टेलीफोन बिल आने से संबंधित शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रैल, 1998 को टेलीफोन अधिकारियों के पास विशेषरूप से नासिक, पुणे और खेड जिलों में लम्बित शिकायतों की संख्या कितनी है;

(घ) इन शिकायतों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ङ) इन बिलों को कब तक ठीक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकार को अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें मिली हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1996-97	155563
1997-98	166088

(ग) और (घ) अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार, लंबित शिकायतों की संख्या और उनसे संबंधित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	शिकायतों की संख्या	संबद्ध राशि
नासिक	229	4.59 लाख
पुणे	243	40.24 लाख
खेड (रत्नागिरी)	008	0.46 लाख

(ङ) नासिक से संबंधित शिकायतों का निपटान पहले ही कर दिया गया है। पुणे और खेड जिले की शिकायतों को दूर किया जा रहा है, ताकि उनका तुरंत निपटान किया जा सके।

न्यायालय शुल्क समाप्त करना

5646. श्री सत्यपाल जैन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश के विभिन्न न्यायालयों में केस/अपील दायर करने हेतु न्यायालय शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष न्यायालय शुल्क से कितनी राशि का राजस्व अर्जित किया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) न्यायालय फीस के उत्सादन के प्रश्न पर विभिन्न रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया है। किन्तु न्यायालय फीस को उत्सादित करने का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। इस संबंध में, एक निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 1989 का 1022 अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिया गया था। सुसंगत अंश नीचे पुन: उद्धृत हैं:-

> "सिविल संहिता के अधीन, न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम के अधीन वसूली जाती है। कुछ समय से, इसको उत्सादित करने की मांग की जाती रही है किन्तु राज्यों में न्यायालय फीसें उत्सादित करने की दशा में, राज्यों द्वारा केन्द्र से प्रतिकर की मांग के कारण, इस विचार को परित्यक्त कर दिया है।"

(ग) संविधान के अनुच्छेद 146(3) और 229(3) के उपबंधों के अधीन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां, क्रमश: भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि का भाग होंगी। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित राजस्व संबंधी आंकड़ा न्याय विभाग में सहजत: उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

5647. श्री महेश कनोडिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रत्येक विद्युत स्टेशन में वर्ष-वार विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में इन विद्युत स्टेशनों में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत यूनिटों का उच्चीकरण करके गुजरात विद्युत बोर्ड के अंतर्गत ताप विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई अभिवृद्धि नहीं हुई है। तथापि, क्षमता के रूप में विस्तार यूनिटों नामश: गांधीनगर यूनिट-5 (210 मे.वा.) और कदाना एच.ई.पी. यूनिट-3 एवं 4 को जोड़ा गया है।

(ख) और (ग) जी.एस.ई.सी.एल. की वनाकबोरी यूनिट-7 को वर्ष 1998-99 के दौरान चालू किए जाने की प्रत्याशा है। जहां

तक एन.टी.पी.सी. का संबंध है लाभभोगी राज्यो द्वारा विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर करने की शर्त पर कवास जी.पी.पी. और गांधार जी.पी.पी. की क्षमता में परियोजनाओं के चरण-2 में 650 मे.वा. (न्यूनतम) प्रत्येक के हिसाब से अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

5648. डा. रामविलास वेदान्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मंजूर किए;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	केन्द्रों की संख्या	
	राज्य क्षेत्र	स्वैच्छिक क्षेत्र
1995-96	59,600	5,631
1996-97	59,600	5,581
1997-98	59,600	6,656

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए राज्य सरकारों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, वे निम्नवत हैं:

वर्ष	से प्राप्त प्रस्ताव
1995-96	असम तथा मध्य प्रदेश
1996-97	राजस्थान, तमिलनाडु, मिजोरम, गुजरात, असम तथा उत्तर प्रदेश
1997-98	राजस्थान, तमिलनाडु, मिजोरम तथा गुजरात।

[हिन्दी]

दुधवा राष्ट्रीय पार्क में मृगों की मौत

5649. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क के संरक्षित वन क्षेत्र के एक बड़े भाग के जलमग्न होने से बड़ी संख्या में मृगों की मौतें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सर्वेक्षण

5650. श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों में कोई खुदाई कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस खुदाई से क्या सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या कुछ स्थलों को पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान कर आरक्षित रख दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन स्थलों में खुदाई का कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश में 29 स्थलों और अन्य राज्यों में 160 स्थलों पर खुदाई कार्य किया है। इन खुदाई कार्यों के विस्तृत विवरण 1992-93 तक के "इण्डियन आर्कियोलोजी-ए-रिव्यू" के संस्करणों में प्रकाशित किए गए हैं। 1993-94 के बाद किए गए खुदाई कार्यों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(ग) से (ङ) खुदाई के लिए कुल 477 स्थलों को आरक्षित किया गया है विवरण-II के अनुसार) खुदाई कार्यों की प्राथमिकता इतिहास में महत्वपूर्ण सामन्जस्य स्थापित करने की आवश्यकता से सुनिश्चित की जाती है, जो कि फंड की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस संबंध में कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में किए गए उत्खनन के ब्यौरे

क्रम सं.	स्थल का नाम	जिला	उपलब्धि
1	2	3	4

विवरण में दिए गए कालावधि संबंधी संक्षिप्त रूप

पी.जी.डब्ल्यू.	चित्रित धूसर मृदमांड संस्कृति - लगभग 1100 ईसा पूर्व-600 ईसा पूर्व (आरंभिक लौह युग)
बी. एण्ड आर.एम.	काली एवं लाल मृदभांड संस्कृति - प्रारंभिक 1100 ईसा पूर्व
बी.एस.डब्ल्यू.	कृष्ण मर्जित मृद भाण्ड संस्कृति - प्रारंभिक 600 ईसा पूर्व (आरंभिक लौहयुग)
एन.बी.पी.डब्ल्यू.ई.एच.	उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति-लगभग 600-200, आरंभिक ऐतिहासिक काल (लगभग 6वीं - दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व)
ई.एम.	आरंभिक मध्य काल (6वीं-13वीं शताब्दी ई.)
एल.एम.	उत्तर काल (13वीं-15वीं शताब्दी ई.)

1	**उत्तर प्रदेश**		
	(1) औनाहान	कानपुर	आरंभिक ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले।

1	2	3	4
	(2) संकिसा	फर्रूखाबाद	प्राचीन सांकस्या, क्रम अर्थात् चित्रित, घूसर गृदभांड संस्कृति, उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति, शुंग (लगभग 2-1 शताब्दी ईसा पूर्व) तथा कुषाण (लगभग 1-3 शताब्दी ईसवी) का पता चला।
	(3) सिसवानिया	बस्ती	चार स्तरीय संस्कृति क्रम का पता चला अर्थात् प्रारंभिक उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति (लगभग 8-6 ईसा पूर्व) तथा कुषाण (लगभग 1-2 शताब्दी ई.) यह स्थल आरंभिक 18वीं अथवा 19वीं शताब्दी ई. के उत्तरार्द्ध में पुन: अधिकृत किया गया था। इसे अनुमानत: बुद्ध साहित्य के सेतव्य के साथ अभिनिर्धारित किया जाता है।
	(4) भीटा	इलाहाबाद	कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति (अनुमानत: 8-7 शताब्दी ईसा पूर्व) जिसका अनुसरण उत्तर काली ओपदार संस्कृति द्वारा किया गया। सबसे उपरी जमाव में टीले प्रमुख हैं।
	(5) श्रावस्ती (साहेथ-माहेथ)	बहराइच	ईंट की इमारतों अर्थात् अनेक पुरावशेषों एवं मृदभांड समेत हौज स्तूप एवं मठ का पता चला जो कुषाण-गुप्त, उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति, शुंग, गुप्त, आरंभिक मध्य काल से संबंधित है।
	(6) मेहताब बाग	आगरा	16वीं शताब्दी ईसवीं के मुगल उद्यान के अनेक झरनों वाले विशाल अष्टभुजी हौज एवं दर्शकदीर्घाओं के खंडहरों का पता चला।
	(7) मरहा-वरहा	फतेहाबाद	गेरूआ-रंजित मृदभांड (मध्य 2 सहस्त्राब्दि ईसापूर्व) काले एवं वाली चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तरी काली ओपदार मदृभांड संस्कृति, तथा मध्यकालीन अवशेषों का पता चला।
	(8) चौखंडी	वाराणसी	तीन उठी हुई क्रमिक सीढ़ियों वाली आयताकार कुर्सी का पता चला। गौतम बुद्ध की प्रतिमा तथा दो अध्युपचित्र-उद्भूत गुप्त-शैली के हैं जिनसे यह लक्षित होता है कि गुप्त काल में विद्यमान स्मारक बेदिका मंदिर के रूप में रहा।
2. आंध्र प्रदेश			
	जुज्जरू	कृष्णा	चूना पत्थर की स्तूल रेलिंग एवं आरंभिक ऐतिहासिक काल की नक्काशी वाले प्रस्तरों का पता चला है।
3. असम			
	श्री श्री सूर्यापहाड़	गोलपाडा	पूर्व गुप्त एवं उत्तर गुप्त काल की ईंटों की बनी इमारतों एवं टेरीकोटा लघु मूर्तियां आदि प्रकाश में आईं।

1	2	3	4
4. बिहार			
	कोल्हुआ	मुजफ्फरपुर	प्रारंभिक एवं उत्तर क्रिश्चियन युग के अनेक अवशेषों के अलावा पंक्तिबद्ध ईंट के बने हौज़, कुटागारशाला, मठ तथा ईष्टयाग स्तूपों का पता चला।
	(1) झांमागढ़ पहाड़ी	हजारीबाग	मुख्यतया बुद्ध धर्म से सम्बद्ध आरंभिक ऐतिहासिक काल के अवशेषों का पता चला।
	(2) केसरिया	पूर्व चंपारन	आरंभिक मध्य काल की आलों (ताक) वाली स्टूलों पलस्तर से बनी प्रतिमा के साथ ईंटों के बने विशाल स्तूप की सीढ़ियों के अवशेषों का पता चला।
5. दिल्ली			
	(1) लालकोट	दक्षिण दिल्ली	राजपूत काल (लगभग 10, 12वीं शताब्दी ई.) तथा सल्तनत काल (पूर्व 12-15वीं शताब्दी ई.) के व्यवसायों के स्तरों का पता चला है। इसके अलावा महल एवं विशाल हौज़ के अवशेष पाए गए हैं।
	(2) सलीमगढ़	दिल्ली	मिश्रित मलबों में चित्रित धूसर मृदभांड द्रष्टव्य पाए गए जिनमें मुगल भवनों के नीचे दबे खंडहरों की पूर्व मध्यकालीन (12-15वीं शताब्दी ई.) की सामग्रियां शामिल हैं।
6. गुजरात			
	धौलावीरा	कच्छ	पांच बड़े हड़प्पीय नगरों का पता चला है जिनसे बांधों सहित स्मारकीय एवं सौन्दर्यपरक जल सिंचाई स्थापत्य प्रणाली, जलाशय एवं सेतु, प्रतीकात्मक दफन संरचना, स्टेडियम, बड़े आकार के चिन्हों से बना एक अद्वितीय अभिलेख के अलावा अनेक पुरावशेषों मृदभांड की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इससे व्यवस्थापन की तुलना में सभ्यता के उत्थान एवं पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
7. गोआ			
	संत आगस्ताइन गिरजाघर	पुराना गोआ	आगस्ताइन के फ्राइअर्स द्वारा 1602 में बनाई गई चर्च के खंडहर आंशिक रूप से प्रदर्शित किए गए जिनसे हाल, कक्ष आदि प्रकाश में आए हैं।
8. हरियाणा			
	(1) अनंगपुर	फरीदाबाद	आरंभिक पूर्व पाषाणकाल (आरंभिक प्रस्तर) के आरंभिक अनेक आशुलियन उद्योगों की जानकारी मिली है।

1	2	3	4
	(2) मुहम्मदनगर	गुड़गांव	आरंभिक ऐतिहासिक, शुंग, कुषाण तथा मुगल कालों के अवशेष।
	(3) हारनोल	गुड़गांव	कुषाण काल के साथ-साथ पूर्व मध्य काल के चित्रित धूसर मदृभांड
	(4) राखीगढ़ी	हिसार	हरियाणा का एक विशाल नगर जहां से भवन संरचनाओं, मृदभांड तथा अनेक पुरावशेषों सहित परवर्ती समाधियों जिन्हें अभी अभिनिर्धारित किया जाना है, की जानकारी मिलनी शुरू हो गई है।
	(5) थानेस्वर	कुरुक्षेत्र	वारचनाओं की राजधानी प्राचीन स्थानीस्वर (लगभग 6-7वीं शताब्दी ई.) यहां से चित्रित धूसर मृदभांडों के कुछ स्थानीय जमाव सहित प्रथम शताब्दी ईसापूर्व से 19वीं शताब्दी ई. तक के पेशे के व्यवस्थापन का पता चला है।
9. हिमाचल प्रदेश			
	भीम-का-टीला	कांगड़ा	लगभग 2-3 शताब्दी ईसवी के परवर्ती कुषाण कालीन प्राचीन अवशेष मिले हैं।
10. जम्मू एवं कश्मीर			
	गुरु बाबा का टीला	श्रीनगर	प्रागतिहासिक काल से मध्यकाल तक के सांस्कृतिक क्रम का पता चला है।
11. कर्नाटक			
	(1) बनवासी	उत्तर कन्नड़	मौर्यों से लेकर सातवाहनों, छुतुओं, कदम्बों के साथ-साथ उत्तर कदम्बों के काल तक के आरंभिक ऐतिहासिक अवशेष पाए गए हैं।
	(2) गुदनापुर	-वही-	कदम्बों, राष्ट्रकूटों एवं परवर्ती चालुक्यों के काल के स्थापत्य अवशेष मिले हैं।
	(3) बेनागुट्टी	गुलबर्गा	सनाथी गांव में भीमा नदी के बाएं किनारे पर 2 शताब्दी ई. के मठीय परिसर सहित अण्डाकार आकृति का एक चैत्य स्तूप पाया गया है।
	(4) हम्पी	बेलारी	हजार रामचन्द्रा मंदिर जो शाही अहाते में स्थित उत्तरी प्रवेशद्वार के खुले प्रांगण का भाग है, के पश्चिमी एवं दक्षिण-पश्चिमी भागों में उत्खनन कार्य किए गए।
	(5) हजारागुण्डगो	गुलमर्ग	पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष।

1	2	3	4
	(6) कंगनहाल्ली	गुलमर्ग	सातवाहन स्तूप के खण्डहर जोकि उत्कीर्ण पट्टिकाओं जिनमें सुन्दर प्रतिमायें अंकित हैं, से अलंकृत था।
12. केरल			
	बेकल फोर्ट	केसरगोड	ऐतिहासिक इमारतों के अतिरिक्त 18वीं शताब्दी की बड़ी मात्रा में सिक्के, ढांचे धातु-पिण्ड प्राप्त हुए हैं।
13. मध्य प्रदेश			
	(1) मान्धाता	पूर्व निमार खण्डवा	चौबीस-अवतार मन्दिर परिसर के योजना और वास्तुकला के युग्म लघुरूप वेदिकाएं प्रकाश में आयी हैं।
	(2) सांची	रायसेन	तीन मठों के अवशेष, 36 ईस्ट दाय स्तूप, पुरातत्वीय वस्तुएं, क्षत्रपों के सिक्के, विखण्डित मूर्तियाँ पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसवीं के प्राप्त हुए हैं।
	(3) सतधारा	रायसेन	मौर्य काल के अनेक अज्ञात बड़ी ईंटों के स्तूपों की आकृतियां मिली हैं। दूसरी में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसे बाद में विस्तार किया गया और पत्थरों से मुलम्मा लगाया गया।
	(4) खेड़ानीमा	होशंगाबाद	पूर्व ऐतिहासिक और कैथोलिक (मालवा) संस्कृति
	(5) कुटवार	मुरैना	यह स्थल कामंत भोज से संबद्ध है जो कुन्ती के पिता थे। उत्खनन से मृदभांड, पुरावशेष, जीर्ण-शीर्ण भवनों के तल आदि मिले है। इसके अलावा एक सुन्दर टूटा हुआ वास्तुशिल्पीय टुकड़ा जो संभवत: प्रतिहार काल का है, भी प्राप्त हुआ।
	(6) पीपरी	पश्चिम निमार	मृत्तिका शिल्प संग्रह मिला है जिनमें मुख्य रूप से अनेक डिजाइनों वाले काले एवं लाल मृदभांड शामिल हैं जिन पर मानवीय जानवर अंकित हैं।
	(7) उटवाड	-वही-	एक ताम्रपाषाण-कालीन स्थल जो 2 सहस्त्राब्दि ईसा पूर्व को सवाल्दा एवं मालवा संस्कृतियों से संबद्ध है।
	(8) खापरखेड़ा	धार	यहां धूप में सूखी और पक्की ईंटों की बस्तियां तथा टट्टर के लिपे हुए मकान मिले।
	(9) नावरखेड़ी	पश्चिम निमार	ऐसा विश्वास किया जाता है कि घर में उपयोग के लिए घरेलू उपकरणों के साथ बड़े घड़े भी प्राप्त हुए हैं।

1	2	3	4
14. महाराष्ट्र			
	1. नाचेगाँव	सतारा	दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व से सम्बन्धित होनयान सम्प्रदाय की गुफाए मिली हैं।
	2. मनसर	नागपुर	300 ई. से 650 ई. तक समृद्ध रही बड़ी धार्मिक इमारतें मिली।
	3. पौनी	भण्डारा	प्रथम शताब्दी ईसापूर्व से तीसरी ई. तक के सातवाहन काल के एक स्तूप और किलेबन्दी के अवशेष तथा मध्यकालीन युग के भी कुछ अवशेष मिले हैं।
	4. पैठन	औरंगाबाद	सातवाहन से लेकर मध्यकालीन युग की श्रृंखला मिली है।
	5. पापामिया टेकड़ी	चन्द्रपुर	जांचों से निम्न पुराप्रस्तर युगीन स्थल के शिल्प-तथ्यों के सांख्यिकीय और सूक्ष्म विश्लेषणात्मक अध्ययनों के लिए साक्ष्य प्रदान किए हैं।
15. उड़ीसा			
	1. वाराबत्ती किला	कटक	किलेबन्दी सहित प्रारंभिक मध्यकालीन आवास के अवशेष तथा महल परिसर के अवशेषों के चारों ओर खाई और हाल ही में उत्खनित वास्तुशिल्पीय स्तम्भ संभवत: किसी परिसर के तथा हाल ही में उत्खनित उसी अवधि (11वीं शताब्दी ई.) के वास्तुशिल्पीय अवशेष मिले।
	2. खल्कतापतम	पुरी	जिस कार्य को एक हिस्से के अवशेषों का पता लगाने के लिए आरम्भ किया था वह पुष्ट नहीं हुआ। यह मध्यकालीन युग का एक कम्पिंग स्थल जान पड़ता है।
	3. उदयगिरी	जाजपुर	प्रतिष्ठित बुद्धि मूर्ति और अन्य मूर्तियों के तीर्थ मन्दिरों सहित एक बौद्ध मठ के अवशेष। एक चौकोर चबूतरा पर ईंटों का स्तूप एक अन्य मठ की खुदाई की जा रही है। स्थल 5वीं शताब्दी ई. से 11वीं शताब्दी ई. का हो सकता है।
16. राजस्थान			
	1. धूदर ...ड़ा	चौलपुर	गुप्त कालीन समय के काले और लाल भांड मिले।
	2. लछ...	भीलवाड़ा	काले और मदृभाण्ड मिलने शुरू हुए जो दूसरी सहस्राब्दि ईसा पूर्व अहार संस्कृति से सम्बन्ध रखते हैं और प्रारम्भिक ऐतिहासिक गुप्त कालीन अवशेष मिले।

1	2	3	4
17. तमिलनाडु			
	1. मामल्लापुरम	कांचीपुरम	नरसिम्हावरमन-II (700-728 ई.) पल्लव राजा के समय के ईंट ढांचों के साथ पत्थर के फर्श के इसके अतिरिक्त धार जैसे लगभग चौथी शती ई. से संबंधित मन्दिर के उत्तरी ओर ढांचा मिले।
	2. गिंगी पादयोचेयर	विल्लुपुरम	16-18 शती ई. का एक महल का ढांचा मिला। बीजापुर के नायक सल्तनतों, मराठा आदि अधीन रहने वाला एक मध्यकालीन नगर मिला।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	14
2.	अरूणाचल प्रदेश	2
3.	असम	4
4.	बिहार	40
5.	दमन	1
6.	दिल्ली	2
7.	गुजरात	12
8.	गोआ	2
9.	हरियाणा	10
10.	हिमाचल	1
11.	जम्मू कश्मीर	11
12.	कर्नाटक	6
13.	केरल	3
14.	मध्य प्रदेश	49
15.	उड़ीसा	15
16.	पंजाब	5
17.	महाराष्ट्र	34
18.	मेघालय	1
19.	नागालैण्ड	2
20.	राजस्थान	43
21.	त्रिपुरा	1
22.	तमिलाडु	7
23.	उत्तर प्रदेश	195
24.	पश्चिम बंगाल	17

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में भर्ती

5651. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों के लिए समुचित भर्ती और सेवा नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में कर्मचारियों का भर्ती का काम कर्मचारी चयत आयोग/संघ लोक सेवा आयोग जैसा स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना संबंधी लघु अवधि के पदों को छोड़कर सभी पदों के लिए भर्ती नियम बनाए गए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र सेवा नियमों के संबंध में केन्द्र सरकार के सेवा नियमों का अनुसरण करता है।

(ग) और (घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र एक न्यास है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अनुसार विभिन्न पदों पर भर्ती उनके द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग का न्यासों के कर्मचारियों का भर्ती से कोई संबंध नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में स्थानान्तरण नीति

5652. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवधिक अन्तरालों पर सभी स्तरों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये इसकी कोई निश्चित स्थानान्तरण नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगरा में गत दस वर्षों से या इससे अधिक समय से तैनात जिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं हुआ है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आगरा और अन्य अंचल (सर्किल) कार्यालयों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अधिकारी किसी निश्चित अवधि से अधिक समय तक रह चुके हैं उनके स्थानान्तरण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सामान्यतया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकारियों के स्थानांतरण 3-5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही किए जाते हैं। परिवर्तन करते समय यदि विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाएं हों, तो उन्हें पूरा करने के लिए कार्य की आवश्यकताओं एवं सम्पूर्ण जनहित को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) से (ङ) आगरा अथवा अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरण किए जाने वाला ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने दस वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों का आबंटन

5653. श्री एस. अजय कुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर जिला पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ब्लॉक पंचायत संबंधी स्थायी समिति के चेयरमैन को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार जिला परिषदों और

जिला पंचायतों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए उनका पंजीकरण निजी भुगतान पर गैर-ओ.वाई.टी.-एस.एस. श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन, ब्लॉक पंचायतों की स्थाई समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है ताकि इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत अधिक पंजीकरण न हों।

भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद् के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

5654. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम.: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय और वन मंत्री अनुसंधान और शिक्षा परिषद् के अधिकारियों द्वारा आधारहीन कारणों पर बारम्बार विदेश यात्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि तथा प्रशिक्षण पश्चात् संस्थान के कार्मिकों की तैनाती का ब्यौरा क्या है तथा इन विदेशी दौरों पर वर्षवार कितना व्यय किया गया;

(ग) अधिकारियों के विदेश दौरों से वापस आने के पश्चात् उनकी उम्र, अनुभव तथा उनकी उपयोगिता के संबंध में क्या दिशा-निर्देश निर्धारित हैं;

(घ) एक ही प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बारम्बार विदेश दौरा किए जाने का औचित्य क्या है;

(ङ) क्या संस्थान के अधिकारियों को संस्थान की परामर्श सेवा प्रदान करने वाली गैर-सरकारी एजेंसियों के निमंत्रण पर भी विदेश जाने की अनुमति दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार विदेश यात्रा पर गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। परिषद् तथा इसके संस्थानों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों तता अधिकारियों को परियोजनाओं, जिनमें वे कार्य कर रहे हैं, के उपबंधों के अनुसार विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विदेश प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित अधिकारियों/वैज्ञानिकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यह परिषद इसके शासी बोर्ड (बोर्ड आफ गवर्नर्स) के समग्र निर्देशन और दिशा-निर्देशन के तहत कार्य करती है, जिसे वैज्ञानिकों/अधिकारियों को विदेश प्रशिक्षण भेजने के लिए मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है। प्रशिक्षण कार्यक्रम दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन अवधि के होते हैं। दीर्घकालीन अवधि के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए यह सीमा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के मामले में 57 वर्ष है। दीर्घकालीन प्रशिक्षण सामान्यतया केवल एक बार दिया जाता है जबकि अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए किसी अधिकारी को तीन वर्ष के अंतराल के बाद भेजने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और इसके संस्थानों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वैज्ञानिकों/अधिकारियों में उनके संबंधित विषयों, जिनमें उन्होंने व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया है, में प्रायोजित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थाओं तथा उनके अधिकारियों की क्षमता निर्माण का एक हिस्सा है और उनके अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग उनके अपने संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। तथापि, किसी भी अधिकारी को दूसरी बार उसी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) सामान्यतया, विदेश दौरों के लिए गैर-सरकारी संगठनों से प्रत्यक्ष निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाता है। तथापि, दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अलावा किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा धन दिया जा रहा हो, तो विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए एफ.आर.सी.ए. अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी लेनी होती है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार परियोजना 1995-96

क्षेत्र	प्रशिक्षणार्थी का नाम	संस्थान	देश, जिनका दौरा किया	प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार
1	2	3	4	5
त्रैमासिक प्रशिक्षण				
	1. श्री एम.एस. गरब्याल	भा.वा.अनु. एवं शि. परिषद्	यू.के.	वही पद, जिससे प्रशिक्षण पर भेजा गया था
अनुसंधान प्रबंधन				
	2. श्री आर.सी. सक्सैना	-वही-	यू.के.	-वही-
	3. श्री अलिन्द रस्तोगी	-वही-	यू.के., यू.एस.ए.	-वही-
	4. श्री एस.के. सिंह	आई.ई.पी.	यू.के.	-वही-
प्लांटिंग स्टाक सुधार				
	1. श्री पी.सी. गुप्ता	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2. डा. वीना चन्द्रा	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	3. श्री परमजीत सिंह	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	4. श्री आर.सी. थपलियाल	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	5. श्री जे.एम.एस. चौहान	-वही-	आस्ट्रेलिया	-वही-
	6. श्री एस.ए. अंसारी	टी.एफ.आर.आई, जबलपुर	यू.के.	-वही-
अनुसंधान प्रणाली सहायता				
	1. श्री आर.एस. नेगी	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री के.के. शर्मा	-वही-	यू.के., यू.एस.ए.	-वही-

1	2	3	4	5
	3. डा. एम.एन. झा	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	आस्ट्रेलिया	वही पद, जिससे प्रशिक्षण पर भेजा गया था
	4 श्री पी. खुल्लर	-वही-	आस्ट्रेलिया	-वही-
	5. श्री के.जी. प्रमाद	-वही-	आस्ट्रेलिया	-वही-
	6 श्री एम.वी. सिंह	-वही-	न्यूजीलैंड	-वही-
	7. श्री वी.एम. वारे	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	8. श्री एस.एस. राजपूत	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	9. श्री के.एस. शुक्ल	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	10. श्री वी.के. वधवा	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	11. श्री आर.के. पुनहनी	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	12. सुश्री लक्ष्मी चौहान	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	13. श्री ए.एन. शुक्ल	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	14. श्री एस.एन. खान	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	15. श्री ए.के. शाह	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	16 श्री के.सी. जोशी	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	17. सुश्री अनीता श्रीवास्तव	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
पुस्तकालय				
	1. श्री अनिल ओबराय	आई.सी.एफ.आर.ई.	यू.के.	-वही-
	2 श्री [illegible].के. तिवारी	आई.एस.एफ. एवं ई.आर., इलाहाबाद	यू.के.	[illegible]-

1	2	3	4	5
	3. श्री गंगा प्रसाद	आई.एस.एफ. एवं ई.आर., इलाहाबाद	यू.के.	वही पद, जिससे प्रशिक्षण पर भेजा गया था
	4. श्री एस.बी. सिंह	-वही-	यू.के.	-वही-
	5. श्री वी.एस. मिश्रा	-वही-	यू.के.	-वही-
	6. श्री टी. धनुसकोटी	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	यू.के.	-वही-
सांख्यिकीय यूनिट				
	1. श्री बिपिन बिहारी	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.के.	-वही-
	2. सुश्री संगीता सिंह	आई.एस.एफ. एवं ई.आर., इलाहाबाद	यू.के.	-वही-
	3. श्री ए.के. रैना	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.के.	-वही-
कीट विज्ञान				
	1. श्री मुख्तार अहमद	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री एच.आर. खान	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	3. श्री एस.एस.आर. पिल्लै	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	यू.एस.ए.	-वही-
	4. श्री ए.पी. सिंह	एफ.आर.वाई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	5. श्री आर.एस. भंडारी	-वही-	स्वीडन	-वही-
प्रदूषण नियंत्रण	1. श्री एस.के. अग्रवाल	एफ.आर.आई., देहरादून	स्वीडन	-वही-
विपणन	1. श्री बी.के. सेथी	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री नरेन्द्र कुमार	ए.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
वृक्ष सुधार	1. श्री एस.एस. बिश्वास	एफ.आर.आई., देहरादून	जर्मनी	-वही-
	2. श्री टी.सी. पोखरियाल	-वही-	जर्मनी	-वही-

1	2	3	4	5
	3. सुश्री आर. यशोदा	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	आस्ट्रेलिया	वही पद, जिसमें प्रशिक्षण पर भेजा गया
	4. श्री एस.एस.आर. बानेत	-वही-	आस्ट्रेलिया	-वही-
	5. श्री पी. पुगलेन्दी	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	6. श्री आई.डी. आर्या	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	आस्ट्रेलिया	-वही-
	7 श्री पलानिस्वामी	-वही-	आस्ट्रेलिया	-वही-
जैव उर्वरक	1. श्री एम.डी. मेहरोत्रा	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री वाई.पी. सिंह	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	3. श्री एन.एस.के. हर्ष	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
	4. श्री वी. नाथ	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	5. श्री आर.के. बोरहा	आई.आर.एम.डी.एफ.आर., जोरहाट	यू.एस.ए.	-वही-
	6. श्री आर.के. तिवारी	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
जल प्रबंधन	1. श्री वी.एस.के. कुमार	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	आस्ट्रेलिया	-वही-
	2. सुश्री नीलम वर्मा	ए.एफ.आर.आई. जोधपुर	आस्ट्रेलिया	-वही-
बीज प्रौद्योगिकी	1. श्री ओमबीर सिंह	एच.एफ.आर.आई., शिमला	यू.एस.ए.	-वही-
कृषि वानिकी	2. श्री आर.पी. सिंह	-वही-	केन्या	-वही-
काष्ठ प्रौद्योगिकी	1 डा इन्द्र देव	एफ.आर.आई., देहरादून	न्यूजीलैंड	-वही-
	2. श्री एस.एस. चौहान	टी.डब्ल्यू.एस.जे., बंगलौर	-वही-	-वही-
	3 श्री के.एस. पुरूथी	एफ.आर.आई., देहरादून	-वही-	-वही-
	4. श्री एन.के. उपरेती	आई.डब्ल्यू.एम.टी., बंग्लौर	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5
गैर-काष्ठ वन उत्पाद	1. श्री एस.एस. बिसेन	टी.एफ.आई.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	वही पद, जिससे प्रशिक्षण पर भेजा गया
वन उत्पादों की रसायनिकी	1. श्री ए.के. पांडे	आई.आर.एम.डी.एफ.आर., जोरहाट	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री सी.आर. रंगास्वामी	आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर	यू.एस.ए.	-वही-
वनस्पति प्रबंधन	1. श्री आदर्श कुमार	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	आस्ट्रेलिया	-वही-
परती भूमि विकास	1. श्री राजेन्द्र प्रसाद	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	आस्ट्रेलिया	-वही-
	2. श्री जी.आर. कचवाहा	-वही-	आस्ट्रेलिया	-वही-
उद्गम स्थल परीक्षण	1. श्री एम. युसुफ	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	आस्ट्रेलिया	-वही-
उद्गम स्थल चयन परीक्षण	1. डी. कुमार	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	आस्ट्रेलिया	-वही-
काष्ठ जैव-अवक्रमण	1. श्री एच.एस. अनंतपद्मनाभन	आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर	यू.एस.ए.	-वही-
जैव-विविधता	1. श्री एन. कुमार	राज्य	यू.एस.ए.	
	2. श्री एन. नंदा	राज्य	यू.एस.ए.	
नौ मास का प्रशिक्षण				
अनुसंधान प्रणाली सहायता	1. श्री सुधीर सिंह	आई.आर.एम.डी.एफ.आर., जोरहाट	यू.एस.ए.	-वही-
बारह मास का प्रशिक्षण				
अनुसंधान प्रणाली सहायता	1. सुश्री सुषमा महाजन	एफ.आर.आई., देहरादून	कनाडा	-वही-
	2. श्री पी.एच. धवन	आई.आर.एम.डी.एफ.आर., जोरहाट	जर्मनी	-वही-
	3. श्री बी.पी. तिवारी	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	जर्मनी	-वही-
	4. श्री बी.बी. जगराजन	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	यू.एस.ए.	-वही-

वर्ष 1995-96 के दौरान कुल व्यय = 1675786.00 अमरीकी डालर

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार परियोजना 1996-97

क्षेत्र	प्रशिक्षार्थी का नाम	संस्थान	जिन देशों का दौरा किया	प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार
1	2	3	4	5
तीन महीने का प्रशिक्षण				
प्लांटिंग स्टाक सुधार	1. श्री डी.वी. नेगी	एच.एफ.आर.आई., शिमला	यू.के.	वही पद, जिससे प्रशिक्षण पर भेजा गया था
	2. श्री ए. उपाध्याय	राज्य	यू.एस.ए.	
	3. श्री एस.के. खंडूरी	राज्य	यू.एस.ए.	
अनुसंधान प्रणाली सहायता	1. श्री एल.एस. [illegible]	आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2 श्री रामेश्वर दयाल	-वही-	आस्ट्रेलिया	-वही-
	3. श्री सी.एन. पांडे	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	4 श्री एन. राव	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	यू.एस.ए.	-वही-
	5. श्री वो.के. जैन	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
कंप्यूटर अनप्रयोग	1. श्री अमरीश कुमार शर्मा	आई.सी.एफ.आर.इ., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
बीज प्रौद्योगिकी	1. श्री एच.बी. नैथानी	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री एम.एम.एस. राणा	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
जैव उर्वरक	1. श्री राम कीर्ति वर्मा	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
वृक्ष सुधार	1. श्री सुभाष नौटियाल	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री मोहन वर्गीज	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर		
प्रदूषण नियंत्रण	1. श्री के.एस. भंडारी	एफ.आर.आई., देहरादून	स्वीडन	-वही-
वन बीज उत्पादन	1. सुश्री एम. कुन्डू	आई.आर.एम.डी.एफ.आर., जोरहाट	यू.एस.ए.	-वही-

1	2	3	4	5
जैव विविधता	1. श्री अनिल जोशी	राज्य	यू.एस.ए.	
	2. श्री एस.के. गुलेरिया	राज्य	यू.एस.ए.	
दो माह का प्रशिक्षण				
वन नीति	1. श्री सी.एस. वेदांत	पर्यावरण और वन मंत्रालय	यू.के.	
	2. श्री एल.के. तिवारी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
	3. श्री जे.सी. काला	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	यू.के.	
	4. श्री आर.एस. शर्मा	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	यू.के.	
नौ माह का प्रशिक्षण				
अनुसंधान प्रणाली सहायता	1. श्री वी.पी. पंवार	एच.एफ.आर.आई., शिमला	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री एस. विश्वनाथ	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-

1996-97 के दौरान कुल व्यय = 633373.00 अमरीकी डालर

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार परियोजना 1997-98

क्षेत्र	प्रशिक्षार्थी का नाम	संस्थान	जिन देशों का दौरा किया	प्रशिक्षण के पश्चात् रोजग
तीन माह का प्रशिक्षण				
प्लांटिंग स्टाक सुधार	1. श्री एन.एस. एस्ट	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	वही पद f प्रशिक्षण पर गया था
	2. श्री आर.एस.सी. जयराज	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	यू.एस.ए.	-वही-
	3. श्री एस. कुमार	राज्य	यू.एस.ए.	
	4. श्री प्रबीन कतोकी	राज्य	यू.एस.ए.	
	5. श्री कल्याण चक्रवर्ती	राज्य	यू.एस.ए.	

1	2	3	4	5
	6. श्री जी.के. आहूजा	राज्य	यू.एस.ए.	
	7. श्री डी.वी. गुडे	राज्य	यू.एस.ए.	
	8. श्री देवेन्द्र कुमार	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	यू.एस.ए.	-वही-
अनुसंधान प्रणाली सहायता	1. श्री शशि कुमार	आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री एम.एस. नेगी	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	3. श्री जी.एस. रावत	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	4. श्री पी. श्रीवास्तव	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
	5. श्री राजेश कुमार	आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
	6. श्री अनूप कुमार	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	7. श्री आर.के. जोतिष	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	8. श्री आर.के. शर्मा	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
	9. श्री के.एस. रेड्डी	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
	10. श्री ओंकार सिंह	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	यू.एस.ए.	-वही-
	11. डा. शामिला कालिया	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
	12. डा. एन.सी. पंत	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
	13. डा. संजय नैथानी	आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
पुस्तकालय	1. श्री अरूणेश कुमार	आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून	यू.के.	-वही-
	2. श्री ओ. मरिप्पन	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर	यू.के.	-वही-
	3. सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.के.	-वही-
	4. सुश्री अनुराधा भाटी	टी.एफ.आर.आई., जोधपुर	यू.के.	-वही-
	5. श्री सी.एम. नागराजनमूर्ति	आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर	यू.के.	-वही-

1	2	3	4	5
वृक्ष सुधार	1. श्री एस.के. शर्मा	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
कीट विज्ञान	1. डा. आर.के. ठाकुर	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	-वही-
गैर-काष्ट वन उत्पाद	1. श्रीमती अलका भार्गव	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वही-
उद्‌गम स्थल चयन	1. श्री के.एस. सेठी	ए.एफ.आर.आई., जोधपुर	यू.एस.ए.	-वही-
ऊतक संवर्धन	1. श्री एच.सी. सिंधुवीरेन्द्र	आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर	यू.के.	-वही-
काष्ठ जैव-अवक्रमण	1. श्री के.एस. राव	आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर	यू.एस.ए.	-वही-
कृषि वानिकी	1. श्री आर. कृष्णमूर्ति	आई.एफ.पी., रांची	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री आर. पेडीप्पैया	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बतूर		
शीत मरूस्थल वनीकरण	1. श्री नवा बाहर	एच.एफ.आर.आई., शिमला	यू.एस.ए.	-वही-
	2. श्री वनीत जिसधु	-वही-	यू.एस.ए.	-वही-
पोषण चक्र	1. श्री के. राजेन्द्रन	आई.एफ.जी.टी.बी., कोयम्बटूर	आस्ट्रेलिया	-वही-
कैटामौरेन्स	1. श्री पी. नारायणाप्पा	आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर	यू.एस.ए.	-वही-
दो मास का प्रशिक्षण				
वन नीति एवं तैयारी	1. श्री डी.डी. शर्मा	पर्यावरण और वन मंत्रालय	यू.के.	
	2. श्री ए. वधवा	पर्यावरण और वन मंत्रालय	यू.के.	
	3. श्री आर.के. सिन्हा	पर्यावरण और वन मंत्राल	यू.के.	
	4. श्री वी.एन. पांडे	पर्यावरण और वन मंत्रालय	यू.के.	
	5. श्री बलबीर चंद्र	पर्यावरण और वन मंत्रालय	यू.के.	
	6. सुश्री अर्चना सिंह	पर्यावरण और वन मंत्रालय	यू.के.	
बारह मास का प्रशिक्षण				
अनुसंधान प्रणाली सहायता	1. श्री राज कुमार वर्मा	टी.एफ.आर.आई., जबलपुर	यू.एस.ए.	-वहा-
	2. श्री एच.बी. वशिष्ठ	एफ.आर.आई., देहरादून	यू.एस.ए.	

1997-98 के दौरान कुल व्यय - 770412.00 अमरीकी डालर

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केरल को बिजली की बिक्री

5655. श्री ए.सी. जोस : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल को विद्युत की बिक्री करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) केरल द्वारा विद्युत वित्त निगम को आज तक देय राशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) केरल राज्य बिजली बोर्ड ने पूर्वी क्षेत्र में स्थित एन.टी.पी.सी. के विद्युत स्टेशनों से 100 मे.वा. विद्युत की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ विद्युत क्रय समझौता निष्पन्न किया था। इस समझौते के अनुसार केरल राज्य बिजली बोर्ड ने दिनांक 1.2.98 और 15.7.98 तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से विद्युत की खरीद की है।

(ख) वर्तमान में केरल राज्य बिजली बोर्ड पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन की कोई बकाया नहीं है।

पंचायत संचार सेवा योजना

5656. श्री अभय सिंह एस. भोंसले :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंयाचत संचार सेवा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) पंचायत संचार सेवा योजना (पी.एस.एस.वाई.) पहली बार वर्ष 1995-96 के दौरान उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात में शुरू की गई थी। इस वर्ष के दौरान, 509 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लक्ष्य की तुलना में 497 केन्द्र खोले गए।

1996-97 में हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में यह योजना शुरू की गई और 250 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में, 173 केन्द्र खोले गए। पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए बाद के वर्षों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

लंबित टेलीफोन कनेक्शन

5657. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों आदि को प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने के अनेक मामले लम्बे समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है तथा ये कितने समय से लंबित पड़े हैं; और

(ग) ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान किए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों आदि को प्राथमिक आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए इन्हें एन.ओ.वाई.टी. विशेष श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है।

कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में एन.-ओ.वाई.टी. विशेष श्रेणी के अंतर्गत पिछले एक वर्ष के दौरान पंजीकृत केवल 31 मामले लंबित पड़े हैं।

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में 30.6.98 की स्थिति के अनुसार एन.ओ.वाई.टी. विशेष श्रेणी के अंतर्गत 1903 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ग) कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ही दूरसंचार सर्किलों में वर्ष 1998-99 के दौरान इन टेलीफोन कनेक्शनों को प्रदान करने की योजना है।

विभागीय प्रोन्नति समितियों की सिफारिशों का क्रियान्वयन

5658. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन महानिदेशालय, दिल्ली के कार्यालयों में ऐसे मामले हैं जिनमें विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा 1997 से की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन को रोक कर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) विभागीय प्रोन्नति समितियों की इन लम्बित सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) 1997 से अब तक आयोजित की गई विभागीय प्रोन्नति समितियों की और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई कोई सिफारिश आकाशवाणी और दूरदर्शन महानिदेशालय, दिल्ली के कार्यालयों में कार्यान्वयन के लिए लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के आबंटन में अनियमितताएं

5659. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सोनीपत (अम्बाला अंचल) में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के आबंटन में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आवेदन-पत्रों के साथ छेड़छाड़ करने तथा एस.टी.डी., पी.सी.ओ. आदि प्रदान न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के आधार पर पहले वाली समितियों द्वारा किए गए आबंटन आस्थगित कर दिए गए थे। तत्पश्चात्, एक तीन सदस्यीय समिति ने अप्रैल, 1998 में मामले की जांच की और संशोधित विभागीय नियमों, जिनमें वर्तमान प्रतीक्षा सूची का होना अपेक्षित है, के अनुसार नए सिरे से आवेदन-पत्र मंगाने का सुझाव दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया। जून, 1998 में नई आबंटन समिति का गठन किया गया लेकिन न्यायालय में मामला दर्ज होने के कारण, समिति की बैठकें नहीं हो पा रही हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष रियायत दाखिला

5660. श्री बी.एम. मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए विशेष रियायत दाखिला संबंधी समिति की रचना तथा इसके अधिकार और कार्य क्या है;

(ख) क्या इस समिति का गठन प्रत्येक सत्र में होगा अथवा यह कुछ खास अवधि के लिए स्थायी समिति है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा अपर सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और विधि कार्य विभाग (विधि मंत्रालय) का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार की श्रेणी से कम का न हो, सदस्य के रूप में है। विशेष छूट के दाखिलों को उपर्युक्त समिति द्वारा 1998-99 के शैक्षिक सत्र से प्रारंभ करके निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।

देश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर/अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर

5661. डा. रवि मल्लू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने कम शक्ति वाले/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या स्टाफ की कमी के कारण कई कम शक्ति वाले/अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विभिन्न कम शक्ति वाले/अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों हेतु पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) हालांकि देश में इस समय 91 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा 646 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं तथापि स्टाफ की कमी के कारण 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर एवं 173 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पूरे समय कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रसार भारती ने कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों पर उपयुक्त रूप से स्टाफ की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है ताकि अक्तूबर, 1998 के पहले सप्ताह से पूर्णकालिक प्रसारण संभव हो सके।

[हिन्दी]

बिहार में पाकुड़ स्थित टेलीविजन ट्रांसमीटर

5662. श्री सोम मरांडी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में पाकुड़ में टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकुड़ में टेलीविजन टावर निर्माणाधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त टावर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अबाधित विद्युत आपूर्ति

5663. श्री भगवान शंकर रावत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्देश दिया था कि डीजल जेनरेटर के प्रदूषण से ताज महल को बचाने के लिए गांवों/ताज ट्रेपीजियम जोन के क्षेत्रों को अबाधित विद्युत आपूर्ति की जाये;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक सरकार विद्युत आपूर्ति करने में सफल रही है तथा कब तक यह अबाधित विद्युत आपूर्ति कर पाएगी; और

(ग) अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए शामिल किए गए शामिल किए जाने वाले गांवों/क्षेत्रों के नाम क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने 1984 की रिट याचिका (सिविल) सं. 13381 के अंतर्गत श्री एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में अपने निर्णय में यह निदेश दिया कि ताज ट्रैपीजियम क्षेत्र को 100% विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत आपूर्ति परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक योजना आयोग द्वारा 99.54 करोड़ रु. की अतिरिक्त संस्वीकृत राशि का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

ताज ट्रैपीजियम के ग्रामों/क्षेत्रों को विद्युत की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुखत: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उच्चतम न्यायलय द्वारा निर्दिष्ट किए गए स्कीम के अनुसार इसका निष्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड आगरा के निकट निम्नलिखित उप केन्द्रों और 400 के.वी. पारेषण लाइन के निर्माण का कार्य भी कर रहा है।

1. 400 के.वी. आगरा-उन्नाव एस/सी लाइन।
2. 400 के.वी. आगरा (पावरग्रिड)-आगरा (उ.प्र. रा.वि.बो.) डी/सी. लाइन।
3. 400 के.वी. आगरा-मुरादनगर एस/सी. लाइन।
4. 400/220 के.वी. 3×315 एम.वी.ए., उप केंद्र, आगरा।

इन कार्यों के संपन्न होने पर ताज ट्रैपीजियम क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।

सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ता

5664. श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के महानगरों में नगर-वार कितने सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) क्या सेल्यूलर टेलीफोन सेवा शुरू करने से दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 31.5.93 की स्थिति के अनुसार महानगरीय शहरों में सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या 5,47,823 है। शहरवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) जी हां। सेल्यूलर टेलीफोन सेवा प्रारंभ करने से दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई है। दूरसंचार विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों के दौरान अर्जित अतिरिक्त राजस्व संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

31.5.98 की स्थिति के अनुसार सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या

महानगरीय शहर	सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या
दिल्ली	2,12,462
मुम्बई	2,41,894
कलकत्ता	50,540
चेन्नई	42,927
	5,47,823

सागौन के पेड़ लगाना

5665. **श्री वी.वी. राघवन :**
डा. सरोजा वी.

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत-सी कम्पनियों ने देश में सागौन के पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं और उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत-सी रियायतें और सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों के कार्य की जांच करने के लिए श्री पी.बी. गंगोपाध्याय की अध्यक्षता में कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीधे-सादे निवेशकों को इन कम्पनियों के चुंगल से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। बहुत सी कम्पनियों द्वारा देश में टीक की खेती आरम्भ की गई है, तथापि, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ऐसी कम्पनियों को कोई छूट अथवा सहायता नहीं दी जाती है।

(ख) से (घ) मंत्रालय में इन कंपनियों के कार्यकलापों की जांच के लिए श्री पी.बी. गंगोपाध्याय की अध्यक्षता में एक अन्तर-विभागीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी स्कीमों, जिनके बारे में ये कम्पनियां लिखतें यथा, एग्रो-बांड्ज, प्लांटेशन बांड्ज इत्यादि, जारी करती हैं, को सामूहिक निवेश स्कीमें माना जाएगा और ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की विनियामक परिधि में आएंगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एन.टी.पी.सी.

5666. **श्रीमती कमल रानी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जहानाबाद के किसानों को अपनी जमीनों की सिंचाई करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दिव्यापुर में नहर जल आपूर्ति करना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या दिव्यापुर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना के समय किसानों को आश्वस्त किया गया था कि जहानाबाद क्षेत्र को नहर जल आपूर्ति न होने की स्थिति में, निगम वहां की जल समस्या का समाधान करने के लिए नलकूप लगवाएगा; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित औरैया गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र (650 मे.वा.) की उ.प्र. सरकार के औरैया-इटावा फीडर कैनाल (पोषक नहर) से लिए 30 (तीस) क्यूसेक जल की आपूर्ति करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गया था कि नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) इस नहर से एन.टी.पी.सी. को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मात्रा की प्रतिपूर्ति करने के लिए 20 नलकूपों की लागत वहन करेगा। एन.टी.पी.सी. ने 20 नलकूपों की कुल लागत के संबंध में 165.7 लाख रुपये जमा कर दिए है जैसा कि उ.प्र. नलकूप निगम लिमिटेड और उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद् (एस.ई.बी.) द्वारा मांग की गई थी। एन.टी.पी.सी. ने सूचित किया है कि उ.प्र. सरकार के साथ हुए समझौते को पूरा करने के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा अपने औरैया विद्युत संयंत्र हेतु लिए जा रहे 30 (तीस) क्यूसेक पानी की भराई हेतु उ.प्र. नलकूप निगम लि. द्वारा फतेहपुर में अब नलकूप लगा दिए गए हैं।

एन.टी.पी.सी. औरैया-इटावा नहर के मंगलापुर वितरक नदी से पानी प्राप्त करता है। इस नहर से जल आपूर्ति उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। और दिव्यापुर, जिला-इटावा, उ.प्र. में नहर जल आपूर्ति करने से एन.टी.पी.सी. का कोई संबंध नहीं है।

मध्य प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

5667. श्री विजय कुमार झण्डेलवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विशेषकर मध्य प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों के गांवों में विद्युतीकरण पूरा नहीं होने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अंतर्गत ऋण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर प्रदान किया जाता है। रा.वि.बोर्डों को आर.ई.सी. द्वारा प्रदान किए गए एम.एन.पी. श्रेणी के ऋणों की ब्याज दर 12.5% वार्षिक है और ऋण वसूली की अवधि 5 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि समेत 30 वर्ष है। आर.ई.सी. ने चालू वर्ष 1998-99 के लिए एम.एन.जी. के अंतर्गत मध्य प्रदेश हेतु 20.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है।

(ग) मध्य प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों में गांवों का विद्युतीकरण किया जाना मध्य प्रदेश सरकार/एम.पी.एस.ई.बी. की प्राथमिकताओं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति की स्थिति और अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे पारेषण एवं वितरण प्रणाली और अन्य निवेशों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

ताप विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन

5668. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) ताप विद्युत परियोजनाओं से अभी तक उत्पादित विद्युत तथा गैर संयंत्रों को आपूर्ति की जा रही विद्युत का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान विद्युत के उत्पादन के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तथा वर्ष 1997-98 और अप्रैल-जून 1998 की अवधि के लिए उत्पादित वास्तविक विद्युत निम्नवत है:-

विद्युत उत्पादन (मि.यू.)

स्टेशन का प्रकार	1997-98		1998-99	अप्रैल, 98 से जून, 98 तक	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक
अखिल भारतीय					
थर्मल*	343800	336104	362000	89563	88770
(गैस)	(31859)	(35429)	(42580)	(10192)	(10546)
न्यूक्लियर	8500	10042	10000	2480	2[illegible]
हाइड्रो	76700	74476	78000	17574	
जोड़	429000	420622	450000	1096[illegible]	

*गैस सहित

त

क्या

राष्ट्रीय

किए गए

मैथॉन ताप विद्युत केन्द्र में रेल लाईन का निर्माण

5669. श्री सुनील खां : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैथॉन ताप विद्युत केन्द्र में कोयले को दुलाई के लिए रेल लाईन के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सी.आर.जेड. योजना

5670. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समुद्रीय ज्वार रेखा से 500 मीटर से अधिक की दूरी वाले तटीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए सी.आर.जेड. विनियमों पर विचार कर रहा है;

(ख) गोवा में उन तटीय क्षेत्रों की लम्बाई कितनी है जिनके आगे सी.आर.जेड. विनियम लागू होते हैं;

(ग) उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए इनका वैधानिक औचित्य क्या है;

(घ) क्या मुम्बई, गोवा समुद्री तट पणजी के बारे में उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि तटवर्ती क्षेत्र से 2 कि.मी. दूर स्थित क्षेत्रों को तटवर्ती क्षेत्र नहीं माना जा सकता;

(ङ) यदि हां, तो उक्त टिप्पणी में वर्णित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(च) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और **(ख)** भारत सरकार ने अपनी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के द्वारा समुद्र की हाईटाइड लाइन से (भूमि की ओर) 500 मीटर तक तथा लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच की भूमि में ज्वारीय क्रिया से प्रभावित तटीय क्षेत्र, खाड़िया, नदी मुहानों, क्रीकों तथा बैकवाटर को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। हाई टाइड लाइन की दूरी जिस पर नदियां क्रीक तथा बैकवाटर के मामले में विनियमन लागू होगा, 100 मीटर अथवा क्रीक, नदियों अथवा बैकवाटर की चौड़ाई, जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) से (ङ) मुम्बई उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 333/93 में विविध सिविल आवेदन सं. 403/94 के मामले में दिनांक 20 फरवरी, 1995 के अपने आदेश में उल्लेख किया कि "प्रारंभ में जहां तक इस संबंध है हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि क्या कमरों से सेट का निर्माण तटीय विनियमन क्षेत्र में पड़ता है अथवा नहीं अथवा क्या यह समुद्र के किनारे (बीच) अथवा समुद्रअग्र पर स्थित है अथवा माण्डवी नदी के किनारे स्थित है।" इसलिए न्यायालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना की वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

(च) सरकार ने यह नोट किया है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

आई.आर.सी.सी. में आरक्षण नीति

5671. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आर.सी.सी. में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के योग्य अफसरों की 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान आरक्षण नीति का खुलेआम उल्लंघन करके प्रोन्नति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खुली बाजार की रिक्तियां सामान्य कर्मचारियों को दे दी गई हैं तथा डी.ओ.पी.टी. विविधीकरण आदेश अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 1991-93 के दौरान क्रियान्वित नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) जनवरी, 1998 के दौरान आई.आर.सी.सी. को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जारी किए गए निदेश का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त निदेश को क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। तथापि, डी.पी.सी. की परवर्ती समीक्षा के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. के उन सभी पात्र कर्मचारियों को, जिनकी पदोन्नति 1991. 1992 और 1993 में प्रभावी हुई थी, आरक्षण नीति के आधार पर राष्ट्रपति जी के निदेशानुसार पदोन्नत कर दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं।

(ग) और (घ) कोई नया कार्य शुरू करने पर लगे प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निगम में पिछले 10 वर्ष से भी अधिक समय से कोई खुली भर्ती नहीं की गई है। 1991 से 1993 के दौरान कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु 30 खुली बाजार रिक्तियों को उपयोग में लाया गया। सा.क्षे.उ. में डी.ओ.पी.टी विविधीकरण आदेश की बजाय अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण के बारे में राष्ट्रपति जी के निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने 29 जनवरी, 1998 के अपने पत्र के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के बारे में कुछेक टिप्पणियां की हैं जिनके अनुपालन किया गया है।

बिहार में "वायरलेस इन लोकल लूप" सुविधा

5672. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन एक्सचेंजों में "वायरलेस इन लोकल लूप" सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) देश के प्रमुख शहरों में बेतार स्थानीय लूप (डब्ल्यू.आई.एल.एल.)-प्रौद्योगिकी प्रदान करने हेतु अभी तक दो निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तथापि, जहां तक बिहार सहित ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, उक्त क्षेत्रों में एम.ए.आर.आर. प्रणालियां प्रदान की गई हैं, जो बेतार आधार पर ही काम करती हैं।

मृदा संरक्षण की योजना

5673. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण से संबंधित किसी योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नौवीं योजना में भी जारी रखी जा रही हैं। अभी यह 17 राज्यों, नामत: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही हैं। 1998-99 के लिए राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आवंटन संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक लक्ष्य (हैक्टेयर)	वित्तीय आवंटन (अस्थायी) (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10300	600
2.	असम	1300	50
3	बिहार	23700	500
4.	गुजरात	9688	380

1	2	3	4
5.	हिमाचल प्रदेश	8000	500
6	जम्मू और कश्मीर	7292	550
7.	कर्नाटक	42000	1000
8.	केरल	1000	50
9.	मध्य प्रदेश	25000	1050
10.	महाराष्ट्र	24000	1000
11.	उड़ीसा	6000	250
12.	राजस्थान	22000	1100
13.	सिक्किम	1000	50
14.	तमिलनाडु	6500	500
15.	त्रिपुरा	1000	50
16.	उत्तर प्रदेश	1900	220
17.	पश्चिम बंगाल	3800	250
	योग	194480	8100

निदेशिका पूछताछ के लिए कन्नड़ में रिकार्डेड उत्तर

5674. श्री एन.जी. रामुलू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के दूरसंचार जिले में विशेषरूप से धारवाड़ दूरसंचार जिले में हिन्दी में निदेशिका पूछताछ तथा ट्रंक बुकिंग के लिए रिकार्डेड उत्तर उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दी उत्तर को कन्नड़ भाषा में बदलने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं, धारवाड़ दूरसंचार जिले को छोड़कर, जहां कन्नड़ और अंग्रेजी के अलावा परिवर्तित नम्बर घोषणा सेवा हिन्दी में भी उपलब्ध है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईमारती लकड़ी का उपयोग

5675. श्री एम. राजैया :
श्री पी.आर. किन्डिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1998 के "द इकोनामिक टाइम्स" में "रूपीज, 1,977 करोड़ टिम्बर रॉट्स इन एन.ई. पोस्ट एस.सी. बैन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) सरकारी अभिरक्षा वाले गोदामों में ईमारती लकड़ी स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि अन्य प्राकृतिक वासों को मृदा-विषाक्तता और महामारी से बचाया जा सके;

(ग) क्या सरकार ने वहां स्थापित प्लाईवुड और कलई चढ़ाने वाले कारखानों में ईमारती लकड़ी के उपयोग हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक जिले में औद्योगिक जोन स्थापित करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15.1.98 के आदेश के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को वनों में पड़ी जब्त की गई ईमारती लकड़ी सहित सूची में शामिल सभी इमारती लकड़ियों को तुरन्त विनिर्धारित वन डिपुओं में ले जाने के निदेश दिए हैं।

(ग) और (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से काष्ठ-आधारित

उद्योग स्थापित के लिए औद्योगिक सम्पदाएं अधिसूचित करने के निदेश दिए हैं। राज्य सरकारें औद्योगिक सम्पदाओं की पहचान तथा उन्हें अधिसूचित करने की कार्रवाई कर रही हैं।

[हिन्दी]

काल्हापुर, महाराष्ट्र में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाना

5676. श्री कल्लाप्पा आवाडे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसे क्षेत्रों से खराब प्रसारण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए है;

(ग) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इन अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) यद्यपि सभी ट्रांसमीटरों से प्रसारण की गुणवत्ता संतोषजनक होने की सूचना मिली है तथापि, मुख्य रूप से स्टाफ की कमी के कारण पूर्णकालिक प्रसारण उपलब्ध न कराने की बहुत से अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) प्रसार भारती ने स्टाफ की कमी का सामना कर रहे अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों पर उपयुक्त रूप से स्टाफ की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अक्तूबर, 1998 से पहले सप्ताह से इन ट्रांसमीटरों द्वारा पूर्णकालिक प्रसारण उपलब्ध करवाने की परिकल्पना है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में 42 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन करने से संबंधित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में किसी अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन नहीं किया जा रहा है। तथापि, नए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का कोल्हापुर जिले में महीपतगढ़ में स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को मंजूरी दिने एवं पर्याप्त संसाधनों, अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन हैं।

मरूस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

5677. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1996 में मरूस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यू.एन.सी.बी.डी. में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में महिलाओ की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक क्या सफलता अर्जित की गई है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने मरूस्थलीकरण का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर अक्तूबर, 1994 में हस्ताक्षर किए थे और दिसम्बर, 1996 में इसका अनुसमर्थन किया था। मरूस्थलीकरण का सामना करने के लिए कन्वेंशन में दर्शाई गई कार्यनीति व्यापक जन-भागीदारी पर आधारित है। एरिड क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों सहित अन्य सभी क्षेत्रों में वनीकरण और मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार के पास अनेक कार्यक्रम और स्कीमें हैं। इन स्कीमों की एक व्याख्यात्मक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ये स्कीमें महिलाओं सहित स्थानीय लोगों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाती है।

विवरण

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय

1. एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम।

2. क्षेत्रोन्मुख ईंधन-लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम।

3. औषधीय पादप स्कीम सहित गैर-इमारती लकड़ी उत्पाद।

4. स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान सहायता।

5. अवक्रमित वनों में पुन: वनस्पति लगाने के कार्यों में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों की साझेदारी।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

1. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)।

2. सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम।

3. जवाहर रोजगार योजना।

4. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम।

5. रोजगार आश्वासन स्कीम।

(ग) कृषि मंत्रालय

1. नदी घाटी परियोजनाओं मे कैचमैंट क्षेत्र में मृदा संरक्षण।

2. इंडो-गंगा बेसिन की बाढ़ की आशंका वाली नदियों में एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन।

समाज के गरीब वर्गों को शिक्षा

5678. श्री मित्रसेन यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समाज के गरीब वर्गों के बच्चों को रोजगारोन्मुख शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) तकनीकी शिक्षा अधिकांशत: रोजगारोन्मुखी है। सामुदायिक पालिटेक्निक योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण विशेषत: महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों सहित बेरोजगार/अल्प रोजगार प्राप्त युवकों, स्कूल/कालेज बीच में छोड़ जाने वालों, शोषित तथा लाभवंचित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश सामान्यतया प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार की कई संस्थाएं भी समाज के निर्धन वर्गों के लिए योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक भी तकनीकी संस्थाओं में छात्रों के लिए ऋण सुविधाओं पर विचार करते हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन में महिलाओं को दर्शाना

5679. श्री चेतन चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक महिला उन्मुखी कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं को सकारात्मक रूप से दर्शाने के लिये दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर एवं क्षेत्रीय नेटवर्कों से महिला-उन्मुख प्रसंगों पर काफी संख्या में कार्यक्रम प्रसारित करता है। यदि और प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन संहिता एवं दूरदर्शन के लिए वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता में पहले से ही महिलाओं के चित्रण से संबंधित मार्ग-निर्देश निहित हैं। ये मार्ग-निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करते हैं कि महिलाओं का ऐसे ढंग से चित्रण नहीं किया जाना चाहिए जो उनमें निष्क्रियता और दब्बूपन वाले गुणों को बढ़ावा दें और उन्हें परिवार और समाज में एक आश्रित

और गौण भूमिका निभाने के लिए उकसायें। वस्तुतः दूरदर्शन महिलाओं को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए दूरदर्शन पर महिलाओं को अधिकार देने वाले कार्यक्रमों को भी प्रस्तुत करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव क्षेत्रों का विनिमय

5680. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले चुनावों में आरक्षित चुनाव-क्षेत्रों को सामान्य चुनाव क्षेत्रों के साथ विनिमय करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विनिमय के लिये क्या मानदंड अपनाये जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन निर्माण केन्द्र

5681. **श्री मंजुनाथ अयानूर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिमोगा (कर्नाटक) में दूरदर्शन निर्माण केन्द्र स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। फिलहाल शिमोगा में दूरदर्शन निर्माण केन्द्र की स्थापना करने संबंधी कोई स्वीकृत स्कीम नहीं है। नए निर्माण केन्द्रों पर निर्णय लेने जैसे मामले अब प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध

5682. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन दिये जाने पर प्रतिबंध है;

(ख) यह प्रतिबंध विभिन्न राज्यों में क्रमानुसार किन-किन वर्षों में लगाया गया है तथा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में दी गई छूट, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बनाए गए प्रावधानों के कठोर अनुपालन हेतु किए गये प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खेलकूद में आदिवासी बच्चों के लिए योजना

5683. **श्री विजय सिंह सोय :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आदिवासी बच्चों को खेलकूद में प्रशिक्षण तथा भाग लेने के संबंध में किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार खेलकूद के क्षेत्र में कर्नाटक के उत्तरी कनारा के सिद्धियों के विकास के लिए योजनाओं को जारी रखेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण पहले से ही विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस.ए.जी.) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत अधिकांशतः जनजातीय, पर्वतीय तथा तटीय क्षेत्रों से संबंधित प्रतिभाशाली बच्चों (गैर-जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित बच्चे भी) का चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न एस.ए.जी. केन्द्रों में प्रशिक्षित किए जा रहे एस.ए.जी. प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) जी, हां। सिद्धि समुदाय के चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को मेदीकेरी, धारवाड़ और बंगलौर में स्थित दक्षिणी क्षेत्र में एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	खेल विधा	क्षमता	योग
1	2	3	4	5
1.	आइजोल	मुक्केबाजी	14	
		जूडो	04	18
2.	इम्फाल	मुक्केबाजी	21	
		जूडो	12	
		कुश्ती	10	
		भारोत्तोलन	12	55
3.	अलेप्पी	कैनोइंग	12	
		कायकिंग	31	
		रोइंग	24	67
4.	तेल्लीचेरी	जिम्नास्टिक्स	13	
		एथलेटिक्स	05	19
5.	रांची	हाकी	15	
		एथलेटिक्स	02	
		तीरंदाजी	11	28
6.	पोर्ट ब्लेयर	कायकिंग	15	
		कैनोइंग	11	
		रोइंग	16	
		साइक्लिंग	14	
		फुटबाल	20	76

1	2	3	4	5
7.	जगतपुर	क्याकिंग	04	
		कैनोइंग	03	
		रोइंग	05	12
8	दिल्ली	तीरंदाजी	30	
		फेन्सिंग	08	38
		योग	312	

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

5684. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990-91 के दौरान केन्द्रीय दूरभाष कार्यालय मुम्बई के कितने कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार को मृतकों के परिवार के सदस्यों से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अवधि के दौरान इस आधार पर कितनी नियुक्तियां की गई;

(ङ) कितने मामलों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अब तक नहीं दी गई है;

(च) इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे परिवारों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) :

(क) 17

(ख) जी हां।

(ग) 13 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की ओर से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) 12

(ङ) 1

(च) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामले पर पहले विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि पहली बार आवेदन करते समय आवेदक की आयु कम थी।

(छ) आवेदक ने अक्तूबर, 1996 में अपेक्षित पात्रता आयु पूरी की है और 1997 में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।

इस समय मामले पर कार्रवाई चल रही है और इस वर्ष इस पर निर्णय हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में घोषणा

5685. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान देश में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न जलमार्गों का अलग-अलग विकास करने के लिए अब तक कदम उठाए गए हैं तथा क्या प्रगति हुई है;

(ग) विभिन्न जलमार्गों के लिए इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसमें से कितनी धनराशि का राष्ट्रीय जलमार्ग-वार अब तक उपयोग हुआ है; और

(घ) उन राष्ट्रीय जलमार्गों पर कितने नदी पत्तन विकसित किए गए तथा उनकी क्या स्थिति है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : (क) सन् 1997-98 के दौरान कोई नया राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है।

(ख) *राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) सं. 1*

हल्दिया और पटना के बीच बंडालिंग और निकर्षण द्वारा 2 मी. गहरे नौगम्य चैनल का रख-रखाव किया जा रहा है। यह चैनल चिह्नांकित कर दिया गया है। कलकत्ता, हल्दिया, भागलपुर, मुंगेर और पटना के अतिरिक्त कारागोला में फ्लोटिंग टर्मिनल की व्यवस्था की गई है। पाइलटेज की व्यवस्था की गई है। नियमित रूप से जलीय सर्वेक्षण भी किए गए हैं तथा नदी नोटिस जारी किए गए हैं।

पटना में स्थायी टर्मिनल, कलकत्ता-फरक्का क्षेत्र में चौबीस घंटे नौवालन सुविधाओं तथा हाइड्रोलिक सर्फेस ड्रेजर की खरीद संबंधी स्कीमें अनुमोदित कर दी गई हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2

धुबरी और डिब्रूगढ़ के बीच बंडालिंग द्वारा 2 मी. की गहराई वाले नौगम्य चैनल का रख-रखाव किया गया है। यह चैनल चिह्नांकित किया गया है। धुबरी, जोगीघोपा, पांडु, तेजपुर और नीमती में फ्लोटिंग टर्मिनलों की व्यवस्था की गई है। नियमित रूप से जलीय सर्वेक्षण किए गए हैं। पाइलटेज की व्यवस्था की गई है। धुबरी-गुवाहाटी क्षेत्र में चौबीसों घंटे के लिए नौचालन सुविधाओं, हाइड्रोलिक सर्फेस ड्रेजर की खरीद, सर्वे लांच की खरीद तथा मैदिया और सैखोवा में फ्लोटिंग टर्मिनलों की व्यवस्था संबंधी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3

अनुरक्षण निकर्षण, चैनल चिह्नांकन, जलीय सर्वेक्षण तथा नौचालन घाटों की मरम्मत व रख-रखाव कार्य किए गए हैं। यंत्रीकृत कार्गो जलयानों द्वारा चंपाकारा नहर, उद्योगमंडल नहर और पश्चिम तटीय नहर के कोची-इडापल्लीकोट्टा खंड का उपयोग किया जा रहा है।

11 स्थानों पर टर्मिनलों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, नहर के संकरे खंडों को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण एवं कैपीटल निकर्षण और सर्वे लांच की खरीद संबंधी स्कीमें अनुमोदित कर दी गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग)		(करोड़ रु.)
1997-98		
रा.ज.-1		
आबंटन	-	6.01
व्यय	-	5.54 (अनंतिम)
रा.ज.-2		
आबंटन	-	2.78
व्यय	-	2.64 (अनंतिम)
रा.ज.-3		
आबंटन	-	10.23
व्यय	-	9.13 (अनंतिम)

(घ) **रा.ज. 1**

हल्दिया, कलकत्ता, कारागोला, भागलपुर, मुंगेर और पटना में फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध हैं। पाकुर और फरक्का में स्थायी टर्मिनल उपलब्ध हैं।

रा.ज. 2

धुबरी, जोगीघोपा, पनंडु, तेजपुर और नीमती में फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध हैं।

रा.ज. 3

उद्योगमंडल, अम्बालामुगल, कोची और इडापल्लीकोटा में टर्मिनल उपलब्ध हैं। ये टर्मिनल बल्क कार्गो मालिकों के स्वामित्व में हैं और वे ही इनका रख-रखाव करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्ययन

5686. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1998 को "दि संडे टाइम्स आफ इंडिया" में "वीमेन ओन ए माइन्यूस्कुल आफ वर्ल्ड्स वेल्थ: आई.एल.ओ." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के द्वारा तथा सरकार के स्वतंत्र आकलन से भारतीय महिला जनसंख्या के पास भारत में संपत्ति के कितने हिस्से का स्वामित्व है;

(ग) क्या संपत्ति का उचित हिस्सा उन्हें दिलाने के लिए कोई नीति तथा कार्ययोजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मार्च 1997 के "वर्ल्ड आफ वर्क" अंक में संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष (यूनिफेम) का हवाला देते हुए कहा है कि महिलाएं विश्व की कुल आय का केवल 10 प्रतिशत अंश अर्जित करती हैं तथा विश्व की सम्पत्ति का 10 प्रतिशत से भी कम अंश उनके स्वामित्वाधीन है, जिसका उल्लेख "दि संडे टाइम्स" में किया गया है। तथापि, इस प्रकाशन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भारतीय सम्पत्ति का कितना प्रतिशत भाग भारतीय महिलाओं के स्वामित्वाधीन है। तथापि, रिपोर्ट में ऐसे किसी अध्ययन का उल्लेख नहीं है, जिस पर यह वक्तव्य आधारित है। सरकार ने इस सम्बन्ध में अलग से कोई आकलन नहीं किया है।

(ग) और (घ) महिलाओं के सम्पत्ति पर अधिकार, जिसमें भूमि पर अधिकार भी शामिल है, तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करवा कर सरकार महिलाओं की आर्थिक शक्ति-सम्पन्नता के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1998-2000) की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे सभी विकासात्मक कार्यकलापों में पति तथा पत्नी दोनो के नाम से संयुक्त स्वामित्व प्रदान करें, जिनमें सम्पत्तियों का हस्तांतरण, जैसे अतिरिक्त भूमि की अधिकतम सीमा के लिए पट्टे, सरकारी तथा गांव की सार्वजनिक भूमि, आवास स्थल, मकान, वृक्षों के पट्टों तथा लाभोन्मुखी आर्थिक इकाइयां शामिल हैं। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन करें, ताकि संयुक्त हिन्दू परिवार में मृतक सहदायिकी की पुत्रियों को सहदायिकी सम्पत्ति में से सहदायिकी अधिकार प्रदान किये जा सकें। आयोत्पादक परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराने वाली स्कीमों जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 40% लाभ महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का आबंटन परिवार की महिला सदस्य अथवा पति तथा पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से किया जाता है।

तारकुंडे और गोस्वामी समितियों के प्रतिवेदनों की समीक्षा

5687. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुनावों में सुधार लाने के लिये वर्ष 1975 और 1990 के क्रमशः तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति के प्रतिवेदनों की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में चुनाव सुधार के मामले में राजनीतिक दलों और अन्य सम्बद्ध संगठनों के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (घ) सरकार ने, 22 मई, 1998 में हुई बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्तावों के एक सेट पर चर्चा की थी। इन प्रस्तावों में, अन्य बातों के साथ, तारकुंडे समिति/दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशें भी सम्मिलित हैं। इस बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसरण में, निर्वाचनों के सरकारी वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए प्रस्तावों का सुझाव देने और अन्य संबद्ध प्रस्तावो पर सिफारिशें करने के लिए भी, संसद सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। फिर भी, सरकार ने अभी हाल में पूर्वोक्त रिपोर्टों का कोई औपचारिक पुनर्विलोकन नहीं किया है।

[हिन्दी]

बाल विवाह प्रथा

5688. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री माधवराव पाटील :
श्री अनूप लाल यादव :
श्री राजवंशी महतो :
श्री पंकज चौधरी :
श्री आदित्यनाथ :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल विवाह प्रथा अभी भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस प्रथा को रोकने के लिए कोई विशेष उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। बाल विवाह की प्रथा देश के कुछ भागों में अभी भी विद्यमान है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया था, जिसे 1978 में संशोधित किया गया, ताकि लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष की जाये। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। भारत सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने और बाल विवाहों को रोकने के लिए जागृति विकास अभियान चलाने तथा अन्य उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से अनुरोध करती रही है।

आश्रम विद्यालय

5689. **श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे आश्रम विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1997-98 में दसवीं कक्षा की परीक्षा में इन विद्यालयों का परिणाम कैसा रहा; और

(ग) इन विद्यालयों में पढ़ा रहे योग्यता प्राप्त शिक्षकों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपनी समग्र शैक्षणिक आयोजना के अंग के रूप में स्थानीय जरूरतों तथा संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर आश्रम स्कूल स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया जाता है। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय है—सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की केंद्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है जिसका उद्देश्य प्राथमिक से लेकर कालेज स्तर तक अध्ययन की इच्छा रखने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इन आश्रम स्कूलों का प्रबंधन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है तथा ये उनके द्वारा ही चलाए जाते हैं। इसलिए आश्रम स्कूलों की संख्या, किसी खास कक्षा के परीक्षाफल तथा शिक्षकों की संख्या के बारे में इस मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

भूकंप

5690. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चट्टान खिसकने से भूमि कमजोर हो जाती है जिससे भूकंप आता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में बारंगी बांध भूकंप का कारण हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पृथ्वी के भीतर प्रतिबल

के संचयन के कारण भूकम्प आता है। प्रतिबल, प्लेट गतिविधियों की तरह भौगोलिक और भू-भौतिकीय परिघटना के कारण सृजित होता है। प्रतिबल की निर्मुक्ति कुछ अनुक्षीण मंडलों में होती है जिसके कारण चट्टानों का फटना और अनुभ्रंश मंडल में गतिविधियां होना है।

(ख) और (ग) जी नहीं। भूकम्पीय आंकड़ों से बारगी बांध के आस-पास के क्षेत्र में भूकम्पीयता प्रेरित भंडार होने का कोई संकेत नहीं मिलता।

[अनुवाद]

गुजरात में चक्रवात के कारण बिजली में बाधा

5691. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री दिलीप संघाणी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कच्छ और दूसरे जिलों में हाल ही में आए चक्रवात की वजह से कितने शहरों और गांवों की बिजली की सप्लाई में बाधा आई;

(ख) चक्रवात के कारण गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को बतौर मुआवजे कितनी धनराशि देने का निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) गुजरात के जिलों में हाल ही में आए चक्रवात के कारण प्रभावित हुए गांवों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) चक्रवात के कारण गुजरात बिजली बोर्ड को हुए नुकसान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विपदा राहत कोष से 58.06 करोड़ रुपये के लिए 29.03 करोड़ रुपये प्रति किस्त के हिसाब से दो किस्तें गुजरात राज्य को जारी कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है। सरकार केन्द्रीय दल, जिसने हाल ही में गुजरात का दौरा किया है, की सिफारिशों के आधार पर गुजरात विद्युत बोर्ड समेत राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की मात्रा के संबंध में निर्णय करेगी।

विवरण-I

गुजरात में अभी हाल ही में आए चक्रवात से प्रभावित गांवों की संख्या

क्र.सं.	जिला	प्रभावित गांवों की संख्या
1	2	3
दक्षिण क्षेत्र		
	जिला	
1.	वलसाड	787
2.	सूरत	518
3.	भड़ौच	1248
4.	बड़ौदा	1387
5.	बड़ौदा सी	0
6.	आनन्द	631
7.	गोधरा	155
	क्षेत्र जोड़	4726
उत्तर क्षेत्र		
	जिला	
8.	साबरमती	438
9.	सुरेन्द्रनगर	650
10.	मेहसाणा	951
11.	पालनपुर	1180
12.	हिम्मत नगर	515
	क्षेत्र जोड़	3754

1	2	3
पश्चिम क्षेत्र		
	जिला	
13.	राजकोट	910
14.	भावनगर	854
15.	जामनगर	714
16.	पोरबन्दर	872
17.	अमरेली	860
18.	भुज	894
	क्षेत्र जोड़	5104
	कुल जोड़	13564

विवरण-II

सम्पूर्ण गुजरात राज्य में आए चक्रवात के कारण नष्ट हुई पारेषण एवं वितरण प्रणाली का अनुमान

क्र.सं.	मद	मात्रा	यूनिट दर (लाख रु. में)	राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	एच.टी. लाईन कि.मी. में	16,447 कि.मी.	1.0	164.47
2.	एल.टी. लाईन कि.मी. में	14;154 कि.मी.	1.0	141.54
3.	ट्रांसफार्मर केन्द्र	7052	0.75	52.89
4.	सर्विस कनैक्शन			
	(क) थ्री फेंज	100000	0.006	6.0
	(ख) एकल फेज	500000	0.003	15.0
5.	पी.एस.सी. पोल्स	50,000	0.01	5.0
6.	पारेषण टावर	369	1.5	5.53
7.	"एच" फ्रेम स्ट्रक्चर	762	0.5	3.81

1	2	3	4	5
8.	कन्डक्टर्स	900 कि.मी.	1.1	9.9
9.	इंसुलेटर एवं हार्डवेयर	एल.एस.	–	4.0
10	विद्युत ट्रांसफार्मर	12	100.00	12.0
11.	उप-केन्द्र उपकरण	एल.एस.	–	4.0
12.	मजदूरी/सिविल कार्य	एल.एस.	–	20.0
			जोड़	444.14

[हिन्दी]

देश में विद्युत परियोजनाएं

5692. श्री रामदास आठवले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशी/विदेशी एजेंसियों के नाम क्या हैं जो भारत सरकार से कोई सहायता प्राप्त किए बिना अपने वित्तीय संसाधनों से देश में विद्युत परियोजनाएं चला रही हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और चलाने हेतु क्या नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) देश में ऐसी कोई विद्युत उत्पादन परियोजना नहीं है जो किसी विदेशी राष्ट्र/एजेंसी द्वारा क्रियान्वित हो रही है। तथापि, कुछ विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को विदेशी कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है/किया जा रहा है।

डिग्रियों को मान्यता

5693. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषरूप से मध्य प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा स्नातक (विधि) के पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा विभिन्न बार एसोसिएशन, जो इन डिग्रियों को मान्यता देते हैं, ने इन डिग्रियों को मान्यता देना बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित छात्रों को राहत पहुंचाने के लिए कोई उपाय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मेरठ विश्वविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में दाखिला

5694. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेरठ विश्वविद्यालय ने बी.एड. पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु बी.एड. प्रवेश-पत्र में अलग से एक जाति प्रमाण-पत्र फार्म लगाया था जिसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा उनके जाति प्रमाण-पत्र होने के बावजूद भरा जाना था,

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवेश पत्र में अलग से जाति प्रमाण पत्र लगाने हेतु मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी प्राप्त की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो मेरठ विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यह शर्त किस आधार पर लगाई गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को प्रवेश पत्र भरने देने हेतु पुन: विज्ञापन जारी करने का है जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नई शर्तों के कारण समय पर प्रवेश पत्र नहीं भर पाये?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कम्पनियों का पंजीकरण

5695. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्पनी पंजीयक द्वारा नयी कम्पनी के पंजीकरण के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी पंजीयक द्वारा पंजीकृत कम्पनियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजीयन के लिए कम्पनी पंजीयक के पास लंबित आवेदन-पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन लंबित आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) कम्पनी के सम्प्रवर्तकों के लिए प्रस्तावित कम्पनी के पंजीकरण से पूर्व 500 रु. के शुल्क साथ नामों की उपलब्धता के लिए निर्धारित फार्म (फार्म 1क) में सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) को आवेदन करना अपेक्षित है। इसके बाद सम्प्रवर्तकों के लिए संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तथा निर्धारित पंजीकरण शुल्क के साथ विधिवत स्टाम्प लगा फार्म 29 को फाइल करना अपेक्षित है। कम्पनी रजिस्ट्रार आवश्यक संशोधनों के लिए सम्प्रवर्तकों को निर्देश दे सकता है और स्वयं के सन्तुष्ट होने पर संशोधनों के बाद ही निगमन का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है तो कम्पनी के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा किए जाने को सूचित करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत कम्पनियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) कम्पनियों के पंजीकरण के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार के पास लम्बित आवेदनों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-II में संलग्न है।

(घ) और (ङ) कम्पनी रजिस्ट्रार को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं जिनमें उनसे तीन दिनों के अन्दर नाम की उपलब्धता बताने के लिए कहा गया है ताकि कम्पनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके।

विवरण-I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96			1996-97			1997-98		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	916	2845	3761	549	2544	3093	287	2053	2340
असम	28	232	260	18	225	243	11	290	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	175	537	712	184	481	665	142	447	589
गुजरात	919	2949	3868	441	2306	2747	159	1702	1861
हरियाणा	59	350	409	58	409	467	53	304	357
हिमाचल प्रदेश	22	89	111	30	81	111	25	78	103
जम्मू एवं काश्मीर	9	85	94	16	99	115	43	132	175
कर्नाटक	315	2334	2649	155	1585	1740	89	1412	1501
केरल	137	1232	1369	62	1044	1106	65	768	833
मध्य प्रदेश	250	1161	1411	175	932	1107	165	769	934
महाराष्ट्र	1212	9850	11062	661	7727	8388	471	6727	7198
मणिपुर	0	8	8	3	4	7	1	4	5
मेघालय	1	18	19	2	13	15	2	10	12
नागालैण्ड	0	6	6	0	18	18	0	7	7
उड़ीसा	70	369	439	64	400	464	32	352	384
पंजाब	233	1027	1260	157	946	1103	153	818	971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	239	1773	2012	130	1406	1536	76	1162	1238
तमिलनाडु	1208	4102	5310	661	2863	3524	295	2580	2875
त्रिपुरा	0	2	2	0	1	1	0	5	5
उत्तर प्रदेश	668	1239	1907	711	1206	1917	529	1093	1622
पश्चिम बंगाल	449	7680	8129	230	4597	4827	180	2905	3085
अरूणाचल प्रदेश	1	16	17	1	13	14	0	18	18
गोवा	15	215	230	13	207	220	5	193	198
चण्डीगढ़	112	318	430	154	339	493	149	337	486
दादर	11	13	24	2	11	13	2	7	9
दिल्ली	1637	9032	10669	994	7520	8514	754	5933	6687
दमण एवं दीव	5	7	12	4	8	12	2	5	7
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	1	1
मिजोरम	0	1	1	0	0	0	1	5	6
पांडिचेरी	37	108	145	13	78	91	8	68	76
योग	8728	47598	56326	5488	37063	42551	3699	30185	33884

विवरण-II

राज्य	30.6.1998 को पंजीकरण के लिए लंबित आवेदन
1	2
गुजरात	45
कर्नाटक	16
पश्चिम बंगाल	56
उड़ीसा	शून्य
दिल्ली	339
हरियाणा	43
केरल	1
मध्य प्रदेश	शून्य
आंध्र प्रदेश	15
राजस्थान	25
पंजाब	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	शून्य
उत्तर प्रदेश	16
तमिलनाडु	20
महाराष्ट्र	5274
बिहार	28
गोवा	5
संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी	शून्य
असम	शून्य
त्रिपुरा	शून्य
मणिपुर	शून्य
नागालैण्ड	शून्य
मेघालय	शून्य
अरूणाचल प्रदेश	शून्य
मिजोरम	शून्य
जम्मू और कश्मीर	शून्य

विश्व बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड को सुझाव

5696. डा. सुगुण कुमारी चलामेला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने संचारण और संवितरण घाटे को कम से कम करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार करने हेतु आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विश्व बैंक ने कोई सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(घ) उक्त सहायता कब तक मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने अगले 6-8 वर्षों में पारेषण और वितरण प्रणाली में आंशिक रूप से निवेशों का वित्त पोषण करने के लिए आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र को लगभग 1 बिलियन अमरीकी

डालर का ऋण प्रदान करने की इच्छा प्रकट की है। ऋण की राशि, जिसे 5 किस्तों में प्रदान किए जाने की आशा है, विश्व बैंक की "अनुकूल कार्यक्रम ऋण (ए.पी.एल.)" स्कीम के अंतर्गत है।

प्रथम ऋण को, जिसे अनुकूल कार्यक्रम ऋण-1 (ए.पी.एल.-1) कहा गया है, लगभग 150 मिलियन अमरीकी डालर का होने का अनुमान है। यह ऋण पारेषण और वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक उच्च प्राथमिकता प्राप्त निवेशों के लिए है। एपीएल-1 के अंतर्गत परिकल्पित कार्यों में विभिन्न वोल्टता स्तरों (220 के.वी. से लेकर 11 के.वी. तक) पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन करना, उप-केन्द्रों के साथ संयोजकों को सशक्त बनाना, उच्च आवर्तिता तथा बेहतर गुणवत्ता वाले उपभोक्ता मीटर, ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु फीडर मीटर इत्यादि शामिल है। आन्ध्र प्रदेश द्वारा शर्तों को पूरा किए जाने के तहत् ही इस ऋण का संवितरण किया जाएगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा निजी कंपनियों से ली गई फिल्में

*5697. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्में निजी कंपनियों से उन्हें शुल्क अदा कर ली जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन ने निजी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित कितनी फिल्में पिछले तीन वर्षों में प्रसारित की हैं और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तावित तथा दूरदर्शन द्वारा प्रसारित फिल्मों का पिछले तीन साल का महावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उल्लिखित निजी कंपनियों को फिल्मों के लिए दूरदर्शन ने अलग-अलग कितनी रकम अदा की और इनमें से क्या किसी कंपनी पर दूरदर्शन का पैसा बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जामनगर, गुजरात में एफ.एम. रेडियो स्टेशन और एच.टी.वी ट्रांसमीटर

5698. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में जामनगर में एफ.एम. रेडियो स्टेशन और एच.टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एफ.एम. रेडियो स्टेशन और एच.टी.वी. ट्रांसमीटर को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मीडिया को स्वायत्तता

5699. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन का निजीकरण करने के और पूर्ण स्वायत्तता देने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजीकरण और स्वायत्ता के कारण इनके कार्यक्रमों और गतिविधियों में कितना सुधार होने की संभावा है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 23.11.97 से प्रसार भारती का गठन हो जाने से आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में यथा परिकल्पित पूर्ण स्वायतत्ता दे दी गई है।

(ग) प्रसार भारती बोर्ड का गठन निगम के कार्यों के सामान्य संचालन निदेशन और प्रबन्धन के लिए किया गया है तथा बोर्ड, निगम के कार्यक्रमों और कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए इस सम्बन्ध में तथा यथा आवश्यक समझे जाने वाले इन मामलों में सभी अधिकारों का उपयोग करता है।

[हिन्दी]

लाइसेंस फीस का भुगतान

5700. **श्री प्रदीप कुमार यादव**
श्री सी.डी. गामीत :
डा. संजय सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 1998 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में फाइनेंस मिनिस्ट्री रिफ्यूजेज मोराटोरियम आन टेलीकाम लाइसेंस फी पेमेंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) द इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया से सेल्यूलर उद्योग के प्रचालन संबंधी कार्यनिष्पादन का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था। सेल्यूलर और रेडियो पेजिंग सेवाओं के प्रचालकों तथा उनकी एसोसियशनों से लाइसेंस शुल्क की अदायगी में मोहलत देने तथा लाइसेंस अवधि बढ़ाने संबंधी अभ्यावेदनों के आधार पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) से इन सेवाओं का तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के लिए कह दिया गया है। बी.आई.सी.पी. की रिपोर्ट मिल जाने तथा मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर लेने पर ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा क्योंकि इस प्रकार के पेचीदा मसलों पर अन्तर मंत्रालयी परामर्श लेने की आवश्यकता होगा।

बुनियादी सेवाओं ... निविदा आमंत्रित करने के अगले दौर पर इस संबंध में अभी अंतिम रूप से विचार किया जाना है।

[अनुवाद]

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

5701. ***श्री विजय कुमार "विजय" :*** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में कार्यरत प्रत्येक श्रेणी विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन संयंत्रों का उन्नयन करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में राज्य की कुल मांग को पूरा करने के लिए और अधिक विद्युत का उत्पादन करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) बिहार में, इस समय प्रत्येक वर्ग में विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रमांक	संयंत्र का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
राज्य क्षेत्र		
जल विद्युत		
1	सुवर्णरेखा	130
2	कोसी	20
3	सोनी पश्चिमी नहर	6.60
4.	सोनी पूर्वी नहर	3.30
5	पूर्वी गंढक नहर	15

1	2	3
ताप विद्युत		
6.	पटना	13.50
7.	बरौनी	320
8.	पटरातू	840
9.	मुजफ्फरपुर	220
10.	तेनुघाट	420
केन्द्रीय क्षेत्र		
जल विद्युत		
1.	पंचेट पर्वत (डी.वी.सी.)	80
2.	तेलैया (डी.वी.सी.)	4
ताप विद्युत		
3.	बोकारो (डी.वी.सी.)	877.50
4.	चंद्रपुर (डी.वी.सी.)	780
5.	मैथॉन (डी.वी.सी.)	90
6.	कहलगांव (एन.टी.पी.सी.)	840
बिहार में कुल		4659.90

(ख) और (ग) विद्युत संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि हेतु इनके उच्चीकरण की कोई योजना नहीं है तथापि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के निम्नलिखित पुराने विद्युत केंद्रों के कार्य निष्पादन और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

क्रमांक	विद्युत केंद्रों का नाम
1.	पतरतू टी.पी.एस.
2.	बरौनी टी.पी.एस.
3.	सुवर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र

(घ) सरकार ने विद्युत उत्पादन में वृद्धि और बिहार राज्य की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं:-

1. क्षमता अभिवृद्धि
2. मौजूदा सुविधाओं में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना
3. निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाना
4. मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण
5. अंतर राज्यीय/अंतर क्षेत्रीय विनिमयों का संवर्धन
6. पारेषण और वितरण हानियों में कटौती।

आरक्षित पदों को सामान्य पदों में परिवर्तित करना

5702. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर क्षेत्र में नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित नियमों का उल्लंघन करके सामान्य पदों में परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियो के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में साधारण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कोटि से भरे गए पदों की संख्या रिक्त पदों के आरक्षण के लिए मानदण्डों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मुम्बई पत्तन न्यास घोटाला

5703. **श्री विजय गोयल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई पत्तन न्यास घोटाले के संबंध में चल रही जांच में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) संभवतः इस प्रश्न का संबंध, मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा मै. किरण चौधरी एंड कम्पनी को पट्टे पर परिसर के आबंटन के बारे में के.अ.ब्यू. (सी.बी.आई.) द्वारा की गई जांच से है। जांच पूरी करने के पश्चात् एस.पी. की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और यह विचाराधीन है।

टेलीफोन कनेक्शन

5704. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए;

(ख) इस समय राज्य में जिलावार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) क्या सामग्री उपलब्ध न होने के कारण विभाग राज्य में नए टेलीफोन कनेक्शन जारी नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) राज्य में प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

1995-96	1996-97	1997-98
31014	32505	67178

(ख) 30.6.98 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या 26925 है। जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1.	बालासोर	2467
2.	बाड़ीपाडा	410
3.	बेहरामपुर (जी.एम.)	2119
4.	भवानीपटना	271
5.	भुवनेश्वर	8105
6.	बोलनगीर	239
7.	कटक	6956
8.	ढेंकनाल	753
9.	कोरापुट	650
10.	राऊरकेला	3300
11.	संबलपुर	1655
	कुल	26925

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए एक्सचेंजों का विस्तार तथा पर्याप्त मात्रा में केबल बिछाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 1998-99 के दौरान 60,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

जम्मू और कश्मीर में विद्युत का अभाव

5705. श्री चमन लाल गुप्त : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संकट लगातार बना हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के विद्युत क्षेत्र में उठाई गई वित्तीय हानियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय राज्य में विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति कितनी है और राज्य में विद्युत आपूर्ति करने वाले विभिन्न स्रोत कौन-कौन से हैं;

(घ) सरकार द्वारा राज्य में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य के कब तक आत्मनिर्भर बन जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर राज्य में बिजली संकट नहीं है।

(ख) विद्युत विभागों की कार्यशैली से संबंधित योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आर्थिक सहायता सहित तथा आर्थिक सहायता के बगैर वाणिज्यिक हानि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

	वाणिज्यिक लाभ (+) / हानि (-)	
	आर्थिक सहायता सहित	आर्थिक सहायता के बिना
1995-96	-376.9	-376.9
1996-97 (अनुमानित)	-473.9	-473.9
1997-98 (प्रक्षिप्त)	-564.0	-564.1

(ग) जून, 1998 और जुलाई, 1998 (20 जुलाई तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा निम्नवत है:-

	ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	
	जून, 1998	जुलाई, 1998 (1 से 20 तक)	जून, 1998	जुलाई, 1998 (1 से 20 तक)
आवश्यकता	425	263	929	835
उपलब्धता	420	260	839	785
कमी	5	3	90	50
(%)	(1.2)	(1.1)	(9.7)	(6.0)

जम्मू और कश्मीर विद्युत की अपनी आवश्यकता स्वयं अपने उत्पादन केन्द्रों से पूरा करता है। उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय स्टेशनों से भागीदारी करता है तथा पड़ोसी राज्यों/क्षेत्रों से सहायता प्राप्त करता है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर के राज्य क्षेत्र में एक 120 मे.वा. क्षमता की क्षमता अभिवृद्धि (ऊपरी सिन्ध-2 और 3, चेनानी-2, सेवा-3 और पहलगांव) की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वयनाधीन केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र की अन्य क्षेत्रीय विद्युत परियोजनाओं और राज्य में क्रियान्वयनाधीन दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (350 मे.वा.) से जम्मू कश्मीर को लाभ पहुंचेगा। जम्मू एवं कश्मीर में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विद्यमान क्षमता से ईष्टतम उत्पादन, पारेषण तथा वितरण हानि में कमी, प्रभावी मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण उपाय, पड़ोसी राज्यों/क्षेत्रों से सहायता की व्यवस्था करने से संबंधित उपाय शामिल है।

सेतुसमुद्रम् परियोजना के लिए प्रस्ताव

5706. श्री एन. डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेतुसमुद्रम् परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेतुसमुद्रम परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु डच सरकार से तकनीकी सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : (क) कोई निवेश प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नीदरलैंड सरकार से प्रश्नगत परियोजना के लिए विस्तृत इंजीनियरी और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है।

कुरियारकुट्टी-कारापार विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना

5707. **श्री पी. शंकरन** :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुरियार कुट्टी-कारापार विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं स्वीकृति के लिए सरकार के पास कब भेजी गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के प्रभाव के संबंध में पर्यावरण संबंधी पारिस्थितिकीय अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के बारे में सरकार द्वारा निर्णय कब तक कर लिया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा परियोजना जनवरी, 1997 में पुन: प्रस्तुत की गई थी। चूंकि पर्यावरण संबंधी आंकड़े पर्याप्त नहीं थे इसलिए परियोजना प्राधिकारियों को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। केरल राज्य विद्युत बोर्ड को सूचित किया गया है कि परियोजना को बंद माना जाए।

गुवाहाटी स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का परिसर

5708. **श्रीमती रानी नरह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का परिसर धन के अभाव के कारण अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, नहीं। गुवाहाटी में सिंथेटिक ट्रैक के अलावा, परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सिंथेटिक ट्रैक का उप-आधार कार्य अभी हाल ही में पूरा हुआ है तथा सिंथेटिक सतह वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के बाद ही बिछायी जाएगी।

अधिसूचित क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता अभियान

5709. **श्री डी.एस. अहिरे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिसूचित क्षेत्रों में भी पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों को लाया गया है; और

(ग) इन क्षेत्रों में इस अभियान की उपलब्धि कितनी रही?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत जिले की 15-35 वर्ष की आयु वर्ग की संपूर्ण निरक्षर जनसंख्या को शामिल किया जाता है चाहे भले ही उनकी जाति, धर्म और लिंग कोई क्यों न हो।

अधिसूचित क्षेत्रों वाले जिलों में शुरू किए गए संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत राज्य-वार शामिल किए गए व्यक्ति तथा

साक्षर बनाए गए व्यक्तियों के आंकड़े निम्नवत् हैं:

(आंकड़े लाख में)

राज्य	शामिल किए गए व्यक्ति	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
आन्ध्र प्रदेश	43.28	20.91
बिहार	8.04	0.55
गुजरात	13.66	11.97
हिमाचल प्रदेश	1.08	0.41
मध्य प्रदेश	73.58	25.99
महाराष्ट्र	34.37	16.31
उड़ीसा	31.26	9.82
राजस्थान	16.78	8.12

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

5710. श्री कोनिजेटी रोसैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के कार्य में तेजी लाने के लिए 30 जून, 1998 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री, विद्युत मंत्री तथा अन्य विभिन्न सरकारी अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार ने आंध्र प्रदेश में मैं. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लिमिटेड को विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.), महाराष्ट्र की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) तथा तमिलनाडु मै. एम.टी.-सी.एम.एस. इलैक्ट्रिक कंपनी की 250 मे.वा. एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप विद्युत परियोजना को एक संशोधित प्रक्रिया के जरिए प्रति-गारंटी प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रति-गारंटी केवल रद्द करने की स्थिति में ही प्रदान की जाएगी तथा केवल बकाया विदेशी ऋण तक ही सीमित रहेगी।

प्रति-गारन्टी से संबंधित मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए भारत सरकार में विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाते हैं कि इन परियोजनाओं पर कार्य यथाशीघ्र आरम्भ हो सके।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई नियुक्तियां

5711. श्री विजय कुमार हाण्डिक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की भर्ती, तैनाती तथा पदोन्नति सहित जन प्रबंधन हेतु कोई सुगठित नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पद से अधिक अप्राधिकृत नियुक्तियां की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा तकनीकी श्रेणियों में गैर-तकनीकी कार्मिकों की भर्ती करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। वस्तुत: आज तक की स्थिति के अनुसार कुल स्वीकृत 25764 पदों में से लगभग 22000 पदों पर ही कर्मचारी सेवारत हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) तकनीकी श्रेणियों में गैर-तकनीकी स्टॉफ की भर्ती नियमत: सी.एस.आई.आर. की शासी निकाय द्वारा विधिवत

अनुमोदित कार्यपद्धति के अनुसार ही की जाती है। तकनीकी श्रेणियों में गैर-तकनीकी स्टाफ की भर्ती एक विधिवत गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर की जाती है। यह भर्ती आवश्यक घरेलू (इन-हाउस) प्रशिक्षण प्रदान करने और तकनीकी ट्रेड परीक्षा देने के बाद ही की जाती है।

रेडियो ऑन डिमाण्ड सर्विस

5712. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में "रेडियो ऑन डिमाण्ड सर्विस" आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां। इसे 26 जनवरी, 1998 को आकाशवाणी, दिल्ली के दूसरे एफ.एम. ट्रांसमीटर पर आरम्भ किया गया था।

(ख) रेडियो ऑन डिमाण्ड सर्विस एक पारस्परिक क्रिया सेवा है जिसे देश में ही विकसित किया गया है। यह श्रोताओं के अनुरोधों पर कार्यवाही करने और अनुरोध किए गए संगीत कार्यक्रम को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ट्रांसमीटर पर स्वत: फीड करने वाली कम्प्यूटर रिकार्डिंग एवं स्वत: प्लेबैक प्रणाली है। कम्प्यूटर हार्ड डिस्क पर लोकप्रिय फिल्मी गीतों की एक बड़ी लाइब्रेरी बनायी गई है और प्रत्येक गीत को एक कोड नम्बर दिया गया है। इन कोड नम्बरों को मुद्रित इश्तहारों के माध्यम से जनता में परिचालित किया गया है। श्रोता टेलीफोन नं. 7465228 पर अपनी पसंद के गीत का संगत कोड नम्बर डायल करके अपना अनुरोध दर्ज करा सकते हैं। उनके अनुरोध को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा स्वत: दर्ज किया जाता है और तद्नुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा श्रोताओं को टेलीफोन पर एक क्यू-नम्बर सूचित किया जाता है। इसके बाद संबंधित गीत स्वत: उपर्युक्त क्यू-नम्बर पर बजने लगता है और श्रोता अपनी पसंद का गीत एफ.एम. रेडियो (आवर्तिता 106.4 मीडियन हर्ट्ज) पर सुन सकते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में वेतन और पेंशन के मामले

5713. **श्री राजो सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार दूरसंचार परिमंडल में भारी संख्या में वेतन और पेंशन में विसंगति के मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनका निपटान कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) शून्य।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन पर सैक्स वार्ता

5714. **श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान टेलीफोन पर "सैक्स वार्ता" के बारे में समाचार-पत्रों में छपे विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "डायल ए फ्रैंड-इंजॉय" जैसे विज्ञापनों से भारत के नवयुवकों के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है और अनैतिक सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा मिल सकता है; और

(ग) यदि हां, तो समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस मामले को भारतीय प्रेस परिषद् को भेज दिया गया है जिन्होंने ऐसे विज्ञापन स्वीकार न करने के लिए समाचार पत्रों

ने सभी मालिकों और सम्पादकों से अपील की है। कुछ समाचार पत्रों ने पहले से इस अपील के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखायी है।

एफ.एम. स्लॉटों की नीलामी

5715. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रसार भारती बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हित में अथवा मनोरंजन अथवा सूचना संबंधी आवश्यकता को देखते हुए एफ.एम. स्लॉटों की नीलामी के बारे में हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीन याचिकादाताओं नामश: मैसर्स बैनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी, मैसर्स मिड-डे पब्लिशर्स तथा मैसर्स स्टार एन्टरटेनमेंट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसके माध्यम से इन याचिकादाताओं ने उनके लाइसेंसों की अवधि बढ़ाने हेतु उनकी याचिकाओं को खारिज करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 29.5.98 के निर्णयको चुनौती दी थी। तदनुसार, प्रसार भारती ने 1998 की संविदाओं को खोले जाने के विरुद्ध एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार आयोग तथा चेन्नई उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम व्यादेशों को समाप्त किए जाने और सर्वाधिक बोली सिद्धान्त आधार पर निजी आपरेटरों को स्लॉट आबंटित किए जाने तक एफ.एम. स्लाटों को स्वयं के कार्यक्रमों से चलाने का निर्णय लिया है।

इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी की मांगें

5716. **श्री जी.एम. बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी का एक शिष्टमंडल समाचार पत्र प्रकाशन उद्योग को हो रही कठिनाइयों के संबंध में हाल ही में उनसे मिला था,

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोधों और मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी विज्ञापनों के लिए उच्च दरों, सरकारी विज्ञापनों से संबंधित समाचारपत्रों के बकाया बिलों के निपटान और अखबारी कागजों के आयात पर से सीमा शुल्क हटाने सम्बन्धी मांगे उठाई थी।

(ग) इन अनुरोधों तथा मांगों पर सरकार विचार कर रही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-अमरीकी मंच

5717. **डा. असीम बाला : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत अमरीकी मंच का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यक्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन-कौन सी बाधाएं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) भारत-अमरीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना के उद्देश्य से दिसम्बर 1997 में भारत सरकार और यू.एस.ए. सरकार के मध्य एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपसी लाभकारी लक्ष्यों के निष्पादन हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विचार किया गया था।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषण

5718. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
डा. सुशील इन्दौरा :
श्री राजो सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों के सहयोग से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस योजना में योगदान देने वाली राज्य सरकारों और संस्थानों के नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के परामर्श से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर एक श्वेत-पत्र तैयार किया है, जिसके साथ वाहन, औद्योगिक, जल और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठोस अपशिष्टों और खतरनाक अपशिष्टों के व्यापक क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना है।

(घ) कार्य योजना के प्रत्येक व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत अनेक कदमों/उपायों का पता लगाया गया है। विभिन्न उपायों के लिए अलग-अलग समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

(ङ) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के विभिन्न विभाग/संगठनों जैसे परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल आपूर्ति और जलमल निकासी उपक्रम का कार्य योजना के लिए कार्यान्वियन एजेंसियों के रूप में पता लगाया गया है।

[अनुवाद]

बी.एड. प्रशिक्षण महाविद्यालय

5719. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी.एड. प्रशिक्षण महाविद्यालयों के बारे में कड़े नियामक उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अध्यापक-छात्र अनुपात की वर्तमान पद्धति को कम से कम और तीन वर्षों तक बनाए रखने के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) को निर्देश देने का है, और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केरल विश्वविद्यालय की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अनुसार यह परिषद का कर्त्तव्य है कि वह शिक्षक शिक्षा के सुनियोजित एवं समन्वित विकास को सुनिश्चित करने और शिक्षक शिक्षा के स्तरों के निर्धारण तथा उनके अनुरक्षण के लिए वह जैसा उचित समझे, वैसा कदम उठाए। अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वाह में, परिषद् ने अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी संस्थाओं के लिए शिक्षक छात्र के अनुपातों का निर्धारण करते हुए शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के भिन्न-भिन्न स्तरों के लिए मानक तथा स्तर निर्धारित किए हैं।

(ग) और (घ) निर्धारित शिक्षक-छात्र के अनुपात में छूट दिए जाने के संबंध में केरल विश्वविद्यालय के सिंडीकेट सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसे उचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के पास भेज दिया गया है। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में निर्धारित शिक्षक-छात्र के अनुपात में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के पास सामान्य निर्देश जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

5720. **श्री हीरा लाल राय** :
श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने प्रभागीय मुख्यालयों में राज्यवार अभी तक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित नहीं किए जा सके हैं;

(ख) देश के प्रत्येक प्रभागीय मुख्यालयों में कब तक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थापित करने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) शून्य। देश के सभी डिवीजनल मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना एवं नेट स्विचिंग क्षमता बढ़ाना एक अनवरत प्रक्रिया है। वार्षिक योजनाएं प्रति वर्ष मांग एवं निधि/उपस्कर की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान 49.3 लाख की कुल नेट स्विचिंग क्षमता बढ़ाने की योजना है। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विभाग ने एक सापेक्ष योजना (1997-2007) तैयार की है जिसमें इस अवधि के दौरान देश में 5.85 करोड़ की नेट स्विचिंग क्षमता तथा 4.7 करोड़ नए टेलीफोन कनेक्शन बढ़ाने का विचार है।

विवरण

1998-99 के लिए सर्किल-वार नेट स्विचन का लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल	नेट स्विचन क्षमता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	351250
2.	असम	68000
3.	बिहार	185000
4.	गुजरात	351250
5.	हरियाणा	125400
6.	हिमाचल प्रदेश	93000
7.	जम्मू व कश्मीर	41600
8.	कर्नाटक	266000
9.	केरल	453100
10.	मध्य प्रदेश	156000
11.	महाराष्ट्र	408100
12.	उत्तर पूर्व	45200
13.	उड़ीसा	82300
14.	पंजाब	288600
15.	राजस्थान	235500
16.	तमिलनाडु	405000
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	188000
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	193000
19.	पश्चिम बंगाल	172000
20.	अंडमान व निकोबार	7700
21.	मुम्बई	270000
22.	दिल्ली	260000
23.	कलकत्ता	140000
24.	चेन्नई	144000
		4930000

दूर-संचार विभाग और कृतिक बल के बीच बैठक

5721. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्टरनेट सेवाओं का विस्तार करने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कम लागत पर दूर-संचार सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में दूर-संचार विभाग और कृतिक बल के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्य-योजना तैयार की गयी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

(ख) दूरसंचार विभाग तथा "सूचना प्रौद्योगिकी तथा साफ्टवेयर विकास" के संबंध में गठित राष्ट्रीय कार्यबल के बीच हुई बैठक में इन्टरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए अपेक्षाकृत कम लागत पर दूरसंचार सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और निम्नानुसार अंतिम करार किया गया।

1. सभी जिला मुख्यालयों तथा स्थानीय प्रभारण क्षेत्रों में इन्टरनेट एक्सेस नोड, दूरसंचार विभाग तथा प्राधिकृत इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) द्वारा 26 जनवरी, 2000 तक खोले जाएंगे। अन्तरिम उपाय के रूप में तथा जब तक सभी स्थानीय प्रभारण क्षेत्रों में नोड प्रदान नहीं कर दिए जाते निकटतम इन्टरनेट एक्सेस नोडो में संपर्क 15 अगस्त, 1998 से उत्तरोत्तर रूप से स्थानीय काल की दरों पर सुलभ होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आई.एस.पी. की होगी कि उक्त सुविधा का टेलीफोन परियात के लिए दुरूपयोग नहीं किया गया है।

2. कम्पनियों द्वारा आई.एस.पी. प्रचालन कार्य शुरू करने के लिए पहले पांच वर्षों के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा तथा पांच वर्षों के बाद एक रुपए का नाममात्र लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।

(ग) विशेष कार्यकाल द्वारा तैयार की गई "कार्ययोजना", उपर्युक्त भाग (ख) में वर्णित दूरसंचार विभाग तथा विशेष कार्यबल के बीच हुई करार के अनुरूप ही है।

सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा

5722. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी कंपनियां सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा रही हैं;

(ख) देश में राज्यवार कितने शहरों में सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान राज्यवार किन-किन शहरों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) प्रदान करने के लिए 22 कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं।

(ख) दूरसंचार सर्किलों/दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई नामक चार महानगरों के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हैं। कुछ दूरसंचार सर्किलों को छोड़कर अन्य दूरसंचार सर्किलों की सीमाएं राज्यों की ही समवर्ती सीमाएं हैं। सैल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया (सी.ओ.ए.आई.) द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के अनुसार इन सेवा के क्षेत्रों में, सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा जिन शहरों में सैल्यूलर सेवा प्रदान की जा रही है उसका विवरण संलग्न है।

(ग) लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार सेल्यूलर प्रचालकों को प्रथम वर्ष के दौरान 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों तथा तीन वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों में सेवा प्रदान करवाना अपेक्षित है। तथापि, वास्तव में किस शहर में सेवा प्रदान की जानी है यह विषय लाइसेंस धारकों की व्यावसायिक योजना के अंतर्गत आता है तथा दूरसंचार विभाग के पास इसकी कोई सूचना नहीं होती है।

विवरण

17 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार भारत के शहरों/कस्बों में सेल्यूलर की उपलब्धता की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल	सुविधा प्राप्त क्षेत्र	प्रत्येक सर्किल में सेल्यूलर सुविधा प्राप्त शहरों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा, सांगारेड्डी, गुंटूर और विशाखापट्नम	5
2.	असम	गुवाहाटी	1
3.	बिहार	पटना, गया, बिहार शरीफ, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, धनबाद	7
4.	कलकत्ता	समग्र महानगर में सुलभ	1
5.	चेन्नई	समग्र महानगर में सुलभ	1
6.	दिल्ली	समग्र महानगर में सुलभ	1
7.	गुजरात	अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भड़ुच एवं गांधीनगर	5
8.	हरियाणा	अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर कुरूक्षेत्र, शाहबाद, कुंडली, रोहतक, हिसार	10
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
10.	कर्नाटक	बंगलौर, मैसूर, मंगलूर, तुमकुर	4

2	3	4
केरल	कोचीन, त्रिसूर, कालीकट, त्रिवेंद्रम, कोट्टायम, कोल्लम, अल्लापुज्जा, कन्नूर, तिरूवल्ला, चंगानासेरी चंगान्नूर, चिंगावनम, त्रिपुनीथुरा, अलुवा, अंगमलयी, चवक्काड, इट्टुमान्नूर, अट्टींगल, कुन्नामकुलम, तेलीशरी, शेरथलाइ, शक्तिकुलांगारा, पल्लीमुक्का, फेरोक, मल्लापुरम, मंजेरी	25
मध्य प्रदेश	इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, सिहोर	6
महाराष्ट्र	पुणे, नासिक, अहमदनगर, पंजीम, मारगांव, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद	9
मुम्बई	पूरे क्षेत्र में सेवा उपलब्ध है (मेट्रो)	1
उत्तर पूर्व	कोई नहीं	0
उड़ीसा	भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पीपली	4
पंजाब	चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना	3
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा	5
तमिलनाडु	कोयंबटूर, इरोड, सलेम, तिरूचिरापल्ली, पांडिचेरी, भवानी	6
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी	4
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, देहरादून, मथुरा, फिरोजाबाद, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हल्द्वानी, रूद्रपुर, बिलासपुर, भोजपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रूड़की, खातौली, मसूरी, खुर्जा, मोदीनगर	24
पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी, दार्जीलिंग, दुर्गापुर	3

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों का आधुनिकीकरण

5723. श्री प्रभुदयाल कठेरिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्य विद्युत बोर्डों के पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को और अधिक सक्षम बनाने के साधनों का पता लगाने का कार्य किसी घरेलू/विदेशी एजेंसी को सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में केन्द्र में केन्द्रीय विद्युत आयोग तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को लागू किया है इससे टैरिफों के यौक्तिकरण में सहायता मिलेगी तथा जहां-कहीं भी आवश्यकता है। वहां सुस्पष्ट आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान भी करते हैं। राज्य सरकारों के पास विनियामक आयोगों द्वारा सिफारिश की गई आर्थिक सहायता के अलावा भी आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का विकल्प है। इस तरह की आर्थिक सहायता में कृषि तथा/अथवा कमजोर वर्गों को रियायती विद्युत शामिल हो सकती है बशर्ते राज्य सरकारें पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करके रा.वि.बो. की पृतिपूर्ति करें जब टैरिफों का यौक्तिकरण हो जाएगा तथा बजटीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी, रा.वि.बो. अपनी वित्तीय स्थिति तथा निवेश करने की क्षमता में सुधार कर सकेंगे।

उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है जिसने विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा विद्युत सुधार अधिनियम, 1995 को लागू करके अपने विद्युत क्षेत्र में सुधार आरंभ किया है। जिन अन्य राज्यों ने विश्व बैंक की सहायता से अपने विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्संरचना को आरंभ करने के लिए कार्रवाई की है वे हैं हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 को भी लागू किया है तथा विश्व बैंक की सहायता से सुधार कार्य आरंभ कर दिया है। इसी प्रकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी आन्ध्र प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1998 पारित किया है। विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के सुधार कार्यों में सहायता करने का प्रस्ताव रखा है। गुजरात और मध्य प्रदेश एशिया विकास बैंक से, केरल सी.आई.डी.ए. से तथा गोवा आई.एफ.सी. से अपने विद्युत क्षेत्रों के सुधार एवं पुनर्संरचना के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब, असम और तमिलनाडु राज्य अपनी सुधार परियोजनाओं के लिए विद्युत वित्त निगम से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

बड़ी नदियों की सफाई

5724. श्री राम नारायण मीणा:
श्री चन्द्र शेखर साहू:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बड़ी नदियों की सफाई करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नदी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण/एजेंसी का नाम क्या है; और

(घ) यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। गंगा कार्य योजना चरण-I तथा देश की 22 प्रदूषित नदियों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। इन योजनाओं की वर्तमान अनुमोदित लागत 2562.44 करोड़ रुपये हैं। इन स्कीमों में 14 राज्यों में इन नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के किनारे स्थित 156 शहरों के प्रदूषण निवारण कार्यों को शामिल किया गया है। नदीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना चरण-I में भूमि अधिग्रहण, मुकदमेबाजी एवं कोर्ट मामलों, ठेकेदारी संबंधी समस्याओं तथा धन के विचलन के कारण विलम्ब हुआ है। इन कारणों से होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई। इस स्कीम के 31.3.1999 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसमें गंगा कार्य योजना चरण-II भी शामिल है, का अनुमोदन अप्रैल, 1993 एवं अक्टूबर, 1996 के बीच चरणों में किया गया था। इस योजना को 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	नदी एवं राज्य का नाम	शहर		अनुमोदित लागत
1	2	3		4
क. गंगा कार्य योजना चरण-I				
I. उत्तर प्रदेश				
1.	गंगा	1.	हरिद्वार-ऋषिकेश	1634.35
	गंगा	2.	फरीदाबाद एवं फतेहगढ़	200.48
	गंगा	3.	कानपुर	6670.32
	गंगा	4.	इलाहाबाद	3153.05
	गंगा	5.	वाराणसी	4765.68
	गंगा	6.	मिर्जापुर	2059.91
II. बिहार				
	गंगा	7.	छपरा	461.74
	गंगा	8.	भागलपुर	614.65
	गंगा	9.	मंगेर	606.51
	गंगा	10.	पटना	3646.50
III. पश्चिम बंगाल				
	गंगा	11.	बहरामपुर	523.20
	गंगा	12.	नवद्वीप	437.32

1	2		3	4
	गंगा	13.	हुगली घिनसुरा	588.31
	गंगा	14.	चन्दननगर	610.87
	गंगा	15.	सेरामपुर	607.74
	गंगा	16.	बाली	808.55
	गंगा	17.	कल्यानी	141.34
	गंगा	18.	भाटपारा	1683.08
	गंगा	19.	टीटागढ़	667.55
	गंगा	20.	पानीहाटी	725.82
	गंगा	21.	हावड़ा	1078.18
	गंगा	22.	कलकत्ता कार्पो. क्षेत्र	7744.81
	गंगा	23.	बारानगर	2002.89
	गंगा	24.	कामरहाटी	
	गंगा	25.	नईहाटी	19.12
			श्रेणी-II के अन्य नगर (प. किनारा)	263.78
			श्रेणी-II के अन्य नगर (पू. किनारा)	283.42
	कुल गंगा (ग.का.यो.-I)			41998.47

ख. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एवं गं.का.यो. चरण-II

IV. आन्ध्र प्रदेश

2.	गोदावरी	26.	मंचरियाल	478.72
	गोदावरी	27	भद्राचलम	308.00

1	2	3		4
	गोदावरी	28.	राजामुंदर्ग	2516.00
	गोदावरी	29.	रामागुंडन	2076.00
V. महाराष्ट्र				
	गोदावरी	30.	नासिक	7241.81
	गोदावरी	31.	नानदेड़	1530.19
			कुल	14150.72
महाराष्ट्र				
3	कृष्णा	32.	कराड़	1400.87
	कृष्णा	33.	सांगली	1560.52
			योग	2961.39
बिहार				
4.	सुवर्णरेखा	34.	रांची	1215.06
	सुवर्णरेखा	35.	जमशेदपुर	1799.16
	सुवर्णरेखा	36.	घाटशिला	207.80
			योग	3222.03
गुजरात				
5	साबरमती	37.	अमहदाबाद	9869.89
			योग	9869.89

1	2	3		4
VII. कर्नाटक				
6.	तुंग	38.	शिमोगा	747.62
			योग	747.62
7.	भद्रा	39.	भद्रावती	482.80
			योग	482.80
8.	तुंगभद्रा	40.	हरिहरा	260.69
	तुंगभद्रा	41.	देवनगर	673.16
			योग	933.86
9.	कावेरी	42.	के.आर. नगर	84.56
	कावेरी	43.	कोल्लेगल	74.48
	कावेरी	44.	नानजंगुड	183.96
	कावेरी	45.	श्री रंगापाटन	192.71
VIII. तमिलनाडु				
	कावेरी	46.	कुमारपलयम	624.00
	कावेरी	47.	भवानी	368.00
	कावेरी	48.	इरोड	1569.00
	कावेरी	49.	त्रिचि	690.00
	कावेरी	50.	पल्ली पलयम	569.00
			योग	4355.71

1	2	3		4
IX. मध्य प्रदेश				
10.	खान	51.	इन्दौर	4439.76
			योग	4439.76
11.	क्षिप्रा	52.	उज्जैन	2629.36
			योग	2629.36
12.	ताप्ती	53.	बुरहानपुर	552.70
			कुल	552.70
13.	बेतवा	54.	मण्डीदीप	174.42
	बेतवा	55.	भोपाल	246.14
	बेतवा	56.	विदिशा	487.92
			कुल	908.48
14.	नर्मदा	57.	जबलपुर	1456.99
			कुल	1456.99
15.	वाणगंगा	58.	सिवनी	136.40
	वाणगंगा	59.	छपरा	61.97
	वाणगंगा	60.	कोलारी	81.87
			कुल	280.24
X. उड़ीसा				
16.	महानदी	61.	कटक	1469.00
			कुल	1469.00

1	2	3		4
17.	ब्राह्मणी	62.	तालचेर	671.50
	ब्राह्मणी	63.	चान्दबाली	102.77
	ब्राह्मणी	64.	धर्मशाला	242.00
			कुल	1016.27
XI. पंजाब				
18.	सतलज	65.	लुधियाना	16422.14
	सतलज	66.	जालंधर	5684.72
	सतलज	67.	फगवाड़ा	752.60
	सतलज	68.	फिल्लौर	78.15
			कुल	22937.61
XII: राजस्थान				
19.	चम्बल	69.	कोटा	1313.33
	चम्बल	70.	केसोरायपट्टा	80.35
	चम्बल	71.	नागदा	391.94
			कुल	1785.62
उत्तर प्रदेश				
20.	गंगा (मुख्य धारा)	×	हरिद्वार-ऋषिकेश	684.00
	गंगा (मुख्य धारा)	×	कानपुर	9029.00

2	3	4
गंगा (मुख्य धारा)	[illegible] इलाहाबाद	3448.90
गंगा (मुख्य धारा)	[illegible] फर्रूखाबाद	53.50
गंगा (मुख्य धारा)	[illegible] वाराणसी	4752.00
गंगा (मुख्य धारा)	[illegible] मिर्जापुर	388.80
गंगा (मुख्य धारा)	72. मुगलसराय	421.40
गंगा (मुख्य धारा)	73. गाजीपुर	811.90
गंगा (मुख्य धारा)	74. सैदपुर	64.90
गंगा (मुख्य धारा)	75. गढ़मुक्तेश्वर	162.50
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	76. बिजनौर	744.98
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	77. चुनार	493.50
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	78. अनूप शहर	475.78
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	79. रानीपुर	787.53
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	80. जोशीमठ	45.96
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	81. गोपेश्वर	102.37
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	82 कर्ण प्रयाग	30.68
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	83 रूद्र प्रयाग	220.72
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	84. बद्रीनाथ	70.94
गंगा (उच्चतम न्यायालय)	85. श्रीनगर	740.64

1	2		3	4
	गंगा (उच्चतम न्यायालय)	86.	देव प्रयाग	400.91
	गंगा (उच्चतम न्यायालय)	87.	उत्तर काशी	963.25
बिहार				
	गंगा (मुख्य धारा)	×	पटना	1225.80
	गंगा (मुख्य धारा)	×	भागलपुर	544.80
	गंगा (मुख्य धारा)	×	मुंगेर	122.80
	गंगा (मुख्य धारा)	×	छपरा	176.90
	गंगा (मुख्य धारा)	88.	बक्सर	80.40
	गंगा (मुख्य धारा)	89.	आरा	269.40
	गंगा (मुख्य धारा)	90.	फातबा	70.20
	गंगा (मुख्य धारा)	91.	बाढ़	72.50
	गंगा (मुख्य धारा)	92.	बढ़या	43.50
	गंगा (मुख्य धारा)	93.	मुल्तानगंज	99.00
	गंगा (मुख्य धारा)	94.	साहबगंज	50.00
	गंगा (उच्चतम न्यायालय)	95.	मोकामा	185.[illegible]
	गंगा (उच्चतम न्यायालय)	96.	टहलगांव	218.[illegible]
	गंगा (उच्चतम न्यायालय)	97.	हाजीपुर	308.[illegible]

2		3	4
गंगा (मुख्य धारा)	98.	बैरकपुर	2524.39
गंगा (मुख्य धारा)	99.	बांसबेरिया	2823.92
गंगा (मुख्य धारा)	100.	रिसरा	1253.57
गंगा (मुख्य धारा)	101.	वैद्यावती	1361.09
गंगा (मुख्य धारा)	102.	सरकुलर कैनाल	951.92
गंगा (मुख्य धारा)	103.	टाली का नाल	3737.07
गंगा (मुख्य धारा)	104.	बजबज	1038.01
गंगा (मुख्य धारा)	105.	बद्रेश्वर-चम्पादानी	3558.15
गंगा (मुख्य धारा)	106.	नैहटी	2446.86
गंगा (उ.न्या.)	107.	खारदा (एक्सटेंड)	1038.15
गंगा (उ.न्या.)	108.	गयासपुरा, हलिलसर एवं कचरापारा	2723.32
गंगा (उ.न्या.)	109.	कोन्नागार	1561.60
गंगा (उ.न्या.)	110.	उत्तरपारा-कोटरंग	1129.02
गंगा (उ.न्या.)	111.	नार्थ बैरकपुर	2026.07
गंगा (उ.न्या.)	112.	जीजगंज-अजीमगंज	548.98
गंगा (उ.न्या.)	113.	डायमंड-हारबर	360.25
गंगा (उ.न्या.)	114.	गरूलिया	1089.87

1	2		3	4
	गंगा (उ.न्या.)	115.	काटवा	375.00
	गंगा (उ.न्या.)	116.	धुलियन	389.65
	गंगा (उ.न्या.)	117.	जंगीपुर	352.05
	गंगा (उ.न्या.)	118.	महस्तला	1333.99
	गंगा (उ.न्या.)	119.	चकदाह	247.39
	गंगा (उ.न्या.)	120.	मुर्शिदाबाद	415.27
			योग गंगा	61884.15
XIII. दिल्ली				
20.	यमुना	121.	दिल्ली	2061.00
XIV. हरियाणा				
	यमुना	122.	यमुना नगर एवं जगाधरी	2696.01
	यमुना	123.	करनाल	2392.01
	यमुना	124.	पानीपत	2445.55
	यमुना	125.	सोनीपत	2368.98
	यमुना	126.	गुढ़गांव	2248.00
	यमुना	127.	फरीदाबाद	7201.90
	यमुना	128.	छछरौली	107.82
	यमुना	129.	रदौर	190.73

2		3	4
यमुना	130.	इन्द्री	134.61
यमुना	131.	घरौंदा	181.67
यमुना	132.	पलवल	1100.11
यमुना	133.	गोहाना	349.81
…र प्रदेश			
यमुना	134.	सहारनपुर	2447.28
यमुना	135.	मुजफ्फर नगर	1221.88
यमुना	136.	गाजियाबाद	8982.49
यमुना	137.	नोएडा	2804.83
यमुना	138.	वृन्दावन	649.00
यमुना	139.	मथुरा	2293.70
यमुना	140.	आगरा	6896.46
यमुना	141.	इटावा	833.56
		योग (यमुना)	51369.38
गोमती	142.	लखनऊ	5029.00
गोमती	143.	सुल्तानपुर	491.00
गोमती	144.	जौनपुर	581.00
		योग (गोमती)	6101.[illegible]

1	2	3		4
बिहार				
22.	दामोदर	145.	रामगढ़	310.70
	दामोदर	146.	दुग्धा	130.49
	दामोदर	147.	झरिया	202.69
	दामोदर	148.	चिरकुण्डा	181.08
	दामोदर	149.	सिन्दरी	0.90
	दामोदर	150.	तेलूमोचू	22.46
	दामोदर	151.	सुदामडीह	105.34
	दामोदर	152.	बोकारो-कांगली	121.68
पश्चिम बंगाल				
	दामोदर	153.	रानीगंज	160.86
	दामोदर	154.	आसनसोल	786.45
	दामोदर	155.	अन्दाल	147.42
	दामोदर	156.	दुर्गापुर	167.39
			योग (दामोदर)	2337.46
	कुल योग			(लाख) 237890.51
ग. सामूहिक बहि:स्राव उपचार संयंत्र, कलकत्ता				6500.00
घ. स्थापना एवं अनुसंधान तथा विकास				11853.22
	महायोग			256243.73

*वे शहर जो गंगा कार्य योजना चरण-I एवं गंगा कार्य योजना चरण-II में भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश टेलीफोन सर्कल को उपस्कर की आपूर्ति करना

5725. श्री के. येरननायडू: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश से संबंधित विस्तार योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश टेलीकॉम सर्कल को कतिपय उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवश्यक उपस्कर की आपूर्ति कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि वर्ष 1998-99 की विस्तार योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कुछ उपस्कर/केबल आन्ध्र दूरसंचार सर्किल के लिए पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। शेष उपस्करों/केबलों के लिए उपस्कर प्राप्ति संबंधी कार्यवाही आरंभ की गई है। आन्ध्र दूरसंचार सर्किल के वार्षिक लक्ष्य (1998-99) को पूर्णत: प्राप्त करने के लिए इन उपस्करों की समय पर आपूर्ति कराई जाने की आशा है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु विदेशी वित्तीय अनुदान

5726. श्री आदित्यनाथ:
डा. सरोजा वी.:
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:
श्री राम चन्द्र मलिक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा हेतु वर्षवार कुल कितनी विदेशी वित्तीय अनुदान/धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) राज्य के बीच इन अनुदानों/धनराशि को आबंटित किए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का तथ्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुदानों/धनराशि के दुरूपयोग के कितने मामलों का राज्यवार पता चला है;

(ङ) विदेशी अनुदानों/धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार देश में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर सकेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्राथमिक/बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं से संबंधित कुल विदेशी वित्तीय सहायता (ऋण अनुदान) को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। विगत तीन वर्षों के दौरान (1995-96 से 1997-98) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए विदेशी निधिकरण एजेन्सियों द्वारा प्रतिपूर्ति की गई वास्तविक राशियां दिए गए विवरण-II में दर्शाई गई हैं।

(ख) और (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत लगभग 85% परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 15% संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। भारत सरकार का अंशदान विदेशी निधिकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना के लिए लागत स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (एस.आई.डी.ए.) और राजस्थान सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है। इसी प्रकार राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना के लिए लागत सीडा, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 3:2:1 के अनुपात में वहन की जाती है। सम्मत पद्धति के अनुसार किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति विदेशी निधिकरण एजेन्सियों द्वारा की जाती है। विभिन्न राज्यों को निधियों का आवंटन/भुगतान अनुमोदित परियोजना लागत और वार्षिक कार्य-योजना तथा बजट के आधार पर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को प्रदान की गई निधियों के संबंध में प्रगति विवरण-III में दिए गए विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) सरकार को निधियों के ऐसे दुरुपयोग से संबंधित किसी विशेष मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) निधियां राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को प्रदान की जाती हैं और उनके द्वारा व्यय परियोजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार और मूल्यांकन के बाद अनुमोदित उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट में शामिल कार्यकलापों के आधार पर किया जाता है। राज्य सोसायटियों के पास संघ ज्ञापन और

नियमों तथा वित्तीय विनियमों का स्पष्ट उल्लेख है और इसमें निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लेखा-परीक्षा का प्रावधान भी है। पर्यवेक्षण मिशनों के दौरों, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली और कार्यकारिणी समितियों की बैठकों के माध्यम से परियोजना पैरामीटरों के लिए भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की समय-समय पर मानीटरिंग भी की जाती है। राज्य सोसायटियों की लेखा-परीक्षित लेखाओं के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखी जाती हैं।

(च) संविधान के नीति निर्देशन सिद्धांत के अनुच्छेद 45 के अनुसरण में वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 में यह प्रावधान है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के पहले 14 वर्षों तक की आयु के सभी बच्चों को गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। तथापि, समस्या की गंभीरता और संसाधनों की कमी को देखते हुए देश में प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना कठिन है।

विवरण-I

निधियन एजेन्सी	राशि	अवधि	शामिल किए गए राज्य और जिलों की संख्या
1	2	3	4
विश्व बैंक (आई.डी.ए.) (उदार ऋण)	260.3 मिलियन अमरीकी डालर (806 करोड़ रु.)	1994-95 से 2002-02 तक	डी.पी.ई.पी. चरण-I असम (4), हरियाणा (4), कर्नाटक (4), केरल (3), महाराष्ट्र (5), तमिलनाडु (3)
यूरोपीय आयोग (ई.सी.) (अनुदान)	150 मिलियन ई.सी.यू. (585 करोड़ रु.)	1994-95 से 1998-99 तक	डी.पी.ई.पी. मध्य प्रदेश (19)
विश्व बैंक (उदार ऋण)	425.2 मिलियन अमरीकी डॉलर (1480 करोड़ रु.)	1996-97 से 2001-02 तक	डी.पी.ई.पी. चरण-II गुजरात (3)-डच निधिकरण हिमाचल प्रदेश (4), उड़ीसा (5) डी.पी.ई.पी. राज्यों में विस्तार के अन्तर्गत पहले से शामिल (43) म.प्र. (15)
नीदरलैंड सरकार द्वारा सहनिधियन (अनुदान)	25.8 मिलियन अमरीकी डालर (90 करोड़ रु.)		
डी.एफ.आई.डी. (पूर्व में ओ.डी.ए.), यू.के. (अनुदान)	42.5 मिलियन पौंड (220 करोड़ रु.) 37.71 मिलियन पौंड (207 करोड़ रु.)	1996-97 से 2002-03 तक	डी.पी.ई.पी. चरण-II आन्ध्र प्रदेश (5) पश्चिम बंगाल (5)

1	2	3	4
विश्व बैंक (उदार ऋण)	152.4 मिलियन अमरीकी डालर (530 करोड़ रु.)	1997-98 से 2001-02 तक	डी.पी.ई.पी. चरण-III बिहार के 27 जिले
यूनिसेफ (अनुदान)	10 मिलियन अमरीकी डालर (36 करोड़ रु.)		
विश्व बैंक (उदार ऋण)	165 मिलियन अमरीकी डालर (577 करोड़ रु.)	1993-94 से 2000-01	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना (राज्य क्षेत्र) के अन्तर्गत 12 जिले
	और 59.4 मिलियन अमरीकी डालर का पूरक निधियन (220 करोड़ रु.)	1997-98 से 2000-01	
सीडा स्वीडन सरकार (अनुदान)	60 मिलियन सेक (27 करोड़ रु.)	1994-95 से 1998-99	राजस्थान के 31 जिलों में शिक्षा कर्मी परियोजना (चरण-II)
सीडा स्वीडन सरकार (अनुदान)	100 मिलियन सेक (45 करोड़ रु.)	1994-98	राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना (चरण-II)

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1995-96 से 1997-98) के दौरान प्राथमिक/बेसिक शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न बाह्य निधियन एजेंसियों द्वारा दी गई राशि

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना/निधियन एजेंसी	1995-96	1996-97	1997-98	कुल
1	2	3	4	5	6
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम					
1.	विश्व बैंक (ऋण)	31.79	133.56	200.68	366.03
2.	यूरोपीय आयोग (अनुदान)	0.00	163.96	172.00	335.96

1	2	3	4	5	6
3.	यूनीसेफ (अनुदान)	3.40	567	0.00	9.07
4.	नीदरलैंड (अनुदान)	0.00	0.00	8.13	8.13
5.	ओ.डी.ए., यू.के. (अनुदान)	0.00	0.00	22.49	22.49
	कुल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	35.19	303.19	403.30	741.68
6.	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना (विश्व)	160.00	148.00	110.00	426.00
7.	शिक्षा कर्मी परियोजना (सीडा) (अनुदान)	8.00	9.00	13.85	30.85
8.	लोक जुम्बिश (सीडा) (अनुदान)	7.86	12.97	6.53	27.36

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश परियोजना और शिक्षा-कर्मी योजना के अन्तर्गत निधियों के आबंटन/भुगतान के संबंध में दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	दी गई निधि			31.3.1998 तक कुल प्रदान की गई राशि
		1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5	6
	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम				
1.	आसाम	19.29	10.00	30.37	59.66
2	आन्ध्र प्रदेश	0.50	12.00	34.19	46.69

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	0.00	0.00	18.02	18.02
4.	गुजरात	0.50	4.69	10.56	15.75
5.	हरियाणा	15.61	13.60	36.67	65.88
6.	हिमाचल प्रदेश	0.50	7.29	18.74	26.53
7.	कर्नाटक	22.15	15.00	60.18	97.33
8.	केरल	19.02	5.75	30.13	54.90
9.	मध्य प्रदेश	67.19	83.86	117.83	268.88
10.	महाराष्ट्र	29.30	6.27	50.00	85.57
11.	उड़ीसा	0.50	8.72	21.15	30.37
12.	राजस्थान	0.00	0.00	0.50	0.50
13.	तमिलनाडु	21.39	11.74	43.40	76.53
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.50	54.50	55.00
15.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	19.00	19.00
16.	राष्ट्रीय घटक	5.00	4.58	14.65	24.23
	कुल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	200.95	184.00	559.89	944.84
17.	लोक जुम्बिश परियोजना (राजस्थान)	15.00	22.20	32.66	69.86
18.	शिक्षा कर्मी योजना (राजस्थान)	8.00	9.00	13.85	30.85

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

5727. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इनमें राज्यवार कितने व्यक्ति हताहत/घायल हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभाजक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान राज्य-वार सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न किया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिवाइडर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन से चौड़ा करके चार लेन बनाते समय विपरीत दिशा के यातायात को पृथक करने के लिए सामान्यतया बीच में विभाजक बनाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते हुए यातायात और दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार हेतु अनेक उपाय कर रही है। इनमें, दो लेन को चौड़ा करके चार लेन बनाना, उभरी हुई पटरी बनाना, कमजोर पेवमेंट को मजबूत बनाना, कमजोर और तंग पुलों तथा पुलियों का पुनर्निर्माण करना, फाटकों के स्थान पर पुलोपरि सड़क बनाना, रिट्रो-रिफ्लैक्टिव सड़क संकेतों की व्यवस्था करना, थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नांकन, उच्च यातायात सघनता वाले मार्गों पर ले-बाई और मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान करना शामिल है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों, घायल व्यक्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1995	1996	1997
1	2	3	4
दुर्घटनाएं			
आंध्र प्रदेश	5816	7117	अनुपलब्ध
अरुणाचल प्रदेश	48	63	54
असम	1477	1464	1584
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	938	946	886
गुजरात	3184	4967	अनुपलब्ध

1	2	3	4
हरियाणा	2494	2385	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	755	704	661
जम्मू एवं कश्मीर	113	324	587
कर्नाटक	7690	8040	अनुपलब्ध
केरल	8699	7577	अनुपलब्ध
मध्य प्रदेश	6097	6816	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मणिपुर	158	163	161
मेघालय	221	175	अनुपलब्ध
मिजोरम	30	46	अनुपलब्ध
नागालैंड	58	73	22
उड़ीसा	2497	2264	अनुपलब्ध
पंजाब	688	876	1229
राजस्थान	7169	6501	6924
सिक्किम	74	66	48
तमिलनाडु	2426	12300	अनुपलब्ध

1	2	3	4
त्रिपुरा	101	125	अनुपलब्ध
उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	5622	5848
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	36	51	56
दादर एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	1012	1057	अनुपलब्ध
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	255	209	233
जोड़	52033	69931	18073
मृत व्यक्ति			
आंध्र प्रदेश	2146	2580	अनुपलब्ध
अरूणाचल प्रदेश	5	13	13
असम	774	760	866
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

1	2	3	4
गोवा	101	96	111
गुजरात	897	1121	अनुपलब्ध
हरियाणा	1168	1211	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	228	216	181
जम्मू एवं कश्मीर	94	173	131
कर्नाटक	1898	1974	अनुपलब्ध
केरल	968	859	अनुपलब्ध
मध्य प्रदेश	1276	1355	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मणिपुर	59	32	43
मेघालय	78	58	अनुपलब्ध
मिजोरम	28	31	अनुपलब्ध
नागालैंड	31	50	15
उड़ीसा	788	763	अनुपलब्ध
पंजाब	591	561	938
राजस्थान	1821	2058	2078
सिक्किम	13	11	10

1	2	3	4
तमिलनाडू	2723	2787	अनुपलब्ध
त्रिपुरा	32	45	अनुपलब्ध
उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	3098	3165
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	18	26	25
दादर एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	257	261	अनुपलब्ध
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	35	27	32
जोड़	16029	20166	7608
घायल व्यक्ति			
आंध्र प्रदेश	6720	7982	अनुपलब्ध
अरूणाचल प्रदेश	71	94	134

1	2	3	4
असम	2182	2288	2623
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	729	782	605
गुजरात	4063	4937	अनुपलब्ध
हरियाणा	2808	3089	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	1256	996	1006
जम्मू एवं कश्मीर	432	395	526
कर्नाटक	10749	11824	अनुपलब्ध
केरल	12393	11673	अनुपलब्ध
मध्य प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मणिपुर	253	295	294
मेघालय	265	184	अनुपलब्ध
मिजोरम	121	117	अनुपलब्ध
नागालैंड	130	76	63
उड़ीसा	2785	2727	अनुपलब्ध

1	2	3	4
पंजाब	560	813	1077
राजस्थान	8285	7961	766
सिक्किम	118	115	6
तमिलनाडु	11731	11159	अनुपल[illegible]
त्रिपुरा	169	174	अनुपल[illegible]
उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	4136	40[illegible]
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपल[illegible]
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	[illegible]
चंडीगढ़	24	39	
दादर एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	
दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	
दिल्ली	819	787	
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	
पांडिचेरी	233	188	
जोड़	66896	72831	

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय

5728. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस तारीख को मंजूर किया गया था और क्या राज्य सरकार ने इसके लिये भूमि उपलब्ध करायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारियों का अभियोजन

5729. **श्री मोहन रावले: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप दर्ज किए गए हैं और उनके विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(घ) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इन कार्यपालकों के विरुद्ध लगाए गए आरोप मुख्यत: दुराचार, धन के दुरूपयोग और अपना कर्त्तव्य निभाने में पद्धति सबंधी चूक करने से संबंधित हैं। आचरण, अनुशासन और नियम के अपील संबंधी नियमों में पद्धति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार आरोपी कार्यपालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

विझहिनजाम मत्स्यन पोताश्रय का उन्नयन

5730. **श्री के. करूणाकरन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पोताश्रयों/पत्तनों की संख्या क्या है;

(ख) इनका वर्तमान दर्जाबंधन क्या है;

(ग) क्या वहां पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विझहिनजाम मत्स्यन पोताश्रय का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) देश में 181 लघु पत्तन अभिनिर्धारित किए गए हैं जिनका संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में 11 महापत्तन हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वल्लारपदम कोचीन में कंटेनर टर्मिनल

5731. **श्री जॉर्ज ईडन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वल्लारपदम कोचीन में कंटेनर टर्मिनल परियोजना के निर्माण पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) वल्लारपदम, कोचीन में निजी निवेश के माध्यम से एक कन्टेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव है। कोचीन पत्तन न्यास को निजी पार्टियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हो चुकी है। पार्टी का चयन कर लिए जाने के बाद चुनी गई पार्टी द्वारा लागत और अन्य ब्यौरों का पता लगाने

के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा। अत: अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

खराब पड़े टेलीफोन/टेलीफोन एक्सचेन्ज

5732. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए अधिकांश टेलीफोन एक्सचेन्ज और टेलीफोन पिछले छ: महीने से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे करोड़ों रुपए की हानि हो रही है;

(घ) टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने से पूर्व टेलीफोन एक्सचेंज की समुचित देखरेख के लिए सूत्रबद्ध की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें क्रियान्वित न किए जाने के कारण क्या हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में अनेक अधिकारी दोषी पाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, उग्रवादी/आतंकवादी गतिविधियों के कारण आन्ध्र प्रदेश में 105 तथा जम्मू एवं कश्मीर में 6 छोटे एक्सचेंज क्षतिग्रस्त हुए हैं/जलाए गए हैं।

(ग) जी नहीं। तथापि, एक्सचेंजों के क्षतिग्रस्त होने/जलाए जाने के कारण राजस्व की कुछ हानि हुई है।

(घ) टेलीफोन एक्सचेंजों तथा टेलीफोन कनेक्शनों के समुचित रख-रखाव हेतु तैयार की गई स्कीमें इस प्रकार हैं:-

(1) ओवर हैड लाइनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से भूमिगत केबल बिछाई जा रही हैं।

(2) पुराने तथा घिसे-पीटे ड्रापवायर, हाउस वायरिंग, टेलीफोन उपकरण आदि को बदलना।

(3) एक्सचेंजों की पुरानी बैटरियों को बदलना।

(4) ऐसे क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ईंजन अलटरनेटर की व्यवस्था करना जहां बिजली आपूर्ति नियमित नहीं है।

(5) आधुनिक उपस्करों के संचालन हेतु स्टाफ को प्रशिक्षण देना।

(6) बेहतर सेवाओं के लिए उपयुक्त औजार तथा जांच/माप उपकरण प्रदान करना।

(7) संस्थापित नए एक्सचेंजों को चालू किए जाने से पहले निर्धारित मानकों के अनुसार उनका स्वीकृति परीक्षण किया जाता है।

(8) एक्सचेंजों का नियमित रूप से निरीक्षण करना।

(9) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की दैनिक जांच।

उक्त स्कीमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पेड़ों की कटाई

5733. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण बिहार के जनजातीय क्षेत्रों वाले वनों में पेड़ों की कटाई पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान पर्यावरण सुधार की दृष्टि से क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा बिहार सरकार के साथ इस संबंध में की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत क्षेत्र में निजीकरण

5734. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्युत उत्पादन हेतु निजी कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या क्या है तथा उन प्रस्तावों की संख्या क्या है, जिन पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) जी, हां। 1991 में भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के आरंभ होने से लेकर अभी तक निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 126 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)/आशय पत्र इत्यादि माध्यम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 95 प्रस्ताव तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 31 प्रस्ताव शामिल हैं, अभी तक की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 44 परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। इनके लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित निजी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर दी गई है और विद्युत का उत्पादन आरंभ हो गया है:-

क्रमांक	परियोजना/स्थल का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1.	हजीरा संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन जिला सूरत, गुजरात	515
2.	बड़ौदा संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला बड़ौदा, गुजरात	167
3.	पगुठान संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला भार्न, गुजरात	655*
4.	जेगुरूपाडु संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	216
5.	गोदावरी संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	208

*अब तक केवल 414 मे.वा. चालू की गई है।

चिकित्सा सहायता केन्द्रों की स्थापना

5735. श्री रामटहल चौधरी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे चिकित्सा सहायता केन्द्रों की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार ने 1993-94 में एक राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम लागू की थी जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए एम्बुलैंस और दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों को हटाने के लिए क्रेन खरीद सकें।

(ग) और (घ) फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रा.रा.-8 के कोटपुतली-आमेर खंड पर एक एम्बुलैंस सेवा चला रहा है। इस एम्बुलैंस में एक चालक तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं सहित एक अटैंडेंट तैनात होता है। दुर्घटना के मामले में यह एम्बुलैंस तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाएगी और पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल ले जाएगी।

मधुबनी में टेलीफोन एक्सचेंज

5736. डा. शकील अहमद: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के मधुबनी जिले के लिए कोई 4 के.सी.डी.ओ. टी.आर.एल.यू. सुविधाओं से युक्त टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण हो जाने के बावजूद इसे सहरसा स्थानांतरित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां।

(ख) मधुबनी के लिए 4के सी-डाट मैक्स-एक्सएल मेन हेतु उपस्कर तथा साकरी एवं राजनगर में 1 के.के. एक-एक आर.एस.यू. कार्य स्थल पर पहुंच गए हैं।

(ग) मधुबनी में भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। अक्तूबर, 1998 तक एक्सचेंज संस्थापना के लिए इसके तैयार हो जाने की संभावना है। मधुबनी में प्राप्त 4के मेन में से केवल 1के उपस्कर को अस्थाई तौर पर सहरसा भेजा गया है।

(घ) सहरसा में सी-डॉट एम.बी.एम. एक्सचेंज विस्तार करने के लिए 1के अतिरिक्त उपस्कर की तत्काल आवश्यकता थी।

(ङ) अतिरिक्त एम.बी.एम. उपस्कर के अगस्त/सितम्बर 1998 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। इसके प्राप्त हो जाने पर मधुबनी से अस्थाई तौर पर सहरसा भेजा गया 1 के उपस्कर वापस मधुबनी भेज दिया जाएगा।

[अनुवाद]

तकनीकी संस्थानों द्वारा चन्दा

5737. श्री एस. सुधाकर रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेडीकल, इंजीनियरिंग कालेजों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के प्रबन्धन द्वारा मांगी गई चन्दे की भारी राशि की जांच करने के लिए कोई कार्यप्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है जो चन्दे के रूप में भारी राशि ले रहे थे और दोषी पाई गई प्रबन्धनों को क्या सजा दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) प्राइवेट गैर सहायता वाले व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश और शिक्षा शुल्क संरचना को वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निर्धारित योजना तथा उसके अनुसार क्रमशः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत विनियमित किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के संबंध में शिकायतों की जांच करने के लिए मानीटरिंग तथा अनुशासनात्मक समितियां गठित की है। सरकार को प्राइवेट गैर सहायता वाले व्यावसायिक कालेजों द्वारा दानों के लिए मांग के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

दिल्ली में खराब टेलीफोन

5738. श्री गुरूदास कामत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन विभाग राजधानी में विशेषरूप से चाणक्यपुरी एक्सचेंज में टेलीफोन को चालू करने के लिए कई सप्ताह लगाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) सामान्यतया टेलीफोन संबंधी खराबियों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है। अधिकांश खराबियां बुकिंग के समय से निर्धारित 48 घण्टे के भीतर ठीक कर दी जाती हैं। तथापि केबिल में कुछ जटिल ब्रेक डाउन आ जाने से खराबियों को पूरी तरह से ठीक करने में काफी समय लग जाता है।

जहां तक चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज का संबंध है, औसतन 67.5 प्रतिशत पंजीकृत शिकायतें उसी दिन, 91.5 प्रतिशत अगले दिन और 95.5 प्रतिशत शिकायतें 48 घण्टों के भीतर निपटा दी जाती हैं। शेष शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें केबिल ब्रेक डाउन और उपभोक्ता द्वारा टेलीफोन संबंधी पूर्ण एवं सही जानकारी न देने के कारण निर्धारित समय से अधिक समय लग जाता है।

महाराष्ट्र में उपग्रह टी.वी. नेटवर्क

5739. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिले उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क से जोड़ दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) महाराष्ट्र के गांवों सहित सभी जिलों को इस नेटवर्क के साथ कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। दूरदर्शन ने उपग्रह चैनल उपयुक्त डिश एंटेना प्रणाली के जरिए महाराष्ट्र के सभी जिलों सहित पूरे देश में उपलब्ध हैं।

(ख) महाराष्ट्र के जिलों सहित देश में उपलब्ध दूरदर्शन के उपग्रह चैनल निम्न प्रकार से हैं:-

डी.डी.-1, डी.डी.-2, डी.डी.-4, डी.डी.-5, डी.डी.-6, डी.डी.-7, डी.डी.-8, डी.डी.-9, डी.डी.-10, डी.डी.-11, डी.डी.-12, डी.डी.-13, डी.डी.-14, डी.डी.-15, डी.डी.-16, डी.डी.-17, डी.डी.-18, डी.डी.-1 (इंडिया)

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण

5740. डा. विजय सोनकर शास्त्री: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से शैक्षिक संस्थाओं में कुछ प्रतिशत सीटें ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित करने को कहा है जिनके माता/पिता में से केवल एक हों; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सिर्फ सलाह ही दी है कि केवल माता/पिता वाले बच्चों को किसी भी शैक्षिक संस्था में उक्त आधार पर दाखिला देने से मना न किया जाए तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय प्रमाण पत्रों में माता और पिता दोनों के ही नाम दर्ज करने पर जोर न दिया जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंस्टालमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

5741. श्री कड़िया मुण्डा: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** 8 जून, 1998 को दिए गए अता. प्र. सं. 1862 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंस्टालमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के उपाध्यक्ष/निदेशकों ने कंपनी की देयताओं के विरुद्ध 1992 से 31.3.97 के बीच विभिन्न व्यक्तियों को करोड़ों रुपए के दिनांकोत्तर चेक विभिन्न बैंकों में कंपनी के अपने खातों से जारी किए थे जो जमा होने के बाद वापस हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) इस विभाग के पास मैसर्स इंस्टालमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के उपाध्यक्ष/निदेशकों द्वारा उक्त कम्पनी की देयताओं के विरुद्ध 1992 से 31.3.97 के दौरान विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों में कम्पनी के अपने खातों से करोड़ों रुपये के विभिन्न दिनांकोत्तर चैक जारी करने, जो जमा होने के बाद वापस हो गए थे, की कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है क्योंकि निरीक्षण अधिकारी द्वारा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में ताला लगा पाया गया था और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण करने के दौरान निरीक्षण अधिकारी के समक्ष कम्पनी की लेखा पुस्तिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

निरीक्षण अधिकारी को कम्पनी की लेखा पुस्तिकाओं तथा अन्य रिकार्डों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रादेशिक निदेशक, कानपुर को 27.7.98 को कम्पनी अधिनियम की धारा 209क (2)(5) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन दायर करने की सलाह दी गई है।

(ग) परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत चैक के प्राप्तकर्ता द्वारा चैक के जारी करने वाले के विरुद्ध चैक को अस्वीकृत करने की कार्रवाई की जा सकती है।

कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंज

5742. श्री ए. सिदराजू: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पत्र मिलने पर टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में चामनगर क्षेत्र में कितने स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने हेतु 10 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) कर्नाटक में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान स्थान-वार कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किए गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में कुछ नये टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) विभाग की नीति के अनुसार, किसी स्थान पर 10 या इससे अधिक टेलीफोनों की पंजीकृत मांग होने तथा उस स्थान के किसी अन्य एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में न पड़ने पर वहां नया टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना बनाई जाती है।

(ख) चामराजनगर क्षेत्र में ऐसे 7 स्थान हैं।

(ग) 30.6.98 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में 2178 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(घ) 1997-98 के दौरान कर्नाटक में 73 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए थे। इनके स्थानों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। संलग्न विवरण-II में दिए अनुसार।

विवरण-I

कर्नाटक सर्किल में 1997-98 के दौरान खोले गए नए एक्सचेंज (स्थानवार)

बंगलौर टीडी

1. आई.टी.पी.एल.
2. राष्ट्रीय खेल
3. एच.एस.आर.
4. होसाकेरेहल्ली
5. ओ.सी.बी. टैक्स
6. वरथूर
7. होसाकोटे औद्योगिक क्षेत्र
8. वोलागारापुरा
9. पीन्या
10. कैन्गोरी
11. कुमारास्वामी लेआउट

चित्रदुर्गा टी.डी.

12. रजनाहल्ली
13. चिक्कागोंडनहल्ली
14. अलूर (हिरियूर)

बेल्लरी टी.डी.

15. कॉनटोनमेंट बेल्लरी
16. टी.बी. डैम, होस्पे
17. ए.पी.एम.सी., बेल्लरी

उत्तर कन्नड़ टी.डी.

18. हैंकन
19. करवार जी. स्ट्रीट
20. अनन्तवाड़ी
21. बड़ोसगांव

22. टडडलसे
23. चिगल्ली
24. उप्पेश्वर
25. होडकाशलरूर
26. उनचल्ली

हसन टी.डी.

27. मुद्दूडो
28. तुमकूर टी.डी.
28क. तीथा

दक्षिण कन्नड़ टी.डी.

29. कार स्ट्रीट, मंगलौर
30. बाटला
31. बेलाल
32. पाडव

बेलगांव टी.डी.

33. गाजापाथी
34. मुतूगा
35. शिवाबासावानगर
36. भाग्यनगर

कोलर टी.डी.

37. मुद्दवाथी
38. नयाकराहल्ल
39. अड्डगल
40. बाइनापल्ली
41. कोडीचेरूवू

चिकमांगलूर टी.डी.

42. मालेनाहल्ली
43. बानूर
44. बेलवाड़ी
45. भारथीबॉल
46. कलकेरे
47. कुच्चेबैल
48. समसे
49. सुट्टया

धारवाड़ टी.डी.

50. समथापुर
51. यालागिवी
52. हीरेनरथी
53. चिक्काबसूर
54. हीरोहोन्नहल्ली
55. कुड़ीहल
56. शान्ती नगर

गुलबर्गा टी.डी.

57. नेहरूगंज

58. हेब्बाले (बी.)

59. बस स्टैंड

मैसूर टी.डी.

60. वरूणा

61. दूरा

62. बेन्नीमन्टप

शिमोगा टी.डी.

63. देवरहल्ली

64. शिमोगा

मंडया टी.डी.

65. नार्थ ब्लॉक

बीजापुर टी.डी.

66. हुल्लूर

67. धावालागी

68. नवनगर

69. थेक्कलकी

70. अल्होले

71. बागालूर

रायचूर टी.डी.

72. गिनीगेरा

73. नागाब्बावी

विवरण-II

कर्नाटक सर्किल में वर्ष 1998-99 के लिए स्था. प्रस्तावित नए एक्सचेंज

बंगलूर टी.डी.

बंगलूर शहर

1. चन्द्रा एल./ओ.

2. ओ.एम.बी.आर.

3. एम.बी.आर.

4. नागरभावी

5. एल.आई.एस.सी.

6. संजयनगर

7. बंगलूर ग्रामीण

बोलरे

8. राजनगट्टा

9. मंदूर

10. नारायणगट्टा

11. समंदूर

बेल्लारी

12. उच्चांगी

13. राघवेन्द्र कालोनी

14. गांधीनगर

बीजापुर

15. मसलबिनाल
16. धुलाखोड
17. गोलामोर
18. जलवाडगी
19. बिरूर
20. न्यू बेगालकोट

वेलगांव

21. मोले
22. नलंगजाज
23. बुगाटिलूर
24. कब्बूर
25. मॉटीकटी
26. सत्यसागर
27. नरसापुर
28. मंजारी
29. हुलागवाली

चिकमगलूर

30. सोकके
31. नारायणपुर
32. उडेबोरनहाली
33. गुलबर्गा
34. हालीसतनगर
35. फिरोजाबाद
36. चन्द्रकी

सोडस रोड गुलबर्गा

हसन

37. बाईलाहाली
38. कारले
39. वोलालाहाली
40. अगरहोरागटो

हुबली

41. चिरनाहाली
42. कोरलाहाली
43. हुलगोल
44. कनावटी
45. रोटीगवाड़ा
46. मदनभावी
47. मड्डाली
48. कुडेपाली

मंड्या

49. के होन्नेलगेरे
50. अनेगोल
51. चन्धागूलू

दक्षिण कन्नाड़ा

52. केलमकर

53. पेड्कोरे

54. थोकर

55. अजारी

56. येनेकई

रायचूर

57. इन्दरगी

58. नगरहाल

59. कुनीकेरे

60. चिकलपारवी

61. येरडोना

62. नवाली

63. हीरेवांकलाकुटे

टूमकूर

64. के.जी. टेम्पल

65. रंगापुरा

66. एचानूर

67. आलप्पनगुड़ी

68. हंसागिरी

69. मारूतिनगर

70. अनंथरासनाहिल्ली

उत्तरा कन्नड़ा

71. कुम्बरावाड़ा

72. शिराली

73. अड्गट्टा

74. असलोली

75. मालवल्लि

76. माविनागुडल

77. केरवाड़ी

शिमांग

78. हेद्दरीपुरा

79. एराहल्लू

80. न्यू टाउन, भद्रावती

मैसूर

81. कावेरीपुरा

82. बाल्लाकुप्पी

83. एन. बेगूर

84. मुथूर

देवनगिरी

85. जजूर

86. महादेवापुरा

87. कोनासागरा

88. बगूर

89. पारंकल्लि

90. एम.सी.सी.बी. ब्लाक देवनगिरी

बिदार टी.डी.

91. साई गांव

92. वारवहि

93. मोरमबी

94. सिंघोल

मादीकेरी टी.डी.

95. अंकनाहल्लि

96. अब्बूरकट्टि

97. डोड्डापुल्लिकोटि

कोलार टी.डी.

98. हुगलहल्लि

99. मड्डेरी

100. डोड्डाचिन्नाहाल्लि

101. संथेकल्लनहल्लि

102. सदाली

103. थुम्मनाहल्लि

104. मालमाचनहल्लि

105. नंदनाहोसाहल्लि

106. नाम्बिहल्लि

पानीपत में बाईपास का निर्माण

5743. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परिवहन को सुचारू बनाने के लिये पानीपत में बाईपास का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक शुरू की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) पानीपत में बाइपास का निर्माण साध्यता अध्ययन के स्तर पर है।

महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी

5744. डा. महादीपक सिंह शाक्य: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) निजी क्षेत्र को महिलाओं और बच्चों के विकास के कार्यक्रम स्वयं शुरू करने तथा इस प्रयोजनार्थ स्थापित राष्ट्रीय शिशुगृह कोष जैसे कोषों में अंशदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निजी क्षेत्र ऐसे सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजनाएं शुरू कर सकता है, जिनमें इस प्रकार की भागीदारी का प्रावधान होता है।

(ख) महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। इन स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों

की वार्षिक रिपोर्टों में आमतौर पर इस प्रकार के प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा होता है। ये वार्षिक रिपोर्टें माननीय सांसदों को भेजी जाती हैं और संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती हैं।

(ग) महिला एवं बाल विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के निरूपण में उनसे परामर्श किया जाता है। उनकी सेवाओं का इस्तेमाल विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन और प्रबोधन के लिए भी किया जाता है।

एन.सी.ई.आर.टी. केन्द्रों की स्थापना

5745. श्री के.एच. मुनियप्पा:
श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण छात्राओं को वित्तीय सहायता

5746. श्री बासवराज पाटील सेडाम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण छात्राओं को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता देने के मापदंड क्या हैं; और

(घ) सरकार विभिन्न राज्यों में इस धनराशि को किस प्रकार व्यय करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सरकार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कॉलेज स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने की योजना शुरू करने पर विचार कर रही है जिसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इस कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान नियत किया गया है। इसके अलावा अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा से संबंधित हैं। इस समय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 14 राज्यों के 149 जिलों में चल रहा है जिसमें कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। गैर औपचारिक शिक्षा योजना भी पिछड़े तथा सुदूर क्षेत्रों में स्कूल न जाने वाले बच्चों से संबंधित है। अतः इसमें भी बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं में साक्षरता को बढ़ाने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रमुखता दी गई है। महिला समाख्या कार्यक्रम भी कम महिला साक्षरता के क्षेत्रों में दूसरी पहल है।

[हिन्दी]

रिक्तियों का भरा जाना

5747. श्री अनूप लाल यादव:
श्री विजय कुमार "विजय":

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997 से बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा ई.डी.डी.ए./एम.सी. तथा ई.डी./बी.पी.एम. की कितनी रिक्तियां जिलेवार भरी गई;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में इन नियुक्तियों के समय नियम और विनियम के उल्लंघन के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही का जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) जानकारी बिहार सर्किल से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

"वेयर हाउसिंग कंटेनर्स" के लिए क्षतिपूर्ति शुल्क की अदायगी

5748. श्री सोमजी भाई डामोर: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड की प्राप्तियों के अंतर्गत वेयर हाउसिंग कंटनर्स के लिए मुआवजा शुल्क की अदायगी वसूल कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता पत्तन पर पत्तन शुल्क भारत में अन्य प्रमुख पत्तनों की तुलना में अत्यधिक और असंगत है;

(ग) यदि हां, तो कस्टम्स चैप्टर "44" में अन्य मदों की तुलना में एम.डी.एफ. जैसे कम मूल्य वाले उत्पाद के लिए उच्चतर "ग्राउंड रेंट" लगाए जाने का क्या औचित्य है; और

(घ) कलकत्ता पत्तन पर "ग्राउंड चार्ज" को देश के अन्य भागों में स्थित पत्तनों के समतुल्य लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) कलकत्ता पत्तन न्यास वेयर हाउसिंग कंटेनर्स से मुआवजा शुल्क की वसूली नहीं करता है। तथापि, वेयरहाउस पर भरे जा रहे अथवा खाली किए जा रहे तथा अंततः पत्तन से गुजरने वाले कंटेनरों के लिए कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा रिहाई शुल्क वसूलने की प्रणाली है।

(ख) कलकत्ता में पत्तन शुल्क, उपलब्ध कराई गई सेवाओं की तुलना में और सेवाओं को उपलब्ध कराने में पत्तन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत की तुलना में असंगत अथवा अत्यधिक नहीं हैं।

(ग) और (घ) कलकत्ता पत्तन में भूमि के किराये की दरें अधिकतर मामलों में अन्य पत्तनों के भूमि के किराये की तुलना में अधिक नहीं हैं। तथापि, जब भी आवश्यक समझा जाता है पत्तन न्यास दरों की समीक्षा करता है।

वनों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

5749. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को उस राज्य में घटते वन-संसाधन में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सहायता देने संबंधी कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तीन स्कीमों के अन्तर्गत वन संसाधनों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को सहायता दी है। ये स्कीम और नौवीं योजना हेतु वित्तीय परिव्यय इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	स्कीम	नौवीं योजना हेतु वित्तीय परिव्यय
1.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन, काष्ठ और चारा परियोजनाएं	881.67
2.	एकीकृत वनीकरण और पारि विकास परियोजनाएं	769.05
3.	औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संरक्षण और विकास	303.57

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

5750. श्री के.एस. राव:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरसंचार सेवा के मूल्य-निर्धारण के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) जिन सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) निजी दूरसंचार सेवा प्रचालकों से उनके कार्यों की घटिया वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में सरकार द्वारा उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर रखते हुए औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) से सेल्यूलर और पेजिंग सेवा उद्योग का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। बी.आई.सी.पी. की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सेल्यूलर ऑपरेशन ऑन द वर्ज आफ कलैप्स

5751. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार 'सेल्युलर आपरेशन ऑन द वर्ज आफ कलैप्स' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां।

(ख) सेल्यूलर प्रचालन में लगी निजी दूरसंचार कम्पनियों तथा उनकी एसोसिएशन से उनके कार्यों के बहुत कम वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। निजी दूरसंचार प्रचालकों ने लाइसेंस शुल्क की अदायगी की मोहलत तथा लाइसेंस अवधि बढ़ाने का मांग की है।

(ग) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) से सेल्यूलर और पेजिंग सेवा उद्योग का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। बी.आई.सी.पी. द्वारा अध्ययन किए जाने तक आई.सी.आई.सी.आई. इण्डस्ट्रिअल केन्द्रीय एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड से भी सेल्यूलर सेवा उद्योग के प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन का तुरंत अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। मामलों के सभी पहलुओं पर विचार कर लेने के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दूरदर्शन पर घटिया स्तर की फिल्मों का प्रसारण

5752. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शनिवार और रविवार को दूरदर्शन-1 और दूरदर्शन-2 पर घटिया स्तर की फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन दोनों चैनलों पर अच्छी और नई फिल्मों को प्रसारित करने के लिए चयन हेतु कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) दूरदर्शन पर फिल्मों के प्रसारण संबंधी मामला पूर्णरूप से प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र में आता है और सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में प्रमुख पत्तन के लिए प्रस्ताव

5753. श्री खारबेल स्वाईं: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में धामरा नदी के मुहाने पर एक प्रमुख पत्तन बनाने के संबंध में उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्तावि है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमानित लागत तथा इसे किस प्रकार अंतिम रूप दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। तथापि, उड़ीसा सरकार ने धामरा पत्तन, जोकि एक लघु पत्तन की श्रेणी में आता है, के बी.ओ.ओ.टी. आधार पर विकास के लिए मै. इंटरनेशनल सीपोर्ट, सिंगापुर के साथ एक करार किया है।

(ख) मै. इंटरनेशनल सीपोर्ट, सिंगापुर को व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करना है और इसलिए, परियोजना के संबंध में अनुमानित

प्रमात और अन्य ब्यौरे बता पाना अभी संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, लघु पत्तन संबंधित राज्य के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं और इस प्रकार यह मामला उड़ीसा सरकार से संबंधित है।

नियमों का उल्लंघन

5754. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन हैल्थ एंड एनवायरमैंट एलाइड डाटाबेस नामक संस्था पंजीकृत है और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान में कार्य कर रही है जोकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के एक संघटक प्रतिष्ठान के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्था के नियम और संस्थापक सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या इस संस्था को राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान परिसर में चलाने के लिए सरकार द्वारा पूर्वानुमति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान के निदेशक और अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। एशियन हैल्थ एंड एलाइड डेटा (अहेड) 9 संगठनों का एक सहायता संघ है जिसमें से 8 संगठन सरकारी हैं तथा 1 गैर-सरकारी (एन.जी.ओ.)। ये संगठन 7 एशियाई देशों यथा सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, बंगलादेश, भारत, मलेशिया तथा मंगोलिया से संबंधित हैं। अहेड भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह सहायता संघ प्रतिभागी सदस्यों से प्राप्त निवेश पर आधारित आधुनिक इलैक्ट्रानिक फार्मेट में एशियन हैल्थ तथा उससे संबंधित अन्य सूचना का प्रकाशन तथा विपणन करना चाहता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) ने अहेड को दो आंकड़ाधार अर्थात् "वेल्थ ऑफ इंडिया" तथा "मेडिसनल एरोमैटिक प्लान्ट्स फॉस्ट्रैक्ट्स" उपलब्ध कराए हैं। अहेड को वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आई.डी.आर.सी.) कनाडा तथा निस्कॉम द्वारा दी जाती है क्योंकि ये अग्रणी संगठन सदस्य आधारभूत संरचनात्मक और सीमित रूप में तकनीकी जनशक्ति सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी कारपोरेशन

5755. प्रो. रीता वर्मा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी कारपोरेशन में श्रम शक्ति और आर्थिक नीति को तार्किक बनाने के लिए कोई समीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समीक्षा हेतु नियुक्त किये गये अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(घ) यह समीक्षा कब तक पूरी किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इससे पहले भी इस तरह की समीक्षाएं की गयी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (च) दामोदर घाटी निगम में जनशक्ति के यौक्तिकरण हेतु समीक्षा की गई है। आर्थिक नीति के संबंध में दामोदर घाटी निगम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों का अनुसरण करती है। ईष्टतम जनशक्ति की आवश्यकता का मूल्यांकन एवं सुधार लाने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:

1. लेखा एवं वित्त विभाग की जनशक्ति की समीक्षा हेतु लेखा एवं वित्त विभाग के आंतरिक अधिकारियों सहित गठित समिति।
2. दामोदर विद्युत निगम ताप विद्युत केंद्रों में जनशक्ति आवश्यकता की समीक्षा और यौक्तिकरण के लिए आंतरिक अधिकारियों के साथ गठित समिति।
3. मिलट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरी, हैदराबाद द्वारा गठित समिति।
4. जनशक्ति विभाग/परियोजना-वार को और समीक्षा के लिए निदेशक (मानव संसाधन विकास) द्वारा गठित समिति।

की गई सिफारिशों के आधार पर सभी स्तरों पर चर्चा और विचार-विमर्श के उपरांत वर्ष 1996-97 में दामोदर घाटी निगम की जनशक्ति आवश्यकताओं की समीक्षा की गई।

दामोदर घाटी निगम के आंतरिक अधिकारियों के साथ गठित इस समीक्षा समिति में डी.सी.ई./एस.ई. स्तर के छ: अधिकारी हैं।

जनशक्ति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। प्रथम चरण जो कि जनशक्ति के यौक्तिकरण का मूल्यांकन है, पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर/मानकों की तुलना में जनशक्ति मे.वा. के अनुपात में सुधार लाने के लिए और समीक्षा की जा रही है। यह सतत् प्रक्रिया होगी और वस्तुत: इसके पूरा होने की कोई निश्चित अवधि इंगित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

तकनीकी शिक्षा परियोजना

5756. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोलीटेक्निक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के प्रथम चरण में शामिल किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मेघालय में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए परियोजना स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे तकनीकी शिक्षा परियोजना के चालू चरण में शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) देश में पालिटेक्निक शिक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में तकनीशियन शिक्षा प्रणाली की क्षमता, कोटि तथा कार्य-क्षमता में सुधार करना है। इस परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। 30.6.98 की स्थिति के अनुसार लगभग 1956 करोड़ रुपये के कुल परियोजना प्रावधान के मुकाबले 1461 करोड़ रुपये का पहले ही उपयोग किया जा चुका है। परियोजना में शामिल 19 राज्यों/संघ क्षेत्रों में पालिटेक्निकों में छात्राओं का नामांकन प्रतिशत जो परियोजना के प्रारंभ में 11% था, बढ़कर 28.3% हो गया जो परियोजना शुरू होने से पूर्व निर्धारित 15% के राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक हो गया है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्राओं के लिए तकनीशियन शिक्षा सहित तकनीशियन शिक्षा के स्तरोन्नयन के वास्ते मेघालय समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे हैं। मेघालय सरकार से प्रस्ताव अब तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

विद्युत क्षेत्र के लिए साझा न्यूनतम कार्य योजना

5757. श्री रंजीब बिस्वाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए साझा न्यूनतम कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 3 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उक्त कार्य योजना तैयार की गई थी; और

(घ) योजना की क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने 16.10.96 तथा 3.12.96 को मुख्यमंत्रियों के दो सम्मेलन आयोजित किए थे, इसमें सर्वसम्मति के आधार पर विद्युत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्ययोजना (सी.एम.एन.पी.पी.) तैयार की गई।

विद्युत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्ययोजना में विद्युत टैरिफ को युक्ति संगत बनाने में गैर-सरकारी क्षेत्रों की भागेदारी को प्रोत्साहन देने, राज्य विद्युत बोर्डों को अधिकतम संभावित स्वायत्तता हेतु अनुमति प्रदान करने, रा.वि. बोर्डों की बंधकीय पद्धति तथा वास्तविक मानदंडों में सुधार लाने, कैप्टिव विद्युत संयंत्र, सह-उत्पादन को बढ़ावा देने, जल विद्युत परियोजना को उच्च प्राथमिकता देने उनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई आरंभ करने, द्रव ईंधन का आबंटन करने, पिटहैड पर बड़ी विद्युत परियोजनाओं का विकास करने, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निवेश हेतु उचित जोर देने तथा कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) तथा इसके सहायक और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा धोवनशाला स्थापित

...के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य स्तर पर विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है।

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सी.एम.एन.पी.पी. समयबद्ध तरीके से इसके क्रियान्वयन हेतु परिपत्रित की गई है।

हाल ही में सरकार ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों तथा केन्द्र में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हेतु विद्युत विनियामक आयोगों अधिनियम, 1998 को पारित कर दिया गया है। कुछ राज्य सरकारों जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक तथा गोवा ने अपने संबंधित राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है। कैप्टिव/सह-उत्पादन संयंत्र को प्रोत्साहित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एक नई जल विद्युत नीति, जिसे कि जल विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है, के संबंध में राज्यों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं। राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए द्रव ईंधन नीति में संशोधन किया गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मे निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना बना ली गई है। वितरण क्षेत्र में सुधार करने के मामले को व्यापक रूप से जांच कर ली गई है तथा इस संबंध में राज्यों को सुझाव दिए गए हैं।

पर्यावरणीय संरक्षण और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान द्वारा रसायन इकाइयों का अध्ययन

5758. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय संरक्षण और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान विशाखापत्तनम में रसायन उद्योगों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आफ-साइट आकस्मिक योजना की समीक्षा करने हेतु कोई अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने रसायन दुर्घटनाओं को रोकने, उन पर नियंत्रण रखने और उनकी व्यवस्था करने के बारे में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य के मुख्य मंत्री के निर्देशों पर यह अध्ययन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा प्रबंधन पर नई दिल्ली में 28-29 अप्रैल, 1997 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधा

5759. श्री माधव राव पाटील:
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र और ज्यादा दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए नए भवनों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (गोवा सहित) तथा एम.टी.एन.एल. मुम्बई में 1998-99 के दौरान स्विचन क्षमता बढ़ाने, नए टेलीफोन कनेक्शन, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन तथा पी.सी.ओ. लगाने हेतु प्रस्तावित लक्ष्य का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1998-99 के दौरान स्विचन क्षमता बढ़ाने, नए टेलीफोन कनेक्शन, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, पी.सी.ओ. से संबंधित प्रस्तावित लक्ष्य के जिले-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	स्विचन क्षमता	नए टेलीफोन कनेक्शन	वी.पी.टी.	पी.सी.ओ.	
					स्थानीय	एस.टी.डी.
1	2	3	4	5	6	7
I. महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल						
1.	अहमदनगर	10300	7500	47	90	295
2.	अकोला	11000	8000	130	50	170
3.	औरंगाबाद	8500	6300	120	80	250
4.	अमरावती	8500	6300	156	60	95
5.	बीड	2500	1800	70	20	90
6.	भंडारा	3100	2100	140	10	115
7.	बुलधाना	4300	3200	178	30	115
8.	चन्द्रपुर	4000	2900	94	30	115
9.	धुले	5500	4000	33	40	135
10.	गढ़चिरौली	1600	1200	168	5	20
11	जालना	2500	1800	80	20	70
12.	जलगांव	12500	9200	18	70	240

2	3	4	5	6	7
कोल्हापुर	12500	9200	71	150	480
लातूर	28400	6000	0	30	115
नागपुर	25500	18800	156	200	615
नानदेड़	9500	7000	171	35	135
नासिक	19900	15000	55	145	455
उसमानाबाद	4500	3000	96	15	55
परभनी	5000	3700	82	30	90
पुणे	113000	8300	34	545	1295
रायगढ़	10700	7800	0	60	195
रत्नागिरी	6100	4600	130	15	130
सांगली	15000	10000	21	80	265
सतारा	8000	6000	105	80	250
सिंधुदुर्ग	3300	2500	37	20	70
सोलापुर	5500	4000	0	80	270
थाणे	41400	33700	177	270	615
वर्द्धा	5000	3000	121	25	90

1	2	3	4	5	6	7
29.	यवतमाल	3500	2600	160	25	90
30.	गोवा	37000	25000	30	150	475
II.	**एम.टी.एन.एल.**					
	मुंबई के लिए	2,70,000	230000	शून्य	1500	4500

विवरण-II

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल तथा एम.टी.एन.एल. मुंबई में 1998-99 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु प्रस्तावित/निर्माणाधीन/निर्मित नए भवनों के ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंज का नाम
1	2	3
I. महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के लिए		
1	अहमदनगर	1. कुकना
		2. लोनी
		3. पटनेर
		4. श्री गोडा
2.	अकोला	1. अमनखान आर.एल.यू.
		2. अमनखान मेन एक्सचेंज
		3. मनोरा आई.एल.टी.
3.	अमरावती	1. अमरावती एम.आई.डी.सी.
		2. चंदूर बाजार
		3. चंदूर आर.एल.यू.
		4. दरियापुर
		5. नन्दगांव (खुर्द)
		6. परतवाड़ा
4.	औरंगाबाद	1. चिकलधाना 12 के
5.	जालना	1. धनकावांसी ओ.एफ.सी.
		2. जालना एम.आई.डी.सी., आई.एल.टी.
6.	बुल्धाना	1. सिंदखेदराजा आई.एल.टी.
7.	जलगांव	1. भुसावल
		2. चंगदेव, आई.एल.टी.

1	2	3
		3. धरन गांव आई.एल.टी.
		4. इदलाबाद आई.एल.टी.
		5. इरानडोल आई.एल.टी.
		6. जलगांव मेन
		7. कजगांव आई.एल.टी.
		8. कासोडा आई.एल.टी.
		9. पारोला आई.एल.टी.
8.	बीड	1. अमबेजोगाई
		2. पराली
9.	लाटूर	1. लाटूर एम.आई.डी.सी., आई.एल.टी.
		2. निलांगा आई.एल.टी.
10.	नान्देड़	डेगलूर मैक्स-II
11.	परभनी	1. वनवास ओ.एफ.सी.
		2. बासमाथ मैक्स-II
		3. धारासूर ओ.एफ.सी.
		4. हिंगोली आई.एल.टी.
		5. पालन ओ.एफ.सी.
		6. सेनगांव ओ.एफ.सी.
		7. सिरसाम ओ.एफ.सी.

1	2	3
12.	नासिक	1. खेडाले जुम्बे (निफाड)
		2. मंसूर (कलकत्ता)
		3. मुक्तिधाम (नासिक)
		4. शिरवाडेवानी (निफाड)
		5. सुरगाना
		6. बानी (ढिगोरी)
13.	पुणे	1. बारामती एम.आई.डी.सी.
		2. भोसारी
		3. चाकल का वर्तिकल विस्तार
		4. विमान नगर
14.	सांगली	1. देशिंग (पनहाला टाइप)
		2. अष्टा (पनाला टाइप)
		3. जाठ आई.एल.टी.
		4. कवतिमाहकल आई.एल.टी.
		5. खानापुर
		6. वीटा
		7. कूपवाड़े आर.एल.यू.

1	2	3
15.	ओसमानाबाद	1. जेवाली ओ.एफ.सी.
		2. लीट ओ.एफ.सी.
		3. लोहारा ओ.एफ.सी.
		4. मनकेश्वर ओ.एफ.सी.
		5. शिराधोन ओ.एफ.सी.
		6. सेनार ओ.एफ.सी.
		7. तमलवाडी ओ.एफ.सी.
		8. तेरखेडा ओ.एफ.सी.
		9. इयरमाला ओ.एफ.सी.
16.	चन्द्रपुर	1. अरौमनूरी आई.एल.टी.
		2. नागभीर आई.एल.टी.
		3. सिंदेगाही आई.एल.टी.
		4. वरोरा मैक्स-II
17.	वर्धा	1. अरवी
		2. हिंधन घाट मैक्स-I
		3. पुलगांव मैक्स-I
18.	यवतमाल	1. नेर आई.एल.टी.
		2. रालेगांव आई.एल.टी.
		3. खैरी ओ.एफ.सी.

1	2	3
II.	एम.टी.एन.एल. मुंबई के लिए	
		1. बांद्रा कुरला काम्प्लेस
		2. जोगश्वरी
		3. साकी बिहार
		4. सी.बी.डी. बेलापुर
		5. चारकोप
		6. थाणे
		7. वागले स्टेट
		8. वाशी
		9. जुहू डांडा
		10. कप की परेड
		11. कल्बादेवी
		12. कुबला हिल
		13. करी रोड
		14. वरसोबा
		15. पंचपकड़ी आर.एल.यू.
		16. एकसार (आर.एल.यू.)
		17. दहिसार (आर.एल.यू.)

महिला विकास निगम

5760. श्री अशोक नामदेव मोहोल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में महिला विकास निगम की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों की संख्या और नाम क्या-क्या हैं जहां उक्त निगम स्थापित किए गए हैं; और

(ग) उक्त निगम द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य शुरू किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) महिला आर्थिक विकास महामण्डल, मुम्बई पूरे महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत है।

(ग) निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कुकुरमुत्ता की खेती का प्रशिक्षण, अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्यूटी पार्लर, रुग्णसेविका प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

- महिला समृद्धि योजना के प्रचार का कार्य किया।
- कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों का निर्माण और संचालन।
- आई.सी.डी.एस. जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्नों, पोषक खाद्यों तथा अन्य चीजों की आपूर्ति।
- महिलाओं तथा महिला मण्डलों द्वारा उत्पादित चीजों की बिक्री के लिए प्रदर्शनियां लगाना।
- स्व-सहायता दलों के माध्यम से महिलाओं की ऋण तक पहुंच हेतु सहायता से महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना कार्यान्वित करना।
- लातूर और ओस्मानाबाद जिलों में महाराष्ट्र आपात भूकम्प पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत स्व-सहायता दलों को संघटित करना।

आंध्र प्रदेश में नगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना

5761. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के कितने नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सड़कों की लम्बाई बढ़ाकर और ज्यादा नगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) 16 महत्वपूर्ण शहर/कस्बे।

(ख) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर नौवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाता है, में उनकी पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

केरल में एफ.एम. रेडियों केन्द्र की स्थापना

5762. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में एफ.एम. रेडियो केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) केरल में मंजेरी और कासरगोद में क्रमशः 3 कि.वा. तथा 10 कि.वा. ट्रांसमीटरों वाले दो नए एफ.एम. रेडियो केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों के क्रमशः वर्ष 2001 तथा

2002 तक चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की संभावना है।

नए विश्वविद्यालय शुरू करने हेतु मार्गनिर्देश

5763. श्री गिरिधर गमांग: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा नए विश्वविद्यालय शुरू करने हेतु क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार के लिए एक नया विश्वविद्यालय शुरू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किन राज्यों के आवंटन स्वीकृत किये गये हैं और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं;

(घ) क्या उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जो कि सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा तथा राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार द्वारा नए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्राधिकार में उच्च शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सर्वेक्षण के प्रारंभ से ही इसके साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से भी यह आशा की जाती है कि वे वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत करें तथा एक अतिरिक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता के समर्थन में औचित्य प्रस्तुत करें। आयोग ने इन दिशानिर्देशों को सभी राज्य सरकारों को विचार तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही परिचालित कर दिया है।

जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय ऐतिहासिक या सांस्कृतिक परिवेशों और केन्द्र-राज्य संबंधों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि यदि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती हैं तो यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-2 (च) और 12-ख के अंतर्गत नियमावली व विनियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में स्वचालित अंकीय टेलीफोन एक्सचेंज

5764. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार असम में जिलावार और क्षमता-वार स्वचालित अंकीय टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में स्थलवार स्थापित किये जाने वाले उक्त प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 1998-99 के दौरान 25 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

31.5.98 को असम में कार्य कर रहे आटोमैटिक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों की जिले-वार संख्या तथा उनकी क्षमता

क्र.सं.	जिला	आटोमैटिक डिजिटल एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	बाड़पेटा	9	3152
2.	बोगई गांव	7	4536
3.	काछड़	27	13520
4.	दरंग	14	4136
5.	धेमाजी	4	1512
6.	धुबरी	11	3932
7.	डिब्रूगढ़	19	8324
8.	गोलपाड़ा	7	1776
9.	गोलाघाट	12	5608
10.	हेलाकांडी	7	2840
11.	जोरहाट	12	14176
12.	कामरूप	30	59944
13.	कार्बीअंगलांग	9	1904
14.	करीमगंज	12	5272
15.	कोकड़ाझाड़	5	1640
16.	मोरीगांव	6	2072
17.	लखीमपुर	8	3152
18.	एन.सी. हिल्स	5	1856
19.	नौगांव	32	13489
20.	नालबाड़ी	8	2824
21.	रिबिसागर	12	7320
22.	सोनितपुर	22	7512
23.	तिनसुकिया	20	14112

विवरण-II

1998-99 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए एक्सचेंजों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान
1	2
1.	उत्तरी गुवाहाटी
2.	सिलोनीजान
3.	झापड़ाजन

1	2
4.	गलेको
5.	धेंकियाल
6.	चुंगी
7.	चिन्नामाड़ा
8.	चोगोलिया
9.	चालवृहा
10.	हलकूड़ा
11.	बैतामाड़ी
12.	भौनागुड़ी
13.	कुथोटी
14.	बाटोडराबा
15.	पथोरी
16.	मिस्सा
17.	कलचेड़ा
18.	तान्दू
19.	दरगोकरेना
20.	सादिनबाजार
21.	बंतारपुर
22.	झांगी भकतगांव
23.	चरेईभाई
24.	बोरसोला
25.	माण्डिया

खाड़ी देशों में मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

5765. श्री एस. अजय कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों में मलयालम कार्यक्रम प्रसारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) विदेशों में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों में धारावाहिक, नाटक, टेलीफिल्म, फीचर फिल्म, नृत्य एवं नाटक आदि शामिल हैं। दूरदर्शन द्वारा इण्डिया (अन्तर्राष्ट्रीय चैनल) पर मलयालम सहित क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण पहले से किया जा रहा है। पी.ए.एस.-4 उपग्रह के माध्यम से खाड़ी देशों में इस चैनल के संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की आगरा पीठ के अधिकार क्षेत्र का दायरा

5766. श्री भगवान शंकर रावत: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को आगरा पीठ के अधिकार क्षेत्र के दायरे के विभिन्न जिलों को शामिल करने का आधार क्या है;

(ख) आगरा की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ के अधिकार क्षेत्र के दायरे में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को जयपुर, दिल्ली और इलाहाबाद की तुलना में नजदीक होने के बावजूद शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब सरकार का विचार आगरा की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ के अधिकार क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) आयकर अपील अधिकरण को नव सृजित आगरा न्यायपीठ की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, दिल्ली और इलाहाबाद स्थित अधिकरण की पहले से विद्यमान अधिकारिता के पुन: समायोजन द्वारा तैयार की गई है।

आगरा न्यायपीठ की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता का विनिश्चय करने से पूर्व, अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के अवस्थान से तुलनात्मक दूरियां, दिल्ली, जयपुर और इलाहाबाद स्थित विद्यमान प्रत्येक न्यायपीठ में विभिन्न जिलों से मामलों का कार्यभार और प्रदेश में विद्यमान और नयी प्रत्येक न्यायपीठ पर कार्यभार में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर विचार किया गया था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को आगरा न्यायपीठ की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में सम्मिलित नहीं किया जा सका जिससे कि समग्र संतुलन और प्रशासनिक सुविधा बनाई रखी जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वन क्षेत्र सौंपने की नीति

5767. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेड़ लगाने के लिए पेड़ रहित रक्षित और संरक्षित वन को निजी क्षेत्र को सौंपने की कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में अब तक कोई संरक्षित अथवा रक्षित वन क्षेत्र निजी क्षेत्र को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों को स्थायी दर्जा प्रदान करना

5768. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों को स्थायी दर्जा प्रदान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कर्मचारियों को स्थायी दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ शुरू करने का है जैसाकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार केन्द्र में की गयी सभी नियुक्तियां परियोजनावार और अस्थायी पदों के विरुद्ध हैं। इसलिए केन्द्र में किसी भी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि स्कीम द्वारा अभिशासित होते हैं और इसलिए वे सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1962 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त न्यास है और सरकार न्यास के दैनंदिन प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16

5769. श्री नरेश पुगलीया: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलदलपुर (म.प्र.) से भोपाल-पत्तनम-सिरौंचा (महाराष्ट्र) होकर मनचेरियल को जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 हाल में मंजूर की गई है तथा 1998-99 के लिए इसका बजट प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक यह कार्य शुरू होने तथा पूरे किए जाने की संभावना है;

(ग) परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(घ) इस सड़क पर संपर्क पुलों की संख्या क्या है तथा इन पुलों की कुल लम्बाई क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी हां। मध्य प्रदेश में रा.रा.-16 के विकास के लिए 5 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इन पांच कार्यों में से एक पूरा हो चुका है और 2 कार्य चालू हैं। 2 कार्यों के लिए अभी ठेके दिए जाने हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत 2.17 करोड़ रु. होगी।

(घ) मध्य प्रदेश में रा.रा.-16 पर 4 बड़े पुल, 40 छोटे पुल और 359 पुलिया हैं।

संसद और राज्य विधान मण्डलों में प्रवेश हेतु अर्हक आयु

5770. श्री राम पाल सिंह:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री के.एस. राव:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा में और राज्य विधान मण्डलों में प्रवेश हेतु अर्हक आयु कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मूल आधार क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों में भी प्रवेश हेतु अर्हक आयु को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों के गुण-दोष और इसकी अड़चनों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) से (च) निर्वाचन सुधार संबंधी उन विभिन्न प्रस्तावों में से, जिन पर 22 मई, 1998 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक में चर्चा की गई थी, एक प्रस्ताव दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा की गई यह सिफारिश भी थी कि मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, निर्वाचन लड़ने के लिए विधान सभाओं और लोक सभा की दशा में, आयु संबंधी अर्हता 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष, की जानी चाहिए और विधान परिषदों तथा राज्य सभा के निर्वाचनों में यह आयु 30 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष की जानी चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति की पूर्वोक्त सिफारिश को स्वीकार करने पर राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति थी। तथापि, निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव का विरोध किया। सरकार ने, इस विषय में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया है।

भारतीय वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद्

5771. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम.: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद् के महानिदेशक के चयन हेतु कोई मार्ग निर्देश/मापदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान धारक को सेवा विस्तार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आई.सी.एफ.आर.ई.) नियमों के अनुसार, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष (पर्यावरण वन मंत्री) द्वारा भारत सरकार की सहमति से आई.सी.एफ.आर.ई. के शासी बोर्ड द्वारा वानिकी अनुसंधान में कम से कम 25 वर्ष

का अनुभव रखने वाले विख्यात वैज्ञानिकों/फारेस्टरों में से तैयार किए गए एक पैनल से की जानी चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर कन्नड़ और मराठी कार्यक्रमों का प्रसारण

5772. श्री अभयसिंह एस. भोंसले:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर मराठी और कन्नड़ कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऐतिहासिक घटनाओं और कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो दूरदर्शन पर कन्नड़ और मराठी कार्यक्रम रिले करने के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) कन्नड़ और मराठी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अधिक समय निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) मराठी एवं कन्नड़ कार्यक्रम क्रमशः दूरदर्शन केन्द्र मुम्बई तथा दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर द्वारा उनके क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त दोनों केन्द्रों को डी.डी.-9 (कन्नड़) तथा डी.डी.-10 (मराठी) के रूप में जाने-जाने वाले क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा (आर.एल.एस.एस.) चैनल भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) ये दोनों केन्द्र क्षेत्रीय सेवा/क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा के समय के दौरान अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

(ङ) केन्द्रों को हाल ही में अतिरिक्त दो घण्टों अर्थात् 2.30 बजे से 4.30 बजे तक की अपनी क्षेत्रीय सेवा में कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

'बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' में डिप्लोमा के लिए प्रवेश परीक्षा

5773. श्री मोहन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में 'बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' में स्नातकोत्तर डिप्लोमा देने वाले कितने प्रबन्धन संस्थाओं को केन्द्र सरकार से कोई सहायता अनुदान नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दाखिला हेतु प्रवेश परीक्षा में उनकी स्वायत्तता को नियमित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सम्बद्ध आदेश को वापस लेने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में व्यापार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने वाले कोई अनुदान प्राप्त न करने वाले संस्थानों की संख्या 40 है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रबन्ध संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने सम्बन्धी सरकारी आदेश जारी किया है जिसका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा समर्थन किया गया है।

इन्टरनेट सुविधा

5774. श्री बी.एम. मेनसिंकाई : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार किन-किन शहरों को इन्टरनेट से जोड़ा गया है;

(ख) क्या कर्नाटक में बेलगाम शहर को इन्टरनेट से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान कितने शहरों को इन्टरनेट से जोड़ने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) निम्नलिखित शहरों को स्थानीय डायल-अप आधार पर इंटरनेट से जोड़ा गया है:

आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
गुजरात	अहमदाबाद और सूरत
हिमाचल प्रदेश	शिमला
कर्नाटक	बेंगलूर, हुबली और मैसूर
केरल	तिरूवनन्तपुरम, कोल्लम, एर्णाकुलम और कोट्टयम
मध्य प्रदेश	ग्वालियर और इंदौर
महाराष्ट्र	मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर
पंजाब	चंडीगढ़
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिचिरापल्ली
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश (प.)	देहरादून और आगरा
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

नई दिल्ली, गोवा और पांडिचेरी

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान 20 और शहरों में इंटरनेट नोड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

फोटोग्राफरों के लाइसेंस का नवीकरण

5775. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अखबारों में यह विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें आगरा में संरक्षित स्मारकों की फोटोग्राफी करने के लिए नए लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञापन में आगरा के संरक्षित स्मारकों की फोटोग्राफी के लिए वर्तमान फोटोग्राफरों को लाइसेन्स का नवीकरण कराने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अक्तूबर, 1997 के अंतरिम न्यायालय आदेश के बावजूद विज्ञापन में वर्तमान फोटोग्राफरों की लाइसेन्स के नवीकरण के संबंध में विशिष्ट प्रावधान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार आवेदन पत्र मांगने के संबंध में विज्ञापन में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 21.07.1993 के आदेशों के निर्देशानुसार लाइसेन्सों की स्वीकृति देने के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी एक विज्ञापन आगरा के दो स्थानीय समाचार-पत्रों अर्थात् ''दैनिक जागरण'' एवं ''अमर उजाला'' में क्रमशः 6 तथा 7 जुलाई, 1997 को प्रकाशित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 21.07.1993 के निर्णय के अनुसरण में 6 एवं 7 जुलाई, 1997 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी की।

(च) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 29.10.1997 के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में आवेदकों द्वारा कोई आवेदन फार्म प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

5776. डा. रवि मल्लू: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूर की गई और गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि परियोजना निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरा नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में दंड लगाने संबंधी प्रावधान के बारे में कोई खण्ड रखा गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1998 तक) निजी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्राप्त विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्तावों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	कर्नाटक	2
3.	तमिलनाडु	6
4.	मध्य प्रदेश	12
5.	गुजरात	3
6.	उत्तर प्रदेश	2
7.	बिहार	1
8.	महाराष्ट्र	1
9.	राजस्थान	1

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान करते समय वित्तीय समापन की तारीख से प्रत्येक विद्युत परियोजना के संबंध में चालू करने के कार्यक्रम का निर्धारण करता है।

(घ) सामान्यत: परियोजना को पूरा करने के लिए सहमति प्राप्त समय-अनुसूची के अनुपालन हेतु स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के असफल होने पर दंडित किए जाने के लिए विद्युत क्रय करार में विशिष्ट शर्तें रखी गयी है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

5777. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1998 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायाधीशों को उत्तरदायी ठहराने के लिए एक कानून बनाने का समय आ गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची की मदों में से एक मद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने और न्यायपालिका के लिए आचरण संहिता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना है।

[हिन्दी]

लखनऊ ल्हासा राजमार्ग

5778. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन सीमा तक लखनऊ-लिपुलेख मोटर रोड़ जो पहले लखनऊ-ल्हासा के बीच थी, को राजमार्ग का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने चीन-सीमा तक इस राजमार्ग पर विशेष ध्यान देते हुए तेज गति से चलने वाले भारी वाहनों के परिवहन की सुविधा प्रदान की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत-चीन के मौजूदा सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए इस राजमार्ग और दूसरी पर्वतीय मोटर रोड़ों के निर्माण/अनुरक्षण के लिए कोई विशेष केन्द्रीय निधि आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार मुख्यतया केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार है। चूंकि लखनऊ-ल्हासा राजमार्ग के बीच का खंड एक राज्यीय राजमार्ग है अत: वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

टेलेक्स मशीन

5779. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार विभाग ने विभिन्न संगठनों को पट्टा आधार पर टेलेक्स मशीनें उपलब्ध करायी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन टेलेक्स मशीनों में से कितनी मशीनों के की-बोर्ड अलग-अलग देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि में हैं तथा कितनी मशीनों पर दोनों लिपियों में भी कार्य किया जा सकता है;

(ग) कितने मामलों में उपभोक्ताओं तथा द्विभाषी टेलेक्स मशीनों की मांग की गई है;

(घ) क्या उक्त मांग मान ली गई है तथा मशीनों को भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) टैलेक्स मशीनें उपभोक्ता की अपनी या फिर किराए के आधार पर भी ली जा सकती हैं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में आकाशवाणी केन्द्र

5780. श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) वर्तमान में मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में तीन रेडियो केन्द्र कार्यान्वयनाधीन हैं और मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के बैलाडिला में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। बिहार के जनजातीय जिलों में रेडियो केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य का वर्तमान कवरेज क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के हिसाब से 99% तक है। जबकि मध्य प्रदेश में यह कवरेज क्षेत्र के हिसाब से 96% और जनसंख्या के हिसाब से 98% तक है।

टेलीफोन कनेक्शन का स्थानांतरण करना

5781. **श्री हरि केवल प्रसाद:**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी टेलीफोन कनेक्शन का एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में स्थानान्तरण करने में अत्यधिक समय लगता है.

(ख) क्या टेलीफोन का स्थानान्तरण करने के मामले में नियम और समय-सीमा के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां तो गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में सरकार द्वारा नियम और समय सीमा का उल्लंघन किए जाने के कितने मामले पाए गए हैं; और

(घ) ऐसे मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में स्थानांतरण संबंधी, 60 से 70% तक मामले ओ.बी. स्थानांतरण के जारी होने की तारीख से 15 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर निपटा दिए जाते हैं। एम.टी.एन.एल. दिल्ली में एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में स्थानांतरण के मामलों में निम्नलिखित कारणों से विलंब होता है;

(1) उपभोक्ता संबंधी कारण।

(2) भूमिगत केबल पेयरों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पाकेटों/क्षेत्रों का तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होना।

(ग) स्थानांतरण संबंधी मामले निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटा दिए जाते हैं बशर्ते कि उपर्युक्त बाधाएं न हों। गत दो वर्षों के दौरान एम.टी.एन.एल., दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने के 13 मामले सामने आए हैं।

(घ) केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 16 के तहत, एक राजपत्रित अधिकारी तथा पांच अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत के दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा कम धनराशि का आवंटन करना

5782. **श्री वैको:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण भारत के दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा हिंदी की तुलना में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रायोजित कार्यक्रम के लिए कम धनराशि का आवंटन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं। दूरदर्शन प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए किसी धनराशि का भुगतान नहीं करता है और इन कार्यक्रमों का निर्माण बाहरी निर्माताओं द्वारा उनकी अपनी धनराशि से किया जाता है तथा वे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दर कार्ड में निर्धारित दरों के अनुसार दूरदर्शन को प्रसारण शुल्क का भुगतान करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बजट आबंटन का कम उपयोग किया जाना

5783. **श्री मुकुल वासनिक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत उन परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों की संख्या और ब्यौरा क्या हैं जिनको गत वित्त वर्ष के दौरान किये गये बजट आवंटन का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निधि का पूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों, जिनके लिए वर्ष 1997-98 में बजटीय आवंटन किया गया था और जिसे पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया था, के विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना में निर्धा लक्ष्यों के अनुसार व्यय की प्रगति की नियंत्रित तौर पर समीक्षा मानीटरी की जाती है और वर्ष के दौरान उपलब्ध बजटीय आवंटनों का पूरा और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू किए जाते हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	उपयोग की गई धनराशि	कारण
	2	3	4	5	6	7
	वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद	66.00	57.00	53.49	12.51	बजट का मुख्य कारण यह रा विभिन्न संस्थानों में निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ भूमि अलाट न होने के शुरू नहीं हो सका था। इसके अति प्रशासनिक कारणों से संयुक्त वन और वन उद्योगों से संबंधित अ कार्य भी पूरा नहीं हो सका था
2	अवक्रमित वनों में पुनः सम्पत्ति लगाने के काम में अनुसूचित [illegible]	2.10	1.00	0.87	1.23	इस मद में बचत का कारण मुख्य से उक्त स्कीम को जारी रखने बारे में योजना आयोग से स्वीकृ देर से प्राप्त होना था। इसके साथ-साथ राज्य सरकारों से निधि उपयोग से संबंधित प्रमाण पत्र होने के कारण, धनराशियां जारी की जा सकीं थी।
3	महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि विकास	26.00	21.00 •	19.33	6.67	"भारत पारि विकास परियोजना स्कीम को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति से अनुमोदन से मिलने के कारण परामर्शी सेवा सामग्री प्राप्त नहीं की जा सकी

2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड	92.00	73.20	68.19	23.81	बजट के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं: 1. पर्सनल कम्प्यूटर्स खरीदने और एक नेटवर्क स्थापित करने का कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका। 2. स्कीम की कतिपय घटकों को 9वीं योजना के संयुक्त वन प्रबंधन में कार्यान्वित करने के लिए पुनः शामिल किया गया था जिन्हें अब उक्त स्कीम के साथ एकीकृत कर दिया गया है। सशोधित दिशा-निर्देश जुलाई, 1997 में राज्य सरकारों के पास भेजे गए थे। नई परियोजनाओं के अनुमोल के बारे में वित्त मंत्रालय की स्वीकृति तक निधियां जारी करने के बारे में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के समक्ष अनुमोदन स्वीकृति विलंब से प्राप्त हुई और किसी संस्था आदि से कोई परियोजना भी प्राप्त नहीं हुई। 3. राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।
राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय	2.55	1.76	1.69	0.86	रिक्त पदों को न भरने तथा वित्त मंत्रालय से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव विलंबित रहने के कारण कतिपय पर सृजित नहीं जा सके थे।
भारत पर्यावरण प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना	26.00	10.75	9.08	16.92	बजट का मुख्य कारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति से अनुमोदन प्राप्ति में विलंब होना था। परिणामस्वरूप, शुल्क या आधारित परामर्शी सेवाएं लेने, खरीद एजेंट्स लगाने परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने तथा मंत्रालय में परियोजना कार्यान्वयन सैल स्थापित करने का कार्य पूरा नहीं किया जा सका था।

1	2	3	4	5	6	7
7.	शहरी पर्यावरण परियोजना	2.00	0.25	0.00	2.00	बचत का मुख्य कारण मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा उनके विचारार्थ विषयों में फेरबदल करना था। संशोधित विचारार्थ विषय लेने अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अगले छः महीनों तक विचारार्थ रहे। इसके कारण समस्त प्रशासनिक कार्रवाई सितंबर, 1997 तक व्यर्थ में की जाती रही।
8.	ताज सुरक्षा मिशन	50.00	0.00	0.45	49.55	बजट का मुख्य कारण व्यय वित्त समिति/आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडल समिति की ओर से अनुमोदन विलंबित रखे जाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक दस्तावेज (स्कीम संबंधी कन्सेटर पेपर्स) प्राप्त न होना था।
9.	राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	1.00	0.60	0.37	0.63	प्रस्ताव प्राप्त न होना, प्राथमिक वाले क्षेत्रों पर नए प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए जैव-विविधता संबंधी स्थाई समिति की बैठक में विलंब होने के कारण बचत हुई।
10.	पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण	1.50	0.00	0.00	1.50	राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम अभी लागू किया जाना है। न्यायाधिकरण गठित करने का कार्य समस्त प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने तथा ढांचागत तथ्य अन्य घटकों की स्थापना करने के बाद पूरा किया जाएगा।
11.	परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन	13.30	4.00	2.74	10.56	बचत मुख्यतः इस कारण से हुई कि परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका था और इसे चालू नहीं किया जा सका था क्योंकि विश्व बैंक ने परियोजना के प्रस्ताव में संशोधन करने की इच्छा जताई गई थी। विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अभी विचार किया जा

1	2	3	4	5	6	7
12.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	30.00	27.00	25.65	4.35	बचत का कारण मुख्य रूप से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्ति क्रिया विधि संबंधी औपचारिकताएं अर्थात् मंत्रालय के लिए प्राप्ति एजेंसियों, पूरी करने में विलंब किया जाना था।
13.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	109.00	106.00	99.44	9.56	यमुना कार्य योजना-II (जीएपी-II) और एन.आर.सी.पी. स्कीमों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित स्कीमों में परिवर्तित करने हेतु एन.आर.सी.ए. के निर्णयों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने में देरी होने तथा वाई.ए.पी. के उ.प्र. घटक के संशोधित लागत अनुमानों के कारण प्रस्तावों का पुनर्विनियोजन आवश्यक हो गया था। तथापि, पुनर्विनियोजित प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। बचत के अन्य कारणों में, रिक्त पदों को भरने में विलंब तथा राज्यों द्वारा एन.आर.सी.पी. स्कीमों को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के कार्य की रफ्तार धीमी होना था।
14.	प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (सैस)	50.00	44.28	36.88	13.12	इस स्कीम के तहत पत्रिका जल-उपकर (सैस) की एक निश्चित प्रतिशत राशि राज्य बोर्डों को जानी होती है। बचत का कारण, विभिन्न राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा एकत्र किए जाने वाले जल उपकर की राशि में कमी होना था जिससे उन्हें कम अदायगी की गई थी।

गोदी और बन्दरगाह मजदूरों के लिए मजदूरी पैनल

5784. श्री अजीत जोगी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदी और पत्तन मजदूरों के लिए मजदूरी पैनल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पैनल कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। पत्तन और गोदी कामगारों के वेतन में संशोधन के लिए भारतीय पत्तन संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय वेतन समझौता वार्ता समिति का गठन किया गया है।

(ख) इस समिति में प्रबंधन/नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि होंगे। प्रबंधन पक्ष की तरफ के प्रतिनिधियों में कुछ महापत्तनों और गोदी कामगार मंडलों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शामिल हैं। नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व स्टीवटोरज संघ के परिसंघ द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों की तरफ से समिति में पत्तन और गोदी कामगारों के मुख्य परिसंघों से 12 प्रतिनिधि होंगे।

(ग) आशा है कि समिति लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) से मार्ग निर्देश प्राप्त होने के 6 माह के भीतर अपना कार्य पूरा कर लेगी।

[हिन्दी]

हिन्दी में प्रकाशित कार्य

5785. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रकाशन संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में वर्षवार कितने प्रकाशन निकाले गए;

(ग) हिन्दी प्रकाशनों की संख्या कम होने और अंग्रेजी प्रकाशनों की संख्या अधिक होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस विभाग की भाषा पत्रिका कभी भी समय पर प्रकाशित नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(च) हिन्दी प्रकाशनों की संख्या में वृद्धि करने और समय पर पत्रिका प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए आंगनवाड़ी केन्द्र

5786. श्री एच.जी. रामुलू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की ओर से नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा मांगे गए अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	50
2.	गुजरात	445
3.	हिमाचल प्रदेश	892
4.	कर्नाटक	6647
5.	मध्य प्रदेश	158
6.	महाराष्ट्र	1095
7.	उड़ीसा	133
8.	उत्तर प्रदेश	4500
9.	पश्चिम बंगाल	488
	जोड़	14408

विद्युत उत्पादन

5787. श्री रामानन्द सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाणसागर बांध के हैडवर्क के पूरा होने के बाद लगभग 250 करोड़ रुपये मूल्य की बिजली का वार्षिक उत्पादन होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। बाणसागर बांध के हैडवर्क के पूरा हो जाने के बाद लगभग 1757 मि.यू. वार्षिक विद्युत का उत्पादन होगा। वर्ष 1996-97 के लिए 1.82 रुपये की औसत वसूली दर के अनुसार लगभग 320 करोड़ रुपये मूल्य का वार्षिक उत्पादन होगा।

ग्रंथालय का खोला जाना

5788. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हम्पी विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय ग्रन्थालय—जनपद संग्रहालय खोलने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु सहायता

5789. डा. शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 और 1998-99 के दौरान प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर कितनी सहायता राशि मांगी गयी है और उक्त राशि किन तिथियों को जारी की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक धनराशि प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को खोलने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत वर्तमान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को शिक्षकों के अतिरिक्त पदों तथा अध्ययन-अध्यापन सामग्री के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1997-98 में आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 2280.66 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई थी। वर्ष 1998-99 में कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार से 18 अतिरिक्त जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

राजस्थान में एस.टी.डी. सुविधा

5790. कर्नल सोनाराम चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में विशेषरूप से पश्चिमी राजस्थान में सभी एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी सुविधा जिला-वार अभी कितने एक्सचेंजों को उपलब्ध करायी जाएगी; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में जिला-वार एस.टी.डी. सुविधा कितने एक्सचेंजों को उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) जी नहीं। तकनीकी और संशोधन संबंधी कठिनाइयों के कारण, सभी एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। तथापि, संसाधनों के उपलब्ध हो जाने पर,

नौवीं योजना के दौरान सभी एक्सचेंजों में एस.टी.डी. उत्तरोत्तर प्रदान करने की योजना है।

(ग) 633 एक्सचेंजों में अभी एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जानी है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) 1998-99 के दौरान, 150 एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राजस्थान में उन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या, जहां अभी एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जाती है

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	24
2.	अलवर	40
3.	बांसवाड़ा	25
4.	बारन	7
5.	बाड़मेर	26
6.	भरतपुर	11
7.	भीलवाड़ा	27
8	बीकानेर	33
9.	बूंदी	5
10.	चित्तौड़गढ़	22
11.	चुरू	17
12.	दौसा	11
13.	धौलपुर	4
14.	डूंगरपुर	12
15.	हनुमानगढ़	0
16.	जयपुर	28
17.	जैसलमेर	10
18.	जालोर	29
19.	झालावाड़	19
20.	झुनझुनू	0
21.	जोधपुर	31
22.	करौली	6
23.	कोटा	19
24.	नागौर	48
25.	पाली	51
26.	राजसमन्द	19
27.	सवाई माधोपुर	6
28.	सीकर	37
29.	सिरोही	15
30.	श्रीगंगानगर	0
31.	टोंक	14
32.	उदयपुर	37
	कुल	633

विवरण-II

राजस्थान में उन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या जहां 1998-99 के दौरान एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	4
2.	अलवर	11
3.	बांसवाड़ा	3
4.	बारन	0
5.	बाड़मेर	6
6.	भरतपुर	5
7.	भीलवाड़ा	9
8.	बीकानेर	4
9.	बूंदी	2
10.	चित्तौड़गढ़	9
11.	चुरू	7
12.	दौसा	4
13.	धौलपुर	1
14.	डूंगरपुर	2
15.	हनुमानगढ़	0
16.	जयपुर	13
17.	जैसलमेर	1
18.	जालोर	3
19.	झालावाड़	2
20.	झुनझुनू	0
21.	जोधपुर	9
22.	करौली	3
23	कोटा	5
24.	नागौर	10
25.	पाली	10
26.	राजसमन्द	3
27.	सवाई माधोपुर	4
28.	सीकर	8
29.	सिरोही	2
30.	श्रीगंगानगर	2
31.	टोंक	6
32.	उदयपुर	2
	कुल	150

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर नए पुलों का निर्माण

5791. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर नए पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) रा.रा.-52 पर 2 पुलों अर्थात् 35 कि.मी. पर बेगा नदी पर (पश्चिमी तेजपुर) पुल तथा 350 कि.मी. पर पोटे नदी पर (पूर्वी तेजपुर) पुल के निर्माण को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इन पुलों तथा पहुंच मार्गों के निर्माण की वास्तविक प्रगति क्रमशः लगभग 70% और 10% है।

सेटेलाइट शुल्क का भुगतान

5792. श्री चन्दू लाल अजमीरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने दूरसंचार विभाग को सेटेलाइट शुल्क के लिए 36.12 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं। हालांकि ऐसे कोई उपग्रह प्रभार लम्बित नहीं हैं तथापि, दूरदर्शन द्वारा दूरसंचार विभाग को भुगतान किए जाने वाले इतनी ही राशि के कु... अन्य देय बकाया है। दूरदर्शन ने अप्रैल, 1997 में लगभग 8 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है तथा शेष राशि के भुगतान के मामले पर दोनों विभागों के बीच बातचीत चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

काले हिरण तथा प्रख्यात भारतीय सोहन चिड़िया की संख्या

5793. श्री अजय कुमार एस. सरनायक:
श्री डी.एस. अहिरे:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1987 और 1997 में काले हिरणों तथा प्रख्यात भारतीय सोहन चिड़िया की अभयारण्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उड़ीसा में लुप्तप्रायः जीव जन्तुओं की श्रेणी में शीर्ष से द्वितीय स्थान पर पंजीकृत काले हिरणों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) काला हिरण और प्रख्यात भारतीय सोहन चिड़िया, खुले मैदानों के निवासी हैं, इसलिए वे वनों के अन्दर और कृषि भूमियों, दोनों पर पाए जाते हैं। देश में काले हिरणों की संख्या के बारे में कोई नियमित आकलन नहीं किया जाता है। देश में काले हिरणों की अनुमानित संख्या 43,500 है। देश में, प्रख्यात भारतीय सोहन चिड़िया की, सूचित की गई संख्या इस प्रकार है:-

	संख्या	वर्ष
1. रोलापाडु अभयारण्य, आंध्र प्रदेश	50-60	1994
2. वस्टाई वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात	4-5	1994
3. रानेबैनूर अभयारण्य, कर्नाटक	7	1987
4. करेरा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश	22	1986
	6	1994

	संख्या	वर्ष
5. घाटीगांव अभयारण्य, मध्य प्रदेश	35	1986
	3-6	1994
6. शिवपुरी वन्य जीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश	4-5	1994
7. नन्नाज क्षेत्र महाराष्ट्र (के बाहर)	45	सूचित
8. शोलापुर बिला महाराष्ट्र (के बाहर)	4-5	सूचित
9. राजस्थान (18 स्थान)	500	1994

(ख) और (ग) उड़ीसा में केवल दो क्षेत्रों अर्थात् गंजम जिला में बालीपादर-भटनोई गेम/वाइल्ड लाइफ रिजर्व और पुरी जिला में बालूखंड-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरण देखे जाते हैं। पहले वाले क्षेत्रों में, पिछले तीन वर्षों में काले हिरणों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और बाद वाले क्षेत्रों के बारे में कोई राज्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) देश में काले हिरणों और प्रख्यात भारतीय सोहन चिड़िया की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 से 4 में शामिल किए गए वन्यजीवों के शिकार पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काले हिरण और प्रख्यात भारतीय सोहन चिड़िया को अनुसूची-1 में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. काले हिरणों और प्रख्यात भारतीय सोहन चिड़िया के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पृथक अभयारण्यों की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर काले हिरणों और प्रख्यात सोहन चिड़िया सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. वन्यजीवों के अवैध व्यापार के बारे में वन्यजीव प्राधिकारियों के पास सूचना पहुंचने पर उनके द्वारा छापे मारे जाते हैं।

4. वन्य, वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन (सी.आई.टी.ई.एस.) के उपबंधों के अंतर्गत प्राणियों की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया गया है।

5. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकांश प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव संरक्षण मंडलीय और उप-मंडलीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

6. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक (कोस्ट-गार्ड्स) आदि जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों को साथ अन्तर-विभागीय समन्वय को बढ़ाया गया है। इन सभी संगठनों के लिए नई दिल्ली और देहरादून में, वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पर्यावरण परियोजनाएं

5794. श्री दत्ता मेघे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकार की सहायता से राज्यवार तथा वर्षवार देश में लागू की जाने वाली पर्यावरण परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है; और

(ख) सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

5795. डा. राम विलास वेदान्ती: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कार्यरत एस.टी.डी./आई.एस.डी./सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में नए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन हेतु कितने आवेदन लंबित है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश में नए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन के लिए 6833 आवेदन लम्बित पड़े हैं।

(ग) एस.टी.डी., पी.सी.ओ. आबंटन समिति द्वारा पुनर्गठन कर लिया गया है और तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होने पर लम्बित आवेदकों को उत्तरोत्तर निपटा दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	एस.एस. का नाम	कार्य कर रहे एस.टी.डी. आई.एस.डी., पी.सी.ओ. की संख्या
1	2	3
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	
1.	लखनऊ	2953
2.	कानपुर	1797
3.	इलाहाबाद	1231
4.	वाराणसी	1656
5.	बस्ती	205
6.	गोण्डा	366
7.	लखीमपुर	199
8.	सीतापुर	236
9.	शाहजहांपुर	190
10.	बलिया	196
11.	गाजीपुर	204
12.	जौनपुर	300
13.	प्रतापगढ़	280
14.	सुल्तानपुर	340
15.	बांदा	126
16.	ऊरई	190
17.	हमीरपुर	171
18.	उन्नाव	146
19.	मैनपुरी	238
20	रायबरेली	293
21.	फतेहपुर	165
22.	बाराबंकी	279
23.	बहराइच	196
24.	फर्रूखाबाद	162

1	2	3
25.	गोरखपुर	905
26.	झांसी	676
27.	मऊ	549
28.	फैजाबाद	529
29.	आजमगढ़	508
30.	इटावा	218
31.	मिर्जापुर	162
32.	हरदोई	73
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	
1.	आगरा	1007
2.	अलीगढ़	463
3.	अल्मोड़ा	125
4.	बदायूं	130
5.	बरेली	585
6.	बिजनौर	404
7.	देहरादून	1039
8.	गया	211
9	गाजियाबाद	1885
10.	मथुरा	385
11.	मेरठ	1373
12.	मुरादाबाद	697
13.	मुजफ्फरनगर	740
14.	नैनीताल	747
15.	रामपुर	276
16	सहारनपुर	1276
17.	श्रीनगर	159
18.	उत्तरकाशी	78

गोवा में विद्युत परियोजनाएं

5796. श्री रवि सीताराम नायक: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गोवा में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु गोवा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय समाचार पत्र पंजीकार द्वारा पंजीकृत किए गए समाचार पत्र

5797. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाचार पत्र के पंजीकरण के लिए भारतीय समाचार पत्र पंजीकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) राज्य-वार समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए भारतीय समाचार पत्र पंजीकार के पास कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने आवेदन निपटाए गए हैं;

(घ) पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) शेष आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को समय-समय पर यथासंशोधित प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया जाता है।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का पंजीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि अपूर्ण आवेदन वाले मामलों में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना आवेदकों द्वारा विसंगतियों को दूर करने पर निर्भर करता है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास लम्बित आवेदनों की संख्या (15.7.98 की स्थिति के अनुसार)	पिछले तीन वर्ष (1.1.95 से 31.12.97) के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या
1	2	3
अंडमान और निकोबार	–	12
आंध्र प्रदेश	–	771
अरूणाचल प्रदेश	–	38
असम	–	205
बिहार	14	254
चंडीगढ़	2	66
दिल्ली	13	1722
गोवा	–	16
गुजरात	–	860
हरियाणा	12	400
हिमाचल प्रदेश	4	43
जम्मू और कश्मीर	13	118
कर्नाटक	21	880
केरल	5	538
लक्षद्वीप		1

1	2	3
मध्य प्रदेश	–	1604
महाराष्ट्र	12	2689
मणिपुर	–	38
मेघालय	–	8
मिजोरम	–	36
नागालैण्ड	–	4
उड़ीसा	–	353
पांडिचेरी	–	24
पंजाब	6	253
राजस्थान	5	916
सिक्किम	–	15
तमिलनाडु	–	558
त्रिपुरा	–	24
उत्तर प्रदेश	65	3348
पश्चिम बंगाल	1	458

पूयमकुट्टी पनबिजली परियोजना

5798. श्री पी. शंकरन:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में पूयमकुट्टी पनबिजली परियोजना स्थापित करने हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति जिन शर्तों पर दी गयी है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना के कारण विशाल वन क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा;

(घ) क्या पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर इस परियोजना के प्रभाव का आंकलन करने हेतु किसी अध्ययन दल/विशेषज्ञ दल ने पूयमकुट्टी का दौरा किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण निकासी की शर्तों में श्रमिकों को ईंधन की आपूर्ति, वन एवं वन्यजीव का बचाव, क्षतिपूरक वनीकरण, फ्लोरा और फौना, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, पुर्नवास एवं पुनर्स्थापना, गृहीत क्षेत्रों का भूमि उद्धार शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रोफेसर एम.वी. नादकर्णी, इन्स्टीट्यूट आफ सोशल एण्ड एक्नामिक चेंज, बंगलौर की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। इस दल ने राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण अध्ययन करने की सिफारिश की है।

असम में खेल-कूद गतिविधियों के लिए अनुदान

5799. श्रीमती रानी नरह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष असम राज्य के लिए खेल-कूद हेतु कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या असम सरकार के लिए राज्य में खेल-कूद गतिविधियों के लिए अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान, असम राज्य को खेल संबंधी गतिविधियों/खेल अवस्थापना के सृजन हेतु 42.06 लाख रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।

(ख) और (ग) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान की संशोधित योजना में, जिसे जल्दी ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, कुछ अन्य जनजातीय/पर्वतीय/विशेष श्रेणी के राज्यों सहित असम राज्य के लिए कुछेक अधिकतम सीमाओं सहित अनुमानित लागत के 75 प्रतिशत तक परिवर्धित सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम

5800. श्रीमती जयंती पटनायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराके 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को धनराशि आवंटित कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक उक्त राज्य में कितने क्षेत्र को शामिल किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति और अध्ययन-अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इस विभाग द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच निर्धारित किए गए अंशदान के आधार पर स्कूल भवनों के निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उड़ीसा सरकार को 10434.40 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(घ) प्राथमिक स्कूलों में 19,370 अतिरिक्त शिक्षक पदों को उपलब्ध करा दिया गया है जबकि उड़ीसा में सभी मात्र 34,178 प्राथमिक स्कूलों तथा 996 उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन सामग्री उपलब्ध करा दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत 5430 कक्षाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

डाक वितरण में विलम्ब

5801. श्री डी.एस. अहिरे:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक वितरण में विलंब, वितरण न होने और इसके गलत वितरण की घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक का समय पर वितरण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1997-98 में साधारण, पंजीकृत तथा बीमाकृत डाक के वितरण में विलंब के 67,567 मामले ध्यान में आये। डाक वितरण न होने के 6894 तथा गलत विवरण के 347 मामले थे।

(ग) वितरण में विलंब, वितरण न होने अथवा गलत वितरण होने के अनेक कारण हैं। वितरण में विलंब डाक ले जाने वाली रेलों/हवाई जहाजों/ बसों के विलंब से चलने/रद्द हो जाने अथवा बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। डाक का गलत वितरण व्यक्ति की गलती अथवा एक जैसे एकाधिक नामों के कारण होता है। महानगरों में एक और प्रमुख कारण नयी नयी कालोनियां भी हैं जिनमें मकानों के नम्बर उचित ढंग से नहीं हैं। पारगमन के दौरान, अर्थात् वितरण डाकघर में पहुंचने से पहले ही डाक-वस्तु के गुम हो जाने के कारण भी वितरण नहीं हो पाता।

(घ) डाक वितरण की फील्ड और मुख्यालय, दोनों स्तरों पर निरंतर मानीटरिंग की जाती है और जहां कहीं कोई कमी ध्यान में आती है उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। व्यक्ति की गलती के कारण डाक के वितरण में हुए विलंब, डाक का गलत वितरण होने और डाक के वितरित न होने के मामलों की जांच की जाती है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पार्सलों की चोरी

5802. श्रीमती शीला गौतम:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के प्रधान डाक घरों से कई बार पार्सलों की चोरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने पार्सल विदेशों से आए थे;

(घ) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए सभी भागों का उत्तर कुछ नहीं समझा जाए।

स्टेडियम के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

5803. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्टेडियमों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार राज्य को इस संबंध में कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्टेडियमों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) स्टेडियमों के निर्माण की योजना के अंतर्गत, बिहार के मामलों पर, राज्य सरकार से विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1995-96 से 1997-98) के दौरान स्टेडियमों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी किएँ गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	12.50	-	45.00
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
असम	46.20	8.00	33.00
बिहार	3.92	-	-
गोवा	-	-	-
गुजरात	-	-	5.50
हरियाणा	30.00	98.33	-
हिमाचल प्रदेश	1.86	87.98	20.00
जम्मु व कश्मीर	-	-	33.75
कर्नाटक	62.54	36.27	70.01
केरल	3.68	27.74	
मध्य प्रदेश	25.00	-	21.60
महाराष्ट्र	116.88	18.00	1.00
मणिपुर	-	43.50	-

1	2	3	4
मेघालय	–	–	–
मिजोरम	107.74	86.19	–
नागालैंड	25.00	–	30.00
उड़ीसा	4.50	90.00	–
पंजाब	–	2.50	–
राजस्थान	7.50	13.30	0.55
सिक्किम	–	7.20	8.10
तमिलनाडु	20.00	25.00	22.25
त्रिपुरा	–	14.50	66.30
उत्तर प्रदेश	45.00	–	–
पश्चिम बंगाल	5.43	–	–
संघ शासित क्षेत्र			
अंडमान व निकोबार	–	–	–
चण्डीगढ़	–	–	17.50
दमन व दीव	–	–	2.82
दादरा व नगर हवेली	–	–	–
दिल्ली	–	10.00	–
लक्षद्वीप	–	–	–
पाण्डिचेरी	–	–	–

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण रेंज बढ़ाना

5804. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का है ताकि दूरदर्शन-2 और दूरदर्शन-4 चैनल पर दर्शकों द्वारा विद्यमान सीमा से आगे देखा जा सके।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) उपग्रह डिश एन्टिना प्रणाली के जरिए डी.डी. 4 सेवा केरल सहित पूरे देश में उपलब्ध है। त्रिवेन्द्रम स्थित ट्रांसमीटर जो डी.डी.-4 अर्थात् क्षेत्रीय सेवा के साथ-साथ राष्ट्रीय (डी.डी. 1) सेवा को रिले करता है, की शक्ति बढ़ाने की कोई स्कीम नहीं है। मौजूदा डी.डी. 2 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन करने की स्कीम इस समय कार्यान्वयनाधीन है।

पन-विद्युत नीति

5805. डा. असीम बाला: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पन-विद्युत नीति की इस समय क्या स्थिति है; और

(ख) देश में पन-विद्युत उत्पादन के भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जल विद्युत विकास संबंधी राष्ट्रीय नीति को सभी मंत्रालयों को दिनांक 21.7.98 को परिपत्रित कर दिया गया है ताकि उनकी टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त किए जा सकें। विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस समय 61 अनुमोदित जल-विद्युत परियोजनाएं हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 15633.47 मे.वा. है। क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

क्षेत्र			केन्द्रीय क्षेत्र (परियोजनाओं की संख्या)	राज्य क्षेत्र (परियोजनाओं की संख्या)	निजी क्षेत्र (परियोजनाओं की संख्या)	कुल (परियोजनाओं की संख्या)
उत्तरी	अधिष्ठापित	(मे.वा.)	3170.00	2173.00	1030.00	6373.00
	क्षमता	(संख्या)	(4)	(13)	(3)	(20)
पश्चिमी	अधिष्ठापित	(मे.वा.)	शून्य	3879.00	490.00	4369.00
	क्षमता	(संख्या)	-	(8)	(2)	(10)
दक्षिणी	अधिष्ठापित	(मे.वा.)	शून्य	1724.75	शून्य	1724.75
	क्षमता	(संख्या)	(14)			(14)
पूर्वी	अधिष्ठापित	(मे.वा.)	770.00	1772.70	शून्य	2542.70
	क्षमता	(संख्या)	(2)	(10)		(12)
उत्तर पूर्वी	अधिष्ठापित	(मे.वा.)	480.00	144.00	शून्य	624.00
	क्षमता	(संख्या)	(2)	(3)		(5)
जोड़		(मे.वा.)	4420.00	9693.45	1520.00	15633.45
		(संख्या)	(8)	(48)	(5)	(61)

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान जल विद्युत उत्पादन हेतु 78,000 मि.यू. का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्र-वार लक्ष्य निम्नवत है:-

क्षेत्र	उत्पादन लक्ष्य (मि.यू.)
उत्तरी	31,225
पश्चिमी	8,900
दक्षिणी	30,725
पूर्वी	4,930
उत्तर पूर्वी	2,220
अखिल भारतीय जोड़	78,000

मनोरंजन कर

5806. डा. सुगुण कुमारी चलामेला: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समान मनोरंजन कर लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें इस मुद्दे पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फिल्म उद्योग के वित्तीय पक्ष में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) मनोरंजन कर सहित "सिनेमा" का विषय चूंकि राज्य सूची में है इसलिए केन्द्र ने फिल्म उद्योग के समग्र लाभ के लिए मनोरंजन कर ढांचे की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है।

(घ) फिल्म क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप फिल्म निर्माण करने और संस्थाओं और बैंकों से वित्त प्रबन्ध के लिए पात्र अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों के उद्देश्यों से प्रस्ताव शुरू कर दिए गए हैं।

सड़क क्षेत्र में अभिकरणों की बहुलता

5807. श्री दादा बाबूराव परांजपे: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क क्षेत्र में अभिकरणों की बहुलता से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) राजमार्ग बोर्ड (हाईवे बोर्ड) नाम से एक ही अभिकरण कब तक गठित होगा और अपना काम शुरू करेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) राकेश मोहन समिति ने राजमार्ग क्षेत्र के कार्य को सरल और कारगर बनाने के लिए एक सड़क बोर्ड के गठन की सिफारिश की। तथापि, प्रस्ताव वैचारिक अवस्था में हैं।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन सुविधाएं

5808. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश, विशेषरूप से बिहार में टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण से संबंधित कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या बिहार में अधिकांश टेलीफोन और एस.टी.डी. सेवाएं काम नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घटिया उपस्करों को लगाने के कारण बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं ठीक ढंग से काम नहीं करती है; और

(च) यदि हां, तो नियमित टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां। देश में टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा एवं मानीटरिंग की जाती है।

(ख) सर्किल और दूरसंचार आयोग, मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुरक्षण स्टाफ द्वारा उपस्करों बैटरी, विद्युत संयंत्र और कार्य कर रही टेलीफोन लाइनों आदि के संबंध में प्रतिदिन निर्धारित परीक्षण भी किए जा रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं के संतुष्टि के अनुरूप दूरसंचार सेवाओं का रखरखाव किया जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खेल नीति

5809. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री मोहन रावले :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खेलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नयी राष्ट्रीय नीति तैयार करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खेल नीति तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण जनता में खेल की भावना जगाने के लिए वहां खेलकूद को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे क्या कदम उठाए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) नयी खेल नीति मसौदा स्थिति में है और उसे बहुत जल्दी अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है। नीति की मुख्य-मुख्य बातें हैं:- (1) खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना; (2) शिक्षा के साथ एकीकरण; (3) अवस्थापना विकास; (4) खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना; (5) राष्ट्रीय खेल परिसंघ; (6) खिलाड़ियों को वैज्ञानिक समर्थन; (7) खेल उपस्कर; (8) प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, जजों, रेफरियों और अम्पायरों का प्रशिक्षण और विकास; (9) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन; (10) खेलों के लिए संसाधन जुटाना और जन संचार माध्यम।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) नयी राष्ट्रीय खेल नीति में, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वहां पर मौजूदा असीम प्रतिभा और क्षमता का पता लगाया जा सके। इस संदर्भ में ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा तथा साथ ही साथ ग्रामीण युवा एवं खेल क्लबों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना का विकास करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक समुचित प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे के विकास के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाने हेतु उपयुक्त रूप से गतिशील बनाया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में तैराकी, जनजातीय क्षेत्रों में तीरंदाजी आदि के लिए उपलब्ध स्वदेशी क्षमता का पता लगाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएंगे जो कुछ क्षेत्रों में जीवनचर्या का एक अंग हैं, ऐसी प्रतिभा का विकास किया जाएगा और सरकार द्वारा सक्रिय रूप से सहायता दी जाएगी। भौगोलिक रूप से सुविधाविहीन क्षेत्र तथा जनजातीय उप योजना क्षेत्रों को खेलों के संवर्धन के क्षेत्र में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जल-मार्गों में निजी भागीदारी

5810. श्री चेतन चौहान : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) से (घ) अवसंरचना के विकास और जलयान प्रचालन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव है। इस बारे में एक विस्तृत नीति विचाराधीन है।

हैदराबाद में खराब इंटरनेट सर्विस

5811. **श्री के. येरननायडू:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही इंटरनेट सर्विस की खराब गुणवत्ता के संबंध में लोगों द्वारा बार-बार शिकायतें आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) हैदराबाद में इंटरनेट सेवा दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं तथा सेवा की गुणवत्ता के संबंध में वहां लोगों को बार-बार शिकायतें नहीं करनी पड़ती हैं। प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए इंटरनेट नोड के विस्तार का कार्य अति प्राथमिक आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

डाक विभाग द्वारा उठाया गया घाटा

5812. **श्री चिन्मयानंद स्वामी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग द्वारा वर्ष-वार कितना घाटा उठाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इस घाटे की भरपाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) डाक विभाग को ऐसी हानि नहीं हो रही है, तथापि यह घाटे में रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग का घाटा इस प्रकार है:-

1994-95	351.81 करोड़ रु.
1995-96	659.41 करोड़ रु.
1996-97	703.26 करोड़ रु.

(ग) चूंकि अधिकांश डाक सेवाओं की लागत, इन सेवाओं के लिए जाने वाले शुल्क से अधिक है, अत: आठ डाक सेवाओं के संबंध में दरों का संशोधन वित्त विधेयक 1998 में शामिल किया गया है। इस उपाय के अलावा, मासिक आधार पर व्यय की सूक्ष्म मानीटरिंग तथा प्रीमियम डाक उत्पादों के प्रभावशाली विपणन के माध्यम से राजस्व अर्जन को बढ़ाने और निष्पादित किए गए एजेंसी कार्यों के लिए अन्य विभागों से वसूलियों के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

5813. **श्री महेश कनोडिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विद्यालयों में मध्याह्न भोजन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ऐसे विद्यालयों को हर साल वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, को अगस्त, 1995 में आरंभ किया गया था। इसमें संपूर्ण देश के प्राथमिक स्कूल के बच्चों को शामिल किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय क्षेत्रों

तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पका-पकाया भोजन दिया जा रहा है। दिल्ली और चंडीगढ़ संसाधित भोजन प्रदान कर रहे हैं। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित करने का विकल्प अपनाया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों तथा खाद्यान्न ले जाने के लिए खाद्यान्न की लागत तथा परिवहन शुल्क का वहन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

5814. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की संरचना निम्नानुसार थी:-

(1) प्रोफेसर यू.आर. अनंतमूर्ति

(2) श्री कोमल कोठारी

(3) श्री बी.के. किचलू

(4) श्री मनजीत बावा

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने अन्य बातों के अलावा, संरचनात्मक परिवर्तनों, अधिक दूरस्थ कार्यक्रमों, जनजातीय/लोक कला पर अधिक बल देने, दुर्लभ व विलुप्त कला रूपों के प्रत्येक राष्ट्रीय व राज्य अकादमियों के साथ बेहतर समन्वयन तथा युवा व उदीयमान कलाकारों को संरक्षण देने की सिफारिश की।

(ङ) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों/सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

खेल-कूद के विकास के लिए योजना

5815. श्री विठ्ठल तुपे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "खेल" विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने से संबंधित प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल संघ से विचार मंगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों का क्या विचार है;

(ग) क्या सरकार देश में खेल-कूद के विकास के लिए कोई केन्द्रीय योजना/विधान तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान खेल के विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सरकार ने केवल खेल विषय को राज्य सूची से भारत के संविधान की समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए हैं। आज की तारीख तक जिन राज्यों ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति दी है उनके नाम निम्न अनुसार हैं:-

1. अरूणाचल प्रदेश
2. बिहार
3. गोवा
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश

6. केरल

7. महाराष्ट्र

8. मध्य प्रदेश

9. मेघालय

10. मणिपुर

11. मिजोरम

12. नागालैण्ड

13. उड़ीसा

14. सिक्किम

15. त्रिपुरा

16. उत्तर प्रदेश

जिन सरकारों ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति नहीं दी है उनके नाम इस प्रकार हैं:-

1. आन्ध्र प्रदेश

2. असम

3. दिल्ली

4. गुजरात

5. जम्मू व कश्मीर

6. कर्नाटक

7. पंजाब

8. राजस्थान

9. तमिलनाडु

10. पश्चिम बंगाल

(ग) और (घ) खेलों के विकास के लिए कई वर्तमान योजनाएं हैं जिनमें से कुछ योजनाएं संशोधित की जा रही हैं। जहां तक कानून का संबंध है उस पर खेल विषय के समवर्ती सूची में लाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(ङ) खेलों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(सभी रकमें रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	12,50,000	21,50,000	45,00,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	20,65,000	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
3.	असम	46,20,000	8,00,000	33,00,000
4.	बिहार	25,92,400	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	5,17,242	2,16,613	7,12,000
7.	हरियाणा	38,88,000	98,33,400	51,94,500
8.	हिमाचल प्रदेश	1,86,000	89,10,400	95,05,275
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	38,90,000
10.	कर्नाटक	64,34,300	837,94,558	73,24,850
11.	केरल	6,00,100	31,26,132	40,99,170
12.	मध्य प्रदेश	70,00,000	शून्य	21,60,000
13.	महाराष्ट्र	1,17,90,500	18,00,000	15,80,000
14.	मणिपुर	शून्य	43,50,000	10,00,000
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	1,07,74,500	86,19,600	शून्य
17.	नागालैंड	25,00,000	शून्य	30,00,000
18.	उड़ीसा	4,95,000	90,00,000	शून्य

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	शून्य	2,50,000	शून्य
20.	राजस्थान	8,25,000	13,30,000	8,21,200
21.	सिक्किम	शून्य	9,68,454	8,10,000
22.	तमिलनाडु	3,32,925	35,15,575	25,52,400
23.	त्रिपुरा	शून्य	14,50,000	123,67,500
24.	उत्तर प्रदेश	54,39,488	8,00,000	21,50,000
25.	पश्चिम बंगाल	5,86,490	35,00,000	शून्य
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चण्डीगढ़	1,75,500	1,75,500	17,50,000
3.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	2,82,000
5.	दिल्ली	शून्य	12,50,000	शून्य
6.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
7.	लक्षदीप	शून्य	शून्य	शून्य

एम.टी.एन.एल. की बकाया राशि

5816. श्री संदीपान थोरात: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और मुम्बई पर अलग-अलग एम.टी.एन.एल. की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान की स्थिति से इसकी तुलना किस तरह की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क)

(आंकड़े लाख रुपयों में)

निम्नलिखित तारीखों का बकाया देय

	30.6.96	30.6.97	30.6.98
एम.टी.एन.एल., दिल्ली	44261	51694	55765
एम.टी.एन.एल., मुम्बई	30171	35591	41786

(ख) टेलीफोन बिलों की अदायगी उनके जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर करनी होती है। निर्धारित तारीख अर्थात् 15 दिन और 6 दिन की ग्रेस अवधि तक यदि बिलों की अदायगी न की गई, तो निर्धारित दरों पर अधिभार वसूल किया जाता है। अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर याद दिलाया जाता है। नॉन इलेक्ट्रानिक और फेरेक्स एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं को पंजीकृत नोटिस भी भेजे जाते हैं। इसके बाद भी यदि बिलों की अदायगी न की गई, तो ऐसे उपभोक्ताओं के टेलीफोन काट दिए जाते हैं। तथापि, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज वाले उपभोक्ताओं के मामले में टेलीफोन को पूर्णरूप से डिस्कनेक्ट करने से पूर्व अन्य 15 दिन तक बाहर से आने वाले कॉल सुविधा की अनुमति दे दी जाती है।

उपभोक्ताओं के साथ पत्राचार करके, फील्ड स्टाफ द्वारा उनके घर-घर जाकर तथा कानूनी कार्यवाही करके भी बकाया धनराशि वसूल करने का प्रयास किया जाता है।

व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमति

5817. श्री एस. सुधाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों की असंतुलित वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नए व्यावसायिक संस्थान शुरू करने के लिए अनुमति देने में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किए जाने की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और भारतीय चिकित्सा परिषद देश में क्रमश: तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के समन्वित विकास के लिए सांविधिक प्राधिकरण हैं। उनके मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा विनियमों के माध्यम से इन प्राधिकरणों द्वारा इंजीनियरी तथा चिकित्सा कालेजों को विनियमित किया जाता है। जहां तक सरकार को जानकारी है, इन नियमों के प्रावधानों को लागू किए जाने में किसी राज्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण में करोड़ों का घोटाला

5818. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष वेस्टर्न सेंटर, गांधीनगर में करोड़ों के घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मामले में सरकार द्वारा कराई गई जांच के क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) जी, नहीं।

तथापि, आंतरिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केन्द्र, गांधीनगर को सामान्य आंतरिक लेखा परीक्षा करते समय कतिपय टिप्पणियां की थीं। अधिकांश लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया गया है। सरकार बकाया पैराग्राफों के अनुपालन को प्रगति पर दृष्टि रखेगी।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ का आबंटन

5819. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन बूथ आबंटित किये गये हैं; और

(ख) इस संबंध में किन मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) विभाग की वर्तमान नीति के अनुसार, एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन बूथों का आबंटन एक अनवरत प्रक्रिया है और ये बूथ, आवेदकों के पंजीकरण के वरिष्ठता-क्रम के अनुसार ही आबंटित किए जाते हैं। आबंटन में, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विभिन्न श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, आवेदकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

कर्नाटक में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

5820. श्री एस. सिद्दराजू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनके लिए पहली किश्त के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या इन केन्द्रों के लिए दूसरी किश्त जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के लिए दूसरी किश्त जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो कितनी राशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस समय यह मंत्रालय अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, कर्नाटक में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित 1427 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) से (च) तिमाही प्रगति रिपोर्टें, वार्षिक प्रगति रिपोर्टें लेखाओं के लेखा-परीक्षित विवरण तथा संबंधित स्वैच्छिक एजेंसी से अनौपचारिक शिक्षा परियोजना को जारी रखने का अनुरोध प्राप्त होने पर किश्तें जारी की जाती हैं। कर्नाटक में जिन स्वैच्छिक एजेंसियों ने उपर्युक्त औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, उन्हें उचित निधियां प्रदान कर दी गई हैं।

सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा

5821. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच 50:50 की भागीदारी के आधार पर सभी सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) शिक्षा विभाग स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए तथा सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता परियोजना को लागू करने के लिए शत-प्रतिशत सहायता देता है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं।

मौजूदा योजना के तहत संगणक साक्षरता परियोजना की लागत में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती।

तिवारी समिति

5822. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय कानून के संबंध में वर्ष 1980 में गठित तिवारी समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) सरकार ने पर्यावरणीय कानून के संबंध में 1980 में गठित तिवारी समिति की निम्नलिखित सिफारिशें लागू की हैं:-

1. **सिफारिश:-** एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति-संकल्प अंगीकृत की जाए।

की गई कार्रवाई:- पर्यावरण संबंधी सरकारी नीति का प्रतिपादन, पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति और नीति विवरण (1992), प्रदूषण न्यूनीकरण विवरण (1992), और राष्ट्रीय वन नीति (1988) में किया गया है। यह नीति देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के अनुरूप भी है। इस नीति का कार्यान्वयन सुस्थापित वैधानिक ढांचे और केन्द्र तथा राज्य सरकारों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए किया जाता है।

2. **सिफारिश:-** मौजूदा कानून की समीक्षा करके उसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा संबंधित क्षेत्रों के बारे में एक नया कानून बनाया जाए।

की गई कार्रवाई:- निम्नलिखित मौजूदा/नए कानूनों की समीक्षा की गई है, उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया गया है अथवा नये कानून बनाये गये हैं:

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972
2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1974
4. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
5. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
6. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986
7. सार्वजनिक उत्तरदायिता (बीमा) अधिनियम, 1991
8. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधीकरण अधिनियम, 1995
9. राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997

3. **सिफारिश:-** पर्यावरण सुरक्षा को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया जाए।

की गई कार्रवाई:- मामले की विधि, न्याय और कंपनी मामला मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय को सलाह दी गई थी कि पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक कदम उठाने के बारे में संविधान में एक लचीली अवसंरचना मौजूद है और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में संसद में कानून बनाने के लिए कोई विशष कठिनाई नहीं होगी। तद्नुसार, सरकार ने "पर्यावरण सुरक्षा" को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल न करने का निर्णय लिया है।

सरकार द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हलफनामा दाखिल करना

5823. श्री ए.सी. जोस: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लोक सभा के सांसदों को बिना बारी के एल.पी.जी. (रसोई गैस) और टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रति-हलफनामा दाखिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) केरल उच्च न्यायालय ने मूल याचिका सं. 11507/1998-टी और सिविल प्रकोर्ण याचिका सं. 19939/96 (वशीर्स जार्ज बनाम भारत संघ) में संसद सदस्यों को एल.पी.जी./टेलीफोन कनेक्शनों के वितरण के लिए विनिश्चय के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। इस विषय में अपनाई जाने वाली समुचित प्रक्रिया तैयार करने के लिए न्यायालय के निर्णय की जांच की जा रही है।

नए औद्योगिक जोन

5824. श्री सोमजी भाई डामोर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री 6 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3030 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में काष्ठ आधारित उद्योग के वर्तमान स्थान को औद्योगिक जोन के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों को नये औद्योगिक जोन में अंतरित करने का निर्देश देते समय न्यायालय को इन मिलों के वर्तमान स्थानों की जानकारी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान स्थानों को नए औद्योगिक जोन की घोषणा करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिए कोई उपयुक्त कानून बनाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य पद्धति प्रस्तावित है तथा कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.1.1998 के अनुसरण में मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और असम सरकारों ने औद्योगिक जोन/औद्योगिक एस्टेट्स की घोषणा के लिए भारत सरकार से सलाह मशविरा करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और असम सरकारों के प्रस्तावों की इस मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

एम.आर.टी.पी.सी.

5825. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 मार्च, 1991 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के दायरे में आने वाले व्यावसायिक घरानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में 31 मार्च, 1997 को कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही थीं;

(ग) 31 मार्च, 1998 तक उक्त व्यावसायिक घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) लाभ अर्जित कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) 31 मार्च, 1991 तक की स्थिति के अनुसार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के दायरे में आने वाले घरानों की संख्या प्रत्येक की कम से कम 100 करोड़ रुपयों की परिसम्पत्तियों सहित, 95 थीं। इन व्यावसायिक घरानों का राज्यवार कोई वर्गीकरण नहीं है।

(ख) से (घ) 27.9.1991 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय III के भाग क को हटाए जाने के परिणामस्वरूप, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अब अधिकांश औद्योगिक घरानों को केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है। इसलिए कंपनी कार्य विभाग द्वारा औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित आंकड़े अलग से एकत्रित नहीं किये जाते हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कम्पनी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है और सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तथाकथित वर्गीकरण के आधार पर देश में कार्यरत कम्पनियों से सम्बन्धित कोई आंकड़े नहीं रखती है।

[अनुवाद]

पोत निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं

5826. श्री मनोरंजन भक्त: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोत निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू-कश्मीर में डाकखानों का कम्प्यूटरीकरण

5827. श्री चमनलाल गुप्तः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कुछ बड़े डाकखानों में कम्प्यूटरीकरण शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने डाकखानों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है;

(ग) ये कम्प्यूटरीकृत डाकखाने कार्य-भार को कम करने और विलम्ब में कटौती करने में कहां तक मदद करेंगे; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य के कितने डाकखानों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां। जम्मू एवं कश्मीर डाक सर्किल ने, विभाग के योजना कार्यकलाप के एक भाग के रूप में राज्य के बड़े डाकघरों में कम्प्यूटरीकरण की शुरूआत की है।

(ख) 10 डाकघर।

(ग) कुछ डाकघर कार्यों के कम्प्यूटरीकरण से काउंटर पर लोगों के साथ होने वाले लेन-देन का त्वरित निपटान होने लगा है। इसके परिणामस्वरूप बचत बैंक कार्य, जिसमें ब्याज के विवरण तैयार करना शामिल है, जल्दी और अधिक सटीक ढंग से होने लगा है। इस सबके फलस्वरूप, विलंब कम होने लगा है और ग्राहकों की इच्छाओं के अधिक अनुकूल सेवा प्रदान करने में सहायता मिली है।

(घ) 5 डाकघर।

अंतर्देशीय पोतों के पंजीकरण के लिए शुल्क का लिया जाना

5828. श्री टी. गोविन्दनः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंतर्देशीय पोत सर्वेक्षण नियम तथा अंतर्देशीय पोत पंजीकरण नियम तैयार करने के बाद अंतर्देशीय पोतों के पंजीकरण के लिए तैयार करने के बाद प्रभारित किये जाने वाले शुल्क निर्धारित करने हेतु स्वीकृति संबंधी केरल सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

5829. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले:
श्री नृपेन गोस्वामी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्य-भार और विलंब को कम करने में इस तरह के कम्प्यूटरीकृत डाकघर कहां तक सहायक सिद्ध होंगे;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक महाराष्ट्र डाक सर्किल द्वारा खरीदे गए कम्प्यूटरों की संख्या तथा कीमत क्या है;

(ङ) क्या सभी कम्प्यूटर ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि नहीं, तो ऐसे कम्प्यूटरों की संख्या क्या है जो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान 500 कम्प्यूटर आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनें और 100 बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क प्राप्त किए जा रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कम्प्यूटर आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की शुरूआत ांगों का प्रतीक्षा समय कम हुआ है और अब ग्राहक को न्न प्रकार के लेन-देन की बुकिंग के लिए एक से दूसरे ़र पर नहीं जाना पड़ता। वह ऐसे किसी भी डाकघर में, सभी के लेन-देन के लिए कोई एक काउंटर चुन सकता है।

(घ) महाराष्ट्र सर्किल में गत तीन वर्षों के दौरान 1,30,78,104/- रु. के 189 कम्प्यूटर खरीदे गए हैं।

(ङ) जी हां। इन कम्प्यूटरों के रख-रखाव के लिए एक क रख-रखाव समझौता किया गया है।

(च) चूंकि डाक विभाग का एक वार्षिक रख-रखाव समझौता ात: कंपनियां इन कम्प्यूटरों को अपने सर्विस सेंटर में 24 घंटों ीतर ठीक करने के लिए बाध्य हैं। जिन स्थानों पर सर्विस नहीं हैं वहां यह अवधि लाने-ले-जाने में लगने वाले समय ़लावा 24 घंटे है।

(छ) लागू नहीं होता।

विवरण

क डाक सर्किल के लिए बहुद्देशीय काउंटर मशीनों एवं ़ल एरिया नेटवर्क की कुल संख्या का अनंतिम आबंटन

	सर्किल का नाम	बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की संख्या	लोकल एरिया नेटवर्क की कुल संख्या
1	2	3	4
	केरल	30	5
	उड़ीसा	30	4
	दिल्ली	35	7
	महाराष्ट्र	25	8
	आंध्र प्रदेश	20	6
	तमिलनाडु	20	8
7.	कर्नाटक	20	5
8.	उत्तर प्रदेश	30	7
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10	1
10.	राजस्थान	35	4
11.	पंजाब	35	6
12.	हिमाचल प्रदेश	20	2
13.	हरियाणा	25	6
14.	मध्य प्रदेश	30	6
15.	असम	25	2
16.	उत्तर-पूर्व	25	2
17.	पश्चिम बंगाल	35	8
18.	बिहार	25	5
19.	गुजरात	25	8
	कुल	500	100

दूरसंचार सेवाओं में नई प्रौद्योगिकियां

5830. श्री के.एस. राव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपस्कर निर्माता कम्पनी संघ तथा दूर-संचार उपस्कर निर्माता संघ इस प्रयोजनार्थ दूर-संचार विभाग में तेजी से समर्थन जुटा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) दूरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना एक अनवरत प्रक्रिया है। इसे भारतीय एवं ट्रॉपिकल परिस्थितियों के अन्तर्गत फील्ड परीक्षण के बाद स्वदेशी विकास तथा प्रौद्योगिकियों को आयात करके प्राप्त किया जाता है।

वायरलेस इन लोकल लूप, इन्टरनेट तथा ए.टी.एम. प्रारंभ करने के लिए प्रापण प्रक्रिया चल रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) शून्य।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

5831. प्रो. पी.जे. कुरियन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन सी कार्य योजना तैयार की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 45 में की गई परिकल्पना के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में व्यापक मात्रा में विस्तार किए जाने तथा कुछ राज्यों और संघ राज्यों में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भी प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। इस संबंध में हमारी जनसंख्या की बढ़ती ऊंची दर, चारों ओर व्याप्त गरीबी तथा निरक्षरता का मौजूद होना, पर्याप्त संसाधनों की कमी होना, विशेषरूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिरोध और विकट समस्याएं हमारे प्रयास में बाधक बनी हैं।

(ग) यथा-संशोधित 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व ही 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। केन्द्रीय सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है।

एन.बी.सीज. प्लान टू अपलिंक फ्राम ताज

5832. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अप्रैल, 1998 के "इकोनमिक टाइम्स" में, "एन.बी.सीज. प्लान टू अपलिंक फ्राम ताज : दे वर प्रोमिस्ड दि मून" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां।

मैसर्स एन.बी.सी. को पत्र सूचना कार्यालय की प्रत्यायित एजेन्सी होने, प्रसारण अन्तर्राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क तथा समस्त विश्व के दर्शकों के लिए होने, अपलिंकिंग विदेश संचार निगम लि. के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के तहत किए जाने आदि जैसे सामान्य विशिष्ट निबन्धनों एवं शर्तों के अन्तर्गत अपलिंकिंग हेतु अनुमति दी गई थी।

बाघ और जंगली बिल्लियों की संख्या

5833. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997 में सुंदरवन बाघ अभयारण्य सहित बाघ और शेर अभयारण्य की गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1980 के बाद की गई गणना के मुकाबले 1997 की गणना में अभयारण्य-वार बाघों, शेर और जंगली बिल्लियों की संख्या क्या थी; और

(ग) बाघ और जंगली बिल्लियों की संख्या में वृद्धि करने और उनके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। सुन्दरवन बाघ आरक्षित क्षेत्र सहित अन्य बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव जन्तुओं के बारे में अनुमान 1997 में लगाया गया था। देश में कोई शेर आरक्षित नहीं हैं, तथापि, शेर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में पाये जाते हैं।

(ख) विगत के क्रमिक अनुमानों के अनुसार बाघों और तेन्दुओं की अनुमानित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। तथापि, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1997 की संख्या संबंधी आंकड़ों के बारे में, बाघ परियोजना की संचालन समिति द्वारा अभी समीक्षा की जानी है।

पिछले तीन अनुमानों के अनुसार गिर राष्ट्रीय उद्यान में विद्यमान शेरों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

वर्ष	1985	1990	1995
शेरों की संख्या	239	284	304

(ग) बाघों और अन्य जंगली बिल्लियों की आबादी को बचाने के लिए उठाए गये/उठाये जा रहे कदम संलग्न विवरण-III में दर्शाये गये हैं।

विवरण-I

बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या

क्र.सं.	आरक्षित क्षेत्र का नाम	1979	1984	1989	1993	1995	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बंदीपुर (कर्नाटक)	39	53	50	66	74	75
2.	कोरबेट्ट (उ.प्र.)	84	90	91	123	128	138
3.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	71	109	97	100	97	114
4.	मानस (असम)	69	123	92	81	94	125
5.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	63	80	77	72	71	73
6.	पलामू (बिहार)	37	62	55	44	47	44
7.	रंथाभोर (राजस्थान)	25	38	44	36	30	32
8.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	65	71	93	96	97	98

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल)	205	264	269	251	242	263
10.	पेरियार (केरल)	34	44	45	30	39	एन.आर.*
11.	सरिसका (राजस्थान)	19	26	19	24	25	24
12.	बुकसा (पश्चिम बंगाल)	–	15	33	29	31	32
13.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	–	38	28	18	15	15
14.	नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)	–	65	94	44	34	39
15.	नांधापा (अरूणाचल प्रदेश)	–	43	47	47	52	57
16.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	–	–	90	94	98	104
17.	कालाकड (तमिलनाडु)	–	–	22	17	16	28
18.	वाल्मिकी (बिहार)	–	–	61	49	एन.आर.*	53
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	–	–	–	39	27	29
20.	तादोवा (महाराष्ट्र)	–	–	–	34	36	42
21.	बांधवगढ़ (म.प्र.)	–	–	–	41	48	46
22.	पन्ना (म.प्र.)	–	–	–	25	22	22
23.	दम्पा (मिजोरम)	–	–	–	07	04	05
	कुल	711	1121	1327	1368	1333	1458

*एन.आर.: सूचित नहीं किया गया।

विवरण-II

बाघ आरक्षित क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या

क्र.सं.	आरक्षित क्षेत्रों का नाम	1984	1989	1993	1995	1997
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	25	40	81	86	एन.आर.
2.	कोरबेट्ट (उत्तर प्रदेश)	73	89	100	102	109
3.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	49	62	72	62	86
4.	मानस (असम)	16	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
5.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	72	79
6.	पलामू (बिहार)	29	48	60	58	एन.आर.
7.	रंथाभोर (राजस्थान)	40	41	65	83	79
8.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	67	70	99	100	114
9.	सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल)	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
10.	पेरियार (केरल)	एन.आर.	एन.आर.	3	6	एन.आर.
11.	सरिस्का (राजस्थान)	32	28	39	46	49
12.	बुक्सा (पश्चिम बंगाल)	50	एन.आर.	54	70	एन.आर.
13.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	11	25	21	23	26
14.	नागार्जुनसागर (आन्ध्र प्रदेश)	एन.आर.	एन.आर.	44	54	62

1	2	3	4	5	6	7
15.	नामधापा (अरूणाचल प्रदेश)	15	20	32	35	20
16.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	–	2	3	1	5
17.	कालाकड (उत्तर प्रदेश)	–	36	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
18.	वाल्मिकी (बिहार)	–	32	37	एन.आर.	एन.आर.
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	–	–	15	11	21
20.	तादोबा (मध्य प्रदेश)	–	–	एन.आर.	29	24
21.	बंदभगढ़ (मध्य प्रदेश)	–	–	24	26	27
22.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	–	–	13	26	31
23.	दम्फा (मिजोरम)	–	–	7	9	3
	कुल	407	493	769	899	735

एन आर : सूचित नहीं किया गया।

विवरण-III

बाघों और जंगली बिल्लियों की संख्या को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(1) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्य जीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।

(2) बाघो, तेंदुओं तथा उनके वास स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

(3) वन्य प्राणि-जात एवं वनस्पति-जात के संरक्षण के लिए 441 वन्य जीव अभयारण्यों एवं 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है।

(4) वन्य जीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्य जीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(5) पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणि-जात और वनस्पति-जात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है। हाथीदांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(6) वन्य जीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में वन्य जीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(7) पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, आई.टी.बी.पी., तटरक्षकों आदि जैसी अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। 1995 के दौरान नई दिल्ली और देहरादून में इन सभी संगठनों के लिए वन्य जीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

(8) देश के बाघ वाले क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए मंत्रालय में "बाघ संकट प्रकोष्ठ" की स्थापना की गई है।

(9) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता बढ़ाएं और गश्त में तेजी लाएं।

(10) बाघ परियोजना क्षेत्रों में "विशेष स्ट्राइक फोर्स" की स्थापना करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(11) बाघ संरक्षण से संबंधित द्विपक्षीय मामलों और बाघों की हड्डियों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने तथा साथ ही बाघ के अंगों के अन्य हिस्सों की तस्करी को रोकने के लिए चीन गणतंत्र की सरकार के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(12) बाघों के चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए "विश्व बाघ मंच" की स्थापना करने हेतु तथा बाघ रेंज देशों में बाघों के वास-स्थल के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं।

'एड्स' के बारे में जागरूकता

5834. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में एड्स संबंधी जागरूकता विषय-वस्तु शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अप्रैल, 1993 में किशोर शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें किशोर शिक्षा के सामान्य ढांचे के तीन प्रमुख घटकों में से एक के रूप में एड्स शिक्षा की सिफारिश की गई।

राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशें किशोर शिक्षा का सामान्य ढांचा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को सहायता

5835. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को कुल कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कुल कितने लोगों को साक्षर बनाया गया;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने इस योजना की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नवत है:-

वर्ष	धनराशि (रु. लाख में)
1995-96	26.43
1996-97	49.17
1997-98	115.55

(ख) संपूर्ण साक्षरता अभियान की योजना की शुरूआत से लेकर अब तक इस राज्य में लगभग 4.12 लाख व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) साक्षरता अभियान परियोजनाओं की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की ओर से राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रति माह समीक्षा की जाती है और इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां राष्ट्रीय साक्षरता मिशन/राज्य प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाएं

5836. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की निंदा किए जाने के बाद सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां अन्य बातों के साथ-साथ मानक जनशक्ति नीतियों/पद्धतियों को विकसित करने विषयक चूकों और निर्धारित प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया के अनुसरण की विफलता की ओर संकेत करती हैं। सी.एस.आई.आर. द्वारा इन टिप्पणियों की जांच की गई है और इस संबंध में कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु उचित अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

धनबाद में रेडियो स्टेशन

5837. प्रो. रीता वर्मा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में धनबाद में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनबाद में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में कोई अड़चन आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ताप विद्युत परियोजना

5838. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुजा समूह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसकी 1.2 बिलियन डालर वाली ताप विद्युत परियोजना को आंशिक रूप से वित्तीय सहायता देने हेतु ऋण देने वाली विदेशी एजेंसियों से 800 मिलियन डालर से अधिक ऋण देने हेतु बातचीत शुरू कर दी है;

(ख) क्या परियोजना की प्रति गारंटी को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना के कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इस परियोजना से कुल कितनी विद्युत उत्पादित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लिमिटेड (एच.एन.पी.सी.एल.) के माध्यम से विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, ने वित्त पोषण हेतु सूचित किया है कि इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु विदेशी ऋण

दाताओं से बातचीत शुरू कर दी गई है। सरकार ने हाल ही में इस परियोजना के मामले में एक संशोधित पद्धति के माध्यम से प्रति गारंटी की अवधि बढ़ाने संबंधी अनुमोदन प्रदान कर दिया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि परियोजना की प्रति गारंटी केवल समाप्ति की दशा में ही प्रदान की जाएगी और वह बकाया विदेशी ऋण तक सीमित होगी। इस परियोजना की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1040 मे.वा. है 520 मे.वा. वाली प्रथम इकाई को वित्तीय समापन के पश्चात् 38 महीनों में और दूसरी इकाई को 44 महीनों में चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

धनराशि की लेखा परीक्षा

5839. श्री बी.एम. मेनसिंकाई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 6 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न 2942 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन द्वारा दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों को जारी की गई धनराशि लेखा परीक्षा के योग्य है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों को किए गए यथानुपातिक भुगतान के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल में जल-विद्युत परियोजना

5840. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए.वी.एस.एम.: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को किसी गैर-सरकारी फर्म को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना में लोगों को रोजगार देने संबंधी समझौते की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस समझौते के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु कोई व्यवस्था की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चार बड़ी विद्युत परियोजनाएं, जिनमें लखबर-व्यासी (420 मे.वा.), मनेरी भाली चरण-2 (304 मे.वा.), विष्णु प्रयाग (400 मे.वा.) और श्रीनगर (330 मे.वा.) निर्माणाधीन है। बाद वाली दो परियोजनाएं निजी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है तथा इन परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ किए गए विद्युत क्रय करार में परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने संबंधी कोई प्रावधान निहित नहीं है। उ.प्र.रा.बि.बो. इन विद्युत क्रय करारों की क्षेत्र स्तर और बोर्ड स्तर दोनों पर ही क्रियान्वयन की मानिटरिंग किए जाने का प्रस्ताव रखता है। इसके अतिरिक्त, टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे.वा.) को भारत सरकार तथा उ.प्र. सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में टिहरी, जिला गढ़वाल में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना को मार्च, 2002 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(च) उपरोक्त (क) से (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जल-भूतल परिवहन हेतु विदेशी सहायता

5841. डा. रवि मल्लू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जल-भूतल परिवहन हेतु विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई हैं;

(ख) विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित जल-भूतल परिवहन की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के अनुसार शुरू हो गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके पुनर्भुगतान का तरीका तथा ब्याज की दर क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क)

1995-96	378.36 करोड़ रु.
1996-97	407.33 करोड़ रु.
1997-98	568.21 करोड़ रु.

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की लगभग 968 कि.मी. की 19 परियोजनाएं, राज्यीय राजमार्गों की लगभग 552 कि.मी. की 3 परियोजनाएं, 4 पत्तनों से संबंधित 4 परियोजनाएं विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फंड, जापान से प्राप्त ऋण सहायता के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा करने, जनोपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग, पर्यावरणीय अनुमति, वृक्षों की कटाई, परियोजना तैयारी, परामर्शदाताओं की नियुक्ति में विलम्ब, न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश इत्यादि के कारण कुछेक परियोजनाएं शुरू करने में विलम्ब हुआ है।

(ङ) ऋणों की अदायगी तथा ब्याज की दरें संबंधित वित्त पोषण एजेंसियों के मार्गनिदेशों और ऋण संबंधी करारों के अनुरूप नियत की गई हैं।

सड़क विकास परियोजनाओं के लिये विशेष निधि

5842. श्री एस.एस. ओवेसी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सड़क विकास परियोजनाएं लागू करने के लिये विशेष कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिये संसाधनों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य को आरम्भ करने के लिए आरम्भ में कुल कितनी धनराशि जमा करने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) वर्तमान बजट में पैट्रोल पर प्रति लीटर एक रुपया उपकर का प्रावधान है, जिससे निरन्तर धनराशि प्राप्त होती रहेगी और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए प्रति वर्ष लगभग 790 करोड़ रु. उपलब्ध होंगे।

सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिये आदर्श रियायती समझौता

5843. श्री नरेश पुगलीया: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी रूप से वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिये आदर्श रियायत समझौते विकसित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की आधारभूत संरचना के वित्त पोषण पर हाल ही में नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उस सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सड़क विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और कितना सुदृढ़ किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) आदर्श करार प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए कोई ब्यौरे नहीं बताए जा सके।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से संबंधित सेमिनार में विचार-विमर्श किया गया था। निष्कर्ष यह था कि विदेशी प्रतिमानों को भारत में सीधा लागू नहीं किया जा सकता। तथापि, अवसंरचना परियोजनाओं के विकास में निजी सहभागिता करना एक अनवरत प्रक्रिया है और पहले से हस्ताक्षर किए गए करारों से प्राप्त अनुभव निजीकरण नीति का सुधार करने में काफी सहायक रहेंगे।

उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ताओं का पंजीयन

5844. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायाधिकरणों के कई अपंजीकृत अधिवक्ता न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में पेश होकर मामलों की बहस करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपंजीकृत अधिवक्ताओं द्वारा प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ताजमहल में प्रदूषण

5845. श्री भगवान शंकर रावत: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगरा में वाहनों के यातायात से होने वाले प्रदूषण का स्तर क्या है;

(ख) क्या ऐसे यातायात से होने वाले प्रदूषण के स्तर का पता लगाने हेतु आगरा में नियमित रूप से कोई निगरानी की जा रही है ताकि ताजमहल को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके;

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(घ) यातायात के प्रदूषण को नियंत्रित करने और ताजमहल की मौलिक सफेदी को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गये हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यातायात के कारण हुए प्रदूषण का ब्यौरा क्या है और इसके कारण इतमद उद-दौला, ताजमहल और लाल किले स्थित सफेद मस्जिद आदि जैसे सफेद संगमरमर के स्मारकों को कितनी क्षति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) वाहनीय ट्रैफिक से प्रदूषण स्तरों को अलग से नहीं मापा गया है। तथापि, आगरा में कई स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का नियमित रूप से मानीटरन किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी प्रदूषण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए ताजमहल के आस-पास परिवेशी वायु गुणवत्ता को मानीटर कर रहा है ताकि अपेक्षित उपाचारात्मक उपाय किए जा सकें। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए समय-समय पर रासायनिक शोधन तथा क्ले पैक तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

सफेद संरमरमर के स्मारकों जैसे ताजमहल, इतमद-उद-दौला और लालकिले स्थित मस्जिद को गैसीय उत्सर्जन के कारण कोई ज्यादा क्षति हुई प्रतीत नहीं होती है।

आगरा में वाहन प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ताजमहल के इर्द-गिर्द बैट्री से चलने वाली बसों को सुलभ कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। 10 बैट्री बसें पहले ही चल रही हैं।
2. आगरा में वाहनों के लिए कठोर उत्सर्जन जांच की जाती है। ताज ट्रेपेजियम में वाहनीय उत्सर्जन को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।
3. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देश जारी किए गए है कि वे ताजमहल के 500 मीटर के परिधि में किसी भी पेट्रोल/डीजल से चलने वाली वाणिज्यिक वाहन को प्रवेश की अनुमति न दें।
4. ट्रेपेजियम में सीसा रहित पेट्रोल और कम सल्फरयुक्त डीजल शुरू किया गया है।
5. ताज के इर्द-गिर्द ट्रेपेजियम क्षेत्र में हरित पट्टी के विकास की स्कीम लागू की जा रही है।

पारेषण और वितरण के कारण विद्युत की हानि

5846. श्री माधव राव पाटील:
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देश में बिजली के वितरण के दौरान होने वाली विद्युत हानि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक विद्युत बोर्ड में पारेषण और वितरण में होने वाली हानियों का प्रतिशत क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी हानियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) भारत में पारेषण एवं वितरण हानियां विकसित देशों से अधिक है और कुछ विकासशील देशों जैसे बंगलादेश, कोलम्बिया, डॉमनिकन रिपब्लिक, म्यांमार और नेपाल से कम है। विकासशील देशों (सार्वजनिक यूटिलिटियां) में पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1992-92 से 1995-96 के दौरान प्रत्येक बिजली बोर्ड की पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विद्युत वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों की होती है। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए है जिसमें निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:-

- प्रचालन वोल्टता का उच्चीकरण
- एल.टी. लाइनों की लम्बाई में कमी
- भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मर की स्थापना
- उपभोक्ता परिसरों में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को अपनाना
- शन्ट कैपेसिटरों की अधिष्ठापनाएं
- निर्माण एवं प्रचालन तकनीक में सुधार, और
- दीर्घकालीन आधार पर वितरण प्रणाली की डिजाईन और आयोजना के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण।

ऊर्जा लेखा परीक्षा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में ऊर्जा लेखा परीक्षा संबंधी अध्ययन कार्य करने के लिए पद्धति निर्धारित की गई है और तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को अलग-अलग करने के लिए पद्धति का प्रावधान किया गया है।

बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में आवश्यक संशोधन भी किए गए है।

दिसम्बर, 1996 में घोषित विद्युत संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्य योजना में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव प्रदान किया गया है:-

(1) सभी मुख्य फीडरों पर सब-स्टेशनों में आवश्यक मीटरिंग

(2) सभी नये विद्युत कनैक्शनों की अनिवार्य मीटरिंग। 10 एच वी. से ऊपर वाले कृषि क्षेत्र के लिए भी कनैक्शन दो वर्ष की अवधि में पूरे हो जाने चाहिए।

(3) सभी विद्युत आपूर्तियों को सन् 2002 तक माप लिया जाए।

(4) 100 के.वी.ए. भार से ऊपर वाले बड़े उपभोक्ताओं के संबंध में अनिवार्य वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जाए।

(5) बेहतर मांग प्रबंध हेतु बड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए दिन के समय मीटरिंग लागू की जाएगी।

विवरण-I

विकासशील देशों में (सार्वजनिक यूटिलिटीज) में पारेषण और वितरण हानियों का प्रतिशत

देश	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
अल्जीरिया	18.51	15.07	16.32	13.31	17.10	17.50
बंगलादेश	30.10	35.57	38.95	39.10	33.98	33.30

1	2	3	4	5	6	7
बारबाडोज	9.73	9.55	7.86	7.27	8.56	8.24
बेलाइज	11.11	9.80	9.80	9.35	9.35	9.35
बोलिविया	14.83	16.71	15.91	15.91	14.00	13.67
ब्राजील	13.70	13.62	14.67	14.13	14.43	15.26
बुल्गारिया	11.79	11.41	15.78	15.67	15.47	15.31
चिली	15.41	12.38	12.87	11.93	–	–
चीन	7.54	7.44	7.68	7.75	7.16	6.44
कोलंबिया	24.25	23.70	22.94	20.48	22.74	23.29
कोस्टारिका	11.03	14.33	11.45	11.46	11.02	8.00
क्यूबा	18.05	18.44	16.82	15.99	16.10	16.10
डामेनिकन रिपब्लिक	34.01	41.04	42.87	42.48	38.81	38.80
अल सल्वाडोर	18.05	19.02	16.10	16.42	13.75	13.75
फीजी	9.76	9.88	12.32	13.58	14.63	14.94
फ्रेंच गुयाना	12.37	12.17	11.87	12.41	12.67	14.98
ग्वाटेमाला	16.08	16.67	15.65	15.36	18.01	16.43
होंडूरास	24.83	25.48	26.[illegible]	27.56	28.25	28.14

1	2	3	4	5	6	7
इंडोनेशिया	21.93	22.47	20.95	17.97	17.18	16.75
जमैका	19.35	17.90	18.71	20.66	25.17	24.28
जार्डन	10.99	10.07	10.51	11.00	10.43	9.94
केन्या	15.46	15.45	15.41	15.07	15.73	15.01
कोरिया गणराज्य	5.93	5.49	5.50	5.66	5.48	5.51
कुवैत न्यूट्रल जोन सहित)	9.02	8.40	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
मलेशिया	11.05	8.71	12.13	7.89	–	9.55
म्यांमार	35.20	–	37.39	38.44	37.71	36.13
नेपाल	28.39	28.28	28.38	24.66	24.94	25.83
निकारागुआ	21.62	19.38	24.06	24.04	25.88	25.22
पाकिस्तान	20.64	21.35	20.55	22.94	22.8	23.60
पेरू	–	–	2.75	2.58	3.25	5.81
फिलीपींस	16.10	13.79	13.54	17.23	17.70	17.29
श्रीलंका	17.26	16.78	18.25	16.89	17.28	17.82
थाईलैंड	10.20	10.85	11.08	10.67	8.41	9.90
त्रिनिडाड एवं टोबेगो	11.77	9.09	13.43	9.55	8.87	9.31

1	2	3	4	5	6	7
ट्यूनेशिया	13.40	12.77	12.40	11.76	11.32	11.26
उरूग्वे	19.12	21.64	19.96	22.37	19.80	20.44
वेनिजुएला	17.80	21.73	17.70	17.10	लागू नहीं	लागू नहीं
जिम्बाब्वे	6.76	9.74	12.81	9.87	14.57	15.49
भारत*	23.28	22.89	22.83	21.80	21.41	21.13

1 *वित्तीय वर्ष के लिए

2 -आंकड़े उपलब्ध नहीं

विवरण-II

राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली विभागों में रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत
(वाणिज्यिक हानियों जैसे चोरी इत्यादि समेत)

राज्य बिजली बोर्ड/ बिजली विभाग	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1. हरियाणा	26.79	26.78	25.00	30.80	32.39
2. हिमाचल प्रदेश	20.37	19.51	8.31	18.21	16.09
3. जम्मू और कश्मीर	49.21	48.28	45.69	48.74	47.52
4. पंजाब	21.52	19.24	19.37	16.70	18.49

1		2	3	4	5	6
5.	राजस्थान	23.11	22.74	25.00	24.78	29.27
6.	उत्तर प्रदेश	26.06	24.43	24.08	21.69	21.84
7.	चण्डीगढ़	29.64	26.21	27.27	28.44	33.72
8.	डेसू	24.35	23.56	31.79	34.56	48.57
	पश्चिमी क्षेत्र					
1.	गुजरात	23.56	22.03	20.34	20.02	20.08
2.	मध्य प्रदेश	25.08	21.35	20.26	19.61	17.84
3.	महाराष्ट्र	18.40	17.83	16.22	16.33	16.95
4.	दादरा एवं नगर हवेली	19.66	17.98	12.64	11.35	9.31
5.	गोवा	23.78	21.85	24.50	26.87	26.06
6.	दमन एवं द्वीव	15.90	15.67	22.34	16.30	12.80
	दक्षिणी क्षेत्र					
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.70	19.88	19.91	17.95	19.34
2.	कर्नाटक	19.88	19.55	19.55	19.41	19.06
3.	केरल	21.67	21.95	20.00	20.05	21.12
4.	तमिलनाडु	18.63	17.50	17.18	17.11	16.19

1	2	3	4	5	6
लक्षद्वीप समूह	17.43	18.72	16.29	17.84	17.23
पांडिचेरी	10.00	15.31	15.80	15.00	15.64
पूर्वी क्षेत्र					
1. बिहार	23.19	22.00	20.35	19.76	15.91
2. उड़ीसा	24.65	25.25	22.43	23.03	24.17
3. सिक्किम	25.89	22.55	22.60	21.22	16.47
4. पश्चिम बंगाल	22.26	24.87	20.82	21.51	19.26
5. अंडमान एवं निकोबार द्वीप	21.66	23.62	23.71	22.38	19.25
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	21.76	21.41	22.44	24.18	26.91
मणिपुर	24.43	22.35	23.92	25.30	24.85
मेघालय	11.49	11.79	18.03	18.47	12.55
नागालैंड	23.14	27.26	33.45	36.12	35.17
त्रिपुरा	31.96	30.64	3.53	31.96	30.86
अरूणाचल प्रदेश	28.20	32.32	42.04	45.30	37.12
मिजोरम	34.95	29.04	31.89	29.76	25.18
अखिल भारतीय (यूटिलिटीज)	22.83	21.80	21.41	21.13	22.27

मौसम का पूर्वानुमान

5847. श्री मुकुल वासनिक: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यम रेंज मौसम के पूर्वानुमान और कृषि मौसम सलाहकार सेवाओं के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के उद्देश्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार कीट और बीमारियों पर मौसम और जलवायु के प्रभाव और फसल-मौसम संबंध एवं ब्लाक स्तर पर मौसम के पूर्वानुमान को क्षेत्र विशेष तक सम्प्रेषित करने और आकलन करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित कर पायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.) के मौलिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान (3-10 दिन पूर्व)
- मध्यम अवधि पर बल प्रदान करते हुए मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रचालनात्मक ध्रुवीय एवं क्षेत्रीय आंकिक माडलों का विकास।
- वर्षा होने के दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान का विकास (एक ऋतु पहले तक)
- कृषि उत्पादन के संवर्धन में मदद करने के लिए समुचित कृषि नियोजन के लिए कृषि वैज्ञानिकों को एग्रोमेट मंत्रणा जारी करने के उद्देश्य से संपूर्ण देश में फैले कृषि मौसम वैज्ञानिक क्षेत्र इकाइयों (ए.एम.एफ.यू.एस.) की स्थापना।

मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए एक ध्रुवीय परिचालन माडल (टी.-80-150 × 150 कि.मी. रिजॉल्यूशन) का जून, 1994 से प्रचालनीकरण किया गया है। अब तक पूरे देश में 80 ए.एम.एफ.यू. स्थापित किए गए हैं तथा सभी 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों (3-4 जिलों के समूह) को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 80 एम.एम.एफ.यू. में से 64 क्षेत्र इकाइयों को मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है जिसमें से 54 इकाइयां एग्रोमेट मन्त्रणा बुलेटिन तैयार कर रही हैं जो कृषक समुदाय के विभिन्न माध्यमों में फैले हुए हैं।

वर्तमान में, केवल कृषि जलवायु क्षेत्रों जो 3 से 4 जिलों के समूह हैं में मौसम पूर्वानुमान किया जा रहा है। मृदा आर्द्रता की अस्थिरता, मृदा तापमान तथा ओस का योगदान तथा लीफ एरिया इंडैक्स, स्टोमेटल रेजिसटेंस, क्रॉप को-एफिसिएंट और फसल कीट एवं बीमारियों यथा पैडी स्टेम ब्रोकर, ज्वार सूटफ्लाई, कॉटन बालवौर्म, सुगरकेन बोरर्स, ग्राउण्डटन टिक्का एवं व्हीट रस्ट आदि पर मौसम के प्रभाव सहित शुष्क पदार्थ उत्पादन जैसे तथ्यों के संबंध में मौसम परिवर्तन पर भारतीय कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में "कृषि मौसम विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना" के अन्तर्गत अध्ययन किए जा रहे है।

युवाओं के लिए योजना

5848. श्री अजीत जोगी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने युवाओं के लाभ हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की क्या भूमिका है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवाओं के लाभ हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं है तथापि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कुछेक विद्यमान योजनाओं नामत: ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना, उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम तथा प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली तथा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् में युवाओं को भी निपुणता विकास और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में लाभान्वित किया

जाता है। कार्यक्रम के स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए विशिष्ट लक्ष्य समूहों की पहचान की जाती है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा अन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों, दोनों के माध्यम से किया जाता है। यहां समुदाय के एक अंग के रूप में युवा भी लाभान्वित होते हैं।

गहराई बढ़ाने हेतु परियोजना

5849. **श्री वैको: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में टूटीकोरिन पत्तन पर उसकी गहराई अथवा खाड़ी की 10.70 मीटर तक बढ़ाने के लिए कोई परियोजना निर्माणाधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) यह कार्य 20 मई, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नदियों में जल परिवहन की सुविधा

5850. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में किन-किन नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है तथा यह किस सीमा तक सफल एवं कार्यशील है; और

(ख) क्या इसमें सुधार लाने की कोई योजना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) भगवती समिति (1970) द्वारा देश में अभिज्ञात नौगम्य जलमार्गों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इनमें से हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा को, धुबरी से सैदिया तक ब्रह्मपुत्र को तथा उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों के साथ-साथ कोट्टापुरम से कोल्लाम तक पश्चिमी तटीय नहर को क्रमशः राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1, 2 और 3 घोषित किया गया है तथा नौवहन और नौचालन के लिए इनका विकास किया जा रहा है। कुछ अन्य जलमार्गों अर्थात् सुंदरवन जलमार्ग, नर्मदा, पूर्वी तटीय नहर, महानदी/ब्राह्मणी नदियों, गोदावरी नदी, कृष्णानदी, बराक, काकीनाडा, मरकौनम, डी.वी.सी. नहर, रा.ज. 3 के विस्तार आदि पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन शुरू किए गए हैं/पूरे कर लिए गए हैं।

विवरण

भगवती समिति (1970) द्वारा देश में अभिज्ञात नौगम्य जलमार्गों की सूची

राज्य का नाम

जलमार्ग का नाम

1. आंध्र प्रदेश

(क) गोदावरी नदी (ग) सबरी नदी

(ख) कृष्णा नदी (घ) बकिंघम नहर

2. असम

(क) ब्रह्मपुत्र नदी (च) दिसांग

(ख) सुबसिरी नदी (छ) धनश्री

(ग) जिया भराली नदी (ज) कपिली-कोलंग

(घ) दिहिंग (ढ) दिखाऊ

(ङ) दुरहो दिहिंग (ञ) बराक

3. बिहार

(क) गंगा नदी (घ) सोन

(ख) गंडक (ङ) कोसी

(ग) ......

4. गोवा

(क) मंडोवी (ग) मापूसा

(ख) जुआरी (घ) कम्बरजुआ नहर

5. गुजरात

(क) नर्मदा (ग) पूर्णा

(ख) तापी (घ) साबरमती

6. केरल

(क) समुद्र में मिलने से पहले अनेक नदियों को काटने वाली फीडर लिंक के साथ केसरगढ़ से कोवलम तक पश्चिमी तटीय नहर

7. कर्नाटक

(क) काली नदी (ग) शरवती

(ख) गुरपुर (घ) तुंगभद्रा की वायीं तटीय नहर

8. महाराष्ट्र

(क) उल्हास नदी, धर्मांतर क्रीक द्वारा जोड़ी गई थाणे और बसीन क्रीक

9. उड़ीसा

(क) महानदी (च) सुबर्ण रेखा

(ख) ब्राह्मणी (छ) तालदनाद नहर

(ग) बैतरणी (ज) केन्द्रपाड़ा नहर

(घ) मनाई

(ङ) बूरहा बलंग

10. तमिलनाडु

(क) कौम नदी (ग) वेदारनयम नहर

(ख) उत्तरी एवं दक्षिणी बकिंघम नहर

11. उत्तर प्रदेश

(क) गंगा नदी (ग) यमुना

(ख) घाघरा (घ) गोमती

12. पश्चिम बंगाल

(क) हुगली-भागीरथी (ङ) डी.वी.सी. नहर

(ख) सुन्दरबन (च) उड़ीसा तटीय नहर

(ग) तीस्ता (छ) हिजिली टिडाल नहर

(घ) रूपनारायण

(ज) कृष्टोपुर नहर

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

5851. श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष और जनवरी, 1998 से जून, 1998 तक की अवधि के दौरान स्थापित किए गए नए दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रत्येक नए दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता क्या है और इसकी स्थापना पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) वर्ष 1997 के दौरान तथा 1.1.1998 से 30.6.1998 के बीच स्थापित की गई नई आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस अवधि के दौरान आकाशवाणी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए खर्च की गई राशि 2242.40 लाख रुपये है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, स्टूडियो मऊ में 165.45 लाख रुपये की लागत आई थी जबकि 1 कि.वा. क्षमता के प्रत्येक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा.) के लिए 2 से 3 करोड़ रु., 10. कि.वा. क्षमता के प्रत्येक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए, प्रत्येक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए लगभग 1.00 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए लगभग 85 लाख रुपए लागत थी। 1.1.97 से 30.6.98 तक की अवधि के दौरान स्थापित टी.वी. ट्रांसमीटरों की मोटे तौर पर कुल लागत 175 करोड़ रु. आंकी गई है।

विवरण

वर्ष 1997 के दौरान तथा 1.1.1998 से 30.6.1998 तक स्थापित आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	स्थल	क्षमता
1	2	3
आकाशवाणी		
(1.1.1997 से 31.12.1997 तक)		
हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	2×3 कि.वा. एफ.एम.
	कल्पा	1 कि.वा. मी.वे.
राजस्थान	माउंट आबू	2×3 कि.वा. एफ.एम.
उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	1 कि.वा. मी.वे.
	उत्तर काशी	1 कि.वा. मी.वे.
जम्मू एवं कश्मीर	कारांगल	1 कि.वा. मी.वे.
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	2×5 कि.वा. एफ.एम.
कर्नाटक	बीजापुर	2×3 कि.वा. एफ.एम.
(1.1.1998 से 30.6.1998 तक)		
महाराष्ट्र	परभनी	20 कि.वा. मी.वे. (सहायक केंद्र का पूर्ण सुसज्जित केंद्र में परिवर्तन)

1	2	3
दूरदर्शन (1.1.1997 से 31.12.1997 तक)		
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर (डी.डी.-2)	अ.श.ट्रा.
	ग्रेट निकोबार	अ.अ.श.ट्रा.
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (डी.डी.-2)	उ.श.ट्रा. (1. कि.वा.)
	कुरनूल	उ.श.ट्रा. (10 कि.वा.)
	राजामुन्दरी (अंतरिम)	उ.श.ट्रा. (1 कि.वा.)
	अचम्पेट	अ.श.ट्रा.
	बेलमपल्ली	अ.श.ट्रा.
	जदचेरला	अ.श.ट्रा.
	कादिरी	अ.श.ट्रा.
	मर्कापुर	अ.श.ट्रा.
	पेदानदीपाडु	अ.श.ट्रा.
	तम्बलापल्ली	अ.श.ट्रा.
	तिरूपति	अ.श.ट्रा.
अरूणाचल प्रदेश	योमचा	अ.अ.श.ट्रा.
बिहार	लखीसराय	अ.श.ट्रा.
	नोआमुंडी	अ.श.ट्रा.

1	2	3
	फूलपारस	अ.श.ट्रा.
	सराईकेला	अ.श.ट्रा.
	सिकन्दरा	अ.श.ट्रा.
	सिम्डेगा	अ.अ.श.ट्रा.
दादरा एवं नगर हवेली	सिलवासा	अ.श.ट्रा.
दमन एवं दीव	दीव	अ.श.ट्रा.
गोवा	पणजी (डोडी-2)	अ.श.ट्रा.
गुजरात	अमोद	अ.श.ट्रा.
	दीसा	अ.श.ट्रा.
	मांगरोल (सूरत)	अ.श.ट्रा.
	मोरवी	अ.श.ट्रा.
हरियाणा	रोहतक	अ.श.ट्रा.
हिमाचल प्रदेश	रामपुर	अ.श.ट्रा.
	भरमौर	अ.अ.श.ट्रा.
	होली	अ.अ.श.ट्रा.
	जहाल्मा	अ.अ.श.ट्रा.
	कोटखई	अ.अ.श.ट्रा.
	रोहरू	अ.अ.श.ट्रा.

1	2	3
कर्नाटक	बंगलौर (डीडी-2)	उ.श.ट्रा. (1 कि.वा.)
	बासवा कल्याण	अ.श.ट्रा.
	गोकाक	अ.श.ट्रा.
	हरपनहल्ली	अ.श.ट्रा.
	पुत्तूर	अ.श.ट्रा.
	सागर	अ.श.ट्रा.
	मधुगार	अ.अ.श.ट्रा.
केरल	अदूर	अ.श.ट्रा.
	अट्टापडी	अ.श.ट्रा.
महाराष्ट्र	अहेरी	अ.श.ट्रा.
	चन्दूर	अ.श.ट्रा.
	नवापुर	अ.श.ट्रा.
	शिरपुर	अ.श.ट्रा.
	सिरोन्चा	अ.श.ट्रा.
	बदलापुर	अ.अ.श.ट्रा.
	भोकर	अ.अ.श.ट्रा.
मिजोरम	चम्फई	अ.अ.श.ट्रा.
मध्य प्रदेश	गाडरवारा	अ.अ.श.ट्रा.

1	2	3
	केलारम	अ.श.ट्रा.
	नारायणपुर	अ.श.ट्रा.
	सक्ति	अ.श.ट्रा.
	डायमंड माइनिंग प्रोजे.	अ.अ.श.ट्रा.
	कोयलीबेडा	अ.अ.श.ट्रा.
	सिंगरौली	अ.अ.श.ट्रा.
नागालैण्ड	मोकोक्चुंग	उ.श.ट्रा. (1 कि.वा.)
	फेक	अ.अ.श.ट्रा.
उड़ीसा	कबिसूर्यनगर	अ.श.ट्रा.
	कोटपड	अ.श.ट्रा.
	सोहेला	अ.श.ट्रा.
	सोनेपुर	अ.श.ट्रा.
	उमरकोट	अ.श.ट्रा.
राजस्थान	बाडमेर (अन्तरिम)	उ.श.ट्रा. (1 कि.वा.)
	जैसलमेर	उ.श.ट्रा. (10 कि.वा.)
	बड़ी सदरी	अ.श.ट्रा.
	करौलो	अ.श.ट्रा.

1	2	3
	केसरियाजी	अ.श.ट्रा.
	माउंटआबू	अ.श.ट्रा.
	निमाज	अ.श.ट्रा.
	नौहर	अ.श.ट्रा.
	फलौदी	अ.श.ट्रा.
	प्रतापगढ़	अ.श.ट्रा.
	राजगढ़	अ.श.ट्रा.
	शाहपुरा	अ.श.ट्रा.
	गंगापुर	अ.अ.श.ट्रा.
	नीम का थाना	अ.अ.श.ट्रा.
तमिलनाडु	अट्टूर	अ.श.ट्रा.
	पट्टूकोटई	अ.श.ट्रा.
	शंकरना कोविल	अ.श.ट्रा.
	थिसवैयारू	अ.श.ट्रा.
त्रिपुरा	कैलाशहर	उ.श.ट्रा.
	धर्मनगर	अ.अ.श.ट्रा.
उत्तर प्रदेश	मऊ	स्टूडियो
	अथदामा	अ.अ.श.ट्रा.

1	2	3
	औरैया	अ.अ.श.ट्रा.
	गंजडुंडवारा	अ.अ.श.ट्रा.
	महोवा	अ.अ.श.ट्रा.
	मऊ (डी.डी. 2)	अ.अ.श.ट्रा.
	नैनी झांडा	अ.अ.श.ट्रा.
	नानपाड़ा	अ.अ.श.ट्रा.
	नौगढ़	अ.अ.श.ट्रा.
	न्यू टेहरी	अ.अ.श.ट्रा.
	बसाट	अ.अ.श.ट्रा.
	चौखटिया	अ.अ.श.ट्रा.
	कर्णप्रयाग	अ.अ.श.ट्रा.
	प्रतापनगर	अ.अ.श.ट्रा.
	साहिया	अ.अ.श.ट्रा.
प. बंगाल	बंसंती	अ.श.ट्रा.
	विषनुपर	अ.श.ट्रा.
	फरक्का	अ.श.ट्रा.
	मुर्शिदाबाद (डी.डी.-2)	अ.श.ट्रा.
	रायना	अ.श.ट्रा.

1	2	3
(1.1.98 से 30.6.98 तक)		
आंध्र प्रदेश	तुनी	अ.श.ट्रा.
	सीतामपेट्टा	अ.अ.श.ट्रा.
अरूणाचल प्रदेश	वरीरीजो	अ.अ.श.ट्रा.
	बोलेंग	अ.अ.श.ट्रा.
	गेकू	अ.अ.श.ट्रा.
	गेंसू	अ.अ.श.ट्रा.
	इन्कयोग	अ.अ.श.ट्रा.
	केइंग	अ.अ.श.ट्रा.
	लिरोमोबा	अ.अ.श.ट्रा.
	मरीयांग	अ.अ.श.ट्रा.
	नामपोंग	अ.अ.श.ट्रा.
	पालिन	अ.अ.श.ट्रा.
	रूपा	अ.अ.श.ट्रा.
	सेईजोसा	अ.अ.श.ट्रा.
	तलिहा	अ.अ.श.ट्रा.

	2	3
	तिरबिन	अ.अ.श.ट्रा.
[अ]सम	डिब्रूगढ़ (डी.डी.-2)	अ.श.ट्रा.
	गोहपुर	अ.श.ट्रा.
	सिलचर (डी.डी.-2)	अ.श.ट्रा.
[गुज]रात	सगवाड़ा	अ.अ.श.ट्रा.
[हरि]याणा	चरखी दादरी	अ.श.ट्रा.
[ज]म्मू एवं कश्मीर	राजौरी	अ.श.ट्रा.
	खल्सी	अ.श.ट्रा.
	नोशरा	अ.श.ट्रा.
	तंगरूटे	अ.श.ट्रा.
कर्नाटक	गुलबर्गा	उ.श.ट्रा. (10 कि.वा.)
[म]हाराष्ट्र	कोरेगांव	अ.अ.श.ट्रा.
	मल्कापुर	अ.अ.श.ट्रा.
	माल्वा	अ.अ.श.ट्रा.
मध्य प्रदेश	बीजापुर	अ.अ.श.ट्रा.
	सारंगढ़	अ.अ.श.ट्रा.

1	2	3
उड़ीसा	औल	अ.अ.श.ट्रा.
	बारपल्ली	अ.अ.श.ट्रा.
	चित्रकोण्डा	अ.अ.श.ट्रा.
	कलमपुर	अ.अ.श.ट्रा.
	कोकसारा	अ.अ.श.ट्रा.
	नागची	अ.अ.श.ट्रा.
पांडिचेरी	पांडिचेरी (डी.डी.-2)	अ.श.ट्रा.
पंजाब	फाजिल्का (अन्त)	उ.श.ट्रा. (1 कि.वा.)
सिक्किम	सिंगतम	अ.अ.श.ट्रा.
	रंग्पो	अ.अ.श.ट्रा.
उत्तर प्रदेश	मणिकपुर	अ.अ.श.ट्रा.
	थराली	अ.अ.श.ट्रा.

पर्यावरण और वन विकास के लिए योजना आवंटन

5852. श्री दत्ता मेघे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पर्यावरण और वन विकास के प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र को किए गए योजना आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त आबंटन में से उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन विकास हेतु इस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र को आबंटित योजना आबंटन और उक्त आबंटन में से उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

योजना का नाम	व्यापक उद्देश्य	स्थिति	पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि			उपयोग की गई राशि		
			95-96	96-97	97-98	95-96	96-97	97-98
2	3	4	5	6	7	8	9	10
वनस्पति उद्यान के लिए सहायता	दुर्लभ और स्थानिक पादप उत्पत्तिमूलक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना	चल रही है	-	-	4.60	-	-	एन.ए.
कामन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट (सीईटीपी) औद्योगिक पैकेज परियोजना	सीईटीपी की स्थापना	चल रही है		198.93*			198.93**	
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/पर्यावरण विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता	चल रही है	1.00	-	-	1.00	-	-
राष्ट्रीय नदी संरक्षण	नदी जल प्रदूषण नियंत्रण	चल रही है	140.1	12.79	100.0	शून्य	34.00	117.1
बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करना	चल रही है	64.97	54.5	60.53	59.2	46.92	54.00
बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	वनों की सीमाओं पर रहने वाले लोगों को वैकल्पिक जीविका उपलब्ध करना	चल रही है	22.57	14.35	15.11	18.2	9.68	15.06
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	चल रही है	35.43	13.81	48.84	17.71	13.81	एन.ए.
एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना	वनीकरण और पारि विकास को प्रोत्साहित करना।	चल रही है	86.55	6.62	71.46	89.79	41.15	एन.ए.
क्षेत्रोन्मुखी ईंधन काष्ठ और चारा योजना	ईंधन काष्ठ की कमी वाले निर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाना	चल रही है	72.20	78.67	75.00	69.71	76.68	एन.ए.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	औषधीय पादपों सहित गैर इमारती लकड़ी उत्पाद	औषधीय पादपों सहित गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद को बढ़ाना	चल रही है	36.55	20.00	38.51	33.68	30.3	एन.ए.
11	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघरों का समुन्नयन	चल रही है	13.66	27.67	–	एन.ए.	एन.ए.	
12	अवक्रमित वनों के पुन-उत्पादन में जनजातीय और ग्रामीण गरीब लोगों को शामिल करना	अवक्रमित वनों में जैवभार (बायोमास) संसाधनों के सुधार की प्रक्रिया में जन-जातीय और ग्रामीण गरीब लोगों को लाभकर रोजगार उपलब्ध करना	चल रही है	51.47	45.32	–	51.47	45.32	

एन.ए. : राज्य से उपयोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित।

*पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित कुल धनराशि। धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं।

**पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई कुल धनराशि। उपयोग की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

साक्षरता अभियान में गैर-सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन

5853. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने असम में गैर-सरकारी संगठनों को कुल कितनी साक्षरता परियोजनाओं की मंजूरी दी है;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खराब कार्य-निष्पादन के लिए गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत असम राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत की गई केन्द्रीय परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

जिला	वर्ष		
	1995-96	1996-97	1997-98
गुवाहाटी	1	1	2
नौगांव	1	–	1
मोरीगांव	–	–	2
नलबाड़ी	–	–	1
कुल	2	1	6

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विदेश डाकघर

54. **डा. रामविलास वेदान्ती:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने । करेंगे कि:

;) देश में इस समय राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार वेदेश डाकघर कार्य कर रहे हैं;

।) क्या सरकार का वर्ष 1998-99 के दौरान देश में ऐसे खोलने का विचार है; और

) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

ार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): ार (4)

) महाराष्ट्र (मुंबई)

) पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)

) दिल्ली (दिल्ली)

) तमिलनाडु (चेन्नई)

) नहीं, इस समय वर्ष 1998-99 के दौरान देश में ऐसे ाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उक्त त चार विदेश डाकघरों के अलावा, पांच विदेश उप- भी हैं।

) प्रश्न नहीं उठता।

ट्यूशन फीस में वृद्धि

;5. **श्री रवि सीताराम नायक:** क्या **मानव संसाधन विकास** बताने की कृपा करेंगे कि:

) इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध ालयों में ट्यूशन फीस का ढांचा क्या है;

) पिछली बार किस शैक्षणिक वर्ष में इसमें वृद्धि की गई

) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस बढ़ाने का ाव है; और

(घ) यदि हां, तो ट्यूशन फीस के ढांचे में संशोधन के लिये किन-किन बातों को ध्यान में रखा जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भुगतान के मामले में चूककर्ता कम्पनियां

5856. **श्री आर. साम्बासिवा राव:**
श्री ए.सी. जोस :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती बोर्ड ने हाल ही में भुगतान करने में चूक करने वाली कतिपय कम्पनियों को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) भुगतान प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) चूक करने वाली कम्पनियों से बकाया की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। कम्पनियों के नाम निम्नानुसार हैं:-

(1) मैसर्स ए.बी.सी.एल.

(2) मैसर्स दृष्टि इण्डिया लि.

(3) मैसर्स प्लस चैनल

(4) मैसर्स मल्टी चैनल

(ग) प्रत्यायन और परिणामी क्रेडिट सुविधा संबंधी नीति के फलस्वरूप यदा-कदा निर्धारित तारीख तक प्रभारों की अदायगी नहीं हो पाती है।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती द्वारा बकाया देय राशियों की वसूली के लिए दोषी एजेंसियों के प्रत्यायन को रद्द करने एवं उनकी बैंक गारंटी को भुनाने आदि सहित सभी संविदात्मक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। जहां आवश्यक होता है, पंचाट प्रक्रियाओं और न्यायालयों में मामले दायर करने संबंधी कार्रवाई भी की जाती है। प्रसार भारती ने उन प्रमुख दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ की है जिनकी ओर 3 करोड़ या अधिक की देय राशि बकाया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के सतना जिले में आकाशवाणी केन्द्र

5857. श्री रामानंद सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर सागर में आकाशवाणी केन्द्र चालू किए जाने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर सागर में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

पत्तनों के कार्यकरण में केन्द्रीय विनियमन क्षेत्र का नियम

5858. श्री पी. शंकरन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि केन्द्रीय विनियमन क्षेत्र का नियम पत्तनों के कार्यकरण हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करने के लिए कठिनाई पेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पत्तन बेसिन में तलमार्जन, जो एक अनिवार्य कार्यकलाप है, उक्त नियम के अनुसार अनुमत कार्यकलाप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो केरल के मामले में नियम को शिथिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने 19 फरवरी, 1991 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, जिसमें पत्तन एवं सम्बद्ध कार्यकलापो से सम्बद्ध मुद्दे शामिल हैं, में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) 19 फरवरी, 1991 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को दिनांक 9 जुलाई, 1997 के एस.ओ. संख्या 494(ई) के तहत संशोधित किया गया था जिसमें अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकलापों के लिए बांध, तटीय कटाव पर नियंत्रण और वाटरवे, चैनल और पत्तनों के रख-रखाव की अनुमति है।

'सी.आर.जेड.' के अन्तर्गत स्वीकृति

5859. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल:
श्री सोमजीभाई डामोर:
श्री सी.डी. गामीत:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सी.आर.जेड.' के अन्तर्गत स्वीकृति देने और वन संरक्षण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों की स्थापना के लिए कच्छ जिले में अब तक दी गई स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए सरकार ने सांधी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का आवेदन अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का उक्त कम्पनी को स्वीकृति देने के लिए अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, दिनांक 19 फरवरी,

1991 (समय समय पर यथासंशोधित) तटीय क्षेत्रों में स्थाई विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यों को विनियमित करती है। यद्यपि नए उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार, जो कि वाटरफ्रन्ट से प्रत्यक्ष संबंधित हैं अथवा जो फोरशोर सुविधाओं की सीधी आवश्यकता से संबंधित कार्य हैं, पर प्रतिबंध है तथापि पत्तनों, बन्दरगाहों तथा जेट्टियों का संचालनात्मक निर्माण, तेल, गैस तथा प्रशीतन प्रयोजनों के लिए समुद्री जल के लिए पाइप लाइनें बिछाना तथा कुछ निर्धारित क्षेत्रों में समुद्र के किनारे पर रिजोर्टों के निर्माण आदि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से अनुज्ञेय कार्य हैं। अनुज्ञेय कार्यों को अनुमोदित करते समय इनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है।

किसी गैर वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के विचलन के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है। प्रस्तावों पर अनुमोदन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत छानबीन के बाद तथा यह पता लगाने के बाद दिया जाता है कि वन क्षेत्र की आवश्यकता स्थल विशिष्ट एवं न्यूनतम अनावृत्त क्षेत्र है।

(ख) कच्छ जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए वन भूमि के इतर प्रयोग की निकासी का अनुमोदन नहीं किया गया है। तथापि, एल.पी.जी. भण्डारण की सुविधाओं एवं डायमोनियम फास्फेट संयंत्र के लिए पर्यावरण निकासी प्रदान की गई है। कच्छ जिले में मेसर्स सांघी इन्डस्ट्रीज लि. के 2.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष वाले सीमेंट संयंत्र के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है क्योंकि इस परियोजना का कार्य अधिसूचना की तिथि से पूर्व ही शुरू हो चुका है।

(ग) और (घ) मेसर्स सांघी इन्डस्ट्रीज लि. के सीमेन्ट संयंत्र के लिए कैप्टिव जेट्टी के निर्माण के प्रस्ताव को पर्यावरण निकासी नहीं प्रदान की गई थी क्योंकि यह निष्कर्ष निकाला गया कि पर्यावरण निकासी प्रदान करना तब तक उचित नहीं होगा जब तक राज्य सरकार क्षेत्र की वहन क्षमता का निर्धारण, निगरानी एवं विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुरक्षा उपायों की उपयुक्त प्रणाली का विकास नहीं कर लेती।

(ङ) और (च) कैप्टिव जेट्टी के लिए पर्यावरण निकासी के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने ऐसा करने का निर्देश दिया है।

आई.सी.एच.आर. में नियुक्तियां

5860. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.एच.आर. में अक्सर एक ही विचारधारा के व्यक्तियों/विशेषज्ञों की नियुक्तियां की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नियुक्तियों की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) 3 नवम्बर, 1997 को पहली परिषद् के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन 1 जून, 1998 को किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा 18 इतिहासकारों को मनोनीत किया गया जैसा कि भा.ए.अ. परिषद् के नियम 3 के अंतर्गत आवश्यक था। परिषद् में मनोनीत प्रसिद्ध इतिहासकारों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार को भा.ए.अ. परिषद् के नियम-3 के अंतर्गत मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है।

विवरण

1 जून, 1998 को पुनर्गठित आई.सी.एम.आर. की परिषद् का विस्तृत ब्यौरा

1. प्रो. एस. सेल्तार, 2 सितम्बर, 1996 से अध्यक्ष।
2. प्रो. अभिताभ मुखर्जी, निदेशक, ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, कलकत्ता।
3. प्रो. चन्द्रशेखर, पूर्व प्रोफेसर तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर-560056
4. प्रो. धर्मपाल, 17, साऊथ मडा स्ट्रीट, ट्रिपली केन चेन्नई-600005

5. प्रो. एम.जी.एस. नारायणन, पूर्व प्रोफेसर तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, कालीकट विश्वविद्यालय, कोजीकोड-673635, केरल।

6. प्रो. बी.बी. लाल, पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110011

7. प्रो. के.एस. लाल, पूर्व प्रोफेसर तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500046

8. प्रो. बी.पी. सिन्हा, पूर्व प्रोफेसर तथा ए.आई.एच.सी. तथा पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना।

9. प्रो. ए.के. खान, इतिहास के प्रोफेसर, हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला।

10. प्रो. बी.आर. ग्रोवर, पूर्व प्रोफेसर तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

11. प्रो. सतीश मित्तल, पूर्व प्रोफेसर तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा।

12. प्रो. (श्रीमती) मणि कामेरकर, पूर्व प्रधानाचार्य तथा इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष, एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुंबई।

13. प्रो. एम.के. मूर्ति, क्षेत्रीय अध्ययन विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद-46

14. प्रो. एम.एस. हंस, पूर्व प्रोफेसर तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब।

15. प्रो. हरिओम, प्रोफेसर एवं इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू।

16. प्रो. एन.के. बरपुजारी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर, गुवाहाटी, असम।

17. प्रो. प्रीतपाल भाटिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

18. प्रो. डी.एन. त्रिपाठी, 20, हीरापुरी, विश्वविद्यालय कैम्पस गोरखपुर-273009, उत्तर प्रदेश।

19. प्रो. बी.आर. काम्बले, प्रोफेसर तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।

20. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि।

21. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110001

22. महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली-110001

23. भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति।

(1) सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं होना चाहिए;

(2) सचिव, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं होना चाहिए

(3) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(4) निदेशक, भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता।

24. प्रो. टी.के. वेंकट सुब्रह्मण्यन, सदस्य-सचिव, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001, 19 जनवरी, 1998 से।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के पदों का भरा जाना

5861. श्री कड़िया मुण्डा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित समूह "घ" पदों (पुस्तकालय परिचारक) भरने के लिए सीधी भर्ती के मामले में काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या रोजगार कार्यालयों के जिन नामितों को 4 नवम्बर, 1997 को चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा गया था बाद में उन्हें उसी दिन बिना कोई वैध कारण बताये साक्षात्कार में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया; और

(ग) यदि हां, तो साक्षात्कार/चयन औपचारिकताएं स्थगित किये जाने के कारण क्या हैं और उक्त चयन प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से एकत्र की जा रही है।

सेटेलाइट चार्जेज

5862. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेटेलाइट चार्जेज के रूप में दूरदर्शन से कितनी राशि देय है;

(ख) फाइनल बिल समय पर न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जबकि, दूरदर्शन पर कोई ऐसा उपग्रह प्रभार बकाया नहीं है, दूरदर्शन द्वारा उपयोग किए जाने के लिए, दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित हार्डवेयर अपलिंकों के अनुरक्षण प्रभारों के बकाए के रूप में लगभग 1.75 करोड़ रु. की धनराशि बकाया है।

(ख) संपूर्ण परियोजना कार्य के पूरे होने तथा क्षेत्रीय इकाइयों से व्यय का सामंजस्य हो जाने के पश्चात् अंतिम बिल जारी कर दिए गए हैं।

(ग) दूरदर्शन ने अब तक लगभग 8 करोड़ रु. की धनराशि का भुगतान कर दिया है तथा बकाया धनराशि के भुगतान के लिए मामले पर दूरदर्शन से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

6 जुलाई, 1998 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2914 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं (एक) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में श्री कीर्तिवर्धन सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2914 के 6 जुलाई, 1998 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाले; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1353/98]

संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षित लेखे, वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1354/98]

अध्यक्ष महोदय : अब कुमारी उमा भारती बोलेंगी।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का एक प्रश्न है।

पिछले सप्ताह भी कुमारी उमा भारती के पत्र डा. जोशी ने सभा पटल पर रखे थे। हमने 15 मिनट पहले उन्हें सभा में देखा था। समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है कि वह उन्हें दिए गए कार्य से काफी नाराज हैं इसलिए वह संसद में नहीं आ रही हैं और अपने कार्यालय भी नहीं जा रही हैं। अत: मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, वह कार्यालय जा रही हैं और सभा में भी आ रही हैं। उन्हें जरूरी काम है इसलिए वह चली गई हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को उनकी ओर से कागज-पत्र सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कागज-पत्र सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

दीक्षांत समारोहों आदि के संबंध में अध्यादेश के संबंध में अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 370 जो 31 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 मई, 1989 की अधिसूचना संख्या 229 में दीक्षांत समारोह संबंधी अध्यादेश में कतिपय संशोधन/परिवर्धन किए गए थे।

(दो) सा.का.नि. 387 जो 14 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के संबंध में परिनियम 19 में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(तीन) परिलब्धियां, निदेशकों (विद्यालयों के निदेशकों के अलावा) के सेवा संबंधी नियम और शर्तें तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों संबंधी अध्यादेश, जो 4 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 19 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1355/98]

(2) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1356/98]

(4) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तता अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1357/98]

(6) (एक) सेन्टर फार कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1358/98]

(8) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तता अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1359/98]

(10) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1360/98]

अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षित लेखे, वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स फोरेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स फोरेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1361/98]

मंत्रियों द्वारा आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं मंत्रियों द्वारा आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले

विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

आठवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 43, दसवां सत्र 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1362/98]

दसवीं लोक सभा

(2) विवरण संख्या 39, पहला सत्र 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1363/98]

(3) विवरण संख्या 36, तीसरा सत्र 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1364/98]

(4) विवरण संख्या 31, छठा सत्र 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1365/98]

(5) विवरण संख्या 26, आठवां सत्र 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1366/98]

(6) विवरण संख्या 19, ग्यारहवां सत्र 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1367/98]

(7) विवरण संख्या 17, बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1368/98]

(8) विवरण संख्या 15, तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1369/98]

(9) विवरण संख्या 12, चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1370/98]

(10) विवरण संख्या 10, पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1371/98]

(11) विवरण संख्या 9, सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1372/98]

ग्यारहवीं लोक सभा

(12) विवरण संख्या 7, दूसरा सत्र 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1373/98]

(13) विवरण संख्या 6, तीसरा सत्र 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1374/98]

(14) विवरण संख्या 5, चौथा सत्र 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1375/98]

(15) विवरण संख्या 3, पांचवां सत्र 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1376/98]

(16) विवरण संख्या 3, छठा सत्र 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1377/98]

बारहवीं लोक सभा

(17) विवरण संख्या 1, पहला सत्र 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1378/98]

(18) विवरण संख्या 1, दूसरा सत्र 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1379/98]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखता हूं:-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 431(अ) जो 29 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोर्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (आवासों का आवंटन) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

(दो) सा.का.नि. 595(अ) जो 14 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्यरंग और अंतरंग चिकित्सा लाभ) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

(तीन) सा.का.नि. 283(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास, कर्मचारी वेतन और भत्ते, छुट्टी तथा पेंशन का सारसंग्रह (संशोधन) नियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(चार) सा.का.नि. 284(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोर्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (अधिवर्षिता और सेवा-निवृत्ति की आयु) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(पांच) सा.का.नि. 333(अ) जो 4 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोर्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (अनुपूरक अवकाश) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(छः) सा.का.नि. 335(अ), जो 4 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मोर्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(सात) सा.का.नि. 30(अ), जो 22 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा न्यू मेंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आवंटन) दूसरा संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया था और उसका शुद्धि-पत्र जो दिनांक 29-7-1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) सा.का.नि. 561(अ), जो 19 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वेतन तथा भत्ते) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

(नौ) सा.का.नि. 281(अ) जो 28 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (अंशदायी भविष्य निधि) विनियमन, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

(दस) सा.का.नि. 282(अ) जो 28 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (सामान्य भविष्य निधि) विनियमन, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

(ग्यारह) सा.का.नि. 323(अ) जो 2 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(बारह) सा.का.नि. 334(अ) जो 4 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(तेरह) सा.का.नि. 349(अ) जो 17 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(चौदह) सा.का.नि. 384(अ) जो 10 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सिग्नल बोसन विनियम, 1997 के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन का अनुमोदन किया गया था।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 568(अ) जो 26 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

(सोलह) सा.का.नि. 562(अ) जो 22 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोर्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पश्चात् रोजगार का प्रतिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1380/98]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998 की धारा 24 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 से 1995-96 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1381/98]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1382/98]

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 288(अ) जो 1 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राजमार्ग सं. 57 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था।

(दो) का.आ. 432(अ) जो 6 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा ठाणे-भिवंडी बाई-पास का उपयोग करने के लिए पथ-कर एकत्र करने के लिए मैसर्स आईडियल रोड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया था।

(तीन) सा.का.नि. 433(अ) जो 6 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य को संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा गया था।

(चार) का.आ. 2426(अ) जो 27 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग के उपयोग के लिए पथकर लगाना अधिसूचित किया गया था।

(पांच) का.आ. 791(अ) जो 21 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बने द्वितीय विवेकानंद सेतु के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी।

(छह) का.आ. 894(अ) जो 24 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 की घोषणा की गई थी।

(सात) का.आ. 922(अ) जो 29 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नये राष्ट्रीय राजमार्ग 59 और 60 की घोषणा की गई थी।

(आठ) का.आ. 53(अ) जो 16 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के संरेखण में परिवर्तन की घोषणा की गई थी।

(नौ) का.आ. 116(अ) जो 9 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई थी।

(दस) का.आ. 230(अ) जो 19 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के संरेखण में परिवर्तन की घोषणा की गई थी।

(ग्यारह) का.आ. 505(अ) जो 11 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बने द्वितीय विवेकानंद सेतु के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के बारे में थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1383/98]

(7) (एक) नाविक भविष्य निधि (नाविक भविष्य निधि संगठन), मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि (नाविक भविष्य निधि संगठन), मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1384/98]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.04 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(4) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(5) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यकरण के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी कं. राममूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाझापडी के. राममूर्ति : मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक, 1998*

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

बंगलाभाषी मुस्लिम मजदूरों को मुम्बई से कथित रूप से वापस भेजा जाना

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाया है *...(व्यवधान)* कुछ मुस्लिम फैम्लीज को मुम्बई से बाहर भेज दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है *...(व्यवधान)* आपको उस पर डिसाइड करना है कि पैनल ऑफ चेयर के बारे में *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : अध्यक्ष जी, कुछ मुस्लिम फैम्लीज को मुम्बई स बाहर भेज दिया गया है। पिछले साल भी बी.जे.पी.-शिवसेना गठजोड़ *...(व्यवधान)* बंगलादेशी के नाम पर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के मुस्लिम लोगों को बाहर भेजा था और आज भी यही स्थिति है। वे लोग बंगलादेशी नहीं हैं। वे केवल

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 27-7-98 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 27-7-98 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

मुस्लिम हैं इसलिए मुम्बई से बाहर भेज दिया। ...*(व्यवधान)* भारत सरकार इस बारे में कोई कदम उठाती नहीं है। यह स्थिति इस देश में धर्म के नाम पर, अन्य राज्यों के नाम पर हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तात में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैंने भी नोटिस दिया है। मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शरद पवार को बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण कीजिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चिन्तित क्यों है? मंत्री जी उत्तर देने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, यदि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम प्रधान मंत्री जी को नहीं बोलने देंगे। बहुत हो गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त जी, कृपया उन्हें बोलने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : विपक्ष के नेता को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। यह क्या हो रहा है? मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : मान्यवर, पहली बार ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई हैं। इसी साम्प्रदायिक शक्ति ने कुछ साल पहले ...*(व्यवधान)* चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तामिलनाडु हो और केरल हो, वहां भी इन्होंने साउथ इंडियन्स और नॉर्थ इंडियन्स के नाम पर उन पर हमले किए थे। पिछले तीन साल पहले बंगलादेशी के नाम पर, भले ही कोई मुस्लिम फैमिली हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : महोदय, वह गलत आरोप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : मान्यवर, इसी साम्प्रदायिक शक्ति ने अपनी राजनीति की शुरूआत नॉर्थ इंडियन्स और साऊथ इंडियन्स पर हमले करके शुरू की थी। आज अगर कोई बिहार, उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल के किसी जिले से कोई मुस्लिम समाज का गरीब आदमी वहां रोजी रोटी के नाम पर जाता है तो बंगलादेशी के नाम पर उन पर हमले होते हैं, उनके साथ सख्ती की जाती है और उनको बाहर भेजने की परिस्थिति पैदा की जाती है। ...*(व्यवधान)* इतना सब होने के बाद भारत सरकार आज इस बारे में कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि यह देश की एकता पर हमला है। जिस स्टेट में देश की एकता पर हमला होता है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार उनको डिसमिस करने का काम करें। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह बताएं कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है?

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हमें भी बोलने की अनुमति दीजिए क्योंकि यह मामला मेरे राज्य से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : क्या यह नियमित वाद-विवाद है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : अध्यक्ष महोदय, हमने भी जीरो आवर में बोलने के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं सभा के सभी दलों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे की गंभीरता और इसमें अंतर्ग्रस्त मानवाधिकार के प्रश्न को देखते हुए उन्हें कम से कम इतना संतोष अवश्य होना चाहिए कि हम सभा से बाहर के जनमानस को यहां अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। यदि हमें यहां बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो लोग इस मुद्दे को सड़कों तक ले जायेंगे और वहां इस का निर्णय करेंगे। अतएव मैं अपने मित्रों से बार-बार आग्रह कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : वे सभी अवैध अप्रवासी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को मेरे पार्टी के एक सहयोगी कामरेड हन्नान मोल्लाह इससे पहले दो बार अर्थात् 17 और 23 जुलाई को उठा चुके हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : अपने घर पर ले जाओ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि भारत उन्हीं का है। आप ऐसी बातें जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पूरा देश उन्हीं की सम्पत्ति है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अपराह्न 12.15 बजे

इस समय श्री अनिल बसु तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाकर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

इस समय श्री अनिल बसु तथा कुछ माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका क्या निर्णय है? ...*(व्यवधान)* क्या आप हमारी ओर ध्यान देंगे अथवा नहीं। ...*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य क्षमा याचना करेंगे अथवा नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से इन शब्दों को वापिस लेने के लिए कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ प्रकाश परांजपे को इन शब्दों को वापिस लेने के लिए कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैंने यह कहा था कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन शब्दों को वापिस लीजिए। मैं आपसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, मैंने कोई गलत अथवा असंसदीय शब्द नहीं बोला है। इसलिए मैं अपने शब्द वापिस नहीं लूंगा ...*(व्यवधान)* मैंने कोई गलत अथवा असंसदीय शब्द नहीं बोला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे ये शब्द वापिस ले लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने इन शब्दों को वापिस ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, उन्होंने यह कहा है कि वे अपने शब्द वापिस नहीं लेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने इन शब्दों को वापिस ले लिया है। अब श्री सोमनाथ चटर्जी, अपनी बात जारी रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो असंसदीय हो। इसलिए मैं अपने शब्दों को वापिस नहीं लूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने इन शब्दों को वापिस ले लिया है।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने इन शब्दों को वापिस नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जोकि असंसदीय हो। इसलिए इन शब्दों को वापिस लेने का सवाल ही नहीं उठता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे कृपया मुझे बताइए कि आपने इन शब्दों को वापिस ले लिया है अथवा नहीं?

...(*व्यवधान*)

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : मैंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ...(*व्यवधान*) मैंने एक भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैं इन शब्दों को वापिस क्यों लूं? ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन शब्दों को वापिस लें।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब श्री सोमनाथ चटर्जी, अपनी बात जारी रखिए।

...(*व्यवधान*)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार आपने उनके द्वारा कही गई बातों को ठीक से नहीं सुना। मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ...(*व्यवधान*) मैं एक सेकेण्ड का समय लूंगा ...(*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, उन्होंने इस वक्तव्य को वापिस नहीं लिया है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे भारतीय होने का गर्व है और मैं देश के प्रत्येक क्षेत्र की एक एक इंच भूमि को अपना घर मानता हूं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस महान देश के किसी क्षेत्र का कोई हिस्सा सिर्फ उसी का अपना है और वह यह तय करेगा कि मैं वहां रहूंगा अथवा नहीं। ...(*व्यवधान*) इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा के आधार पर विदेशी जैसा अथवा अन्यथा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। हमारा पड़ोसी देश है ...(*व्यवधान*) बंगलादेश हमारा पड़ोसी देश है। उस देश के लोग बंगाली बोलते हैं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदद : कृपया उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह क्या हो रहा है? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया है। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपनी बात बाद में रख सकते हैं। मैंने आपको बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया है।

...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह देश जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बंट जाएगा? ...(*व्यवधान*)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : आपकी पार्टी इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का समर्थन करती है। ...(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस सभा में यह क्या हो रहा है कि हम महत्वपूर्ण मामलों पर बोल भी नहीं सकते? क्या हम यहां इन सज्जनों की दया के मोहताज हैं? ...(*व्यवधान*) मुम्बई, महाराष्ट्र से भारी संख्या में लोगों को इस आधार पर जबरदस्ती उठा लिया गया है कि वे विदेशी हैं। ...(*व्यवधान*) क्या मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर सकता हूं? इन लोगों को रेल डिब्बों में बेडियों से बांधकर ले जाया जा रहा था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो रहा है? उन्हें महाराष्ट्र से बेड़ियों में बांधकर पुलिस के घेरे में लाया जाता है। मैं यह नहीं जानता कि महाराष्ट्र की सशस्त्र पुलिस देश के किस कानून के अंतर्गत राज्य सरकार को बिना कोई सूचना दिए अन्य राज्य में जा सकती है और अपने निर्णय के आधार पर वहां की स्थानीय पुलिस की सहायता लेने की कोशिश भी नहीं करती। ...(*व्यवधान*) यह एक अति-महत्वपूर्ण मामला है और हमें बोलने की अनुमति नहीं है। पता नहीं यह सभा कैसे चलेगी। यदि उस ओर के मेरे माननीय मित्रों में थोड़ा भी धैर्य नहीं है तो यह सभा कभी नहीं चल सकती। जैसा मैंने उस दिन कहा था, देश को ऐसी सरकार के कारण बहुत कष्ट है ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमें सूचना मिली है कि अपनी जीविका के लिए वहां काम करने गए कई बांग्लाभाषी लोगों को झुण्ड बनाकर एक न्यायालय में ले जाया गया था और सात दिन बाद पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार किया, जंजीरों में जकड़कर रेल के एक डिब्बे में डाल दिया। हम 1998 में हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह एक सभ्य देश है कि नहीं।

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी : वे उन्हें यातना शिविरों में भेज रहे

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह सभ्य देश है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। आप खड़े हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका प्रस्ताव है कि उक्त लोगों को ा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाए। सीमा क्षा बल उन्हें दूसरी ओर सौंप देगा। वे लोग जो भारतीय हैं, बांग्लादेश में वहां की सरकार की अनुमति के बिना रहने का अधिकार नहीं है। अतः बांगलादेश की जेलों में रहना ही का भाग्य है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उन लोगों ने अपराध किया था? वह क्या प्रक्रिया थी जिसे अपनाया गया

हमारे माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह ने माननीय गृह मंत्री से 22 जुलाई को मुलाकात की थी। उन्होंने उनको 17 तारीख पत्र लिखा था। मुझे बताया गया कि श्री आडवाणी जी ने कहा, ह ऐसे कैसे हो सकता है?'' किन्तु उन्होंने क्या कदम उठाए अतएव, जो किया जा रहा है मैं उसका पुरजोर विरोध करता यह राज्य सरकार का अमानवीय व्यवहार है क्योंकि दिल्ली में ग्यपूर्ण वर्तमान व्यवस्था के कारण वे सोचते हैं कि वे पूरे देश शासक हैं। हम यह धारणा नहीं फैलने देंगे। उन सब लोगों साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसी सभ्य प्रक्रियाएं हैं जिन्हें अपनाना होगा। उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी। यदि कोई न था जिसके अधीन उन्हें लाया गया था तो भी उन्हें अवसर मिलना चाहिए था। कोई भी पता लगा सकता है कि वे उन ों के हैं जो पश्चिम बंगाल में हैं, जैसे हावड़ा, 24 परगना मिदनापुर। कोई यह नहीं कह सकता कि वे लोग मूलतः नादेशी थे।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय रेल का भी इस हेतु उपयोग किया गया। इस हेतु महाराष्ट्र पुलिस का कैसे उपयोग ा जा रहा था? आप इस देश में लोगों को जंजीरों में कैसे ड़ सकते हैं और ऐसे ही उन्हें एक से दूसरी जगह कैसे ला सकते हैं? मैं यह सब जानना चाहूंगा।

हमने दृढ़तापूर्वक कहा है ...*(व्यवधान)* 40 लोगों को ले ा गया था, उनमें से 27 भारतीय हैं। उनके नाम इस देश की मतदाता सूचियों में हैं। उनके पास अपनी नागरिकता और राष्ट्रीयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। महोदय यह क्या इस तरीके से होगा?

अतः हम इस निन्दनीय व्यवहार का पुरजोर विरोध करना चाहेंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग नहीं कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाराष्ट्र के लोग उन्हें बाहर कर देंगे ...*(व्यवधान)* मैं भारत सरकार की भूमिका जानना चाहूंगा। विदेशियों विषयक अधिनियम है और इस विषय पर यदि कोई और भी कानून है तो मैं जानना चाहूंगा कि जहां तक इस देश में विदेशियों का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार की कोई भूमिका है या नहीं? सरकार का कर्त्तव्य है कि स्पष्टीकरण दे। जब यह मामला इस सभा में पहले दो बार उठाया जा चुका था तो मेरी यह अपेक्षा रहती कि जो कुछ हुआ उसके बाद गृह मंत्री जी सभा में स्वयं वक्तव्य देंगे। लेकिन सभा को विश्वास में नहीं लिया गया। देश को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। जिन लोगों को पशु मानकर जंजीरों में जकड़ा गया था उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सरकार के सोच लेने का तरीका यह नहीं हो सकता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि इस देश के लोगों को पशुओं के सदृश समझे गए उन दुर्भाग्यशाली लोगों से सहानुभूति होगी और वे उनका बचाव करेंगे।

इसलिए हमारी मांग है कि सरकार कुछ कड़े कदम उठाए।

अध्यक्ष महोदय : अब, कुमारी ममता बनर्जी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुमारी ममता बनर्जी को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, हमने यह मुद्दा केवल अभी ही नहीं उठाया है बल्कि तीन-चार साल पहले भी उठाया था। मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री शरद पवार जी ने जो कुछ कहा उससे सहमत हूं। इसी सभा में मैंने यह मुद्दा कई बार उठाया कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के नाम पर और निर्वासन के नाम पर कुछ भारतीय नागरिकों को सताया जा रहा है। वे बंगाली हो सकते हैं। किन्तु इस सभा से हम लोगों तक क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। वे मुस्लिम हैं इसी कारण सताए जा रहे हैं। वो गलत है।

[कुमारी ममता बनर्जी]

महोदय, मैं आपसे अपील करती हूं कि हमारे देश का धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह हमारा सांविधानिक अधिकार है कि प्रत्येक नागरिक की एक मानव के रूप में रक्षा हो, इस देश के एक नागरिक के रूप में रक्षा हो।

किन्तु यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो क्या मैं संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध कर सकती हूं कि उन्हें इस पर आज ही वक्तव्य देना चाहिए? उन्हें महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र से कितने लोगों को बांग्लादेश के लिए निर्वासित किया जा रहा है। हावड़ा जाने के रास्ते में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया ...*(व्यवधान)* हम जगह भी जानते हैं ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। वास्तविक भारतीय नागरिक कौन हैं? यदि कोई बांग्लादेशी भी है तो भी उसके साथ कुत्ते, बिल्लियों जैसा सलूक नहीं किया जा सकता, फिर बांग्लादेश के साथ तो हमारे जातीय और सांझी संस्कृति वाले पारम्परिक सम्बन्ध हैं।

हां, वहां कुछ लोग हैं जो बांग्ला बोलते हैं। वे अपनी समस्याओं के कारण नौकरी की तलाश में इस देश के विभिन्न भागों से आ सकते हैं। वे गरीब लोग हैं। वे आ सकते हैं। किन्तु भारत में हर कोई अल्पसंख्यक है। कौन अल्पसंख्यक नहीं है? मैं बंगाल की हूं। मैं बंगाल में बहुसंख्यकों में से हूं लेकिन बाकी देश में मैं अल्पसंख्यकों में हूं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में बहुसंख्यक हैं पर देश के अन्य भागों में वे अल्पसंख्यक हैं। बिहारी बिहार में बहुसंख्यक हैं पर केरल में अल्पसंख्यक हैं। अतः हर एक इस देश में बहुसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग का भी है।

अतएव लोगों तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि किसी को भी इस तरह सताया न जाए और यातना न दी जाए। हमें इन मामलों पर मानवीय आधार पर विचार करना है। मैं इस घटना की निन्दा करती हूं और अनुरोध करती हूं कि इस मामले पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

गृह मंत्री जी को यथाशीघ्र वक्तव्य देना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार से भी निष्कर्ष एकत्र करने चाहिए कि वास्तव में वहां क्या चल रहा है। यदि अत्याचार हो रहे हैं तो उन्हें तत्काल समाप्त किया जाए।

श्री मधुकर सरपोतदार : इस सभा में दूसरी बार इस तरह की घटना हुई है। महाराष्ट्र सरकार पर पहले प्रतिपक्ष के नेता ने अन्धाधुन्ध आरोप लगाए। विषय बांग्लादेशी लोगों को महाराष्ट्र से वापस उनके देश भेजने तक सीमित था। विषय सीमित था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने भी नोटिस दिया है और मैं उस विषय पर भी बात करूंगा।

उन्होंने परिस्थिति का पूरा लाभ उठाया है और आरोप लगाए हैं। खैर मैं इसे उनकी सूझबूझ पर छोड़ता हूं क्योंकि इसे यहां रिकार्ड किया गया है; कोई उससे भी इनकार कर सकता है।

आज मैंने एक घटना के बारे में 'शून्य काल' के लिए एक नोटिस दिया है। लेकिन सौभाग्य से यह पहले ही आ चुका है। बंगलादेशी लोगों के एक दल को बंगलादेश सीमा पर छोड़ दिया गया था और इसके बाद उन्हें बंगलादेश भेजा गया जबकि इन लोगों के साथ पुलिस दल बंगलादेश सीमा की ओर यात्रा कर रहा था, एक स्टेशन पर—मुझे उस स्टेशन का नाम याद नहीं है, यह मेरे नोटिस में लिखा है—एक विधायक की अगुवाई में भीड़—मैं उस विधायक का नाम नहीं जानता; ने पुलिस दल पर हमला किया था और उन्हें बचाया गया ...*(व्यवधान)* वे सभी लोग जिन्हें वापस भेजा जाना था उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई थीं। यह घटना घटी थी।

बाद में यहां अनेक घटनाएं हुई हैं। किसी ने सदन में कहा था कि विभिन्न ...*(व्यवधान)* जो आप कहना चाहते हैं कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरी शिकायत केवल यह है कि पुलिस पर हमला करने के पश्चात् उन सभी लोगों, जिन्हें वापस भेजा जाना था छोड़ दिए गए और पुलिस ने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई थी।

दूसरे, इस सम्माननीय सदन में इस विषय का उल्लेख करते समय यह आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र में बंगलादेशियों पर हमला किया गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लोगों पर हमला किया गया। मैं नहीं जानता कि यह समस्त जानकारी कहां से एकत्र की गई है।

मेरी जानकारी के अनुसार एक भी व्यक्ति पर उसके प्रांत, उसकी भाषा के आधार पर हमला नहीं किया गया। उन लोगों की यहां ठहरने के दौरान पूरी रक्षा की गई है। लेकिन जब प्रतिपक्ष

के नेता महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, सभी जानते हैं कि कितने लोगों पर हमला किया गया। सभी जानते हैं उस समय राज्य की ...(व्यवधान) दशा क्या थी। उस समय प्रतिपक्ष के नेता ने स्वयं यह कहा था कि यदि वे बंगलादेशी थे यदि वे पाकिस्तानी थे तो उन्हें वापस भेजा गया होगा।

श्री शरद पवार ने इस सदन में यह बात कही थी। मैं भी उस समय सदन में उपस्थित था। यदि बंगलादेशी लोग वहां हैं, तो मुझे एक नीति तैयार करने दें ...(व्यवधान) यदि वे बंगलादेशी हैं तो उपयुक्त जांच-पड़ताल की जाएगी और उसके बाद यदि मालूम होता है कि वे बंगलादेशी हैं तो उन्हें वापस बंगलादेश भेजा जाएगा। इस बारे में दो राय नहीं हैं। ...(व्यवधान) केवल इतना ही नहीं यदि वे पाकिस्तानी हैं तो उन्हें भी यहां बसने नहीं दिया जाएगा। उन्हें भी विभिन्न स्थानों पर भेजा जाएगा ...(व्यवधान)। समस्या यह है कि आई.एस.आई. बहुत सक्रिय है। यहां तक कि कल भी दिल्ली में एक बम विस्फोट हुआ था ...(व्यवधान) एक बस उड़ा दी गई और अनेकों व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे देश की सुरक्षा इस अवस्था में आ गई है कि ये लोग देश की सुरक्षा के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं।

मैं कहता हूं कि वे राष्ट्रीय मानसिकता वाले हैं, हम भी राष्ट्रीय मानसिकता वाले हैं। यदि हमारे देश की सुरक्षा इस अवस्था में आ जाती है तो अन्ततः यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है। हमें यह भी देखना है। इन विदेशियों को वापस उनके देश भेजे जाने के बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मैं यह मुहावरा उन विदेशियों के लिए प्रयोग कर रहा हूं जो बंगलादेशी और पाकिस्तानी अथवा अन्य कोई हैं ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी ने दस्तावेजों के बारे में कुछ कहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दस्तावेज जाली दस्तावेज हैं और वे गलत दस्तावेज हैं। यहां बहस अथवा इस प्रश्न पर विवाद का कोई मुद्दा नहीं हो सकता।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शरद पवार जी की बात से सहमति जताते हुए कुछ व्यक्त करना चाहती हूं। इस देश का संविधान धर्मनिर्पेक्षता के आधार पर बना हुआ है। जिस धर्मनिर्पेक्षता के आधार पर इस देश ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चेतन चौहान : महोदय, इस विषय पर पहले ही तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं। इस पर व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) उन्हें उत्तर देने दें और इस विषय पर आगे और चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, यहां अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : महोदय, कृपया बीच में बार-बार दिए जाने वाले व्यवधानों को रोकिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वैको : मैं सहमत हूं कि यह गम्भीर मुद्दा है। इसी तरह, मैंने अन्य गम्भीर मुद्दा उठाने के लिए आपकी अनुमति मांगी है। मुझे उस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री चेतन चौहान : महोदय, मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब वह अपनी बात समाप्त कर लेंगी तब उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस देश का संविधान धर्मनिर्पेक्षता के आधार पर बना हुआ है। धर्मनिर्पेक्षता का तात्पर्य यह है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब को माने तो राज्य और केन्द्र की जिम्मेदारी

[कुमारी मायावती]

चाहती है कि वह उनकी जान-माल और मजहब की सुरक्षा करे, उसका ध्यान रखे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस पार्टी की सत्ता है, वह पार्टी धर्मनिर्पेक्षता के आधार पर बनाए हुए संविधान को हिन्दुत्व के आधार पर बनाना चाहती है। आज की मौजूदा सरकार यह नहीं चाहती कि देश में दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों की जान-माल और मजहब सुरक्षित रहे। आज जो मामला सदन में उठा, वह बहुत गंभीर मामला है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से बी.जे.पी. की सरकार की यह साजिश है कि इस देश के अन्दर धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्ध रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोगों के साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, जब से बी.जे.पी. की सरकार बनी है। ...*(व्यवधान)* जब पहली बार उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार बनी तो बी.जे.पी. की सरकार के दौरान मुसलमानों की अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। ...*(व्यवधान)* राजस्थान में आज जहां बी.जे.पी. की सरकार है, कुछ महीने पहले राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत मुसलमानों को जबरदस्ती उनके मजहब बदलने के लिए वहां पर मजबूर किया गया। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में मुंबई के अन्दर उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर मुसलमान वहां रोजी-रोटी के लिए बसे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुलाया है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती : यहां साजिश के तहत उनके ऊपर बंगलादेशी होने का आरोप लगाकर उनको बंगलादेश में भेजने की साजिश की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे गुजारिश है, यह मामला काफी गम्भीर है। सरकार से इसका स्पष्टीकरण पूछा जाये कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और इस मामले में प्रधान मंत्री जी या गृह मंत्री जी सदन में आकर बतायें और स्पष्टीकरण दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी भी भारतीय नागरिक, वह चाहे किसी जाति, लिंग, रिलीजन, भाषा-भाषायी हो, उसे भारत में मान-सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है और सरकार उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, एक तो मेरा यह कहना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : किन्तु इस देश के अन्दर करोड़ों विदेशी नागरिक बिना कानूनी दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं। वे इस देश के नागरिक नहीं, उन्हें हम घुसपैठिये कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है, उसकी पूरी सूचना लेकर गृह मंत्री जी, कल इस सदन में आकर अपना वक्तव्य देंगे, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरा, मेरा यह कहना है कि इस सदन से एक रोंग मैसेज नहीं जाये कि यह इन्फोर्मेशन इस सदन के अन्दर जान-बूझकर दी गई है। मैं सदन में, जैसा मैंने अभी कहा, इस देश के अन्दर जो नागरिक हैं, उनका मान-सम्मान है। इस देश के अन्दर घुसपैठिये हैं, यह मैंने नहीं कहा, दसवीं लोक सभा में, जिस समय नरसिंह राव जी यहां प्रधान मंत्री थे, केन्द्रीय गृह मंत्री चव्हाण जी थे, उन्होंने इसी सदन के अन्दर कहा था कि तीन लाख बंगलादेशी इस दिल्ली में हैं और लगभग डेढ़, दो करोड़ बंगलादेशी सारे देश में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

घुसपैठिये हैं. यह इसी सदन में कहा गया था। अध्यक्ष जी, मुझे कहने दीजिए। 1992 में ...(व्यवधान) जब दिल्ली की वोटर लिस्ट बनी। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे पूरी बात कहने दीजिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया इसे समझने की कोशिश करें। मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने मुझे परमीशन दी है, मैंने स्पष्ट कर दिया। ...(व्यवधान) मुझे कहने दिया जाये। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय की बात से संतुष्ट नहीं हैं। अत: मैं तथा मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.48 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था, इसी सदन में मैं मैम्बर था, एक सवाल के जवाब में चव्हाण जी ने कहा था कि इसी दिल्ली में तीन लाख बंगलादेशी घुसपैठिये रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ का 1992 की वोटर लिस्ट में जब दिल्ली का 1993 में चुनाव हुआ तो चार लाख बंगलादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिये गये। उस समय बी.जे.पी. सत्ता में नहीं थी, उस समय नरसिंह राव जी सत्ता में थे, उस समय चव्हाण साहब होम मिनिस्टर थे, उस समय चार लाख बंगलादेशियों के भी दिल्ली की वोटर लिस्ट से नाम काटे।

अपराह्न 12.58 बजे

इस समय श्री अजय चक्रवर्ती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। आप इस तरह नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कुछ महीने पहले पाकिस्तान में कराची से भी बंगलादेशी निकाले गए थे, यह खबर अखबारों में आई थी। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म का या कोई भी भाषा बोलने वाला है, सरकार उसे मान-सम्मान देगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि कल होम मिनिस्टर आकर पूरा जवाब देंगे। ...(व्यवधान)

अपराह्न 12.51 बजे

इस समय श्री अजय चक्रवर्ती और अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि उनके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ...(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बहरामपुर) : महोदय, गृह मंत्री को यहां आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा था कि माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें अपना वक्तव्य आज देना है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा था कि गृह मंत्री यहां वक्तव्य देंगे। कृपया इसे समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया बात को समझिए, उन्होंने पहले ही यह कहा है कि गृह मंत्री महोदय इस संबंध में अपना वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तो कल दिया जाएगा। हमें यह मान्य नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन हम उनसे सुस्पष्ट आश्वासन चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह आश्वासन पहले ही दे दिया है। गृह मंत्री अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही यह कह दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्हें आश्वासन देने दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया बात को समझें। संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि गृह मंत्री यहां अपना वक्तव्य देंगे। कृपया बात को समझिये।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आश्वासन चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : किसी भी इंडियन सिटीजन को देश से नहीं निकाला जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इसे नहीं मानते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस फासीवादी सरकार की कार्रवाई का जोरदार ढंग से विरोध करते हैं और विरोधस्वरूप सभा से उठकर बाहर जाते हैं।

अपराह्न 12.53 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़ के वक्तव्य को छोड़कर कुछ भी कार्रवाई वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही वक्तव्य देने के लिए श्री बलराम जाखड़ का नाम पुकार चुका हूं। महोदया, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : मैं इसके विरोध में वाकआउट करती हूं।

अपराह्न 12.53 बजे

इस समय श्रीमती सूर्यकांता पाटील सभा भवन से बाहर चली गई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़ के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कल तक के लिए महाराष्ट्र में कार्यवाही को रोका जाए। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मदन लाल खुराना : किसी भी इंडियन सिटीजन को देश से नहीं निकाला जाएगा, यह मैं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : जब तक होम मिनिस्टर का जवाब नहीं आ जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़ के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम इसके विरोधस्वरूप सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 12.54 बजे

इस समय श्री राम विलास पासवान और श्री एस. जयपाल रेड्डी सभा भवन से बाहर चले गए

..(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ की गई कार्रवाई है। भारत सरकार राज्य सरकार का समर्थन कर रही है। अत: हम संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के विरोध में सभा से उठकर जाते हैं।

अपराह्न 12.55 बजे

इस समय श्री बूटा सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का जोरदार ढंग से विरोध करता हूं और सभा से उठकर बाहर जाता हूं। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.55 बजे

इस समय श्री ई. अहमद सभा भवन से बाहर चले गए

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही अहम मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, बहुत हो गया। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की इंटिग्रिटी का सवाल है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.56 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : मैं सभा के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाना चाहूंगा।

खालसा पंथ अगले वर्ष तृतीय शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। इस समारोह के लिए केवल 6 महीने ही बचे हैं। मेरे विचार में इस सभा का प्रत्येक सदस्य इससे सहमत होगा। यह एक प्रकार का अंतरापृष्ठ आन्दोलन है। पंजाब की तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती राजेन्द्र कौर भट्ठल और वर्तमान मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने विधान सभा में ध्वनि मत से यह संकल्प पारित किया है कि यह वर्ष खालसा पंथ की संस्थापना के 300 वर्ष पूरे करने के लिए मनाया जाए। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों का ध्यान दिलाने और उनका सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है और उन सबसे इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने

[श्री बलराम जाखड़]

सरकार को लिखित रूप से इसकी सूचना भेजी है लेकिन मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। उन्हें इस संबंध में कदम उठाना चाहिए और हमें इस वर्ष को मानवीय सहयोग के रूप में और एक बड़ा उपलक्ष्य बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पत्र लिखना चाहिए।

खालसा पंथ में कुछ उल्लेखनीय बातें कही गई हैं। गुरु गोविन्द सिंह ने 300 वर्ष पूर्व *बैसाखी* वाले दिन खुले आम यह कहा था

[हिन्दी]

गुरु ग्रन्थ साहब में लिखा है:

"मानस की जात सभै एको पहचानवी"

[अनुवाद]

इसमें यह कहा गया है कि सभी मनुष्य एक हैं और उनमें कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने खालसा की व्याख्या इस प्रकार की है:

> "खालसा वह है जो निन्दा करने से बचे। खालसा वह है जो सबसे आगे लड़े। खालसा वह है जो दूसरे के अधिकारों का आदर करे। खालसा वह है जो भगवान से प्रेम करे, खालसा वह है जो स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित करे। खालसा वह है जो शस्त्रों का सामना करे। खालसा वह है जो जरूरतमंदों की सहायता करे। खालसा वह है जो बुराई के खिलाफ लड़े। खालसा वह है जो सही घुड़सवारी करे।"

[अनुवाद]

अत: यही है खालसा। इसका अर्थ है अच्छाई का प्रतीक। यही बात सिख आंदोलन में गुरू गोविन्द सिंह तथा गुरू नानक द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है:

[हिन्दी]

> "अव्वल अल्लाह नूर उपायो, कुदरत के सब बन्दे,
> एक नूर तों सब जग उपजया कौन भले को मंदे।"

[अनुवाद]

कही गई सारी बातें इतनी अच्छी हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : अत:, मैं इस सभा से इसे एक राष्ट्रीय घटना के रूप में मनाने का तथा सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का अनुरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री को इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हम सभी लोगों को इसे मनाना चाहिए क्योंकि अब यह वर्ष संकट मय वर्ष है, जहां लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसर के विरुद्ध युद्ध चल रहा है और जातीय संघर्ष जारी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, दिल्ली में लॉ एंड आर्डर पर हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली में बम ब्लास्ट और लॉ एंड आर्डर पर आज ही होम मिनिस्टर साहब तीन बजे स्टेटमेंट देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैंने श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम बोलने हेतु पुकारा है। आप कृपया बैठ जाइए।

श्रीमती मीरा कुमार (करोलबाग) :* मुझे यहां बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। दिल्ली में प्रतिदिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को अमरीका से निकाला जा रहा है। ...*(व्यवधान)* सात वैज्ञानिकों को अमरीका से निकाला जा चुका है। भारतीय वैज्ञानिक अमरीका में परेशान हैं और भयभीत भी हैं तथा मानसिक स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। जानकारी मिली है कि भारत सरकार और अमरीका के प्रतिनिधियों के बीच तीन बार बातचीत हो चुकी है।

अपराह्न 1.00 बजे

हम नहीं जानते हैं कि भारत और अमरीका का क्या रिश्ता है। भारत के वैज्ञानिक अमरीका में परेशान हो रहे हैं और उनको बाहर निकाला जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भारत सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि भारत और अमरीका के बीच में क्या रिश्ते हैं और उनसे क्या बातचीत हो रही है। देश के लोग इस बात से अंधकार में है कि भारतीय वैज्ञानिकों को अमरीका से क्यों बाहर निकाला जा रहा है। अमरीका में करीब तेरह लाख हिन्दुस्तानी रह रहे हैं। ऊंचे-ऊंचे पदों पर बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े डाक्टर्स हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े शिक्षक और प्रोफेसर तथा रेप्युटेड विद्वान हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत सरकार के कोई मंत्री या उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि भारतीय वैज्ञानिकों को बाहर न निकालने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है। सदन में इस बात को स्पष्ट करे और एक वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती मीरा कुमार।

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था। ...*(व्यवधान)* तत्पश्चात् उन्होंने दूसरे वक्ता का नाम लिया है।

सभापति महोदय : किसने?

श्री वैको : अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*, मैं अपने अवसर के लिए कह रहा हूं।

श्रीमती मीरा कुमार : मुझे बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)* उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

सभापति महोदय : श्री वैको, मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चूंकि उनका नाम पहले ही पुकारा जा चुका है अत: उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, मुझे बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत दिल्ली का लॉ-एंड-आर्डर है और दिल्ली में लॉ-एंड-आर्डर खत्म हो गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : महोदय, वे अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री जोस, कृपया मुझे उनकी बात सुनने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गोयल, कृपया मुझे इसे समझने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : महोदय, मेरा प्रिवलेज मोशन है। मैं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूं।*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अध्यक्ष महोदय दस सदस्य पैनल-ऑफ-चेयरमैन में नोमिनेट करते हैं। हर सदस्य को वही अधिकार मिलते हैं, जो स्पीकर को मिलते हैं।*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गोयल, आप कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आपने विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव का नोटिस दिया है?

श्री विजय गोयल : जी, हां।

सभापति महोदय : यह प्राप्त हो चुका है। इसे अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ रखा जायेगा। श्रीमती मीरा कुमार।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इससे अध्यक्ष महोदय पर आक्षेप लगता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : विशेषाधिकार संबंधी उनका प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इसे अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा इसकी जांच का पक्ष कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा। लेकिन इसमें अन्य पहलुओं को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सब को अवसर मिलेगा। मैं आप सभी से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही स्थगित नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, मैं गहरे क्षोभ और वेदना से कह रही हूं कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है।

महोदय, दिल्ली की स्थिति अनियंत्रित है। कल एक बम धमाका हुआ जिसमें दो लोगों की जान गई तथा कई अन्य लोग घायल हो गये। प्रतिदिन लूट-पाट, डकैती, हत्या तथा बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। दिन-दहाड़े हर प्रकार के अपराध हो रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति तथा बच्चे विशेषरूप से इन अपराधों का शिकार हो रहे हैं। इस वर्ष के 204 दिनों के दौरान दिल्ली में विभिन्न प्रकार के 405 अपराध की घटनाएं हुई हैं। महात्मा गांधी की समाधि को भी नष्ट किया गया तथा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर तरफ भय का वातावरण है।

गृह मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। ऐसी परिस्थिति में, जबकि स्वयं गृह मंत्री जी ने ऐसा कहा है, मैं समझती हूं कि दिल्ली सरकार बर्खास्त की जानी चाहिए। इस सभा में गृह मंत्री जी द्वारा इस पर एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : महोदय, यह इतनी गंभीर समस्या है, ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री इस पर अपना स्टेटमेंट दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं?

.*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : महोदय, कई अन्य मुद्दे भी हैं ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : आपका नाम भी बुलाऊंगा। अब मुझे श्री राम विलास पासवान की बात सुनने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : महोदय, वे 'शून्यकाल' के दौरान पहले ही बोल चुके हैं तथा वे 'शून्यकाल' के दौरान बहिगर्मन कर गये थे। ...*(व्यवधान)* किस तरह की प्रक्रिया अपनायी जा रही है ...*(व्यवधान)* महोदय, हम अपने-अपने अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री राम विलास पासवान को बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : महोदय, वे 'शून्य काल' के दौरान पहले ही बोल चुके हैं और उन्होंने बहिर्गमन भी किया था ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : नहीं, मैंने नहीं बोला है ...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : कृपया कार्यवाही वृत्तांत देखें और ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैंने दिल्ली के लॉ एंड आर्डर पर एडजार्नमेंट मोशन दिया है। स्थगन प्रस्ताव को वरीयता दी जानी चाहिए। एडजार्नमेंट मोशन का मतलब है, मैं समझता हूं कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। इसके लिए दिल्ली सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उससे ज्यादा भारत की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस महकामा भारत सरकार के जिम्मे है, होम मिनिस्ट्री के जिम्मे है, इसलिए सीधी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर है।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इससे ज्यादा एडजार्नमेंट मोशन के लिए कोई ठीक इश्यू नहीं हो सकता है, जहां भारत सरकार के गृह मंत्री कहते हैं कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालत चरमरा गई है, खुराना जी भी कहते हैं कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। ...*(व्यवधान)* आप टी.वी. पर बोलें कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था अच्छी है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि एक संसदीय कार्य मंत्री बोले कि दिल्ली में लोगों का जनजीवन सुरक्षित है, अस्त-व्यस्त नहीं है, विस्फोटक नहीं हो गया है। लोग मारे जा रहे हैं और उसके बाद भी सरकार कान में तेल डाल कर सोई हुई है। मैं समझता हूं कि यदि भारत सरकार समझती है कि दिल्ली का लॉ एंड आर्डर खराब है तो मैं आपके माध्यम से चेयर से मांग करता हूं कि सरकार इसका जवाब दे। पता नहीं गृह मंत्री जी इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे लेकिन मैं जानता हूं कि वह क्या जवाब देंगे। मेरा कहना है कि इस हाउस को एडजार्न किया जाए, अन्यथा संसदीय कार्य मंत्री कहें कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था अच्छी है। कल इनको दिल्ली की जनता पूछ लेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैंने भी मुद्दे पर ही नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैंने इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपको इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आप दबाव नहीं डाल सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है? वे दिल्ली से निर्वाचित हुए हैं। दिल्ली में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : खुराना जी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें न कि माननीय सदस्यों को।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, आज सुबह ही मेरी केन्द्रीय गृह मंत्री जी से बात हुई थी। वे सदन में तीन बजे आकर अपना वक्तव्य देंगे। दूसरा, जो आपने वैज्ञानिकों के बारे में प्रश्न उठाया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी) : सभापति महोदय, ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया करके मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : वैज्ञानिकों के बारे में एच.आर.डी. मिनिस्टर से कहूंगा कि वे इसके बारे में आकर जानकारी दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको : मैं केवल तभी बोलूंगा जब सभी शान्त हो जायेंगे ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं बड़े भारी दिल से तथा अत्यधिक दुःखी होकर आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाल्क स्ट्रेट्स में एक बड़ी भारी त्रासदी हुई है। श्रीलंका से आ रहे लगभग 47 शरणार्थी इस समय मारे गये उनकी नौका उलट गई और वे डूबकर मर गये। मरने वालों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी थीं। उनमें से एक जिंदा बचे अश्रुपूरित आंखों वाले विलेयूधाम ने बताया कि उनकी आंखों के सामने उसकी गर्भवती पत्नी और बच्चे चिल्ला रहे थे लेकिन वह उनकी कोई मदद नहीं कर सका और यह आश्चर्य हो रहा था कि वह जिंदा क्यों बचा। लगभग 47 लोग समुद्र में डूब गए। डी.एम.के. ने हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्री पेरियानगर अन्ना ने एक बार कहा था कि "तमिलों के आंसुओं के कारण समुद्र का पानी भी खारा हो रहा है।" जीवित बचे व्यक्तियों ने दुर्घटना कैसे घटी उसके बारे में आपबीती बताई। उनके अनुसार सिंहली सरकार द्वारा नरसंहार के धावे के कारण यह घटना घटित हुई। उन पर हवाई जहाजों से बम्बों की वर्षा की गई। शरणार्थी होने के कारण कुछ सान्त्वना और शरण लेने के लिए वे लोग भारत आ रहे थे।

यह श्रीलंका की आन्तरिक समस्या नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुजराल जी ने कहा कि जो कुछ भी घटित हुआ है वह श्रीलंका की आन्तरिक समस्या है? यह पूरे विश्व के मानवाधिकार की समस्या है। मैं यह कहता हूं कि यह तो बोस्निया में हुई घटना से भी बदतर घटना है। 10 लाख से अधिक लोग अपने पारम्परिक घरों से बेघर हो गये हैं। अब वे जंगलों में हैं। वे बिना खाने के और बिना दवाइयों से दम तोड़ रहे हैं।

दो दिन पहले जो कुछ हुआ वह केवल उसकी बानगी है। प्रैस वाले वहां नहीं गए क्योंकि वहां नरसंहार हो रहा था। वहां सेन्सर है। इन्टरनेशनल रेड क्रास एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : 'यह शून्य काल' है।

श्री वैको : बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सा समय बरबाद हो गया। आप इस मुद्दे पर परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको मुझे यह याद करवाने की आवश्यकता नहीं है कि यह शून्य काल है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें सबसे ज्यादा चिन्ता है। हमारे हृदय में पीड़ितों के लिए दुख है...*(व्यवधान)* मैं उस सदस्य के विरुद्ध चिल्लाया था जिसने यह कहा था कि यह 'शून्य काल' है? यदि वे खड़े हों तो मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं।

सभापति महोदय : श्री वैको जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस तरह से मुसीबत को आमंत्रित न करें।

श्री वैको : महोदय, इन लोगों के लिए यह हंसी की बात हो सकती है। यह सब पिछली सरकार की विदेश नीति के कारण हुआ। उसने गलती के बाद गलती की। जब हमारे रिश्तेदार इस तरह से मारे जा रहे हैं तो हम वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकते। तमिलों पर नरसंहार करने वाले धावे रोके जाने चाहिए। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह अपने पूर्ववर्तियों की नीति का अनुसरण न करें। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस मुद्दे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को मानवाधिकार का मुद्दा समझें और श्रीलंका सरकार को कहें कि वह भोले-भाले तमिलों का नरसंहार रोके। चूंकि प्रधानमंत्री 'सार्क सम्मेलन' में भाग लेने के लिए श्रीलंका जा रहे हैं, इस मामले को वहां उठाया जाना चाहिए। इसी पाक स्ट्रेट में हमारे मछुआरे हर दिन श्रीलंका नौसेना द्वारा मारे जा रहे हैं। यह प्रतिदिन हो रहा है। हमारे तमिल मछुआरे तथा श्रीलंका से आने वाले तमिल शरणार्थी मारे जा रहे हैं। भारत सरकार को समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए और निर्दोष तमिलों के सुरक्षा के मुद्दे को उठाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे सकती हैं।

श्री वी. सत्यमूर्ति : महोदय, मैंने इसी मामले पर नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदया को वक्तव्य एक बजे देना चाहिए था। अत: मंत्री महोदया अपना वक्तव्य अब दे सकती हैं।

अपराह्न 1.18 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) सरदार सरोवर परियोजना पर एक वृत्तचित्र का प्रसारण

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, 24 जुलाई, शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान इस सदन में कुछ माननीय सस्यों ने दूरदर्शन पर सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित एक डाकुमैंटरी दिखाने के प्रति अपना विरोध दर्ज करते हुए मामला उठाया था। संसदीय कार्य मंत्री ने यहां आश्वासन दिया था कि मैं सोमवार को इस पर वक्तव्य दूंगी। उनके उसी आश्वासन की पूर्ति करते हुए, आपकी अनुमति से यह वक्तव्य सदन में रखना चाहती हूं।

दिनांक 19 जुलाई, 1998 से दूरदर्शन ने सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा नदी) से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर एक पुरस्कृत फिल्म 'लाहा' प्रसारित की थी। उक्त 28 मिनट का प्रसारण भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ (आई.डी.पी.ए.) पेनोरमा वृत्तचित्र समय स्लॉट में रात्रि 10.32 बजे शुरू हुआ था।

'लाहा' 16 एम-एम में फिल्माई गई एक रंगीन फिल्म है। इसे पूर्व में वर्ष 1994 में इसके 40 मिनट के मूल फार्मेट से प्रसारित किया गया था। इस फिल्म का निर्माण प्रतिष्ठित वृत्तचित्र निर्माता सुश्री सुमिता भावे तथा श्री सुनील सुखथांकर ने 1994 में किया था। इसे 1996 में बारसिलोना में प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए थे और इसने 1994 में तिरूवनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा 1996 में मुम्बई फिल्म समारोह में इसके प्रदर्शन के दौरान पुरस्कार प्राप्त किए थे। 'लाहा' को सेंसर बोर्ड ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृत कर दिया है।

दूरदर्शन और भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ (आई.डी.पी.ए.) के बीच पिछले वर्ष हुए करार के अन्तर्गत भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ को रविवार को रात्रि 10.32 बजे 28 मिनट का समय स्लॉट आवंटित किया गया। रविवार को रात्रि 10.32 बजे के पेनोरमा वृत्तचित्र समय स्लॉट में प्रसारित किए जाने वाले वृत्तचित्रों का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जो दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण संबंधी सामान्य नीतियों को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदित फिल्मों का पूर्वदर्शन करती है। चयन समिति में दो पत्रकार, भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ की कार्यकारी समिति के दो सदस्य, दो बाहरी फिल्म निर्माता और दो वृत्तचित्र फिल्म निर्माता शामिल हैं। भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ के अध्यक्ष श्री अरूण खोपकर, वृत्तचित्र फिल्मों के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठत नाम और व्यक्तित्व हैं।

सभापति जी, दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का प्रसारण अब प्रसार भारती के कार्य क्षेत्र में आता है जिसका ऐसे मामलों में पूरे अधिकार देकर एक स्वायत्त सांविधिक संगठन के रूप में गठन किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, यह ठीक है कि यह फिल्म बनाई गई है लेकिन सरदार सरोवर के बारे में जो तथ्य बताये गये हैं, वे बिलकुल गलत हैं ...*(व्यवधान)* गुजरात में सरदार सरोवर योजना बन रही है, उनके विस्थापितों के लिये मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने जो-जो काम किये हैं, उन तथ्यों को इस फिल्म के जरिये गलत रूप से दर्शाया गया है ...*(व्यवधान)* हमारा विरोध इसलिये है कि सही तथ्यों का चयन किया जाये और हमारी भावनाओं की कद्र की जाये। जो इस फिल्म में बताया गया है, वह तथ्यों से परे है ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। ऐसे तथ्यों से प्रकट होता है कि गुजरात राज्य के हितों की अवहेलना की गई है। हमारा विरोध इसलिये है और हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस फिल्म को दुबारा देखा जाये क्योंकि यह फिल्म तथ्यों से परे है। ऐसी फिल्में बनाये जाने के लिये हमारा विरोध है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य पर बहस या स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदया ने वक्तव्य दे दिया है। आपको पता है कि हमारी परम्परा के अनुसार वक्तव्य के बाद इस पर बहस या स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको ने माननीय अध्यक्ष को नोट भेजा है तथा माननीय अध्यक्ष ने केवल उन्हें अनुमति दी है आप सब को नहीं।

श्री वी. सत्यमूर्ति : मेरा नाम सूची में है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति, कृपया सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। मैं रामेश्वरम से हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, श्री वी. सत्यमूर्ति।

अपराह्न 01.22 बजे

इस समय डा. शकील अहमद और श्रीमती सूर्यकांता पाटील आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

श्री वी. सत्यमूर्ति : सभापति महोदय, 23 जुलाई को तमिल इलम के 52 लोग भारत के लिए श्रीलंका से चले ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपने सदस्यों को बैठने के लिए क्यों नहीं कहते? बहुत हो गया।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 01.23 बजे

इस समय डा. शकील अहमद और श्रीमती सूर्यकांता पाटील अपने स्थान पर वापस चले गए

श्री वी. सत्यमूर्ति : उनमें से महिलाओं और बच्चों समेत 44 लोग जब शरणार्थी बन कर श्रीलंका से रामेश्वरम आ रहे थे तो समुद्र में डूबकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच जाफना में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में तमिल भारी संख्या में हैं। जाफना क्षेत्र में निर्दोष तमिलों की जान की कोई सुरक्षा नहीं है। इनमें से कुछ लोग शरणार्थी बन कर तमिलनाडु आकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। मगर श्रीलंका की सेना एवं लिट्टे दोनों ही उन्हें जाने से रोक रहे हैं।

ऐसी हालात में, श्रीलंका की सेना और नौसेना से बचकर निर्दोष और प्रभावित लोगों का छोटे और असुरक्षित नावों में शरणार्थी बनकर तमिलनाडु पहुंचने का प्रयास किया जाना सामान्य बात है और इस प्रयास में उनमें से अधिकतर लोग घातक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उनकी हालत बहुत ही दयनीय है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मानवता के आधार पर इस मुद्दे को श्रीलंका की सरकार के साथ उठाए और उन शरणार्थियों को जो भारत आने के इच्छुक हैं उनकी सहायता हेतु शासकीय तौर पर कुछ उपाय करे। उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ प्राधिकृत पोतों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बीच समुद्र में होने वाली दुखद मौतों को रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : सभापति महोदय, गुजरात की बात पूरी नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : धन्यवाद सभापति महोदय, आखिरकार आपने मुझे बोलने की अनुमति दी।

माननीय सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण ने प्रायोजक बैंकों के समान वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी देने के निर्देश 30 अप्रैल, 1990 को भारत सरकार को दिये थे। भारत सरकार ने 22 फरवरी,

को इस अवार्ड के क्रियान्वयन के निर्देश भी दिये थे। ...र बैंकिंग उद्योग स्तर पर पांचवें वेतन समझौते तक की ...एं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू कर दी गईं। लेकिन उसके ...14 फरवरी, 1995 को हुए कर्मचारी समझौते एवं दिनांक ...98 को हुआ अधिकारी समझौता तथा 29.10.1993 को अभी ...लागू नहीं किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं ...र श्रम न्यायालय ने भी भुगतान के आदेश दिये हैं, लेकिन ... तक लागू नहीं किये गए हैं।

काफी समय से भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की ग्रामीण बैंक कर्मी कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व में सभी दलों ...सदों ने भी मांग उठाई थी। 7 अक्तूबर, 1993 को सभी ...तिक दलों के सांसदों ने नॉर्थ ब्लॉक की बैठक में सर्वसम्मति ...र्णय लिया था कि भारतवर्ष के सभी 196 ग्रामीण बैंकों को ... कर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। ... समिति का यह चौथा प्रतिवेदन दिनांक 23.12.93 को संसद ...टल पर रखा गया था।

आज देश भर के हजारों ग्रामीण बैंक प्रतिनिधि संसद के ... प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री से निवेदन है कि ग्रामीण बैंक ...यों की मांगों को मानते हुए उसकी घोषणा आज संसद में

[...नुवाद]

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय ...*व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

श्री के. करूणाकरन (तिरूअनन्तपुरम) : महोदय, मैं इस ... के ध्यान में केरल की राजधानी में एक खण्डपीठ की स्थापना संबंधित एक अति महत्वपूर्ण और आवश्यक मामला लाना ...ता हूं *(व्यवधान)* महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : आपका नाम नहीं है।

श्री के. करूणाकरन : महोदय, है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. करूणाकरन : महोदय, मुझे पता नहीं क्या मानदण्ड है। मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : आप सीरियल नंबर से बुलाएं। हमने भी नंबर दो पर सूचना दी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्री बालू का नाम पुकारा है। उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सीरियल से हमने भी नोटिस दिया है। आप नीचे से नंबर बुला रहे हैं। हमने भी नंबर दो पर नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको हर रोज मौका मिलता है। आप जरा शांति से बैठिए।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, बड़े क्षोभ के साथ मैं इस सम्माननीय सभा और सरकार का ध्यान भारतीय मछुआरों, विशेषकर रामेश्वरम के मछुआरों की अत्यन्त करुण दशा की ओर दिलाना चाहूंगा।

महोदय, 26 जून, 1974 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पॉक स्ट्रेट और एडम्स ब्रिज के बीच समुद्री सीमा-रेखा तय करने के लिए श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमावो भण्डारनायके के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मन्नार की खाड़ी में सीमारेखा के मुद्दे को सुलझाने के लिए 23 मार्च, 1976 को भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच एक और समझौता हुआ था।

दोनों समझौते आज भी मान्य हैं। 1976 का समझौता 1974 समझौते का अतिक्रमण नहीं करता।

1974 समझौते के अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय मछुआरों और तीर्थयात्रियों को कछतीवू तक जाने में कोई बाधा नहीं होगी और उन्हें किन्हीं यात्रा दस्तावेजों या वीजा की आवश्यकता नहीं है। इसी 1974 के समझौते का अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत और श्रीलंका के पोत एक-दूसरे के समुद्री क्षेत्र में आ सकते है; मछली पकड़ सकते हैं; और उन्हें दिये गए पारम्परिक अधिकार प्राप्त हैं। अतः इन अनुच्छेदों के अनुसार कछतीवू के निकट मछली पकड़ने के भारतीय मछुआरों के पारम्परिक अधिकारों को स्वीकारा

[श्री टी.आर. बालू]

और प्रदान किया गया है। तथापि, अप्रैल, 1976 में भारत सरकार द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों से कहा गया कि वे अपनी गतिविधियां भारतीय समुद्री क्षेत्र तक ही सीमित रखें।

इन कार्यकारी आदेशों के कारण गत वर्षों में हमारे मछुआरों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका की नौसेना हमारे मछुआरों को सताती है, उनके जाल काट देती है, नौकाएं जब्त कर देती है, उन्हें भी पकड़ लेती है और अनिश्चितकालीन हिरासत में रख लेती है। अब तक 123 घटनाएं हुई हैं जिनमें से 29 नौकाओं पर आक्रमण की घटनाएं हैं, 28 नौकाओं को डूबोने, गोलीबारी में 59 मछुआरों के मारे जाने और 194 मछुआरों के घायल होने की घटनाएं हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री टी.आर. बालू, कृपया अब समाप्त कीजिए। यह 'शून्य काल' है। आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, तमिलनाडु सरकार ने कई पत्र लिखे थे पर भारत सरकार ने इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया, और श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमारे मछुआरों को बेरोकटोक सताया जाना जारी है।

अतएव, दक्षेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल श्रीलंका जा रहे हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री से बात करने और इस समस्या का समाधान करने की मांग करता हूं।

अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, भारत सरकार ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है? आप तो लम्बा भाषण दे रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं एक वाक्य में समाप्त करूंगा।

भारत सरकार को श्रीलंका नौसेना और भारतीय तटरक्षक अधिकारियों समेत एक निगरानी कक्ष बनाना चाहिए ताकि जिला प्रशासन आसानी से कक्ष से सम्पर्क कर सके और मामले को हर बार दिल्ली भेजने के बजाय समस्या का वहीं तत्काल समाधान हो जाए।

श्री के. करूणाकरन : महोदय, जब से नए राज्यों का गठन हुआ है, केरल के दक्षिण प्रान्त के लोग यह मांग कर रहे थे कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नियंत्रण करना बहुत कठिन है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : श्री वैको, जब आप बोलते हैं तो शान्ति चाहते हैं पर अब जब हमारे सदस्य बोल रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है? औरों को भी अवसर दीजिए।

श्री के. करूणाकरन : सभापति महोदय, वर्ष 1956 में जब नया राज्य बना था तब से केरल के दक्षिण प्रान्त के लोग न्यायालय की पुनर्स्थापना की मांग करते रहे जो पहले केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में था।

महोदय, दुर्भाग्यवश गत 52 वर्षों में, यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, तो उनके रूदन को सरकार में जिम्मेदार लोगों ने नहीं सुना। वे अपना अनुरोध आज भी दोहरा रहे हैं। महोदय, सम्भवतः केरल ही ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी में उच्च न्यायालय नहीं है।

आज उनकी मांग है कि कम से कम एक खण्डपीठ हो जिसे मुकदमा दायर करने आदि की पूर्ण शक्तियां हों। सब सुविधाएं हैं। ये वहां 1956 से पूर्व था। आपको विदित है कि राज्य पुनर्गठन के एक भाग के रूप में अधिनियम में ही यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय भी होना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक कारणों से केरल में ऐसा नहीं हुआ। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। आज केरल के दक्षिणी प्रान्त के लोगों का अनुरोध है कि वहां मुकदमे दायर करने की शक्ति वाली खण्डपीठ हो।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दें तथा बिना और विलम्ब किए राज्य की राजधानी में एक खण्डपीठ की स्थापना करें।

महोदय, दुर्भाग्यवश न्यायालय ने कोई मत नहीं दिया है।

महोदय, हाल ही में राजस्थान में उदयपुर में वे एक खण्डपीठ स्थापित करना चाहते थे किन्तु रिपोर्ट है कि उच्च न्यायालय उसके लिए सहमत नहीं हुआ। मैं न्यायिक प्रशासन व्यवस्था को समझ सकता हूं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या

अन्य न्यायालय हो, राज्य की राजधानी में खण्डपीठ की स्थापना की लोगों की मांग है। यह केवल मुकदमे करने वाले लोगों की ही नहीं बल्कि केरल के लोगों की भी मांग है। मैं न्यायमूर्ति श्री भगवती का केवल एक वाक्य उद्धृत करूंगा। न्यायमूर्ति श्री भगवती ने कहा था, ''समय आ गया है जब न्यायालय को देश की निर्धन और संघर्षरत जनता का न्यायालय बनना चाहिए। उन्हें उस बड़े जनसमूह की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उसके प्रति न्याय करना चाहिए जिसे कई पीढ़ियों से न्याय से वंचित रखा गया है।''

इस विचार के अधीन, न्यायालय जो भी कहे, कोई निर्णय लेना सरकार का अधिकार है। यह एक राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। यह देश की जनता की आवश्यकता है। अतः सरकार को राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम में एक पूर्ण दायित्वों वाली खण्डपीठ की स्थापना के लिए कदम उठाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक वाक्य में कहिए कि आप इसका समर्थन करते हैं। क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं?

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : जी हां, मैं इसका समर्थन करता हूं। किन्तु मेरा मामला थोड़ा अलग है। मैंने इस मांग पर नोटिस दिया है। त्रिवेन्द्रम के वकीलों का पहले ही आन्दोलन चल रहा है। वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार कर किया है। एक कार्य समिति है और उनकी भी मांग है कि त्रिवेन्द्रम में एक उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना हो। मैंने इसी विषय पर नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : इसी वजह से मैं आपको बुला रहा हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : त्रिवेन्द्रम में एक खण्डपीठ पहले से ही कार्यरत थी। उसे बन्द कर दिया गया था और हम विगत में त्रिवेन्द्रम में स्थापित और कार्यरत उस खण्डपीठ को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। जसवंत सिंह आयोग ने भी अपनी सिफारिशें दी हैं। सिफारिशों का पूर्णतया पालन होना चाहिए और त्रिवेन्द्रम में एक खण्डपीठ स्थापित की जानी चाहिए। हम क्यों परेशान हों? मैं केवल जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। मैंने उसी विषय पर नोटिस दिया है। यह समय की मांग है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : त्रिवेन्द्रम में खण्डपीठ की स्थापना से राज्य सरकार और राजकोष लाभान्वित होंगे। पूरे मामले में राज्य सरकार सम्मिलित है। इसे त्रिवेन्द्रम में होना चाहिए। अतः मैं केन्द्र सरकार से त्रिवेन्द्रम में एक खण्डपीठ की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक ही वाक्य में कहिए कि आप इसका समर्थन करते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं इन दो नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ तथा मैं कहना चाहता हूं कि माननीय जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य की राजधानी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। अतएव, केरल राज्य में मुकदमा दायर करने की पूर्ण शक्तियों सहित एक खंडपीठ का होना अति आवश्यक है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने पहले ही आप दोनों को यह कहने के लिए कहा कि आप इससे सहमत हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि आप उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहमत हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप कासरगोड में भी एक खण्डपीठ चाहते हैं।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, वे भी उसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री पी. शंकरन (कालीकट) : महोदय, मैंने नोटिस दे दिया है।

सभापति महोदय : आपका नाम वहां है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम पहले बुलाया जाना चाहिए था। परन्तु मुझे नहीं मालूम कि पहले क्यों नहीं बुलाया गया।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : सभापति महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है और रघुवंश प्रसाद बाबू ने भी नोटिस दिया है। भारत के वैज्ञानिकों को अमरीका से निकाला जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शंकरन : मैंने दूसरे मामले के लिए नोटिस दिया है। मैं प्रतिदिन नोटिस देता रहा हूं लेकिन मुझे कभी भी इस महान सभा में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। अतएव, मेरे द्वारा कई नोटिस दिये गये हैं परन्तु मुझे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मैं शोर नहीं मचाता। यही एक समस्या है। मैं यहां शांतिपूर्वक बैठा हुआ हूं। क्या कारण है कि मुझे मौका नहीं मिलता है? यदि यही परिस्थिति रहती है, तो सभा में नए सदस्यों द्वारा कोई मामला उठाना काफी कठिन होगा। यह काफी दुखद है।

सभापति महोदय : आपका नाम वहां है। मैं आपको बुलाऊंगा। मैं आपमें से प्रत्येक को मुझे दी गई कार्यसूची के अनुसार बुला रहा हूं। आपका नाम इसमें है। जब, आपका नाम आएगा, मैं आपको बुला लूंगा। आप केवल अपनी मर्जी से खड़े होकर आप जो कहना चाहते हैं, वह नहीं कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, वे हमारे मत का समर्थन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : सभापति महोदय, राजस्थान के पोखरन में भारत द्वारा परमाणु बम के परीक्षण किए जाने के बाद अमरीका भारत के वैज्ञानिकों के खिलाफ और भारत के लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया में गलत तरीके से प्रचार करके गलत तरह का काम कर रहा है।

सभापति जी, पिछले दिनों सात साइंटिस्टों को अमरीका से निष्कासित किया गया। जो लोग वहां नौकरी कर रहे थे, उनकी हमें चिन्ता नहीं है। हम उन वैज्ञानिकों को भारत में नौकरी दे देंगे मगर भारत के कम से कम 100 छात्र साइंटिस्ट जो अपना कैरियर बनाने के लिए वहां गए हैं, जो रिसर्च स्कॉलरशिप पर गये हैं या और कामों पर गये हैं, उनको भी अमरीका सरकार ने वापिस जाने का नोटिस दे दिया है। उनका जीवन खराब हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार ने अपने थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए देश को बड़ा घाटा पहुंचाया है मगर उसकी निंदा हम भारत के लोग कर सकते हैं। किसी विदेशी को हम यह अधिकार नहीं देते हैं कि वे हमारी अंदर की बातों पर टखल दे। आप लोगों ने इस देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया है मगर हम अपनी बात यहां कहेंगे, भारत के लोग कहेंगे।

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो छात्र साइंटिस्ट स्कॉलरशिप लेकर वहां पढ़ रहे हैं, उनका जो कैरियर खराब हो रहा है, उसके बारे में मानव संसाधन मंत्री जी नोटिस दें। उनकी शिक्षा का क्या होगा, उनके कैरियर का क्या होगा, इस पर वे सोंचे। वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके कैरियर को नुकसान या कोई क्षति नहीं होगी।

श्रीमती रमा देवी (मोतीहारी) : आदरणीय सभापीत जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने 8 जून को इसी सदन में एक प्रश्न उठाया था, जो अब बहुत ही दर्दनाक और असहनीय हो गया है। 13 तारीख को मेरे पति की हत्या हो गयी। यदि मैं जानती कि 8 तारीख को सदन में प्रश्न उठाने के बाद भी मुझे इंसाफ या न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इस प्रश्न को कभी न उठाती। मैंने सी.बी.आई. के श्री आर.के. सिंह के विषय में प्रश्न उठाया था कि वे मेरे पति को मारने की साजिश रच रहे हैं। जब मैं 12 तारीख को अपने क्षेत्र गई तो 13 तारीख की शाम को मेरे पति की हत्या हो गई। उसके बाद भी मैं लगातार इस सदन में प्रिविलेज के लिए मांग करती रही लेकिन उसमें भी इन्होंने देर कर दी। आज इस बात को दो-ढाई महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है और न ही हमें इंसाफ मिलता दिख रहा है। *...(व्यवधान)* आप लोग शांत रहिये।

सभापति जी, अभी मेरी सुनियोजित ढंग से हत्या करने की साजिश चल रही है जिसकी पुष्टि डी.आई.जी., बिहार ने भी की है। मैं एक मिनट के लिए भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। इस बारे में मैं एवं मेरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी भी गृह मंत्री, भारत सरकार से मिले एवं कई पत्र भी लिखे परन्तु दुख की बात है कि गृह मंत्री, भारत सरकार अभी तक मेरी सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। मैंने 24 जुलाई को भी उनको एक आवेदन दिया था लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने उनको पर्सनली मिलकर भी बताया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ *...(व्यवधान)* कहने का मतलब यह है कि हम क्या करें? क्या मैं इस सदन में न आऊं या मैं धरने पर बैठ जाऊं? क्या मैं सोचूं कि इस सदन में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तीन बजे होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति जी, रमा देवी ने यह बात कई बार उठाया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता कि आज भी हमको यह सुनने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया है। वे संसद सदस्य हैं और यदि संसद सदस्य न भी हों, तो जिन परिस्थितियों में उनके पति की हत्या हुई, उसके विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतनी गंभीर बात होने के बाद भी सरकार क्यों मौन है और वे इस पर क्यों निर्णय नहीं लेते, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यह नहीं कह सकते कि यह गृह मंत्री का काम है। सांसद की सुरक्षा के प्रश्न से आप और अध्यक्ष महोदय सीधे जुड़े हुए हैं। यह कर्तव्य अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री का है कि हर संसद सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हो और इस पर आज ही उनको कोई कदम उठाना चाहिए। मैं वक्तव्य की बात नहीं कहता लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से उनको तुरंत सुरक्षा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : संसदीय कार्य मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, सदस्यों को संरक्षण देना आपका दायित्व है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं बात करके बता दूंगा। ...*(व्यवधान)* माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय रमा देवी जी और माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं अभी नहीं कह सकता लेकिन इस बारे में बात करके निश्चित रूप से बता दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गृह मंत्री तीन बजे आयेंगे और वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ...*(व्यवधान)* 1987 में प्रख्यात समाजवादी नेता ...*(व्यवधान)* जनता सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय राजनारायण द्वारा पूरे देश के प्रत्येक गांव में जन-स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की गई थी जो दवा देते थे। गांवों में उन जन-स्वास्थ्य रक्षकों को 50 रुपये से 100 रुपये प्रति माह तक मानदेय दिया जाता था। आज गांवों में उस कार्यक्रम को न चलाकर दवा भी मुहैया नहीं करायी जा रही है। जन-स्वास्थ्य रक्षकों ने अभी हाल में दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार से मांग करता हूँ कि जन-स्वास्थ्य रक्षकों को दवा दी जाए और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही उनकी नियुक्ति भी परमानेंट की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : वाराणसी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है। ...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान : उनको 50 रुपये महीना दिया जाता है। वे गांवों में जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए निर्देश नहीं दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री मौर्या को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक राजधानी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या है? आप इसका उल्लेख करने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते।

[हिन्दी]

मेरे किसी और को बुलाने के बाद आप खड़े हो जाते हैं। यदि आपको रीएक्ट करना है तो बताइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आपने कहा तो मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे कुछ नहीं कहना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इन्होंने जब उल्लेख किया, यदि सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती थी, तो सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती थी। इसके बाद जबकि मैंने किसी और को बुला लिया है, यदि मंत्री खड़े होते हैं, तो अव्यवस्था हो जाती है। अब जब आप प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़े हुए हैं, आप वह सब कहें जो आप कहना चाहते हैं। यदि आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो मैं अगले सदस्य को बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, मंत्री जी से जवाब आने दीजिए। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभी दलों के नेताओं से बात हुई है। मामला एक्टिव कंसीडरेशन में है, उसे कर रहे हैं। हम कोई डेट नहीं बता सकते लेकिन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री मौर्य बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मौर्य जो कुछ भी कहते हैं, उसके सिवा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : बनारस भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है और बनारस में गंगा का अपना महत्व है। विगत कई वर्षों से गंगा निर्मलीकरण योजना चल रही है। उस निर्मलीकरण योजना में एक गंगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है जो हमारे क्षेत्र सलारपुर में स्थित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति इतनी बदतर है कि वहां के क्षेत्रीय नागरिकों का रहना दूभर हो गया है, मक्खी, मच्छर और कीड़ों की भरमार हो गई है। पिछले दिनों वहां महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गंगा निर्मलीकरण योजना से जुड़ी हुई ट्रांस वरना सीवर योजना वर्षों से लंबित पड़ी हुई है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना व्यय बनाकर पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जा चुका है। मामला लंबित है। ट्रांस-वरना सीवर योजना के लंबित होने के कारण बनारस जैसी सांस्कृतिक राजधानी में लगभग तीन लाख लोगों को गंदगी में जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि पर्यावरण मंत्रालय इस मामले को संज्ञान में लाकर योजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित कराए। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सालारपुर में लगा हुआ है, उसकी दुरुस्ती करायें, नहीं तो वहां के लोगों का रहना दूभर हो गया है, जीना खराब हो गया है। धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद खीरी की उत्तरी सीमा नेपाल से मिलती है, उस पर तस्करी का साम्राज्य हो गया है। इस कार्य में क्षेत्र के बेरोजगार लड़के, भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ लोग लगे हुए हैं। हर वर्ष लाखों रुपये का कारोबार वहां अवैध तरीके से सम्पादित किया जा रहा है। इससे देश की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। तस्करों तथा विदेशी गुप्तचरों की मिलीभगत अब कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। कई बार अवैध शस्त्रों का जखीरा भी सीमा पर पकड़ा गया है।

खेद का विषय है कि जनपद खीरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, जिससे तस्करों और राष्ट्र विरोधी शक्तियों को खुला संरक्षण मिल रहा है। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि तत्काल इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये तथा तस्करी रोकने का व्यापक प्रबन्ध करे। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नाम लिस्ट में पढ़ने से जिस तरह आपका नाम आयेगा, मैं आपको बुलाऊंगा। पहले सारी गड़बड़ हो गई है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था और जम्मू-कश्मीर के अन्दर जब जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की एक साजिश रची जा रही थी, वहां पर एक आन्दोलन चला, एक देश के अन्दर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इस आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से कश्मीर की धरती पर गये। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसलिए मैं कोई परमिट लेकर कश्मीर की धरती पर नहीं जाऊंगा। रावी के किनारे पर, जहां से कश्मीर की सीमा शुरू होती है, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। वे विरोधी दल के नेता थे। विरोधी दल के नेता जम्मू-कश्मीर की धरती पर गिरफ्तार तो हुए, वहां से उनको ले जाकर कश्मीर की जेल के अन्दर बन्द किया गया।

लेकिन वापस उनकी लाश आई थी। यद्यपि उनकी मृत्यु ने भारत और कश्मीर के बीच में जो दीवारें खड़ी थीं, उनको तोड़ा है। उस समय कश्मीर में परमिट टूट गया, कस्टम हट गया, वहां के जो प्रधान मंत्री कहे जाते थे, वे चीफ मिनिस्टर हो गये, वहां सदर-रियासत गवर्नर हो गये। वहां पर सुप्रीम कोर्ट लागू हो गया, वहां ऑडिटर जनरल लागू हुआ, वहां पर इलैक्शन होने शुरू हो गये, वहां पर अन्य बहुत सारे लेबर लॉज़ लागू हुए।

यद्यपि ये सारी दीवारें टूटी, लेकिन आज भी दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूं कि उनकी मौत के ऊपर एक परदा पड़ हुआ है। आज भी वे विरोधी दल के नेता, कश्मीर की धरती पर जिनका बलिदान हुआ, आज भी उनकी इन्क्वायरी नहीं हुई है कि वे मरे हैं या मारे गये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज जबकि अपनी सरकार है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमेशा पूजते हैं तो उनकी इस मृत्यु की इन्क्वायरी तुरन्त होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। यह एक इतनी गम्भीर समस्या है कि किसी दल का नेता जेल के अन्दर मारा जाये, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार तुरन्त इसकी इन्क्वायरी का आर्डर दे। सुभाष जी और गांधी जी की मृत्यु की इन्क्वायरी बहुत समय के बाद हुई, इसलिए कोई वजह नहीं है कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की इन्क्वायरी न हो।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं इस महान सभा का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र कच्छ में पेयजल के गंभीर सकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अभूतपूर्व चक्रवाती तूफान के बाद, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी तथा 12 लाख से अधिक फल देने वाले पेड़ गिर गए हैं। कच्छ के लोगों को पेयजल तथा सिंचाई की एकमात्र आशा नर्मदा का जल है परन्तु नर्मदा का जल कई वर्षों से विवाद में फंसा है। उच्चतम न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त निर्धारित की है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से केवल आग्रह करता हूं कि मामले को सुलझाया जाये। अन्यथा कच्छ के लोगों को प्रवास के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। बिना पानी के वे वहां नहीं रह सकते हैं। उनकी स्थिति काफी दयनीय है। उनकी एकमात्र आशा नर्मदा का जल है। मेरा सरकार से आग्रह है कि नर्मदा जल मुद्दा शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल होने के कारण सुलझाया जाये। यह विवाद सुलझाया जाना चाहिए अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे तथा कई विभेद उत्पन्न होंगे।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में दो तरह के बैंक हैं। एक तो सरकारी बैंक हैं, जो ब्याज पर ब्याज नहीं लेते, दूसरे कमर्शियल बैंक हैं, जो ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। छोटे काश्तकार, मार्जिनल किसान जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, व्यावसायिक बैंक इनसे दस से पचास गुना तक पैसा ब्याज पर ब्याज लगाकर वसूल करते हैं। गांव में किसान ट्रैक्टर लोन पर लेता है तो लोन के बाद ये बैंक उस पर इतना ब्याज लगा देते हैं कि वह किस्त नहीं चुका पाता, नतीजन ये बैंक उसका ट्रैक्टर, जमीन और घरबार तक कुड़क कर लेते हैं। इससे किसान बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ख्वाजुखां ने, ग्राम बेड़ाखेड़ा, केशोरायपाटन, जिला बूंदी, 1988 में ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। बैंक वालों ने उसका ट्रैक्टर और 200 बीघा जमीन कुड़क कर ली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसकी जमीन पर काश्त कर रहे हैं। इस तरह से वह बैंक किसान को मुआवजा भी नहीं दे रहा है। इससे वहां का किसान बर्बाद हो रहा है। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद सहकारी बैंकों को किसानों के हितों के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों के हितों के लिए ही ये सहकारी बैंक बनाए गए है, मेरा निवेदन है कि इन बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए और मार्जिनल फार्मर और गरीब तबके के लोगों को लोन देते समय ब्याज की सीमा निश्चित की जाए, जो कि दो या चार गुना से ज्यादा न हो, इससे ये किसान लाभान्वित होंगे।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश में कुछ ही रेंजर कालेज हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र बालाघाट में एक रेंजर कालेज है। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा बालाघाट के 25 साल पुराने रेंजर कालेज को चंद्रपुर के रेंजर कालेज में तब्दील किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इतना पुराने महाविद्यालय को जहां पर रेंजरों को ट्रेनिंग दी जाती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट में है और बांस का क्षेत्र भी सर्वाधिक बालाघाट में है, इसलिए इस कालेज को यथावत बालाघाट में ही रहने दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व का काफी गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। सैंकड़ों लोग विशेषरूप से

[श्री ए.सी. जोस]

केरल से रोजगार के लिए ओमान जा रहे हैं तथा वहां रोजगार पा रहे हैं। लेकिन हाल में ओमान सरकार ने एक प्रतिबंध लगा दिया है--वीसा के आवेदन के लिए तथा वहां जाने के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना। यह प्रतिबंध केवल भारतीय, श्रीलंकाई तथा पाकिस्तानी लोगों पर लगाया जा रहा है। यह प्रतिबंध केवल एशियाई लोगों पर लगाया जा रहा है जबकि यूरोपीय वहां बिना किसी चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के वहां जाने पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा है। इससे वहां जाकर रोजगार तलाशने वालों के लिए काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। अतएव, यह मानवाधिकार का प्रश्न है। यूरोपीय वहां बिना किसी समस्या के जा सकते हैं जबकि एशियाई लोगों को वहां चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस भेदभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करना चाहिए।

महोदय, मैं श्रम मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि ओमान सरकार से मिलकर इस मामले को उठाएं तथा इस प्रतिबंध को समाप्त करें ताकी लोग रोजगार की तलाश में ओमान स्वतंत्रतापूर्वक जा सकें। मैं संसदीय कार्य मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि वे संबद्ध मंत्रियों को इसकी सूचना दें।

महोदय, यह काफी गंभीर मामला है। सैंकड़ों लोग रोजगार की तलाश में ओमान जा रहे हैं। वे बाहर आ रहे हैं परन्तु जब वे वापस जाते हैं। तो अपने परिवार से नहीं मिल सकते हैं। माननीय श्रम मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें यह बात गंभीरता से लेनी होगी तथा मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री पी. शंकरन : सभापति महोदय, मुझे केरल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान केरल के नर्सिंग छात्रों की दुखद तथा दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अपराह्न 2.00 बजे

महोदय, नर्सिंग काउंसिल ने केरल सरकार को खेदपूर्वक यह सूचित किया कि वह केरल में कालीकट और त्रिवेन्द्रम के नर्सिंग महाविद्यालयों को दी गई मान्यता वापिस ले रहा है। राज्य सरकार के अनुसार नर्सिंग काउंसिल द्वारा वर्ष 1996 में कराये गए सर्वेक्षण में ये दोनों ही संस्थाएं अर्ह और ''अंडर माडिफिकेशन'' बतायी गई थी। वर्ष 1997 में उन महाविद्यालयों का एक और बार सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें इन्हें अनर्ह बताया गया। इन दोनों संस्थाओं ने सैकड़ों नर्सों को प्रशिक्षण दिया है। वे नर्सें सफदरजंग अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे भारत के प्रमुख अस्पतालों आदि में कार्यरत हैं। इन सभी नर्सों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। वे प्रतियोगितात्मक, परिश्रमी और सक्षम हैं। चूंकि इनकी मान्यता वापिस ले ली गई है इसलिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि इन संस्थाओं को मान्यता नहीं दी जाएगी तो इन संस्थाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों और इनमें अध्ययनरत नर्सों की क्या दशा होगी? इन संस्थाओं से परीक्षा उत्तीर्ण किए नर्सों ने प्रतिष्ठित अस्पतालों में अपनी योग्यता साबित की है। इन संस्थाओं, जिन्हें 'अयोग्य' करार किया गया है, से सर्वाधिक प्रतियोगितात्मक छात्र निकल सकते हैं। इनकी अयोग्यता की पुनः जांच की जाये।

महोदय, मैं देख रहा हूं कि मेरे पड़ोसी राज्यों में कुछ संस्थाएं ''थैच्ड शेड'' में चल रहे हैं और उनमें नर्सिंग महाविद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं को मान्यता दी गई है। अतएव केरल राज्य के प्रति इस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से नर्सिंग काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय को बदलने और इनको स्थायी मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं ताकि छात्र अपना अध्ययन जारी रख सकें। इस मामले में बदलाव लाया जाये और इसकी जांच करायी जाये।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति जी, आदिवासियों का मामला है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, दो दिन पहले आर.एस.एस. प्रमुख प्रो. राजेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में आई.ए.एस. अधिकारियों के समक्ष एक भाषण दिया था। आई.ए.एस. अधिकारियों के एक वर्ग ने आर.एस.एस. के प्रमुख द्वारा नौकरशाही में राजनीति को लाने पर अब आपत्ति की है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक नीति निर्धारित की थी कि नौकरशाही पूरी राजव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। किंतु नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना है। ...*(व्यवधान)*

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, उन्हें सही बोलना चाहिए। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके शिष्य तथा छात्र थे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं गलत कैसे बोल सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز : میں غلط ... کیسے بول سکتا ہوں (مداخلت)

महोदय, इसमें औचित्य का प्रश्न है। उन्होंने वहां जो उपदेश दिया उसे भा.ज.पा. 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' कहती है। उन्होंने वहां जो कहा उस पर स्वयं आई.ए.एस. संवर्ग ने आपत्ति की है। हो सकता है कि कुछ आई.ए.एस. अधिकारियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो तथा उनके विद्यार्थी रहे हों। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वह उन्हें अपने आंगन में बुला सकते हैं। किन्तु वे उन्हें सरकारी परिसर में आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। वह आई.ए.एस. अधिकारियों को सीधे संबोधित नहीं कर सकते तथा अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उपदेश नहीं दे सकते। मैंने यह आपत्ति इसलिए की है क्योंकि प्रेस के एक वर्ग ने इसे पहले ही छापा है।

अंततः आर.एस.एस. की गुप्त विचारधारा भा.ज.पा. सरकार के लिए कठिनाइयां खड़ी करेगी। हम इस पर नजर रख रहे हैं। यह भा.ज.पा. के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए कठिनाइयां पैदा करेगी। आर.एस.एस. की एक गुप्त विचारधारा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : गुप्त एजेन्डा हमारी जनता की कट्टर देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह 'शून्य काल' है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आर.एस.एस. के प्रमुख नौकरशाहों के पास जाकर उन्हें कैसे सम्बोधित कर सकते हैं तथा यह आशा कर सकते हैं कि नौकरशाही आर.एस.एस. की नीतियों का अनुसरण करे? हम आर.एस.एस. की विचारधारा में प्रतिपादित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। इस देश में यह नहीं हो सकता तथा हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। इस नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चौहान, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह अत्यन्त गंभीर मामला है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आर.एस.एस. प्रमुख जिसे वे लोग 'रज्जू भैया' के नाम से पुकारते हैं, कैसे सरकारी परिसर में जाकर नौकरशाहों के समक्ष भाषण दे सकते हैं? यह न केवल आपत्तिजनक है अपितु यह असंवैधानिक भी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय, हम भी इसका समर्थन करते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह औचित्य का सवाल है।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : महोदय, 'रज्जू भैया' इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष थे। पुराने छात्रों ने उन्हें बुलाया था। इसे सरकार या किसी भी सरकारी चीज से कोई लेना-देना नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : वह यह नहीं कर सकते। वह सरकारी परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

श्री चेतन चौहान : उनके पूर्व छात्रों ने उन्हें बुलाया था। इसलिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : वह सरकारी परिसर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्हें आई.ए.एस. अधिकारियों को सम्बोधित नहीं करना चाहिए था। अब, कुछ आई.ए.एस. अधिकारियों ने इस पर आपत्ति की है।

श्री चेतन चौहान : यदि उन्हें कोई आपत्ति थी तो वे ऐसा नहीं करते। वह वहां एक पूर्व शिक्षक के रूप में गए थे। पूर्व छात्रों ने उनसे पूर्व शिक्षक के रूप में संपर्क किया था।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : वे गए तथा उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आर.एस.एस. दर्शन पर व्याख्यान दिया। अब वे आर.एस.एस. के गुप्त एजेन्डा को प्रकट कर रहे हैं। हम इसे अस्वीकार करते हैं।

श्री चेतन चौहान : महोदय, ये सभी तथ्य गलत हैं। वह सिर्फ समाचारपत्रों का हवाला दे रहे हैं।

अपराह्न 2.06 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार 16 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:–

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, लोक सभा की लोक लेखा समिति की 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के लिए अपने सात सदस्यों का नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और उक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने सदस्यों में से सात सदस्यों का, उस रीति से, जैसा सभापति महोदय निदेश दें, चयन करें।"

(2) मुझे, लोक सभा को यह सूचना भी देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हुए हैं:–

1. श्री मोहम्मद सलीम
2. श्री के.आर. मलकानी
3. श्री सतीशचन्द्र सीताराम प्रधान
4. श्री जे. चित्तरंजन
5. श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा
6. श्री वायलर रवि
7. श्री के. रहमान खान

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार 16 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:–

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के लिए अपने सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और उक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने सदस्यों में से सात सदस्यों का, उस रीति से, जैसा सभापति महोदय निदेश दें, चयन करे।"

(2) मुझे लोक सभा को यह सूचना भी देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है:–

1. डा. गोपालराव विट्ठलराव पाटील
2. श्री रंजन प्रसाद यादव
3. श्री गोपालसिंह जी सोलंकी
4. श्री एच. हनुमनथप्पा
5. श्री जितेन्द्र प्रसाद
6. श्री जीवन राय
7. श्री येरा नारायणस्वामी

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.08 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3 बजकर 8 मिनट पर पुनः समवेत हुई

[**श्री खगपति प्रधानी** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : सभापति महोदय, यह मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देने से पहले मैं स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न

रखना चाहता हूं। अहमदाबाद, गुजरात में उपद्रवियों ने पवित्र बाइबल को जला दिया।

राजकोट में बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता एक विद्यालय में घुस गए और एक छात्र के साथ मारपीट की।

ऐसी घटनाएं बारबार हो रही हैं। सभी जगह ईसाई विद्यालयों में आक्रमण किए जा रहे हैं। और उपद्रवी लोग पवित्र बाईबिल को जला रहे हैं।

राजकोट में अत्यंत गंभीर स्थिति है।

'टाइम्स आफ इंडिया' के सम्पादकीय में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। अहमदाबाद में इस घटना का समाचार न केवल सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है अपितु सभी प्रादेशिक समाचार-पत्रों के सम्पादकीय में भी इस घटना के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना यह बात कैसे उठा सकते हैं?

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, गृह मंत्री जी को इस बात पर भी एक वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यसूची में यह मुद्दा शामिल नहीं है।

श्री ए.सी. जोस : गृह मंत्री जी इस पर वक्तव्य देते समय कृपया इस पर भी ध्यान दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है? आप कागज दिखा रहे हैं। कागजों में सब कुछ लिखा है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : सभापति जी, अहमदाबाद की घटनाओं पर भी इनको वक्तव्य देना चाहिए। अहमदाबाद में बाइबल को जलाया गया है और माइनॉरिटीज के स्कूलों में तोड़-फोड़ की गयी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह 'शून्यकाल' नहीं है।

यदि आप इस वक्तव्य के बाद कोई परिवर्तन चाहते हैं तो

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते?

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : वक्तव्य देते समय इस मुद्दे को भी शामिल किया जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है? मैं बोल रहा हूं और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, स्पीकर साहब ने कल हुए बम-बलास्ट के बारे में आदेश दिया है। गृह मंत्री जी इस बारे में स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में भी यह स्टेटमेंट देना है, इसलिए इनका स्टेटमेंट पहले हो जाए। आडवाणी जी आप अभी स्टेटमेंट दीजिए ...*(व्यवधान)*

डा. प्रभा ठाकुर (अजमेर) : सभापति जी, शुक्रवार को लिस्ट में शेष रही महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के बारे में चर्चा पहले आरम्भ की जाए।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरन (तिरूअनंतपुरम) : आज गृह मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कार्यसूची में शामिल नहीं है। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री के. करूणाकरन : परन्तु यह तो एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। गृह मंत्री जी को इस मुद्दे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी गलती हुई हो उसमें सुधार किया जना चाहिए। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : अब गृह मंत्री जी दिल्ली में कल हुए बम विस्फोट के बारे में वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 3.13 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(2) दिल्ली में अन्तर-राज्यीय बस अड्डे पर हुई बम विस्फोट की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : महोदय, 26 जुलाई, 1998 को लगभग 1130 बजे, हरियाणा रोडवेज की एक बस में अन्तर-राज्यीय बस अड्डा, दिल्ली में पहुंचने के बाद एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ। बस के पिछले हिस्से के पूरी तरह परखचे उड़ गए और पास में खड़ी अन्य 4 बसों को भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई और चार अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए। जान हानि की प्रतिपूर्ति करना असंभव है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, पीड़ितों को कुछ तुरन्त राहत उपलब्ध कराने के लिए, इस घटना में मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को 1 लाख रुपये और जख्मी हुए व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रु. की अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने की घोषणा की है।

इस घटना की जांच की जा रही है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह, पिछले कुछ वर्षों से देश के विरोधी तत्वों, जो इस देश की सुरक्षा और अखण्डता के दुश्मन हैं, द्वारा जारी रखे पैशाचिक इरादों का एक भाग है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और इसके साथ लगने वाले इलाकों में 1T दिसम्बर, 1996 से, कल हुए विस्फोट सहित, 40 बम-विस्फोट हुए हैं।

इस माननीय सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 36 बम-विस्फोट की घटनाओं को हल किया है और 7 विदेशी नागरिकों सहित 14 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी भी कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि ये बम-विस्फोट पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा कराए गए थे जिसका नेतृत्व जकी-उर-रहमान और अब्दुल करीम टुण्डा वाले उग्रवादी ग्रुप ने किया था।

इनके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस और हैदराबाद पुलिस, अथक प्रयास करके भारत में सक्रिय पाकिस्तान आई.एस.आई./लश्कर-ए-तोईबा नेटवर्क की पोल खोलने में सफल रही जिसके परिणामस्वरूप चार पाकिस्तानी राष्ट्रिक, एक बंगलादेशी नागरिक और हैदराबाद में आधारित उनका भारतीय मुख्य सहयोगी गिरफ्तार किया गया। 1 जुलाई, 1998 को इस गिरोह से 15 किलोग्राम आर.डी.एक्स. सहित काफी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक और सफलता प्राप्त की जब 10 जुलाई, 1998 को दिल्ली के पंजाबी बाग क्षेत्र में एक ट्रक से 18 किलोग्राम आर.डी.एक्स. और आधुनिकतम टाइमर डिवाइसेस बरामद की गई। इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिन पर पंजाब के आतंकवादी होने का अंदेशा है।

मैं इस मौके पर इस सम्माननीय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार अपने इस महान देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री के. करुणाकरन (तिरुअनन्तपुरम) : आज सुबह विपक्ष के नेता और इस तरफ बैठे कुछ सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, भारत की राजधानी में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और भारत सरकार उस पर काबू नहीं पा रही है। जो सरकार सुरक्षा के नाम पर बनी, उस सरकार के जमाने में राजधानी में दर्दनाक घटनायें हो रही हैं। इस तरह के बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, यह बहुत ही अफसोस की बात है। गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये क्योंकि ऐसी घटनाओं के पीछे भारत की राजधानी में आई.एस.आई. काम कर रही है। ...*(व्यवधान)* ... सभापति महोदय, इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी जब गृह मंत्री यहां पर बयान देते हैं। यह सरकार कारगर कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसा

राजधानी में हो रहा है। यदि दिल्ली सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं होती तो गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये, यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : दिल्ली में हुई अन्य घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वे भी आई.एस.आई. के कारण हो रही हैं? हमने अन्य अनेक मुद्दों के बारे में भी प्रश्न उठाए थे।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको स्थिति बताऊंगा। नियम 372 में उल्लेख है कि "लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं इस पर कोई क्वश्चन नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में वह वक्तव्य कल देंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, आज सुबह गृह मंत्रालय से संबंधित तीन मुद्दे उठाए गए थे। एक बम विस्फोट के बारे में था दूसरा महिला सदस्य, श्रीमती रमा देवी के बारे में था जो उन्हें दी जा रही सुरक्षा के बारे में बोली थी, तीसरा दिल्ली में अपराध की सामान्य स्थिति से संबंधित था *...(व्यवधान)* और चौथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहां रह रहे कतिपय लोगों के निर्वासन के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में था। ये चार मुद्दे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मेरी जानकारी में लाए गए थे। *...(व्यवधान)* मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। *...(व्यवधान)*

मैंने कहा, "मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में बोलूंगा। जहां तक बम विस्फोट से संबंधित पहले मुद्दे का संबंध है, मैं अपना वक्तव्य दोपहर के बाद दूंगा क्योंकि घटना कल घटी थी। जहां तक महाराष्ट्र से संबंधित मुद्दे का संबंध है, हमें महाराष्ट्र सरकार से सूचना प्राप्त करनी होगी इसलिए, मैं उस संबंध में वक्तव्य कल दूंगा। *...(व्यवधान)* श्रीमती रमा देवी के संबंध में, जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिली थीं, मैंने उनकी उपस्थिति में ही गृह सचिव को उन्हें सचल सुरक्षा प्रदान करने का अनुदेश दिया था। चौथे मुद्दे पर, मैंने बताया कि कल की प्रश्नसूची में विपक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न दिल्ली में अपराध से संबंधित है अतः कल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास प्रचुर समय होगा। मैं सामान्य वक्तव्य नहीं देना चाहता। *...(व्यवधान)* मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। *...(व्यवधान)*

मैंने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा है कि सरकार दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति से खुश नहीं है। असल में हमारा यह दृष्टिकोण रहा है कि गत चार अथवा पांच वर्षों में सम्पूर्ण देश में आंतरिक सुरक्षा का माहौल खराब हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पं. बंगाल): इसीलिए हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन मैंने कहा है कि जो कुछ मुझे कहना है वह मैं कल प्रश्न काल के दौरान कहूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : गुजरात समस्या के बारे में आप क्या कहते हैं*...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री जोस, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। *...(व्यवधान)* ठीक है, मैं उसका उत्तर दूंगा। हर चीज की मांग हो रही है। जिस प्रकरण का जिक्र किया जा रहा है, गत सप्ताह घटित हुआ था। यदि माननीय सदस्यों ने इसे आज सुबह उठाया होता तो मैं यह बताने में सक्षम होता कि मैं इस प्रश्न का उत्तर कब दूंगा।

मैं अभी सिवाय यह कहने के कि जहां तक दिल्ली में कानून और व्यवस्था का संबंध है उसकी स्थिति ठीक नहीं है लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस उससे निपट रही है वह काफी संतोषजनक है। और कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हूं। *...(व्यवधान)* बम विस्फोट के बारे में मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि "गत डेढ़ वर्षों में हुए चालीस बम विस्फोटों में से छत्तीस मामलों में अपराधियों का पता लगा लेना कोई कम उपलब्धि नहीं है।" यह अकेले अच्छी उपलब्धि है। इसलिए, मेरा कहना है कि यद्यपि कुछ उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है ताकि दिल्ली के औसत नागरिक के मन में

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

सुरक्षा की भावना पैदा हो और यह सरकार इसे हासिल करने के लिए कटिबद्ध है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में वृहत चर्चा करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : दिल्ली की कानून और व्यवस्था को सरकार सुधार नहीं पा रही है और इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं, उनका बचाव कर रही है। इसके विरोध में हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

अपराह्न 3.24 बजे

इस समय श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह कल वक्तव्य देने पर सहमत हो गए हैं।

श्री ए.सी. जोस : जब वह कल उत्तर देंगे तब उन्हें कृपया गुजरात में हुई घटना के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (मोतीहारी) : सभापति जी, मेरी बात पर ध्यान दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कल उत्तर देने पर सहमत हो गए हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हमें पूरे देश की मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सामान्य चर्चा करनी चाहिए। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि वह पूरा ब्यौरा कल देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, पूरे देश की विधि व्यवस्था खराब है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन में पूरे देश की विधि व्यवस्था पर चर्चा कराइए। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : सर, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, हमने राजस्थान और गुजरात राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया था ...*(व्यवधान)* इस सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि एक वक्तव्य दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)* बजट सत्र का प्रथम चरण समाप्त हुआ ...*(व्यवधान)* अब सत्र समाप्त होने जा रहा है ...*(व्यवधान)* अभी तक सरकार द्वारा वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह मंत्री जी की विश्वसनीयता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने अभी यह बताया था कि वे कल वक्तव्य देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप ये सभी मुद्दे कल 'शून्य-काल' के दौरान उठा सकते हैं, माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वह कल उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): महोदय, सभी राज्यों में कानून और व्यवस्था न केवल राजस्थान में बल्कि बंगाल और बिहार की स्थिति पर भी चर्चा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, क्या निर्णय किया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो हम क्या करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, माननीय मंत्री यहां बैठे हैं? हम सम्पूर्ण देश की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति पर पूरी चर्चा चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, जो सवाल उठाए गए हैं, उनके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उनको अगर मैं ध्यान में रखूंगा, तो सालों से इस सदन की जो परंपरा रही है उस परंपरा का उल्लंघन करने का मैं अपराधी होऊंगा। इस सदन में हम राज्यों की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा नहीं करते हैं। चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है इसलिए उसका दायित्व हमारा है। अतः दिल्ली की कानून व्यवस्था की चर्चा हम यहां पूरी तरह से कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ममता जी का कहना है कि जिस प्रकार से मांग की जा रही है उसके परिणामस्वरूप तो स्वाभाविक रूप से यह चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की चर्चा यहां होनी चाहिए, बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा यहां होनी चाहिए, लेकिन यहां पर राजेश पायलट जी और करुणाकरण जी जैसे प्रमुख सदस्य बैठे हैं, उनको पता है कि अगर कोई घटना हो जाती है, तो उस घटना की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसी परंपरा रही है। आज सुबह एक घटना का उल्लेख हुआ, उसके बारे में मैंने तुरन्त कहा कि महाराष्ट्र सरकार से जानकारी प्राप्त करके मैं वक्तव्य दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति के ऊपर चाहे वह महाराष्ट्र हो या प. बंगाल, सदन में बहस करना उचित नहीं होगा, यह मेरा निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर वे कल वक्तव्य देने जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.35 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति जी, मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में जो बात कही है, उसके बारे में गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी, क्या आप कानून और व्यवस्था की स्थिति पर वक्तव्य देना चाहेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसके बारे में पहले ही वक्तव्य दे चुका हूं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, वे पहले ही जवाब दे चुके हैं और मैं इस पर प्रतिक्रिया कर रहा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको यहां कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। कृपया इस बात को समझें।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा ...*(व्यवधान)* आपके यहां ही नहीं बल्कि सारे सदन की चिन्ता थी कि देश की कानून एवं व्यवस्था में कमजोरी आई है चाहे इधर के बोलने वाले हों या उधर के बोलने वाले हों। सभी सदस्य कह रहे थे लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा कि प्रदेशों की कानून व्यवस्था के बारे में इस हाउस में डिसकस नहीं होगा। उन्होंने यह बात सच कही है क्योंकि यह पार्लियामेंट के ट्रेडीशन के हिसाब से ऐसा नहीं होता। लेकिन गृह मंत्री जी ने खुद चिंता भी जताई। कल बी.जे.पी. की महिलाओं के बीच वे बोल रहे थे कि उन्हें कानून व्यवस्था पर बहुत चिंता है। इसी तरह सेंसटिव स्टेट हैं चाहे जम्मू कश्मीर हो या नार्थ ईस्ट, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक पार्टी के एम.एल.सी. कह रहे हैं कि वे इस्तीफा देकर बंदूक उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इससे आप देखिये कि सिचुएशन कितनी खराब हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री इसका पहले ही जवाब दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो चाहे नार्थ ईस्ट की बात हो। ...*(व्यवधान)* चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो। यदि इस पर सरकार डिस्कशन के लिए मान जाये तो अच्छा होगा। अगर गृह मंत्रालय पर डिस्कशन हो जाती तो किसी सदस्य को आज यह सवाल उठाने की जरूरत न पड़ती लेकिन गृह मंत्रालय पर डिस्कशन नहीं हुई। इसलिए यह सरकार जब चाहे तब इसे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए ले लें ताकि सब माननीय सदस्य अपनी बात रख सकें और सरकार को भी इसका ज्ञान हो जाये।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : हम देश में आंतरिक सुरक्षा के संबंध में सदन में पूर्ण चर्चा कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : हमें पूरी चर्चा करनी चाहिए। विशेषरूप से उन राज्यों के संबंध में, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

अपराह्न 03.37 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के जामनगर शहर का दर्जा बढ़ाकर उसे बी-2 श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर को बी-टू के अनुसार अभी तक अपग्रेडेशन नहीं किया गया जिससे लाखों सरकारी कर्मचरियों को हाउस रेंट, सिटी एलाउंस एवं अन्य कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जामनगर शहर में पौने तीन लाख मतदाता हैं और ओन रिकार्ड जामनगर शहरी की आबादी अब साढ़े पांच लाख है। जामनगर शहर गुजरात का सबसे ज्यादा महंगाई वाला शहर है। जामनगर जिला में तीस हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक इन्वेस्टमैंट है और बीस हजार करोड़ का इन्वेस्टमैंट पहले से है। जामनगर शहर में आर्मी, नेवी एवं मिलिटरी एयरफोर्स वगैरह देश के मिलिटरी बैज हैं जिसकी आबादी करीब एक लाख की है जो साढ़े पांच लाख की आबादी में गिनी नहीं जाती क्योंकि सेन्सस करने के लिए कर्मचारी मिलिटरी एरिया में नहीं जा सकते। द्वारका, बेट द्वारका विश्व के प्रसिद्ध यात्राधामों में एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राज्य किया। श्री कृष्ण सखा श्री सुदामा जी ने श्री कृष्ण को जहां चावल भेट में दिये थे एवं जगदगुरू शंकराचार्य की द्वारिकापीठ है-जहां यात्रियों की रोज बारह हजार की जनता की आबादी आती-जाती है।

मैंने भी बहुत बार संसद के अंदर-बाहर मामला उठाया। वित्त, गृह, कार्मिक मिनिस्टरों को पत्र लिखे, मिलने गया, डेपुटेशनों के साथ एक ही जवाब मिलता है कि 1991 की सेन्सस के अनुसार आबादी 3.75 लाख से कम है। अब आबादी साढ़े पांच लाख से ज्यादा हो गई है। हमने स्पेशल केस गिन कर बी-2 अपग्रेडेशन करने को कहा जैसे जम्मू एवं हरियाणा, उ.प्र. एवं कुछ अन्य राज्यों के शहरों को 4 लाख की आबादी न होने के बावजूद बी-2 अपग्रेड किया है तो जामनगर शहर को बी-2 क्यों अपग्रेड स्पेशल केस गिनकर नहीं किया जाता। यदि बी-2 जामनगर को नहीं किया गया तो जामनगर में जबरदस्त आंदोलन होगा।

मेरा वित्त मंत्री, गृह, कार्मिक एवं श्रम मंत्री से तथा केन्द्र से प्रार्थना है कि स्पेशल केस समझकर जामनगर को तुरन्त ही बी-2 अपग्रेड किया जाये।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के शिक्षुओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर प्रभाग भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है जहां से प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस अभ्यर्थियों को अभी तक सेवायोजित नहीं किया गया है जबकि विगत वर्षों में अनेक लोग सेवा निवृत्त हो चुके हैं जिनके स्थान पर केजुअल/ठेकेदारी प्रथा अपनाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप यह प्रशिक्षित अभ्यर्थी ओवरएज होते जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय का भी इस विषय पर स्पष्ट निर्णय अपील संख्या 4347-54 वर्ष 1990 में दिनांक 12 जनवरी, 1995 को आ चुका है जिसके अनुरूप प्रशिक्षित अप्रेन्टिस की नियमित नियुक्ति में लिखित एवम् साक्षात्कार परीक्षा आयु तथा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को शिथिल कर वरिष्ठता क्रम के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर सेवायोजित किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय भी 15 फरवरी, 1995 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रतिष्ठानों को निर्देशित कर चुका है परन्तु खेद का विषय है कि एच.ए.एल. कानपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों की घोर अवज्ञा की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित अप्रेन्टिस दर-दर भटक रहे हैं एवम् अपने भविष्य के प्रति निराश होने लगे हैं।

मेरा रक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि इस विषय की ओर व्यक्तिगत ध्यान दें एवम् पीड़ित अभ्यर्थियों एवं एच.ए.एल. कानपुर में तत्काल सेवायोजित करने का निर्देश देकर न्याय सुरक्षित करे।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा रीवा (मध्य प्रदेश) के मेडिकल कालेज की मान्यता को समाप्त न किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.) की मान्यता को खत्म करने का अल्टीमेटम मेडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने गत वर्ष दिया है क्योंकि यहां पर्याप्त स्टाफ और आवश्यक मेडीकल उपचार के संयंत्र नहीं हैं। उस पुराने महाविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर और रीडर या तो त्यागपत्र दे चुके हैं या फिर लम्बी छुट्टी पर हैं। आधे से अधिक यहां से स्थानांतरण के प्रयास में संलग्न हैं। मेडीसिन सर्जरी, एनाटामी, पैथोलाजी, एनस्थीसिया, आर्थोपेडिक, फिजियोलाजी जैसे डिपार्टमेंट बिल्कुल प्रोफेसर और व्याख्याताविहीन हैं। मेडीसन विभाग में ई.सी.जी. की मशीन तक नहीं है। जो है, वह बिगड़ी हुई है। विगत साल भर में एक भी बड़े आपरेशन नहीं हुए। छात्रों और शिक्षकों की हड़ताल और विशेष आग्रह पर अभी तक मान्यता रद्द तो नहीं हुई लेकिन जिन कारणों से मान्यता रद्द करने का अल्टीमेटम मेडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने दिया था उसकी राज्य शासन ने अभी तक पूर्ति नहीं की। राज्य शासन ने न तो अभी तक विभागाध्यक्षों, रीडरों और व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति की और न आवश्यक उपकरणों की ही व्यवस्था की। इससे मेडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने पुनः अल्टीमेटम दिया है कि वह मेडीकल कालेज रीवा की मान्यता इस वर्ष समाप्त कर देगी। रीवा संभाग का मुख्यालय है और पूर्व में विन्ध्य की राजधानी रहा है। अस्तु केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रह है कि वह राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश प्रदान करे और वहां स्टाफ और उपकरण की कमी की पूर्ति कराकर मेडीकल कालेज रीवा (म.प्र.) की मान्यता के समाप्त होने से समय रहते बचाए।

(चार) सिंचाई प्रयोजनों के लिए बूंदी और टोंक जिलों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में बीसलपुर बांध को उसके मूल स्वरूप में लाने की आवश्यकता

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : महोदय, वर्ष 1944-45 से 1963 तक चले सर्वेक्षण के मुताबिक राजस्थान की देवली, नैनवां, उनियारा तहसीलों के विभिन्न ग्रामों की कृषि भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से बीसलपुर बांध की नहरों का ग्राम टोकरावास, करवाड (टोंक) कोरमा. देई, खजूरी (बूंदी) होकर निर्माण किया जाए। टोकरावास एवं कोरमा के मध्य पथरीली भूमि की कटाई करके नहर निकालकर 360 ग्रामों की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जानी थी। जयपुर की पेयजल समस्या निराकरण के लिए चम्बल नदी का पानी प्रस्तावित इसरदा बांध में डालकर लिफ्ट के जरिए पहुंचाया जाना है। अब बीसलपुर परियोजना का स्वरूप बदलकर जयपुर को पेयजल पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयास किसान विरोधी हैं तथा राष्ट्रीय हित में नहीं है। बांध के डूब क्षेत्र के निवासियों के लिए बनाई गई आवासीय कालोनियां आबादी क्षेत्र से दूर तथा पूर्णतः अविकसित एवं मानवीयता के खिलाफ हैं। क्षेत्र की आम जनता समय-समय पर आंदोलन करके अपना रोष भी प्रकट कर चुकी है।

[श्री रामनारायण मीणा]

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बूंदी जिले की नैनवां तहसील के 56 गांवों को वापिस परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। बांध कैचमेट क्षेत्र में एनीकट निर्माण बाबत जारी आदेश निरस्त किए जाएं जो ग्राम विभिन्न छोटे बांधों गलवा आदि से पूर्व से ही सिंचाई सुविधा ले रहे हैं उनको इस परियोजना से बाहर रखा जाए तथा जयपुर की पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण के लिए चम्बल नदी से पेयजल योजना बनाई जाए।

(पांच) पूना जिले में शेलारवाड़ी गांव में रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिगृहीत भूमि को किसानों को वापस लौटाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल (खेड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान ग्राम शेलारवाड़ी, देहू रोड, पूना छावनी जिले के 125 गरीब किसानों की कतिपय परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण के कारण हुई दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। 1941 से पूर्व में किसान इस खेती योग्य परती भूमि के मालिक थे। लेकिन विश्वयुद्ध-II के दौरान ब्रिटिश रक्षा प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 4.10.41 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 824 ओ.आर./41 के द्वारा उनकी इस आजीविका को छोड़ लिया। 1948 में उनकी कृषि भूमि पट्टे पर किसानों को दे दी गई थी। पट्टे पर दी गई कृषि भूमि का कब्जा 1948 से 1989 तक किसानों के पास था। लेकिन 1989 में फिर इस भूमि को रेड रोज प्रोजेक्ट के उद्देश्य से रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.1.89 के उनके पत्र संख्या एल/220 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और इस भूमि को किसानों द्वारा पट्टे पर लेने के लिए असम्भव बनाने हेतु पुनर्वर्गीकृत किया गया था। जिस परियोजना, के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था उसे तमिलनाडु को स्थानांतरित कर दिया गया और यह भूमि पिछले दस वर्षों से बंजर पड़ी है। किसानों ने इस भूमि को उन्हें आबंटित करने हेतु तत्कालीन रक्षा मंत्रियों और प्रधानमंत्री को अनेक बार अनुरोध किया है।

अत: मैं सरकार से इस मामले की ओर सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देने और उक्त भूमि को उन्हें देकर शेलारवाडी के किसानों के साथ न्याय करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) क्षेत्रीय चैनल (डी.डी.-8) पर दिन में दो बार तेलुगु समाचार प्रसारित किए जाने की आवश्यकता

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, निम्नलिखित के संबंध में मंत्री जो को चार प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे और मंत्री जी से शीघ्र इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है:

(क) कि आंध्र प्रदेश में प्रतिदिन क्षेत्रीय चैनल तेलुगु में दो समाचार प्रसारित कर रहा था। लेकिन दूरदर्शन में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण यह केवल एक बार शाम 7.00 बजे ही प्रसारित कर रहा है।

(ख) आंध्र प्रदेश में ग्रामीण लोग भारत में और विश्व में चारों ओर क्या हो रहा है, के बारे में जानना चाहते हैं और दूरदर्शन चैनल ग्रामीण लोगों जोकि अब नवीनतम जानकारी से वंचित हैं में बहुत लोकप्रिय है।

(ग) मैसर्स वीडियोमेटिक्स, हैदराबाद, वीडियो कार्यक्रम के निर्माताओं ने तिरुमाला तिरूपति देवास्थानम्स बालाजी मंदिर के लिए दो अन्य निगमित क्षेत्रों, कुछ धारावाहिक बनाने के अलावा दूरदर्शन हैदराबाद के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों और कुछ धारावाहिक और कमीशंड कार्यक्रमों का निर्माण किया है। उन्होंने प्रायोजक आधार पर डी.डी.-8 चैनल के लिए तेलुगु में समाचार प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(घ) संभावित प्रसारण समय प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 3.15 बजे अथवा अपराह्न 9.15 बजे है और यह संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए होगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आंध्र प्रदेश में आम ग्रामीण जनता के हित में, इन प्रस्ताव का उन लोगों पर गहरा प्रभाव होगा जिन्हें विश्व सूचना से अलग-थलग कर दिए गए हैं।

(सात) नॉन ओ.वाई.टी. कोटे से टेलीफोन के आबंटन के लिए जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट और चेयरमैनों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : यह जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों में जनता के प्रतिनिधियों को दी गई टेलीफोन सुविधाओं से संबंधित मामला है। अब नॉन ओ.वाई.टी. कोटे से आबंटन को नगर-पालिकाओं और निगमों के परिषद् सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है।

महोदय, हमारे देश में विकेन्द्रीकरण का नारा दिया जा रहा है। केरल में एल.डी.एफ. सरकार लोगों द्वारा शुरू की गई योजनाओं

साथ सुचारू रूप से चल रही है। यह योजना केरल सरकार सहायता से लोगों द्वारा चलाई गई है। पंचायत सभाएं इन जनाओं के आधार पर हैं।

अब पंचायतों में लोगों के प्रतिनिधि दिन-प्रतिदिन के कार्यों सम्बन्ध में और सूचना एकत्रित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्प्रेषण करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं।

अत: मेरा सरकार से नॉन-ओ.वाई.टी. कोटे से टेलीफोन आबंटन के लिए जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन को शामिल करने का अनुरोध है।

(आठ) हरदोई उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई) : अध्यक्ष महोदय, हरदोई (उ.प्र.) के विधान सभा क्षेत्र विलग्राम में राम गंगा व गंगा नदी के मध्य बसे 29 गांवों के मकान व कृषि योग्य भूमि हर वर्ष बाढ़ के कारण बह जाते हैं जिससे सैंकड़ो ग्रामीण अपनी गृहस्थी समेत बेघर हो जाते हैं जिसमें मुख्य गांव अर्जुनपुर, बेथर, अखल, तिवारी पुरवा, गढ़िया, करनपुर और लिकापुर इत्यादि हैं।

अत: उनके रहने व खाने पीने और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की रहती है लेकिन उनकी ओर से गरीब ग्रामीणों की कोई देखभाल नहीं की जाती। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि बेघर ग्रामीण के साथ उचित न्याय करें और उनकी सही रूप से व्यवस्था करें।

(नौ) ग्रेनाइट खनन कार्य को उद्योग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.पी. मुनूसामी (कृष्णागिरी) : ग्रेनाइट खनन कार्य का व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा लगभग दो दशक पहले पता लगाया गया और अपने बूते पर इसका उत्पादन और विपणन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य अथवा केन्द्रीय सहायता के बिना किया।

ग्रेनाइट केवल दूरदराज के गांवों में और अंत:स्थलों पर उपलब्ध हैं। खान उद्योगों की अर्थक्षमता के बारे में एक भी परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं। खान की सफलता पूरी तरह उनके भाग्य पर निर्भर करती है। यदि खान का स्वामी 10 खानों का पता लगाने और उन सभी के प्रचालन में समर्थ हो जाता है तो वह केवल एक या दो खानों में ही सफलता प्राप्त कर सकता हैं। इस उपलब्धि के लिए उसे अपनी भारी धनराशि निवेश करनी होती है और उसे प्रकृति का तथा सरकार की बदलती नीतियों का भी सामना करना पड़ता है। इस समय, यह उद्योग विभिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न नीतियों के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है।

यही केवल ऐसा एक उद्योग हैं जो सम्पूर्ण देश के 10 लाख निरक्षरों, अपने स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार देता है। सरकार को ग्रेनाइट से प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 1500 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए, मैं भारत सरकार से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं:

1. खनन कार्य को उद्योग के रूप में घोषित किया जाए।
2. प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय मानक पर उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए इस उद्योग को शत प्रतिशत ईओ.यू. दर्जा दिया जाना चाहिए।
3. सम्पूर्ण देश में बिना पूर्व शर्त के एक समान नीति तैयार की जाए।
4. खनन सर्वेक्षण और संबंधित कार्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समान प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(दस) डी.सी.एम. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लेन-देन की जांच किए जाने तथा जमाकर्ताओं को देय राशियों का प्रति संदाय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, कम्पनी विधि बोर्ड ने 17 जुलाई, 1998 के आदेश द्वारा डीसी.एम. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 49,005 जमाकर्ताओं को 76 करोड़ रु. की राशि अदा कराने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। आदेशानुसार, 5000/- रु. तक की सभी जमाराशियों का भुगतान देय ब्याज के साथ परिपक्वता अवधि समाप्त होने पर किया

[श्री के. येरननायडू]

जाएगा। 25,000/- रु. से अधिक की जमाराशियों के मामले में उक्त की अदायगी परिपक्वता की तारीख से चार वर्ष के भीतर, 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी और पूरी अवधि के ब्याज का भुगतान अंतिम किस्त के साथ किया जाएगा।

डी.सी.एम. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 17 प्रतिशत ब्याज का प्रस्ताव करते हुए 1996 में 'बिल्स री-डिस्काउन्टिंग स्कीम' का व्यापक प्रचार किया था और जमाराशियां स्वीकार की थीं। उसने 1,00,000/- रु. की न्यूनतम जमाराशि का आग्रह किया था और जमा रखने की अवधि 90 दिन थी। कई मध्यवर्गीय लोग योजना में शामिल हुए थे। उनको 17 प्रतिशत ब्याज के प्रस्ताव और 90 दिनों में जमाराशि की वापसी के वायदे का आकर्षण था। डी.सी.एम. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने न केवल अगस्त, 1997 से अपने भुगतानों में धोखाधड़ी की बल्कि जब कम्पनी विधि बोर्ड ने पाया कि उसकी 'बिल्स री-डिस्काउन्टिंग स्कीम' अनियमित थी तो उसने बहाना किया कि ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। वह जमाराशियों को योजनानुसार पश्च तिथि वाले मियादी जमा में परिवर्तत करता रहा है। चार वर्षों में 25,001/- रु. से अधिक की जमाराशियों की अदायगी की अनुमति देने वाला कम्पनी विधि बोर्ड का आदेश कई मध्यमवर्गीय जमाकर्ताओं को निर्धन बना देगा। उन्हें गत वर्ष के दौरान देय धनराशि का भुगतान न होने के कारण पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। कई जमाकर्ता चौहत्तर वर्षीय आयु वर्ग के सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं। निरंतर मुद्रास्फीति से उनके धन का मूल्यह्रास भी हो जाएगा।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके जमाकर्ताओं को उनके धन की ब्याज सहित अदायगी तत्काल सुनिश्चित करनी चाहिए।

(ग्यारह) चेन्नई-अराकोणम ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में कटपाडी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.टी. षणमुगम (वेल्लौर): महोदय, चेन्नई शहर वहां हर रोज आने वाले कई यात्रियों का गन्तव्य स्थान है। कटपाडी और उसके आस-पास से लगभग 5000 लोग कार्यालय आने, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कालेज, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों से रोज चेन्नई जाते हैं। तथापि, मात्र 130 कि.मी. के कटपाडी-चेन्नई क्षेत्र में पर्याप्त ई.एम.यू. रेलगाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। मुम्बई-पुणे क्षेत्र में हर 5-10 मिनट में रेलगाड़ियां हैं। कटपाडी के यात्रियों को असुविधा होती है। ई.एम.यू. रेलगाड़ियां चलाने से समस्या हल हो जाएगी। चेन्नई-अराकोणम ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को कटपाडी तक चलाया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.57 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

महिलाओं पर अत्याचार

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 3 पर चर्चा आरम्भ करेगी। डा. प्रभा ठाकुर अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को महिलाओं पर उत्पीड़न से संबंधित विषय पर चर्चा चल रही थी, परन्तु अन्य सरकारी कार्य व्यवहार होने के कारण मुझे रोक दिया गया था और आज उसी चर्चा को जहां से मैंने छोड़ा था, उससे आगे मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के बारे में बात करते हुए आज हम यह सभी जानते हैं कि यह एक बड़े दुख और अफसोस का विषय है कि जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता जा रहा है, कहने को तो देश विकास और प्रगति कर रहा है, लेकिन महिलाओं के ऊपर आज अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वे दहेज-हत्या संबंधी हों, चाहे वे बलात्कार संबंधी हों और चाहे यौन शोषण को लेकर हों। इनमें भी उसी गति से, बल्कि उससे भी अधिक 21 प्रतिशत, लगातार प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके लिए मुझे मोटे रूप से तीन कारण समझ में आते हैं। पहला, महिलायें आर्थिक रूप से कमजोर होती है; दूसरा, शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं और तीसरा, रूढ़िवादी संस्कारों से ग्रस्त होती है। ये संस्कार उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि उनके पति तो परमेश्वर है और परिवार में ही स्त्री को रहना चाहिए। परिवार ही उनका घर है और घर में रहने से उनकी इज्जत है। इस तरह की बातें भी समाज में शोषण के लिए विवश करती हैं। मोटे तौर पर अगर हम स्त्री के शोषण के बारे में बात करें, चिन्ता करें, महसूस करें, तो ये तीन बातें - आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और दैहिक शोषण-समझ में आती है। स्त्रियां अधिकांश रूप से आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, आज के बीजनेस में आइटम नम्बर 15 में लिखा है:-

[अनुवाद]

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की स्थिति के संबंध में श्री भुवनेश्वर कालिता और श्री समर चौधरी चर्चा आरम्भ करेंगे।"

[हिन्दी]

इसे चार बजे लिया जायेगा। मेरा निवेदन है कि इसको परसों तक पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि वीमेन एट्रोसिटीज पर कई माननीय सदस्यों ने बोलना है। आज शायद ही माननीय होम मिनिस्टर जवाब दे पायें और अभी पांच बजे कैबिनेट की मीटिंग हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसे पांच बजे तक चलायें और उसके बाद कल कन्टीन्यू करें। उसके बाद बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक पांच बजे लें ले और उसको कन्टीन्यू करा दें। यह मेरा सुझाव है।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा समझती है कि आज की कार्यसूची की मद संख्या 15 को परसों तक स्थगित किया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: कार्यसूची की मद सं. 15 को परसों तक के लिए स्थगित किया जाता है।

अब मैं डा. प्रभा ठाकुर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर स्त्रियों के शोषण को हम तीन भागों में रख सकते हैं। जब तक स्त्रियों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाएगा, ऐसे कानून नहीं बनाये जायेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं महिलाओं के बारे में कुछ कह रही हूं। जब तक स्त्रियों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाया जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वीमैन-लिब की हम देश में बात कहते हैं, इस स्थिति में वीमेन-लिब की कल्पना भी पूरी नहीं हो सकती है। स्त्रियों को आर्थिक आजादी दिलाना सरकार का दायित्व है और इस संसद का दायित्व है। ऐसे नियम, कानून और अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिएं कि महिलायें आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। शिक्षा की दृष्टि से भी महिलाओं को समर्थ किया जाना चाहिए। इसके लिए गांवों तक महिलाओं के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां तक लड़की पढ़ना चाहे, उसको वहां तक पढ़ने के अवसर मिल सकें। कोई भी माता-पिता यह साहस नहीं कर पाता है कि गांव से बाहर जाकर दूसरी जगहों पर लड़कियां पढ़ सकें। हमें यह देखना चाहिए कि जो लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं, उन्हें किस प्रकार शिक्षा सुविधा मिले। बजट में भी महिलाओं की शिक्षा के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इससे कमजोर, शोषित गांव में रहने वाली लड़कियां वंचित न रहें। लड़कियों को जितनी शिक्षा मिलेगी, उतनी ही वे रूढ़िवादी संस्कारों से बाहर आयेगी और आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर होने की दिशा में उन्हें मार्ग मिलेगा। यह सत्य है कि समाज में लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को

अपराह्न 4.02 बजे

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए*]

दिखा रही हैं और लड़कों से आगे बढ़कर ही हैं। हर क्षेत्र में स्त्रियों ने प्रमाणित किया है कि वे पूरी योग्यता के साथ कार्यकुशलता के साथ कार्य कर रही हैं और सक्षम हैं। उनको अवसर दिए जाने चाहिएं, ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें।

गांधी जी ने कहा था कि एक पुरुष यदि शिक्षित होता है, तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और यदि एक स्त्री शिक्षित होती है, तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। मैं कहना चाहूंगी कि श्रमिक महिलाओं की दुर्दशा है, उन्हें कानून में प्रावधान होने के बावजूद भी पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। उनकी गरीबी और अशिक्षा का नजायज फायदा उठाते हुए उनका शोषण किया जाता है। उनका देह शोषण किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि काम करने के स्थान पर महिलाओं का शोषण न हो। इसके दिशा-निर्देश दिए हैं, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि इन गरीब या श्रमिक महिलाओं को इस दिशा निर्देश का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि गांवों की अशिक्षित महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें हाथ के काम सिखाए जाये, ताकि वे हाथ के रोजगार आरम्भ कर सके और अपनी आजीविका चला सकें। साथ ही जब उनके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए और अपना जीवन अकेले जीना पड़े, तो वे आर्थिक रूप से लाचार न हो और मजबूर न होना पड़े। आर्थिक रूप से सक्षम करने की बात मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि सृष्टि

[डा. प्रभा ठाकुर]

में स्त्री और पुरुष जीवन-गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। इन दोनों पहियों पर ही परिवार की गाड़ी चलती हैं। यदि इस गाड़ी में एक पहिया पूरी तरह स्बल हो, सशक्त हो और एक पहिया कमजोर हो, तो गाड़ी कैसे चल सकती है। यदि गाड़ी घसीटते हुए चलेगी, तो काम नहीं चल सकेगा। मैं इस बात को सदन में कहना चाहती हूं कि इस देश में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और दबी हुई है। उसके बारे में एक विचार यह भी होना चाहिए कि जिस तरह सदन में महिलाओं को आरक्षण देने के विषय में विचार हुआ, उसी तरह इस वर्ग को अगर आप ऐसे आरक्षण देते हैं तो चंद महिलाओं को आरक्षण मिलता है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि महिलाओं को नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाए। नौकरियों में उनका आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जाए ताकि देश की लाखों-करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हों और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का, अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिले, इस तरह उन्हें एक सहयोग मिल सकेगा। इस प्रश्न पर भी सदन में विचार होना चाहिए कि महिलाएं केवल लोक सभा या राज्य सभा में ही नहीं बल्कि नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण दिया जाए। मानसिक रूप से जिस तरह महिलाओं का शोषण होता है, उसकी स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है।

महोदय, जयशंकर प्रसादजी महाकवि हुए हैं। उन्होंने लिखा है- "नारी तुम केवल श्रद्धा हो," लेकिन आज हम स्त्री को केवल ग्लोरीफाई करके, महिमा मंडित करके, उसे देवी शक्ति कह कर बहला-फुसला नहीं सकते। हकीकत यह है कि जो स्त्री आज समाज में परित्यक्ता है, विधवा - नि:संतान है, कमजोर है या उपेक्षित है, उसकी समाज में क्या स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। उन्हें सीमित राशि में गृहस्थी का बोझ ढोना है, अपनी संतान को पाल-पोस कर बड़ा करना है, सारे परिवार का उत्तरदायित्व निभाना है, घर में आने वाले सभी लोगों का मान-सम्मान रखना है। वह सुबह से शाम तक काम करती हैं, बल्कि कई जगह महिलाएं दोहरा उत्तरदायित्व निभा रही हैं।

अपराह्न 4.08 बजे

[**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

गांवों में भी स्त्रियां पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला कर कृषि के क्षेत्र में काम करके बराबर योगदान दे रही है। शहरों में अनेक स्त्रियां नौकरी करके कमा कर लाती हैं और घर परिवार का दायित्व भी संभाल रही हैं। इन तमाम स्थितियों के बावजूद उनकी वास्तविक स्थिति यह है कि उसे कई तरह से दबाया जाता है। आज भी गांवों में ये शोषित होती हैं। कमजोर वर्ग की स्त्रियों को निर्वस्त्र घुमाए जाने के हादसे हमारे सामने आते रहते हैं। जिस तरह यह विधेयक महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर हमारे सामने आया है, इसने केवल इस देश की महिलाओं को मानसिक उत्पीड़न ही दिया है, क्योंकि जिस तरह इस पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने विपक्ष के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल कर अपने हाथ धो लिये, जैसे इनका दायित्व पूरा हो गया और अब विपक्ष का दायित्व है कि यह महिला विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराए या उसे पेश कराए। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष की इसके पीछे इच्छाशक्ति नहीं है, क्योंकि अगर इच्छाशक्ति होती तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि यह बिल यहां पेश न होता। हमारे कांग्रेस नेता, माननीय राजीव गांधी जी की इच्छाशक्ति थी, इसलिए नगर परिषदों और पंचायतों से संबंधित बिल लागू भी हो गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए, जब आपको मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा।

डा. प्रभा ठाकुर: मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सरकार में बैठे लोगों की होती है। वह जिम्मेदारी दूसरों पर डाल कर उससे मुंह मोड़ लेना, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई गंभीरता नहीं है। मैं महिलाओं से कह रही हूं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं। मैंने विधेयक को देखा, पूरे देश ने देखा और प्रेस ने भी देखा कि उधर से महिलाएं समर्थन दे रही हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यदि सरकार की इसके लिए गंभीर इच्छाशक्ति और नीयत है तो जो सदन की और जनता की भावना है उसके अनुरूप कमजोर वर्गों को भी उसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सोनिया गांधी जी को चिन्ता है, उसके अनुरूप महिलाओं की और सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए महिला विधेयक को भी इस आश्वासन के साथ लाएं, हम उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहती हूं कि ...*(व्यवधान)* मान्यवर, मैं महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न के सवाल पर ही बात कर रही हूं। इसमें मैं सदन का पूरा सहयोग चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): सभापति जी, पचास साल तक कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम यह बिल लाए हैं।

डा. प्रभा ठाकुर: मैं स्त्रियों के मानसिक उत्पीड़न के संबंध में बात कर रही थी। ...*(व्यवधान)* महिलाएं सब समझती हैं, वे अब अनजान नहीं हैं। मैं महिलाओं के दैहिक शोषण की बात कर रही थी। चाहे राजस्थान हो या कोई और प्रदेश, हमारे लिए यह दुर्भाग्य और चिंता की बात है कि राजस्थान जिसे वीर भूमि कहा जाता है वहां भा.ज.पा. के 9 वर्ष के शासन में जिस तरह से महिलाओं के शोषण में, अनाचार में, उत्पीड़न में, बलात्कार में, दहेज में, हत्या में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है वह हमारे लिए शर्म का विषय है। ...*(व्यवधान)* इसमें चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हिमाचल हो ...*(व्यवधान)* मैं केवल समस्या ही नहीं रख रही हूं, साथ में कुछ समाधान भी बताना चाहती हूं।

श्रीमती भावना कर्दम दवे: राजस्थान में तो सी.बी.आई., की इंक्वारी की डिमांड की गयी है, मध्य प्रदेश में तो कुछ नहीं किया है। आप किसी एक क्षेत्र के बारे में मत कहिये, राजनीति को बीच में मत लाइये, महिलाओं की ही बात कीजिए।

डा. प्रभा ठाकुर: मैं महिलाओं की ही बात कर रही हूं। चाहे राजस्थान का भंवरी देवी कांड हो, जे.सी. बोस कांड हो या नीलू राणा कांड रहा हो, जिसमें बलात्कार के बाद हत्या की गयी। उसमें पुलिस के अधिकारियों का क्या रवैया रहा है? जो जांच अधिकारी है वह कहता है कि वह लड़की ही चरित्रहीन थी, वह लड़की रात को घर से बाहर क्यों निकली? यह तो वहां के जांच अधिकारी की बात है। मैं इस सदन में कहना चाहती हूं और गृह मंत्री जी की उपस्थिति में कहना चाहती हूं कि क्या कारण हैं कि ऐसे हादसे समाप्त होने के बजाए, कम होने के बजाए बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण साफ है कि ऐसे तमाम हादसों में, मैं राजस्थान की बात कर रही हूं, इनमें बी.जे.पी. राजनेताओं के रिश्तेदार, कहीं विधायक ...*(व्यवधान)* यह मैं नहीं कह रही हूं, सभापति जी, यह सच्चाई है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे: आप राजनीति मत करिये, आप ऐसी बातों में पड़ेंगे तो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप शांत रहिये।

डा. प्रभा ठाकुर: मीडिया ऐसी तमाम घटनाओं को समाज के सामने लाया है। मैं पूछना चाहती हूं कि इन तमाम घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? यह इसलिए हो रही है क्योंकि जांच अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है, उनसे जवाब-तलब नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें और तरक्की दे दी जाती है। आप आंकड़े मंगवाकर देख लीजिए। चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या और कोई राज्य हो कि कितने प्रतिशत दोषियों को सजा हुई है। पांच-दस प्रतिशत दोषियों को भी सजा नहीं होती है। इसीलिए अपराधियों के हौसले बलंद होते हैं और उन्हें लगता है कि हम तो धन-बल से, सत्ता-बल से और भुजबल से छूट जाएंगे तथा मिलीभगत से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए उनका हौसला बढ़ता है और ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। पुलिस वालों और अधिकारियों से जवाब-तलब के बजाए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, लाभदायक पदों पर पद-स्थापित किया जाता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं के अपमान का, दैहिक शोषण का मामला चाहे कहीं भी हो, वह किसी एक प्रदेश का मामला नहीं होता। वह पूरे देश का मामला है, पूरी स्त्री जाति के सम्मान का मामला है। उसे इस दृष्टि से देखा जाये।

सभापति महोदय, अंत में इतना ही कहूंगी कि स्त्री जाति को मजबूत करने के लिये और उनको पूरा संरक्षण देने के लिये केवल सदन में अपनी बात कहकर अपना दायित्व पूरा न कर ले, संविधान में सशोधन करके, विधेयक या कानून बनाकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त न हो जाये बल्कि यह देखें कि पीड़ित महिलाओं को कानून से न्याय मिल रहा है या नहीं? जब तक महिलाओं को कानून का लाभ नहीं मिलेगा, संरक्षण नहीं मिलेगा और जब कहा जाता है कि कानून में सुई के बराबर छेद हो तो भी हाथी निकल जाता है, इस छेद को बंद करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ताकि ये गुनाह के हाथी न निकल पायें, इसके लिये क्या कार्यवाही करेंगे। नारी देवी नहीं, केवल शक्ति नहीं, वह अर्द्धांगिनी है, उसे आधा अधिकार मिलना चाहिये। हम इस देश की 50 प्रतिशत आबादी हैं, हमें आधा अधिकार मिलना चाहिये, पति की आधी सम्पत्ति का हिस्सा मिलना चाहिये। हमें आधी हिस्सेदारी चाहिये और नौकरियों में आरक्षण मिले तथा शिक्षा में उन्नति मिले, यही हमारी मांग है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): सभापति महोदय, इस सदन में नियम 193 के अधीन महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित चर्चा आई है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

यह बात सच है कि महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित चर्चा इस सदन में पहली बार नहीं आई, इसके पहले भी चर्चा हर साल होती आई है। हम लोग चर्चा इसलिए करते हैं कि उस पर कुछ कार्यवाही हो लेकिन तकदीर में जो है, वही होता है। इसके पहले दो बड़े लीडर्स ने भाषण दिये हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर थे। मैं भी चाहती हूं कि इसमें राजनीति को शामिल नहीं करना चाहिये। यह दुख की बात है कि जब देश में चुनाव होते हैं तो

[कुमारी ममता बनर्जी]

बड़ी-बड़ी पार्टियां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का वायदा करती है और वोट मांगती है लेकिन यहां आने पर वे महिला बिल को इंट्रोड्यूस नहीं होने देते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे इस हाउस में 2-4 दिन देखने का मौका मिला है। केवल महिला सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। हालांकि मैं नारीवादी नहीं हूं ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दें। केवल कुछ सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): हमने तो बहुत सपोर्ट किया था।

कुमारी ममता बनर्जी: इसलिये बिल इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। अगर बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले इसका यह फेट है तो बाद में क्या होगा। यदि आप बिल पास नहीं होने देना चाहते हैं तो इसको डस्टबिन में फैंक दिया। महिला आरक्षण विधेयक हमारे घोषणापत्रों में किया गया एक वायदा है। आप बिल में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन कैसे देंगे? आप पब्लिक को भड़काते हैं और आम जनता से झूठा वायदा करके वोट लेते हैं। यह असंसदीय है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मुझे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए था। जनता को भड़काते हैं कि वोट दो और यहां पर आपने वुमैन्स बिल इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। यह सच है कि बी.जे.पी. को वुमैन एम.पीज़ ने मुझे सपोर्ट किया, महिला बिल को लाया गया लेकिन दुख की बात है कि

[अनुवाद]

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यह सहमति थी कि इस बिल को पारित किया जाएगा। वामपंथी इसका पूर्णतया समर्थन नहीं करते। उसके बाद आपके मुख्य मंत्री ने कहा था कि वे अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देने के पक्ष में हैं। उन्होंने यही कहा था। मुझे सभा को गुमराह नहीं करना है।

कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सहमति थी कि वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया; उन्होंने देश की महिलाओं का साथ छोड़ दिया। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों किया? हर कोई हंसा था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर: हम इसका प्रतिवाद करते हैं। यह बिल्कुल गलत बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को सपोर्ट किया था।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : उसे पुरःस्थापित नहीं किया गया। हम चाहते थे कि विधेयक पुरःस्थापित किया जाए। परंतु हमें खेद है कि उसे पुरःस्थापित नहीं किया गया। क्या यह बिल हाउस में इस तरह से पेश नहीं हो सकता है?

लोकतंत्र में यदि कोई सहमति हो तो कुछ मामलों, जैसे इस महिला आरक्षण विधेयक पर आपको आम सहमति की आवश्यकता होती है। हमें यह देखकर प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वाम मोर्चा और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम और तेलगू देशम पार्टी और अन्य सहयोगी दल इसमें एक साथ हैं। हर एक ने कहा है कि 'इसे पुरःस्थापित किया जाए'।

[हिन्दी]

लेकिन क्या हुआ? बाद में सात-आठ दिन जाने के बाद बार-बार निर्णय बदले गए और इस बिल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। इस बिल में जहां तक पिछड़ी जातियों और माइनॉरिटीज को शामिल करने की बात है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अगर इसमें आप ओ.बी.सी. और माइनॉरिटीज को इन्क्लूड भी कर दें तो भी विपक्ष के लोग इसको नहीं मानेंगे। इसलिए मैं एक बात कहती हूं कि मैं तो जनरल साइड से हूं। ......मैं नारीवादी नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

महोदया, आप बोल चुकी हैं।

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर : हम आपकी बात से सहमत हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बीच में मत बोलिये।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हमने इसका समर्थन किया था; हमने इसका पूरा समर्थन किया था।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) : यदि आप सच्चे हैं तो सरकार को यह बतलाते क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर : हम आपके साथ हैं। हम भी सपोर्ट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, हमने अत्याचार होते देखे हैं। मैं कभी-कभी उनके मत का समर्थन नहीं करती हूं। किन्तु इस बार हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। इस बार हमने इस महिला विधेयक का समर्थन किया है। यह संसदीय लोकतंत्र है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमति है। यदि मैं गलत कह रही हूं तो गृह मंत्री जी स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि वे सहमत हैं और विधेयक को यथारूप प्रस्तुत किया जाए।

[हिन्दी]

अगर उसमें अमेंडमेंट लाने हैं तो वह डिसकशन के बाद हो सकता है, लेकिन एक देश के लिए यह आश्चर्य की बात है कि 50 साल की आजादी के बाद भी महिलाओं की यह हालत है। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं और सभी लोगों की तरक्की की बात करती हूं, लेकिन हमने देखा है कि महिलाएं अच्छा काम कर सकती हैं। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ है जिसमें महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। यह बात सच है कि महिलाएं ही महिलाओं से ईर्ष्या करती हैं लेकिन कोई महिला यह नहीं चाहेगी कि महिलाएं आगे न बढ़े। यह भी इसमें कुछ दिक्कत है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : आप ये कैसे कह रही हैं कि महिलाएं ही महिलाओं को नहीं चाहती हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यह हमारा मौलिक अधिकार है। मुझे इस प्रकार टोकें नहीं। मैं यह अपने दिल से कह रही हूं। मुझे बोलने दीजिए। तब मैं आपको बतलाऊंगी।

श्री पी.सी. चाक्को : यह संसद है। यदि आप समाप्त कर रही हैं तो कहिए, अन्यथा आप बोलिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं जानती हूं। मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुना है। मैंने उन्हें नहीं टोका।

श्री पी.सी. चाक्को : आपने भी इस विधेयक का समर्थन छोड़ दिया। कृपया यह समझ लें। आप नाराज क्यों हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, ठीक है, वे अप्रसन्न हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री चाक्को, बैठे-बैठे मत बोलिए। यह ठीक नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : जब हम लोग मीटिंग करने के लिए बैठे तो कहते हैं कि उनमें से इसके लिए तैयार नहीं है और इसी कारण विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। बंग्लादेश में भी 30 प्रतिशत सीटें रिजर्व हैं। कुछ अफ्रीकन देशों में तथा कुछ अन्य देशों में भी है। ...*(व्यवधान)* अट्रॉसिटीज़ के बारे में बाद में आएगा। आपको सुनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : यह भी तो अत्याचार है कि यहां महिलाओं से संबंधित बिल पर महिलाओं का इतना अपमान हुआ और आप लोग धृतराष्ट्र की तरह देखते रहे। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महिला बिल को लाने के लिए संसद में इतना हंगामा हुआ जिससे देश में यह संदेश गया कि ये लोग महिला बिल को नहीं लाना चाहते। मैं एक घटना बताती हूं। यह बात सच है कि अगर हमने इस बिल में ओबीसी और माइनॉरिटीज को भी शामिल कर लिया होता, तो भी ये लोग बिल नहीं लाने देंगे। मैं एक जगह बैठकर बात कर रही थी। एक एक्स-एम.पी. ने मुझे कहा कि महिला बिल लाने से हमारे घर में आग लग जाएगी। हमारी बहू, बेटी और बीवी में से किसको हम टिकट देंगे? हमने कहा कि क्या आप घर से बाहर की किसी महिला को टिकट नहीं दे सकते? क्या ऐसे लोग बिल लाने देंगे? लेकिन कुछ मामलों में हममें सहमति होनी चाहिए जिससे हमारे देश के लोगों में एक संदेश जाए। अगर महिला बिल का इस सत्र में एक बार इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो बिल को इंट्रोड्यूस करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसे गिर जाने दीजिए।

[अनुवाद]

इसमें गलत ही क्या है? एक बार इस विधेयक को संसद में पेश होने दीजिए और फिर अपने आप पता लग जाएगा कि कौन इसका समर्थन करता है और कौन नहीं करता है। महोदय वे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की बात तो करते हैं परन्तु वे विधेयक पेश नहीं करा सकते। इसीलिए मेरा सरकार से कहना है कि यह विधेयक इसी सत्र में जब तक कि स्वतंत्रता का पचासवां स्वर्ण जयन्ती वर्ष पूरा हो पेश किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अन्यथा आप सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगी।

कुमारी ममता बनर्जी : हम अपना समर्थन वापस नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा समर्थन पक्का समर्थक है। हम लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं लोगों ने हमें यहां पर भेजा है।

[हिन्दी]

आम जनता ने जो मैनडेट दिया है, उसके आधार पर हम सरकार में हैं। इसलिए पीपल्स मैनडेट के साथ अन्याय करना हमें नहीं आता है और न हम करेंगे! इसलिए हम सरकार को सपोर्ट करते रहेंगे लेकिन सरकार को वायदा करना चाहिए कि यह बिल सरकार जल्दी से जल्दी लाएगी!

आज महिलाओं पर अत्याचार होते हैं यह सच है। हमारे देश में बहुत से कानून हैं लेकिन उनका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। हमारे देश में अधिकतर कानून 150 वर्ष पुराने हैं। अगर हम उनको नहीं बदलेंगे, अगर उन कानूनों में संशोधन नहीं करेंगे तो न्याय मिलने में देर होगी और न्याय में विलम्ब होना, न्याय न मिलने के बराबर है। हमारे देश में बहुत से कानून हैं। मैं भी गृह संबंधी स्थायी समिति की सदस्य थी जिसमें हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन करने का काम किया था। महिला पर जो अत्याचार होता है उसमें सी.आर.पी.सी. अमेंडमेंट बिल के अनुसार कंविक्शन ठीक से नहीं होता है, इम्प्रिजनमेंट ठीक से नहीं होता है। रेप केस के बाद मेडिकल साइन्स के मुताबिक महिला का 72 घंटे के भीतर परीक्षण हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई सबूत नहीं मिल पाता है। चूंकि वे डरती हैं और ऐसा करने वालों को कोई न कोई पोलिटीकल पार्टीज शैल्टर देती हैं। मैं सभी पोलिटीकल पार्टीज से कहती हूं कि ऐसे लोगों को शरण मत दीजिए, जो रेप केस से जुड़े हुए हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बच्चों पर अत्याचार करते हैं, पोलिटीकल पार्टीज को उनकी मदद नहीं देनी चाहिए। सरकार को सी.आर.पी.सी. से संबंधित एक कानून सदन में पास करना चाहिए। सी.आर.पी.सी. अमैंडमेंट बिल में एक-एक कानून की हमने जांच-पड़ताल करके हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था, क्योंकि अगर किसी रेप केस के 72 घंटे के बाद मैडिकल टैस्ट होता है तो उसका कोई सबूत नहीं रहेगा। हमारे देश में क्या होता है। हमारे राज्य में एक महिला पर अत्याचार हुआ था, उसका नाम चंपोला सरदार है, वह एक आदिवासी महिला है। लेकिन 22 रोज के बाद अगर मैडिकल टैस्ट होता है भले सबूत को फ्रीज में रख दें, लेकिन अगर 72 घंटे लोड शैडिंग में वह फ्रीज रहेगा तो उसमें आटोमैटिकली फंगस पड़ जायेगी और उससे कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा। हमारे देश में कानून है, उसका इस्तेमाल करने के लिए स्टेट मशीनरी है, लोकल मशीनरी है, अगर वह मशीनरी राजनीति से जुड़ी हुई है तो वह मशीनरी कभी भी महिला को न्याय नहीं दे सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह केन्द्रीय सरकार का तंत्र हो सकता है। और यह राज्य सरकार का तंत्र भी हो सकता है ...*(व्यवधान)* उन्हें चिकित्सा विज्ञान की जानकारी नहीं है। 72 घंटे के पश्चात् साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि वीमेन पर अत्याचार होने के बाद एवीडेंस ठीक से हुआ है या नहीं, यह देखना जरूरी है। जब महिला पर अत्याचार होता है तो उसकी मर्यादा छिन्न-भिन्न होती है। उसके बाद पब्लिकली कहते हैं कि यह झूठी कहानी है।

सभापति महोदय : आप कंक्लूड कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : सर, मुझे तीन-चार मिनट ही दिये हैं, बाकी समय तो उन लोगों ने ले लिया। ...*(व्यवधान)* क्या आप चाहते हैं कि मैं न बोलूं।

सभापति महोदय : सबके बोलने का समय निर्धारित है, आपको 15 मिनट से अधिक होने जा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : 15 मिनट में से 10 मिनट तो अपोजीशन वालों ने ले लिये। उनका समय काटकर मुझे दे दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं होम मिनिस्टर साहब से विनती करना चाहती हूं कि हमारे यहां चंपोला सरदार नाम की एक महिला को पहले रेप किया गया, उसको बेइज्जत किया गया, लेकिन बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब झूठा है। लेकिन उसका मेडिकल टैस्ट 22 दिन के बाद हुआ। मैं इसके बारे में सी.बी.आई. जांच की मांग करती हूं। एक शबीरन बेगम का केस हुआ है। हम लोग महिला रिजर्वेशन चाहते है लेकिन म्युनेसिपेलिटी में पंयाचत में महिला रिजर्वेशन मिला है, उस महिला को नेकिड करके परेड कराई गई फिर महिला रिजर्वेशन की क्या इज्जत रह गई। शबीरन बेगम के केस के बारे में बताना चाहती हूं कि वह एक्स पार्टी हुआ था। पंचायत चुनाव में वह टी.एम.सी. की कैन्डीडेट थी, उसकी नेकिड परेड कराई गई थी। शमदाद बेगम, दामपुर, हावड़ा, उसके बाल काटकर नंगा करके घुमाया गया था, मैं उसकी भी सी.बी.आई. द्वारा जांच करने की मांग करती हूं।

सबीलन बेगन, विष्णुपुर पुलिस स्टेशन, साउथ 24, परगना डिस्ट्रिक्ट, उसका रेप करके मर्डर किया गया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चौधरी (बशीरहाट) : वह बिल्कुल गलत और असत्य वक्तव्य दे रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि यह बात सत्य नहीं है तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं और यदि यह बात सत्य हुई तो क्या वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, जो सबीलन बेगम है। उनके साथ बलात्कार हुआ है। उसकी हत्या की गई है। मैं इसकी भी सी.बी.आई. द्वारा जांच की मांग करती हूं। इसके साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या कोई भी राज्य हो, हम लोग चाहते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो वीकर सैक्शंस हैं, ऐसा कानून बने कि उनकी कोई बेइज्जती न कर सके, महिलाएं इज्जत के साथ रहें, इज्जत के साथ लड़ सकें। वीमेन एट्रोसिटीज के बारे में मैं भी कहना चाहती हूं कि महिलाओं के साथ जो रेप होते हैं तथा जो रेप करता है, व महिलाओं को डराता है। इसलिए ऐसे केसिज की ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए।

सभापति महोदय, बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुली अदालत में गवाही नहीं देना चाहती हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि ऐसे केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए और उनमें इन-कैमरा केसेस की सुनवाई हो, तभी महिलाएं अपने साथ हुई ज्यादती का सुबूत दे सकती हैं। आज महिलाओं का इंटैरोगेशन होता है, क्रांस एग्जामिनेशन होता है और ईवटीजिंग होता है।

महोदय, हमारे देश में बहुत सारे बेरोजगार नौजवान है। हर नौजवान खराब नहीं होता है, लेकिन जो समाज के बड़े-बड़े दादा है, ये समाज के नौजवानों को भड़काते हैं। आज देश में बेरोजगारी की समस्या, ड्रग एडिक्शन की समस्या बहुत बढ़ रही है और इसमें बेरोजगार नौजवान भी फंसते जा रहे हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी कैंसर के माफिक बढ़ती जा रही है। इनके ऊपर काबू पाने के लिए सोश्यल जस्टिस का कार्य प्रायर्टी पर करना चाहिए और यूथ एक्टीविटीज बढ़नी चाहिए तब कहीं इवटीजिंग की घटनाओं में कमी आएगी और महिलाओं को इससे राहत मिलेगी।

महोदय, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं इसलिए भी ज्यादा होती हैं क्योंकि महिलाओं में अवेयरनैस की कमी होती है।

[अनुवाद]

इस समय हमारे देश में केवल दो प्रतिशत महिलाएं ही नौकरी में हैं। मैं सरकार से महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण करने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

खाली प्राइमरी टीचर या नर्स की नौकरी करने का उनको मौका मिलता है।

[अनुवाद]

यदि कार्य बहुत ही कठिन है तो महिलाएं उसे नहीं कर सकती क्योंकि शारीरिक रूप से वे उतनी शक्तिशाली नहीं होती हैं। परन्तु मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वे पूरी तरह उपयुक्त होती हैं।

[हिन्दी]

लेकिन उसका कोई तरीका होता है जो बहुत भारी काम हैं वे महिलाएं नहीं कर सकती हैं। जो अच्छे काम हैं वे महिलाएं कर सकती हैं।

[अनुवाद]

नौकरी में महिलाओं को आरक्षण अवश्य मिलना ही चाहिए। मैं सरकार से महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का अनुरोध करती हूं ताकि उनका जीवनस्तर ऊंचा उठ सके, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी कर सकें और वे जनता तथा देश की सेवा करती रहें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है। अब समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, चूंकि आप मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं कुछ सुझाव देकर समाप्त करना चाहती हूं। यहां हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बहस करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिससे ये समाप्त हो सकें।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[अनुवाद]

गृह मंत्री महोदय सभी राज्यों और केन्द्र शासी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ योजना कार्यक्रम बना सकते हैं और उन्हें सही ढंग लागू कर सकते हैं। इसके बाद कानून को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक बार फिर महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का अनुरोध करती हूं। इसके अलावा जब महिलाओं से पूछताछ की जाए तो वह बंद कमरे में की जानी चाहिए। मैं यह अनुरोध भी करती हूं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए।

अंत में मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी संविधान (संशोधन) विधेयक को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में पेश किया जाना चाहिए। हमें इसके गिर जाने की परवाह नहीं है। परन्तु फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस विधेयक को सत्र की समाप्ति के पूर्व पेश करें।

[अनुवाद]

***श्रीमती संध्या बौरी** (विष्णुपुर) : सभापति महोदय, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों संबंधी चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। इस चर्चा के लिए यह उचित समय है क्योंकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार भयावह स्थिति तक पहुंच कर हमारे लिए चिंता का विषय बन गए हैं। अत्याचारों की ये घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही हैं। मैं इस संबंध में कोई आंकडे प्रस्तुत नहीं करना चाहती क्योंकि ये आंकड़े तो हमें कहीं से भी और कभी भी मिल सकते हैं। अत्याचार तो हर राज्य के हर क्षेत्र में हो रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे गुजरात हो अथवा बिहार हो, महिलाओं पर हर राज्य में अत्याचार हो रहे हैं। किसी घटना विशेष का उल्लेख कर देने मात्र से तो समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमारा इरादा इन अत्याचारों को रोकने का कोई तरीका निकालने का है।

सभापतिजी, महिलाओं पर अत्याचार की घटना हमारे समाज के लिए कोई नई बात नहीं है। महिलाओं पर प्राचीन काल से अत्याचार होते रहे हैं। हमारे पुराण, रामायण और महाभारत में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। हम रामायण में सीता के साथ हुए अत्याचार को नहीं भूल सकते। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है। इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है? राम को वनवास जाने के लिए कहा गया। सीता का वनवास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था परन्तु सीता एक पतिव्रता स्त्री थी इसलिए वह स्वेच्छापूर्वक राम के साथ बन में गई। लेकिन पति के प्रति समर्पण और पतिव्रता होने की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी? उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा। वनवास से वापस आने के पश्चात् उसे पुनः वनवास के लिए भेज दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी जनता को खुश करने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को देश निकाला देने में जरा भी संकोच नहीं किया। राम के वनवास जाते समय सीता जी राम के साथ वन में गई परन्तु सीता के अयोध्या निष्कासन के समय राम उनके साथ नहीं गए। जबकि राम को बनवास के दौरान सीता की रक्षा करने के लिए जाना चाहिए था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि उल्टे सीता के पतिव्रता होने की परीक्षा करने में जरा भी झिझक न करते हुए सीता की अग्नि परीक्षा की मांग की। आदर्श राजा राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को पुनः वनवास के लिए भेज दिया क्योंकि उनकी जनता को सीता के चरित्र पर सन्देह हो गया था। इस पर राम ने सीता की तरह वनवास जाते समय अपने पति का अनुकरण करने का उदाहरण पेश नहीं किया। आज भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। महाभारत में क्या हुआ? कौरवों की भरी सभा में वीर बलशाली पाण्डवों के सामने ही द्रोपदी का चीरहरण हुआ। विक्रमादित्य की कहानियों में हम एक खाना नाम की एक विदुषी महिला की कहानी सुनते हैं कि उसका ससुर वराहमिहिर राजा के दरबार के नौरत्नों में से एक था, जब उससे कहा गया कि तारों की संख्या बताइए, कितनी है तो वह नहीं बता सका। जब उनकी पुत्रवधु खाना ने तारों की संख्या गिन दी तो उसे विक्रमादित्य ने आदर के साथ बुलाकर राजदरबार में बिठाया। परन्तु वराहमिहिर ने उसकी जबान काट दी ताकि वह दरबार में कुछ न बोल सके। अपनी विद्वता का उसे यह इनाम मिला।

इसलिए मेरा यह कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार होने की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। ये पहले भी होती रही है और आज भी हो रही हैं। महिला विधेयक के साथ क्या हुआ है। अधिकांश राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को आरक्षण देने का वादा करते रहे हैं। आजादी के पचास वर्षों के बाद महिलाओं को विधान सभा और संसद में आरक्षण देना एक अच्छा प्रयास होता ताकि वे भी विधायिका में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक भाग बन सके। महिलाएं अभी तक घर को

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चारदीवारी में ही बंद रही हैं। हालांकि सामाजिक विकास संवर्द्धन, संसाधनों को जुटाने और उत्पादन को बढ़ावा देने की पृष्ठभूमि में उनकी अहम योगदान रहा है। परन्तु उनके इन प्रयासों को कभी महत्व नहीं दिया गया और न कभी सराहा गया। जब उन्हें पुरुषों की भांति निर्णय लेने की बराबरी प्रदान करने के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने की बारी आई तो तत्संबंधी विधेयक को सभा में पेश करने तक की अनुमति नहीं दी गई। महिलाएं अपने परिवारों में अहम भूमिका अदा करती है। वे परिवार को चलाती है। मेरे पुरुष मित्र जो अपने-अपने कर्त्तव्यों को बखूबी निभा पा रहे हैं उसका कारण उनकी पत्नियों द्वारा घरबार को सही ढंग से चलाना है। ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन और कृषि संबंधी सभी कार्यों को करती हैं। और इस प्रकार वे हमारे उत्पादन में सहयोग प्रदान करती हैं। परन्तु उनके इन कार्यों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। यह बड़ी शर्म और दुख की बात है कि पुरुष अवसरवादियों ने पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की दुहाई देकर महिलाओं को विधानसभाओं और संसद में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक का गला घोंट दिया। महिलाएं पंचायतों में सही ढंग से कार्य कर रही है। तब महिलाओं को आरक्षण देने वाले इस विधेयक के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं सरकार से जोरदार अपील करती हूं कि वह इस विधेयक को पेश करे और महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के अपने आश्वासन को पूरा करे। इन तमाम वर्षों में महिलाओं को किसी भी कार्यकलाप में शामिल होने का अवसर नहीं दिया गया। उन्हें घर की चारदीवारी में बंद करके घर के काम काज में ही उलझाए रखा गया। समाज के प्रति उनके योगदान का कभी मूल्यांकन नहीं दिया गया और न कभी उसको स्वीकारा गया। आज यहां पर एक महिला देश की एक करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए महिला विधेयक को तत्काल पेश किया जाना चाहिए ताकि हाथी के दिखाने और खाने के दांतों के अन्तर का खुलासा हो सके। जनता को पता लगना चाहिए कि कौन इसके पक्ष में हैं और कौन इसका विरोध कर रहा है। बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को अविलंब पेश किया जाए। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती कि भाजपा, कांग्रेस अथवा सीपीएम इस विधेयक के पक्ष में हैं अथवा नहीं। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती। परन्तु इतना अनुरोध अवश्य करती हूं कि इस विधेयक को तत्काल पेश किया जाए।

महिलाओं की रक्षा के लिए हमारे यहां अनेक कानून हैं। लेकिन महिलाओं की रक्षा करने वाले इतने कानूनों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार होते है। इसका कारण कानून को सही ढंग से लागू नहीं किया जाना है। कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण की घटनाएं बेहद बढ़ चुकी हैं। इसीलिए इस खतरे को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। लेकिन वह कानून कामकाजी महिलाओं की रक्षा करने में असफल साबित हुआ। इसलिए किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता। परन्तु दो-दो शादियां करना असामान्य बात नहीं है। पीड़ित पहली पत्नी दर-दर की ठोकरें खाती रहती है और उसे न्याय नहीं मिलता। उसे न्यायालय में अपने पति द्वारा दूसरी शादी करने का सबूत पेश करना पड़ता है। पति कानून की खामियों की वजह से सजा पाने से बच जाता है। किसी ग्रामीण महिला के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करना तो और भी मुश्किल होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे अपने शोषण के विरुद्ध कहां से कानूनी मदद अथवा सलाह कहां से लें। इसलिए वे दुर्व्यवहार और शोषण के मानसिक सन्ताप झेलने के लिए बाध्य होती हैं। इस प्रकार सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जन जागरुकता पैदा करना अत्यावश्यक है। महिलाओं को स्वनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्वनिर्भरता से आत्मविश्वास पैदा होगा तथा वे अन्याय से लड़ने में सक्षम होंगी। गांवों में लड़कों की तुलना में लड़कियां परिवार की देखरेख में काफी ज्यादा हाथ बंटाती हैं। अधिकांश लड़कों को किसी न किसी चीज का व्यसन होता है। वे अपनी आय का दुरुपयोग करते हैं। किंतु लड़कियां अपनी आय से योगदान करती हैं तथा आर्थिक रूप से मदद करती हैं। इसलिए यदि उन्हें नौकरी तथा अधिक आय करने के लिए ज्यादा अवसर दिए जाते हैं तो वे बहुत हद तक अपने परिवार को मदद पहुंचा सकती हैं। अतएव लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक अवसरों को खोजने की आवश्यकता है तथा लड़कियों के लिए नौकरी में अधिक आरक्षण होने चाहिए जिससे कि वे कई तरह से अपने परिवार को मदद पहुंचा सकती हैं।

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य आसमान छू रहा है। इस मूल्य वृद्धि का भार महिलाओं को वहन करना पड़ रहा है क्योंकि वे परिवार की देखरेख करती हैं। इससे महिलाओं की मन:स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किंतु परिवार की देखरेख में उनके द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कोई नहीं समझता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए, मैं अगले सदस्य को पुकारूंगा।

श्रीमती संध्या बौरी : महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। मुझे कुछ और मुद्दों का उल्लेख करना है। यदि समयाभाव है तो मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप कैसे खड़े हो गये?

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : इस पर हम लोग भी बोलना चाहते हैं। यह बात रिकार्ड में न जाये कि इस चर्चा पर पुरुषों ने भाग नहीं लिया या पुरुष एकदम महिला विरोधी हैं। हम लोग भी इस विषय पर, जो हमारा अपना दिमाग है, वे भी कुछ कहना चाहते हैं।

सभापति महोदय : बोलने पर कहां रोक है? जिन माननीय सदस्यों का पार्टी की ओर से नाम है, उनको क्रमशः बुलाया जायेगा।

श्री रामानन्द सिंह : उसमें मेरा नाम है। बी.जे.पी. की सूची में मेरा नाम है।

सभापति महोदय : नाम है तो मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती संध्या बौरी : महोदय, नवजात शिशु मत्यु-दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार 74 है तथा मातृत्व मृत्यु की दर प्रति एक लाख में 570 है। हम स्वस्थ बच्चा चाहते हैं किंतु हम खाद्य पदार्थ या पितृत्व देखरेख के लिए कोई भी चीज नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए नवजात शिशुओं व मातृत्व मृत्यु दर दोनों में वृद्धि हो रही है। ...*(व्यवधान)*

इसलिए, माताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को कोई योजना होनी चाहिए जिससे कि वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें तथा एक स्वस्थ बच्चे के रूप में उसका पोषण भी कर सकें।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बात जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं, वह मेरे राज्य में ग्रामीण महिला के साथ बलात्कार की घटना के बारे में लगाए गए आरोप हैं, किंतु यह बिल्कुल ही असत्य एवं मनगढ़न्त है। यह वोट पाने के लिए राजनीतिक अवसरवादिता है तथा यह इसलिए संभव हुआ कि कथित पीड़ित महिला आदिवासी परिवार तथा समाज के कमजोर वर्ग से आती है। मैं आदिवासी तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के नाम पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निहित लाभों तथा वोट पाने के लिए राजनीति करने की पुरजोर निन्दा करती हूं। मैं कुछ व्यक्तियों की इन नापाक हरकतों की जोरदार निंदा तथा विरोध करती हूं। कुछ वोटों की खातिर सामान्य ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिला का उपयोग किया जा रहा है। इस नापाक इरादे की निंदा की जानी चाहिए। महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

आज महिलाओं पर अत्याचार के बारे में जितनी भी संसद में चर्चा हुई, उसमें हमारी बहनें बहुत कुछ बोलीं। महिलाओं पर अत्याचार इतनी अधिक मात्रा में हो रहे हैं कि इस पर अगर हम लोग बहस शुरू करे तो शायद वर्षों में भी कम्पलीट न हो। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि जो भी आज महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, आये दिन हम पेपर में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं दहेज की, बलात्कार की, हत्याओं की महिलाओं के साथ हो रही है ...*(व्यवधान)* अगर हम अपने शिक्षा के स्तर को नहीं बढ़ाएंगे या महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाएगी तो इस तरह के अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे। मैं यह बात कहना चाहती हूं कि आज जो स्थिति है या महिलाओं पर अनेक तरह के अत्याचार जो हो रहे हैं, इसमें महिलाओं को भी अपने आप में कुछ सुधार लाना होगा। आज के आधुनिक युग में आधुनिक कही जाने वाली हमारे धनाढ्य परिवार की लड़कियां, जो ज्यादा अमीर है और छोटी ड्रैस पहनना अपने समाज की प्रतिष्ठा समझती है, यह भी हमारे प्रति अत्याचार को बढ़ावा देने वाली होती हैं, इसलिए पोशाक पर, गन्दे सीरियल या अश्लील सीरियल जो दिखाये जाते हैं, इस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए, तभी जाकर समाज में अत्याचार कुछ कम हो पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहती हूं कि आज तक तलाकशुदा महिलाओं को जो पांच सौ रुपए दिए जाते हैं, वह आज के युग में बहुत कम है और इसलिए उस राशि को पांच हजार रुपया बढ़ाया जाए। महिलाओं के लिए विशेष कानून के बारे में जो हमारी ममता दीदी ने कहा, वह भी लागू होना चाहिए। जब तक हमारे समाज में तंदूर जैसी घटनाएं, मुजफ्फर नगर की तिराहे जैसी घटनाएं होती रहेंगी तब तक यह समाज कभी सुधरने वाला नहीं है, इसलिए स्वयं को सुधारना है, तब जाकर यह समाज सुधरेगा और महिलाओं पर अत्याचार कम होंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी।

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़ी बहिन गीता बहिन जी को धन्यवाद देती हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों का नाम यहां पर हैं जिनके नाम यहां आए है। क्रम-क्रम से मौका मिलेगा।

श्रीमती उषा मीणा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी बड़ी बहिन गीता जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का प्रस्ताव रखा और साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

देश को आजाद हुए आज पचास साल हो गए परंतु हम महिलाएं इन पचास सालों में भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाई हैं। आजकल अखबारों में आप सभी पढ़ते हैं कि हम महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। छः साल की बच्ची से लेकर नब्बे साल की बूढ़ी महिलाओं पर बलात्कार हो रहे अत्याचारों की जो घटनाएं अखबारों में पढ़ने में आती हैं, जैसे दहेज का मामला है, महिलाओं का दहेज शोषण का मामला है, पूरे भारतवर्ष में हम महिलाओं पर इतने अत्याचार और महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है कि उसको यहां संसद में बैठे हुए सभी भाई बहन जानते है। हम लोग यहां तीन दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं और मेरे से पूर्व सभी बहिनों तथा भाइयों ने जो सदन में विचार रखे, उन्हें आप लोगों ने सुना। इन लोगों ने वेद और पुराण के समय से पूरा इतिहास बताया कि हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को किस रूप में पूजा जाता था परंतु मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि हम महिलाओं को पचास साल में भी आजादी नहीं मिली और शायद अगले पचास साल लग जाएंगे तब भी हम हर क्षेत्र में आजाद नहीं होंगे। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आप देख लीजिए कि महिलाओं के प्रति समाज कैसा रुख है।

आधुनिक युग में जब मां के पेट में बच्चा होता है तो तीन महीने के बाद ही सोनोग्राफी करा ली जाती है और यदि बच्ची है तो उसका गर्भपात करा लिया जाता है। इस प्रकार की मानसिकता बनी हुई है। एक घर में यदि चार लड़किया हो गई हैं तो पांचवीं बार पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसी प्रकार से चार बच्चियों के पिता को सोचना पड़ता है कि वह अपनी बच्चियों की शादी किस तरह से करेगा, यह दहेज की समस्या है। मैं आपको राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगी कि कई जगह पैदा होने से पहले ही भ्रूण में स्थित बच्ची को मार दिया जाता है और कई जगह पैदा होने के बाद मार दिया जाता है, जैसे भरतपुर में सूपा गांव में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। तथा जैसलमेर में भाटी जाति के लोग भी इसी तरह से बच्ची को मार देते हैं। बार-बार गर्भपात कराना महिलाओं पर अत्याचार है और बच्चियों की हत्या कर देना बहुत बड़ा अपराध है। पूरे देश में बलात्कार की अनेक घटनाएं हो रही हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

एक दिन में बलात्कार के 35 मामले दर्ज होते हैं। इसी प्रकार उत्पीड़न और शोषण के 220 मामले दर्ज होते हैं। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगी कि देश में 51 मिनट में एक बलात्कार, 7 मिनट में एक दंडनीय अपराध और 20 मिनट में एक महिला जला दी जाती है। ये सरकारी आंकड़े है, जो बहुत कुछ असत्य होते हैं और सच्चाई जाने तो कहीं ज्यादा होते है।

अब मैं आपको राजस्थान और भारत में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताना चाहूंगी। पूरे भारत में बलात्कार 33 प्रतिशत और राजस्थान में 55 प्रतिशत, पूरे भारत में अपहरण 11 प्रतिशत और राजस्थान में 21.7 प्रतिशत, पूरे भारत में दहेज मृत्यु 8.6 प्रतिशत और राजस्थान में 15 प्रतिशत, पूरे भारत में यातनायें 126.9 प्रतिशत और राजस्थान में 364.3 प्रतिशत, पूरे भारत में उत्पीड़न 31.7 प्रतिशत और राजस्थान में 83.6 प्रतिशत, यौन उत्पीड़न पूरे भारत में 41.2 प्रतिशत और राजस्थान में 21.2 प्रतिशत - इस प्रकार कुल अत्याचार पूरे भारत में 56.2 प्रतिशत और राजस्थान में 102.5 प्रतिशत हुए।

महोदय, इसी सदन में एक मामला उठाया गया था भंवरी देवी बलात्कार कांड जो भटेरी ग्राम में हुआ। राजस्थान के कोटा जिले में नीलू राणा बलात्कार कांड हुआ। शिवानी जडेजा कांड हुआ और शालिनी शर्मा कांड हुआ। हाल ही में जो बहुत चर्चा में आया कि एक लड़की के साथ दो बार बलात्कार किया गया। इस मामले में राजस्थान सरकार ने उस लड़की पर मानसिक तौर पर दबाव डाला, जिसकी वजह से उस लड़की ने कई बार बयान बदला। अभी गृह मंत्री जी बैठे थे, तो हमने राजेश पायलेट जी से कहा कि पूछिए की उसकी स्थिति क्या है। सदन में जीरो आवर में उठाए गए मामले पर कहा गया था कि स्थिति से सदन को अवगत करायेंगे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। यह मामला जब सदन शुरू हुआ था, उस वक्त उठाया गया था और आज सदन खत्म हो रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैं सदन को बताना चाहती हूं, चाहे बलात्कार के मामले हो, चाहे दहेज के मामले हैं, ये मामले दबा दिए जाते है, क्योंकि

[श्रीमती उषा मीणा]

इनमें उच्च अधिकारियों का हाथ होता है, चाहे ये अधिकारी पुलिस के हों, चाहे विधायक हों और चाहे मंत्रियों के पुत्र हों। इन मामलों में बड़े-बड़े लोगों का हाथ होने की वजह से इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है।

जहां तक सती प्रथा की बात है, राजस्थान में सती प्रथा का बहुत पहले से चलन है। 1985 में देवराला में रूपकुंवर सती हुई थीं। ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां उनको जबरदस्ती सती किया जाता है। उन पर मानसिक रूप से और पारिवारिक दबाव डालकर सती होने के लिए मजबूर किया जाता है। कहा जाता है कि तेरा पति तो मर गया, अब तू जीकर क्या करेगी और लोग तेरे ऊपर उंगली उठायेंगे। वह अपनी मर्जी से सती नहीं होती है, उसे जबरदस्ती सती कराया जाता है। इस तरह से अभी भी हमारी महिलाओं और बहनों पर अत्याचार हो रहे है। यह सही है कि इस बारे में कानून बने हुए हैं, परन्तु ये कानून सही तौर पर लागू नहीं होते हैं। दहेज विरोधी कानून भी हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में दहेज लिया जाता है, जबकि दहेज लेने वाला और देने वाला, दोनों, दोषी होते हैं। लेकिन यह कानून केवल कानून ही बन कर रह गया है, उसका पालन नहीं किया जाता है। यही स्थिति बाल विवाह की है। राजस्थान में बाल-विवाह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी लोगों में होते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चों को थाली में बैठाकर शादी कराई जाती है। इस बारे में आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। छोटे लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती हैं। लड़का बड़ा होकर पढ़ लेता है और लड़की बेचारी खेत में गाय-भैंस चराती रहती है। लड़का आफिसर बनते ही उस लड़की को छोड़ देता है और किसी शहरी लड़की से शादी कर लेता है। इस तरह उसका शोषण होता है। उसे सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, केवल नाम मात्र 500 रुपए का भत्ता दिया जाता है। उससे वह महिला अपना गुजारा कैसे करे। आप कहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार होने चाहिएं, उसके पति की सम्पत्ति में से समान हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसे बहुत से मामले है जो कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में देखने में आए हैं।

महोदय, अभी हमारी बहन ममता जी सही बोल रही थी कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब महिला रिजर्वेशन की बात चल रही थी तो वह बड़े आक्रोश में बोल रही थीं। मैं उनको केवल यह कहना चाहती थी कि 1997 में भी महिला बिल आया था, तब हम एक साथ बैठते थे। अब वह उधर चली गई हैं। तब उन्होंने ही इसका विरोध किया था, उमा भारती जी ने भी विरोध किया था। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : महिला बिल का विरोध नहीं किया था, बल्कि साथ दिया था।

श्रीमती उषा मीणा : आप मेरी बात सुनिए, मैं उसी बात को स्पष्ट कर रही हूं। कांग्रेस भी अभी वहीं कर रही है जो आपने किया था। कांग्रेस भी ओबीसी और माइनोरिटी के लिए कह रही है कि उसमें संशोधन करिए और बिल पास करा लीजिए। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : आप बिल इंट्रोड्यूस तो होने देते, आपने तो बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं होने दिया।

श्रीमती उषा मीणा : आप सत्ता में बैठे है, आप क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते। आप जो बार-बार रिपीट कर रहे हैं, आपने पिछली बार क्या किया था, अब की बार आप कांग्रेस पर क्यों थोप रहे हैं। ...*(व्यवधान)* सब महिला बिल की बात करते हैं और महिला बिल को लाने की कोशिश भी करते हैं परन्तु अंदर से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति यह सोच रहा है कि अगर महिला बिल आया तो हमारी सीट चली जाएगी। सत्ता पक्ष वाले मन से इस बिल को लाना नहीं चाहते हैं और दूसरी पार्टियों पर थोप रहे हैं कि वे बिल नहीं आने देते।

श्रीमती भावना कर्दम दवे : आप ऐसा मत बोलिए, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती उषा मीणा : महिला बिल की बात पर मैं बताना चाहती हूं कि हमारे नेता स्व. राजीव जी पंचायती राज बिल में महिला रिजर्वेशन को लाए थे। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया था लेकिन इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : आपने हमें सहयोग भी नहीं दिया। महिला बिल के समय सब महिलाएं एकत्रित हुई थीं, उस समय कांग्रेस की एक भी महिला नहीं आई थी। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती उषा मीणा : राजीव गांधी जी ने पंचायती राज बिल में महिलाओं को भागीदार बनाने के लिए रिजर्वेशन दिया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले से पांच बजे तक बहस चलाने का निश्चय था, उसके बाद बीड़ी मजदूर वाला बिल लेना है। इसमें सभा की क्या राय है?

श्री रामानन्द सिंह : महोदय, पहले इसको खत्म कर लें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, इसका समय बढ़ा दिया जाए।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : **महोदय, पहले बीड़ी मजदूर वाला बिल ले लिया जाए, उसके बाद इसको चालू रखा जाए।** ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हम तीन दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्री जी को दूसरी सभा में जाना था, सभा की बैठक आठ बजे तक बढ़ा दी गई थी। माननीय मंत्री फिर वापस आ सकते हैं तथा इस विषय को समाप्त कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय मंत्री वहां नहीं हैं। वह व्यस्त हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बीड़ी वाला बिल लेने के बाद बहस जारी रहेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आज ही जारी रहेगी।

सभापति महोदय : जो सदस्यों की राय होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : **बीड़ी वाला बिल लेने के बाद आज ही बहस जारी रहेगी ना।** ...*(व्यवधान)* **ऐसा मत करो।**

सभापति महोदय : **उसमें माननीय सदस्यों की जो राय होगी, वैसा ही किया जाएगा।**

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि विधेयक के पुरःस्थापन के तत्काल बाद ही चर्चा होनी है तो माननीय मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सभा महिलाओं पर अत्याचार के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती है।

अपराह्न 5.11 बजे

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में और संशोधन किए जाने के लिए इस विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 कारखानों और घरों में कार्य करने वाले बीड़ी कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए अधिनियमित एक प्रगतिशील सामाजिक कल्याण विधान है। इस अधिनियम में आवासीय सहायता, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देख-रेख एवं शैक्षणिक व मनोरंजन संबंधी सहायता जैसे कल्याणकारी उपायों को लागू किए जाने की परिकल्पना की गई है। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अंतर्गत, निर्मित बीड़ियों पर लगाए गए और उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किए गए उपकर में से निधि की संचित राशि का सृजन किया जाता है जिसे भारत की समेकित निधि में जमा करवाया जाता है। बीड़ी क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है। देश में लगभग 4.4 मिलियन बीड़ी कर्मकार हैं। प्रारम्भ से ही यह निधि अपने अस्पतालों और औषधालयों, सामूहिक बीमा, शैक्षणिक सहायता और आवासीय सहायता योजनाओं के माध्यम से बीड़ी कर्मकारों के एक बड़े वर्ग को राहत उपाय मुहैया कराये जाने में समर्थ रही है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के प्रयोजनार्थ, निर्मित बीड़ियों पर, प्रति हजार निर्मित बीड़ियों के हिसाब से 10 पैसे से 50 पैसे तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है जैसा केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर निर्धारित करें।

उपकर की वर्तमान दर प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर 50 पैसे की दर से निर्धारित की गयी है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 21 करोड़ रुपये की संचित निधि का सृजन होता है। विगत पांच वर्षों के दौरान, वर्तमान में अन्तशेष (क्लोजिंग बैलेंस) में धीरे-धीरे कमी हो रही है, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के पास 6.53 करोड़ रुपए की धनराशि है। बीड़ी कर्मकार कल्याण

[डा. सत्यनारायण जटिया]

निधि अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए भी यह निधि पर्याप्त नहीं है। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से, और नयी योजनाओं को बीड़ी कर्मकारों पर लागू किए जाने तथा कतिपय योजनाओं के अंतर्गत लाभों के स्तर में वृद्धि करने के लिए, कल्याण निधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 40-50 करोड़ रुपए की संचित निधि सृजित किए जाने की आवश्यकता होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उपकर की दर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति हजार निर्मित बीड़ियां किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। यद्यपि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम को बार-बार के संशोधनों से बचाने के उद्देश्य से उच्चतर सीमा का प्रावधान किया गया है किन्तु अधिसूचित की जाने वाली उपकर की दर को फिलहाल प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर एक रुपया ही रखा जाएगा। प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर एक रुपए की उपकर की इस दर के परिणामस्वरूप निधि को अर्थक्षम बनाने के लिए बीड़ियों के उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 42 करोड़ रुपये के बराबर वसूली होगी।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में इस संशोधन से पूरे देश में बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों के लिये कल्याणकारी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु पर्याप्त सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस गरिमापूर्ण सदन के सर्वसम्मत समर्थन के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। यह समझा जाता है कि गोवा के मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तथा अब राज्य सरकार नहीं रही। इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या सूचना है? वहां क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं इस समय बीड़ी कर्मकार विधेयक पर चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, संसद का सत्र चल रहा है तथा कोई भी माननीय सदस्य किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : सभापति महोदय, सरकार के पास कोई जानकारी हो तो बताये।

***श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे** (कोपरगांव) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर संशोधन विधेयक का समर्थन में करता हूं। मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं इस विधेयक पर अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करना चाहता हूं। यह विधेयक सबसे पहले 1976 में लाया गया था जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा था कि देश में 44 लाख बीड़ी कर्मकार हैं। बीड़ी कर्मकारों का जीवन स्तर उठाने के लिए तथा उनके लिए कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को कोष की स्थापना हेतु कदम उठाने चाहिए। इस कोष में से बीड़ी कर्मकारों को घर बनाने के लिए ऋण दिया जा सकता है। इसी प्रकार इस कोष का प्रयोग उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इस कोष की स्थापना का यही मुख्य उद्देश्य है। कर्मकारों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। मूल्य में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कोष पर्याप्त नहीं है। मैं इस कोष को बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाने हेतु माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

महोदय, देश में 44 लाख बीड़ी कर्मकार हैं। सिर्फ संगमनेर जो कि मेरा चुनाव क्षेत्र है, में 50,000 से ज्यादा बीड़ी कर्मकार हैं तथा निकट ही अकोला में लगभग एक लाख बीड़ी कर्मकार हैं। बीड़ी कर्मकार गरीब हैं। उनके पास एक इंच जमीन भी नहीं

*मूलत: मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हैं तथा उनके पास जीविका के अन्य साधन भी नहीं हैं। वे तम्बाकू के पत्ते लेते हैं तथा अपने घरों में व्यवसाय शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में संगमनेर, अकोला तथा कई अन्य स्थानों में यह व्यवसाय इसी तरह से चल रहा है। ऐसे लोग जो अपनी फसलों के लिए पूर्णतः वर्षा पर निर्भर हैं तथा जिनके पास जीवनयापन के कोई दूसरे साधन नहीं हैं, बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं। यह सच है कि सीमित पूंजी वाली बीड़ी उद्योग से 44 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है तथा इससे सरकार को काफी राजस्व मिलता है। इसलिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को इस उद्योग के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इन असंगठित कर्मकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक विधायन पारित किए हैं, राज्य सरकारों ने कई कानून अधिनियमित किए हैं। 44 लाख बीड़ी कर्मकारों में से 90 प्रतिशत बीड़ी कर्मकार महिलाएं हैं, महिला कर्मकारों को संरक्षण देना आवश्यक है। कर्मकारों के संरक्षण के लिए अनेक विधायन होने पर भी यह निस्संदेह सत्य है कि बीड़ी फैक्टरी के मालिक इन कानूनों की कमियों का लाभ उठाते हैं तथा ग़रीब बीड़ी कर्मकारों का शोषण करते हैं। महोदय, पिछले चुनावों के समय मैंने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था। ये बीड़ी फैक्टरियां कहां हैं? ये कुछ छोटे-छोटे शेडों में हैं जहां 100 या 200 कर्मकार काम करते हैं। उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए कुछ नहीं है। सभी कानूनों का उल्लंघन होता है। भविष्य निधि कोष, पेंशन कानून आदि हैं। किंतु बीड़ी फैक्टरी का मालिक इन कानूनों का उल्लंघन करता है जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी कर्मकार इन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी बड़ी फैक्टरी मालिक बुरे हैं। किन्तु जो फैक्टरी मालिक अच्छे हैं उन्हें भी दूसरे का साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें भी कानूनों के उलंघन के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए, बहुत अच्छे कानून होने पर भी बीड़ी कर्मकारों का शोषण कभी भी खत्म नहीं होता।

वर्ष 1995 से महाराष्ट्र सरकार बीड़ी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा महंगाई भत्ते पर चर्चा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी चर्चा में हिस्सा लिया था। इस चर्चा में बीड़ी फैक्टरी मालिकों के प्रतिनिधियों, सरकार के प्रतिनिधियों तथा बीड़ी कर्मकार यूनियनों ने भाग लिया था। यह बातचीत लगभग तीन वर्षों तक चली तथा बीड़ी कर्मकारों के लिए महंगाई भत्ता की समान दर का निर्णय लिया गया था। किंतु वास्तव में क्या हो रहा है? अब सभी बीडी निर्माता उस दर पर कर्मकारों को महंगाई भत्ता देने से मना कर रहे हैं तथा कतरा रहे हैं। चुनावी दौरों के समय मैंने संगमनेर में कई बीड़ी फैक्टरियों का दौरा किया था। मैं बीड़ी कर्मकारों से मिला जिन्होंने मुझसे कहा कि वे वह महंगाई भत्ता नहीं दे रहे हैं जिस पर सहमति हुई थी। बीड़ी फैक्टरी मालिक जो मुख्य मंत्री के सम्मुख बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर सहमत हुए थे अब कह रहे हैं कि वे कर्मकारों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने में समर्थ नहीं है। वे कोई न कोई बहाना बनाकर कर्मकारों को मजदूरी नहीं देते हैं। वे उन्हें बीड़ी पत्ता या तम्बाकू की भी आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी भी इस तरह से बीड़ी कर्मकारों का शोषण चल रहा है। जब किसी एक राज्य में महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं तो कुछ फैक्टरी मालिक अपनी फैक्टरी किन्हीं अन्य राज्य में जहां कि ये दरें कम हैं स्थापित कर बड़ी का विनिर्माण शुरू कर देते हैं। उस राज्य में यदि दर बढ़ जाती है तो वे किसी अन्य राज्य में चले जाते हैं तथा वहां कार्य करते हैं। इस प्रकार श्रमिकों का शोषण किया जाता है। इन फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा पेंशन तथा उपदान संबंधी कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए हालांकि माननीय मंत्री का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हैं, मेरे विचार से उन समस्याओं पर विचार राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। विभिन्न राज्यों में मजदूरी तथा दैनिक भत्ते की भिन्न-भिन्न दरें हैं। जब तक हम दैनिक भत्ता बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में एकरूपता नहीं लाएंगे, सभी राज्यों में बीड़ी श्रमिकों जो असंगठित, भूमिहीन तथा जिनमें 90% महिलाएं हैं, का शोषण जारी रहेगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि केवल कल्याण निधि को बढ़ाना ही काफी नहीं है वरना इन मूलभूत प्रश्नों की तह में जाने की जरूरत है तथा पूरे देश में दैनिक भत्ता तथा मजदूरी में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। महोदय, गत सप्ताह ही नियम 377 के अन्तर्गत इस मामले को उठाकर मैंने माननीय मंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया था। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस मामले में कार्यवाही करेंगे।

महोदय मैं यह उल्लेख करता हूं कि भविष्य निधि, मासिक पेंशन के संबंध में कई कानून हैं। इन कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कभी-कभी कानून अवरोध खड़ा करते हैं। नियम यह है कि श्रमिक की भविष्य निधि या पेंशन केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों यथा बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में ही जमा होंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संगमनेर, अकोला, सिन्नार में इन बैंकों की कोई शाखा नहीं है। इन स्थानों के श्रमिक अपना बकाया लेने के लिए कहां जायें? अतएव राष्ट्रीयकृत बैंकों में बकाया जमा करने का विशिष्ट नियम समाप्त किया जाना चाहिए। उनका बकाया उस बैंक में जमा किया जाना चाहिए जहां श्रमिक का अपना खाता हो। ऐसा नियम बनाया जाना आवश्यक है।

महोदय, धनराशि का उपयोग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने संबंधी उद्देश्य काफी प्रशंसनीय है। लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि बढ़ी हुई धनराशि का वास्तविक उपयोग

[श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे]

संभावित लाभार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। अतएव, इस धनराशि का न्यासी ऐसे संगठनों को बनाया जाना चाहिए जो प्रतिबद्ध होकर असंगठित बीड़ी श्रमिकों के लिए स्वार्थहीन तथा समर्पित कार्य कर रहे हैं। संगमनेर में ऐसी संगठनें हैं। यदि इस कल्याणकारी योजना को सफल बनाना है तो ऐसे संगठनों के प्रतिनिधियों को न्यास में लेना आवश्यक है तथा असंगठित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए उनके प्रतिबद्ध तथा स्वार्थहीन कार्यों का लाभ उठाया जाना चाहिए। तभी इन योजनाओं के लाभ लाभार्थियों को उपलब्ध होंगे।

महोदय, बीड़ी उत्पादकों द्वारा उपकर का विरोध किए जाने की संभावनाएं हैं। यदि सरकार बीड़ी श्रमिकों के लिए वास्तव में कुछ करना चाहती है तो मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि सरकार अपना अंशदान 45 करोड़ रुपये करके निधि को 90 करोड़ रुपये का बना दे। चूंकि सरकार इस उद्योग से सैंकड़ों करोड़ रुपये प्राप्त कर रही है तो इसे 90 करोड़ रुपये का बनाया जाए। यह हमें योजनाओं को सबसे बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करेगा। महोदय, इस निधि से हम आवास ऋण, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शिक्षा सुविधाएं श्रमिकों को देते हैं। इन योजनाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय योजना शिक्षा संबंधी लाभ योजना हैं जिसके माध्यम से हम श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहे है। मेरा तर्क यह है कि बीड़ी श्रमिकों के प्रत्येक बच्चों को यह लाभ प्राप्त हो। निधि का क्षेत्रवार आबंटन करने की बजाय मेरा सुझाव यह है कि धनराशि इस तरह आबंटित की जाय कि बीड़ी श्रमिकों के प्रत्येक बच्चे को इस योजना का लाभ प्राप्त हो। सबसे आवश्यक परन्तु सबसे कम उपयोग में लाई जाने वाली योजना स्वास्थ्य योजना है। ये श्रमिक कहां काम कर रहे हैं? वे ऐसी झोंपड़ियों में काम करते हैं जहां कोई प्रकाश, या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन श्रमिकों को तम्बाकू के पत्तों तथा तम्बाकू के बीच कार्य करना पड़ता है। इसलिए, यक्षमा तथा कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं हेतु अधिकतम धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। वर्तमान समय में कई योजनाएं कागजों पर सीमित रह जाती हैं। उनके नियम काफी जटिल होते हैं। भरे जाने वाले फार्म भी काफी जटिल होते हैं। 80% श्रमिक अशिक्षित होते हैं। वे नियम नहीं जानते हैं। वे फार्म नहीं भर सकते हैं। अतएव, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में उन्हें लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आपको नियम तथा भरे जाने वाले फार्म को सरलीकृत करना होगा। यहां तक कि आयकर फार्म को भी सरलीकृत किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन नियमों तथा फार्मों को सरलीकृत किया जाय ताकि श्रमिकों को दर-दर नहीं भटकना पड़े। कैंसर तथा हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन यह सहायता काफी देरी के बाद दी जाती है। नियम तथा प्रक्रिया इतनी पेचीदी है कि कई मामलों में सहायता तब दी जाती है जब मरीज मर जाता है। अतएव इस संबंध में नियम तथा प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

हमने कुछ अस्पताल खोले हैं। लेकिन यह प्रतिबंध है कि मरीज को अस्पताल विशेष में जाना होगा। मरीज ऐसे अस्पताल में क्यों जाय जो 20 या 50 मील की दूरी पर है। उसे नजदीक के अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी-सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि यह सुविधा श्रमिकों को मिलनी चाहिए।

बीड़ी श्रमिकों का 90% महिलाएं हैं। हमारी योजनाओं के अन्तर्गत महिलाओं के लिए क्या स्वास्थ्य संबंधी पैकेज है? हमारी योजना के अंतर्गत महिलाओं को सहायता देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतएव हमें अवश्य ही यह प्रावधान करना चाहिए कि महिला श्रमिकों को परीक्षण, शल्य क्रिया, शल्य क्रिया के बाद की सेवा जैसी सहायता मिले। अस्पताल में चिकित्सक किसी अन्य स्थान से आते हैं। संगमनेर तथा सिन्नार में बीड़ी श्रमिकों के अस्पताल कई वर्षों से चिकित्सकों के अभाव में बन्द पड़े हैं। लेकिन अगर हम स्थानीय रूप से चिकित्सकों की नियुक्ति करते हैं तो बीड़ी श्रमिकों को उनके अपने अस्पताल में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो जायेगी।

आवास योजना के अंतर्गत हम श्रमिकों को घर बनाने के लिए 13,000 रुपये का ऋण देते हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का ऋण घर बनाने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा घर चाहता है जिसके लिए कम से कम 50,000 रुपये की आवश्यकता होती है। अतएव मेरा सुझाव है कि घर बनाने के लिए 50,000 रुपये का ऋण दिया जाना चाहिए। इसमें से 25,000 रुपये राजसहायता की राशि होनी चाहिए तथा 25,000 रु. ऋण होना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है। ऋण की पहली किश्त जारी कर दी जाती है। लेकिन दूसरी किश्त में समय लगता है। अतएव, अफसरों को निर्माण स्थलों का दौरा करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि योजना में तेजी से प्रगति हो। लेकिन द्वितीय किश्त साथ ही जारी की जानी चाहिए। मैं पुनः उल्लेख करता हूं कि प्रक्रिया तथा फार्म जटिल हैं। इन्हें सरलीकृत किया जाना चाहिए। मेरे गांव में भी कई बीड़ी श्रमिक हैं लेकिन एक भी घर नहीं बनाया गया है। अतएव, यह आवास योजना सही परिप्रेक्ष्य में लागू की जानी चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। टेलीविजन खरीद योजना है। यह उतना आवश्यक नहीं है। अतएव,

स्वास्थ्य सेवा तथा आवास योजना पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम बीड़ी श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का मूलभूत उद्देश्य पूरा करने की स्थिति में होंगे। अतएव मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इन शब्दों के साथ, मैं आपको बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उस संबंध में बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1998 प्रस्तुत हुआ है, उस पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि बीड़ी श्रमिकों के बारे में कई उपाय किए गए, लेकिन आज भी उनकी जो दशा है वह दयनीय है। सरकारी नियमों और कानूनों के होते हुए भी जिस प्रकार से बीड़ी कंपनियों के मालिक मनमाने ढंग से काम करते हैं उसके कारण उनके ऊपर नियंत्रण संभव नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो जो श्रमिक कानून हैं, उनका कड़ाई से पालन होना अनिवार्य है। साथ ही साथ बीड़ी श्रमिकों को काफी सुविधाएं घोषित की गई हैं उनको आवास की सुविधा दी गई है। उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दी गई है जिसके अंतर्गत जगह-जगह अस्पतालों की स्थापना की जा रही है किन्तु उनका पालन नहीं हुआ। घोषणाओं के बावजूद उनको जो सहायता और सुविधा मिलनी चाहिए उससे वे वंचित हैं। मकानों की सुविधा कई स्थानों पर की गई है, ऐसा कहा गया है। लेकिन उससे भी वे वंचित है। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ खास-खास बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो बीड़ी श्रमिक अपनी मजदूरी प्राप्त करता है वह बहुत थोड़ी होती है। भले ही उनके भले के लिए अलग-अलग नियम और कानून बने हों, लेकिन उनका भला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वे घर में बीड़ी बनाते हैं। जहां घरों में बीड़ी बनाते है उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं। बीड़ी कंपनी मालिक इस प्रकार से फैक्ट्री कानून से बच जाते है कि हमारे यहां तो 20 वर्कर से कम लोग काम करते हैं जबकि वास्तविकता तो यह है कि उससे कहीं अधिक मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि वे घरों में काम कराते है। ठेके से काम होता है। मजदूरों को पत्ता समय पर नहीं मिलता। मजदूरी भी निर्धारित नहीं देता है।

सभापति महोदय, यदि सरकार दृढ़ निश्चय कर लें, तो ऐसा बीड़ी कंपनी वाले भी पकड़ में आ सकते हैं। उसका तरीका यह है कि उस बीड़ी कंपनी का एक माह में कुल उत्पादन कितना हुआ और जितने वर्कर उसने बताए हैं, उनसे उतना उत्पादन हो सकता है या नहीं, इसका हिसाब लगाया जाए। यदि उतना उत्पादन है, तब तो ठीक है, यदि उससे ज्यादा उत्पादन होता है, तो उसका हिसाब लगाया जाना चाहिए कि उतनी बीड़ियों का उत्पादन कितने घंटों में कितने मजदूरों द्वारा हो सकता है और उस हिसाब से उस कंपनी वाले को पकड़ा जा सकता है। यदि कोई बीड़ी कंपनी वाला या बीड़ी मालिक इस प्रकार से बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ बने कानून का उल्लंघन करता है तो उसे पकड़ा जा सकता है। कई बार लेबर इंस्पैक्टर जाते है तो उनको जिस प्रकार से हिसाब किताब बताया जाता है, वे उसे देखकर चले आते है। इसलिए जो लेबर इंस्पैक्टर है या श्रम विभाग के अधिकारी है, उनको भी इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब मैं आपका ध्यान इस विधेयक की तरफ ले जाना चाहता हूं। इस विधेयक में कहा गया है:

> "17 अक्टूबर, 1995 से बढ़ाया गया था, में बीड़ी स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों के लिए कल्याण अध्युपायों को जारी रखने और उनका विस्तार करने के लिए यह प्रस्ताव है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 का संशोधन किया जाए जिससे कि विनिर्मित बीड़ी के प्रति हजार पर उपकर की न्यूनतम दर को दस पैसे से बढ़ाकर पचास पैसे और उपकर की अधिकतम दर को पचास पैसे से बढ़ाकर पांच रुपए किया जाए।"

सरकार इस विधेयक को पारित करवाकर, विधान बनाकर अधिकार प्राप्त करना चाहती है और वह अधिकार है कि न्यूनतम दर जो 10 पैसे थी, उसे बढ़ाकर पचास पैसे किया जाये और अधिकतम दर पचास पैसे से बढ़ाकर पांच रुपए की जाये लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, वित्तीय ज्ञापन में उन्होंने जो व्यवस्था की है, वह एक रुपए करने जा रहे हैं। मैं उसको भी उद्धृत करना चाहता हूं:

> "विनिर्मित बीड़ी पर उपकर का संग्रहण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सारे देश में करना होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को एक प्रतिशत का संग्रहण प्रभार संदत्त करने का प्रस्ताव हैं। इस समय, उपकर की दर विनिर्मित बीड़ी के प्रति हजार पर एक रुपया नियत करने का प्रस्ताव है और इस आधार पर प्रति वर्ष उपकर का प्राक्कलित कुल संग्रहण प्रति वर्ष 42 करोड़ रुपए होने की संभावना है और

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

संदेय संग्रहण प्रभार प्रति वर्ष लगभग 42 लाख रुपये होंगे। विधेयक के उपबंधों में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय का अन्तर्बलित नहीं है।''

इसलिए इन्होंने बताया कि 42 करोड़ रुपए की वसूली होगी और इस वसूली को यह बीड़ी उत्पादकों के हितार्थ करना चाहते हैं लेकिन जैसा आप जानते है कि बीड़ी श्रमिक लगभग देश भर में 60-70 लाख के बीच में हैं। उनमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में भी है, गुजरात के अंदर भी 7-8 लाख हैं। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में भी है। सभी प्रदेशों में है। मैंने बताया कि बीड़ी श्रमिक देश भर में फैले हुए हैं और देश में उनकी संख्या 70 लाख के करीब है। ...*(व्यवधान)* देश भर में बीड़ी पीने वाले भी हैं और बीड़ी बनाने वाले भी है। कुछ प्रदेशों में भले ही न बनती हो लेकिन प्राय: सभी जगह बनती है, कहीं थोड़ी बनती है तो कहीं ज्यादा बनती है। विशेषकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी बीड़ी बनती है। मध्य प्रदेश में जहां से मैं आता हूं, हमारे भाई माननीय सांसद श्री वीरेन्द्र सिंह भी हैं। वहां सागर, दमोह, जबलपुर एक तरह से इसके केन्द्र हैं। उसके साथ-साथ रतलाम, मंदसौर और इंदौर भी केन्द्र हैं। वहां मजदूर प्रति हजार 25 रुपये ही प्राप्त करता है। ...*(व्यवधान)* आप अपनी बात को बाद में कह लेना। मध्य प्रदेश के विधान सभा के अंदर भी इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई है कि श्रमिकों को जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ उनको नहीं मिल रहा है और श्रमिक कानून का पालन नहीं हो रहा है। उनके लिए ठीक से व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ एक अस्पताल की स्थापना की गई। वहां पर डाक्टर भी हैं लेकिन सभी साधन नहीं हैं। वहां आवास की व्यवस्था के बारे में प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सागर, जबलपुर और अन्य स्थानों में भी आवश्यकता है। इससे जो उपकर संगृहीत होगा, वह केवल बीड़ी मजदूरों के हितार्थ होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह उनके हित में ठीक से खर्च हो और जहां-जहां इसकी आवश्यकता है, अगर किसी मजदूर को वास्तव में आवास की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास ठीक से आवास नहीं है, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, एक टाट का पर्दा लगा हुआ है, अगर उसके अंदर जाये तो सीलन भरे कमरों में बैठकर बीड़ियां बनाई जाती हैं तथा समय पर उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है। इसलिए इन सबके बारे में निश्चित रूप से उचित उपाय करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे वित्तीय ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि:

''बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अधीन बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाए रखने के लिए और कतिपय स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं के पैमाने में वृद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि कल्याण निधियों की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष 40 से 50 करोड़ रुपयों के बीच धनराशि आबंटित की जाये।''

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इतनी धनराशि आबंटित करने की बात की जा रही है, इसमें केन्द्र भी अंशदान दे। इससे हम उनके हितों की सुरक्षा कर सके जैसा मैंने मूलत: दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। उनके स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है जैसे कहीं-कहीं अस्पतालों की व्यवस्था की गई है लेकिन कुछ स्थानों पर अस्पताल नहीं है वहां अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। वे आवास के लिए जमीन मांगते हैं। वे कहते हैं कि आप हमें कर्जा दीजिए। यद्यपि यह बात ठीक है कि इन श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना केन्द्रीय सरकार ने लागू की है। किन्तु उसका पालन नहीं होता है। और उस सामूहिक बीमा योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। मैं चाहूंगा कि सामूहिक बीमा योजना का पूरा-पूरा लाभ उनको मिले।

बीड़ी श्रमिकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा परिचय पत्र देने की बात चली थी। लेकिन परिचय पत्र देने का काम केन्द्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। यदि परिचय पत्र दिए जाएं तो उससे पता लग जाएगा कि वास्तव में कितने बीड़ी श्रमिक हैं और उनके अनुसार कौन-कौन सा काम हो रहा है। परिचय पत्र देना अनिवार्य कर देना चाहिए जिससे कि बीड़ी मिलों के मालिक, बच्चों और महिलाओं से घरों में काम न ले सकें। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में भी ध्यान देंगे।

श्रम न्यायालयों को और सशक्त बनाया जाए ताकि समय पर उनके विवादों का निराकरण हो सके, उनके हितों की रक्षा हो सकें। श्रम न्यायालय हैं लेकिन वहां पर न्यायाधीश नहीं है, लेबर इंस्पैक्टर्स की व्यवस्था हैं लेकिन उनके पद खाली पड़े हुए हैं। इसलिए यह आवश्यक है। इसके साथ-साथ और दूसरी बातें जुड़ी हुई हैं जैसे उनके भविष्य निधि का प्रश्न जुड़ा हुआ है या उनकी और सुविधाओं का संबंध जुड़ा हुआ है। इन सबके बारे में जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, जो कानून बने हुए हैं, उनका ठीक से

पालन हो और जिन उद्देश्य से हम पैसा संग्रहित करने जा रहे हैं, उसका उन्हें पूरा-पूरा लाभ मिले। चिकित्सा के संबंध में, आवास के संबंध में, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के संबंध में, स्कूलों की व्यवस्था ठीक से हो और उनका परिसर जहां वे बीड़ी बनाते है, वह भी स्वास्थ्यप्रद हो, ऐसा न हो कि जहां-तहां बिठाकर काम कराया जाए। जिस तरह बीड़ी मालिक बचत करते हैं, मजदूरों की कम संख्या बताकर एक्ट या कानून से बचना चाहते हैं, उनके बारे में भी यदि ठीक से परिपालन होगा तो मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा। यह विधेयक बहुत संक्षिप्त है इसलिए मैंने अपने विचार बहुत संक्षेप में रखे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में निश्चित ही ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, वह बीड़ी वर्कर्स के हित में है। मैं इसका समर्थन करते हुए इस बारे में दो-चार बातें बोलूंगा। 1976 में बीड़ी वर्कर्स वैल्फेयर सैस एक्ट, बीड़ी वर्कर्स वैल्फेयर फंड एक्ट बनाया गया। उसके बाद 1981 में उसमें एक बार अमैंडमेंट किया गया। उस समय 10 पैसे से 50 पैसे तक सैस लागू हुआ था। इस बार मंत्री महोदय सैस का रेट बढ़ाने के लिए अमैंडमेंट लाए हैं क्योंकि 50 पैसे सैस से अभी जो फंड कलैक्ट होता है, उससे साल भर में 21 करोड़ रुपये जमा होते हैं जिससे वैल्फेयर स्कीम्स चलाना बहुत मुश्किल हैं। बीड़ी वर्कर्स के लिए काफी वैल्फेयर स्कीम्स हैं जिन्हें कवर करने के लिए 21 करोड़ रुपये कम है। इसलिए मंत्री महोदय 50 पैसे से 5.00 रुपये तक सैस बढ़ाने का जो अमैंडमैंट लाए हैं, हम उससे सहमत हैं। यदि यह सैस कलैक्ट होगा तो इससे बीड़ी वर्कर्स का हित होगा। बीड़ी वर्कर्स की कंडीशन काफी पिटिएबल है। आपको मालूम होगा कि पूरे भारत के 14 राज्यों में बीड़ी वर्कर्स है जिनकी संख्या कम से कम 70 लाख है। मंत्री महोदय ने 44 लाख कहा लेकिन यह ठीक नहीं है। आपको मालूम होगा कि सारे बीड़ी वर्कर्स पावर्टी लाइन से नीचे हैं। पूरे बीड़ी वर्कर्स पावर्टी लाइन के नीचे है और कम से कम 80 परसेंट इल्लीटेट हैं, 90 परसेंट फीमेल वर्कर्स हैं, कम से कम 20 परसेंट चाइल्ड लेबर हैं। पूरी बीड़ी इण्डस्ट्री अनआर्गेनाइज़ सैक्टर में है। बीड़ी वर्कर्स की जो पिटिएबल कंडीशन है और बीड़ी वर्कर्स के लिए जितने कानून है, लैजिस्लेशन हैं, ये लागू नहीं होते हैं। आपको मालूम होगा कि बीड़ी एण्ड सिगार (कंडीशन ऑफ एम्पलायमेंट) एक्ट बना हुआ है, लेकिन यह कागज पर है, यह काम में नहीं आता है। आपको यह भी मालूम होगा कि मिनिमम वेज एक्ट बना हुआ है, लेकिन मिनिमम वेजेज़ एक्ट किसी स्टेट में बीड़ी वर्कर्स पर लागू नहीं है। दिन भर काम करने के बाद बीड़ी वर्कर्स करीब-करीब एक हजार बीड़ी बना सकते हैं, लेकिन मजदूरी एवरेज उनको 25 रुपये से ज्यादा नहीं मिलती है। कहीं-कहीं तो 10 रुपये, 12 रुपये मजदूरी मिलती है। यह कंडीशन बीड़ी वर्कर्स की है। मिनिमम वेज तो कहीं लागू ही नहीं है। दिन भर काम करने के बाद 10 रुपये, 12 रुपये उनको मिलते हैं बीड़ी वर्कर्स का इतना शोषण है, यह तो आपको मालूम है कि बीड़ी वर्कर्स की इतनी पिटिएबल कंडीशन है।

पी.एफ. इत्यादि के अन्य भी जो कानून हैं, पी.एफ. का कवरेज 10 परसेंट बीड़ी वर्कर्स का भी नहीं है। पी.एफ. का कानून है, लेकिन बीड़ी वर्कर्स कवरेज में नहीं आते। मैक्सिमम 10 परसेण्ट बीड़ी वर्कर्स कवरेज में हैं। बोनस और ग्रेच्युटी बीड़ी वर्कर्स पर कहीं लागू नहीं है, उनकी यह कंडीशन है। बीड़ी वर्कर्स के हित के लिए जो वेलफेयर फंड बना हुआ है, यह भी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। बीड़ी वर्कर्स के बच्चे बच्ची के लिए स्कालरशिप तो है, लेकिन 40 परसेण्ट नम्बर आयेंगे तब उसको स्कालरशिप मिलेगी। आपको मालूम होगा कि गरीब बीड़ी वर्कर्स के लड़के को 40 परसेण्ट नम्बर मिलने बहुत मुश्किल हैं। इसमें मेरा मिनिस्टर साहब को एक सुझाव है कि बीड़ी वर्कर के हर लड़के को स्कालरशिप देनी चाहिए। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए और हर बीड़ी वर्कर के बच्चे को स्कालरशिप के अन्तर्गत ले आना चाहिए।

मैडीकल फैसिलिटी के बारे में जो हॉस्पिटल और स्टेटिक कम मोबाइल डिस्पेंसरी हैं, इनको और बढ़ाना चाहिए। जहां पांच हजार बीड़ी वर्कर्स हैं, वहां स्टेटिक काम मोबाइल डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जहां 50 हजार से ज्यादा बीड़ी वर्कर्स हैं, वहां बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। मिनिस्टर साहब, आपको मालूम होगा, आप जानते हैं, हमने चिट्ठी भी लिखी है, आपसे बात भी की है, वैस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से कम से कम तीन लाख बीड़ी वर्कर्स हैं। वहां एक हॉस्पिटल पिछले दस साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ, वह 50 बैडेड हॉस्पिटल है। यह बहुत पुरानी बात है, यह चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका काम खत्म नहीं हुआ है। बीड़ी वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल का काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, जिससे वहां कम से कम तीन लाख बीड़ी वर्कर्स को कुछ तो मैडीकल फैसिलिटी मिले। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में झालदा का एक अच्छा बीड़ी वर्कर एरिया है। वैस्ट बंगाल में तालखोला में भी बहुत ज्यादा बीड़ी वर्कर्स हैं बीड़ी वर्कर्स का एक हॉस्पिटल वहां होना चाहिए। अन्य जो स्कीमें है, उन स्कीमों में जो नियम कानून हैं, वे सहज होने चाहिए। नियम कानूनों में ऐसा है कि बीड़ी वर्कर्स का उस स्कीम में आना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए फार्म

श्री अबुल हसनत खां]

फिल-अप करना मुश्किल होता है। उसका फार्म रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन यह फार्म रीजनल लैंग्वेज में हर जगह नहीं है। जो स्टेट एडवाइजरी कमेटी है, वह हर जगह काम करती है या नहीं, हमको मालूम नहीं है लेकिन वेस्ट बंगाल की बीड़ी एडवाइजरी कमेटी काम कर रही है। हमने सब फाइलें यहां भेजी हैं लेकिन सेंटर एडवाइजरी कमेटी तीन साल से बैठी नहीं है। कुछ दिन पहले सेंटर एडवाइजरी कमेटी बैठी थी। तीन साल क्यों नहीं बैठी? अगर सेंटर एडवाइजरी कमेटी नहीं बैठेगी तो स्टेट एडवाइजरी कमेटी कैसे कामयाब होगी? इसलिए सेंटर एडवाइजरी कमेटी री-कॉस्टीट्यूट होनी चाहिए और स्टेट एडवाइजरी कमेटी में हर यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। फंड कलेक्ट करने के लिए जो बिल इधर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। पचास पैसे से पांच रुपये अभी है और एक रुपया करेंगे, ठीक है लेकिन अगर इसके साथ एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड है तो जो बीस लाख बीड़ी प्रोड्यूस होती है, उसमें एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पटेड है। बीस लाख बीड़ी प्रोड्यूस करने से एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, यह कानून बनाया था लेकिन यह कानून ठीक नहीं है। हम लोग देखते है कि जो बड़ी-बड़ी फैक्टरीज हैं, उनके मालिक बीस लाख से ज्यादा दिखाते नहीं हैं। 1996 में टोबेको वेयर हाउस था, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बीड़ी की बजाए अगर टोबैको मे सैस इकट्ठा करते है तो वह अच्छा होगा। मेरा सुझाव है कि बीड़ी सिगरेट के ऊपर आपने जो एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जैसे पहले 120 रुपए थी। 120 रुपए से लास्ट सरकार ने साठ रुपए कर दी थी और अभी नब्बे रुपए है। लेकिन मेरा सुझाव है कि इसे 120 रुपये कर दिया जाना चाहिए। अगर 120 रुपए नहीं किया जाएगा तो बीड़ी इंडस्ट्री मार खाएगी। एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होती तो सैस भी ज्यादा होगा। पर थाउजेंड 120 रुपए एक्साइज ड्यूटी होनी चाहिए। इसी तरह ब्रांडेड और अनब्रांडेड पर भी एक्साइज ड्यूटी एक ही लागू होनी चाहिए क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियां अनब्रांडेड बीड़ी प्रोड्यूस करती है और बाहर जाकर उस पर लेबल लगाता हैं, इसलिए ब्रांडेड और अनब्रांडेड को एक करना चाहिए। सबके ऊपर एक जैसी एक्साइज ड्यूटी लगानी चाहिए।

जो फंड इकट्ठा करते है, वें भी पहले से बहुत कम हो गए है। आप आंकड़े देख लीजिए। 1996-97 में तीन करोड़ सत्ताइस लाख हम लोगों ने भेजी थी लेकिन 1997-98 में आपने दो करोड़ अट्ठाईस लाख भेजा। क्या हुआ? पहले ज्यादा भेजते थे, अभी कम भेजा क्योंकि खर्च और भी ज्यादा बढ़ा है लेकिन आपने इसको कम किया है। आप जो डिफरेंट स्टेट्स को फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वह घटा दिया है, इसलिए मेरा कहना है कि फंड कलेक्ट करने के और भी रास्ते है। मेरा यह भी सुझाव है कि बीड़ी मजदूरों के लिए और भी योजनाएं बनानी चाहिए। जब बीड़ी वर्कर साठ या पैंसठ वर्ष का हो जाता है तो वह काम नहीं कर सकता, इसलिए जब वह ओल्ड हो जाता है, उसके लिए ओल्ड एज पेंशन चालू होनी चाहिए। उस समय उसे कुछ राहत मिलनी चाहिए। सरकार को इस संबंध में कोई स्कीम बनानी चाहिए जिसके तहत चाहे ओल्ड एज वर्कर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसे कुछ राहत देने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। हम इस बिल का समर्थन करते हैं और यह चाहते है कि सियालदाह और नॉर्थ बंगाल में मजदूरों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए कुछ फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार यह मानेगी। हम इसका समर्थन करते है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. मुरूगेसन (तेनकासी) : माननीय, सभापति महोदय, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधयेक, 1998 पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस सम्माननीय सभा में पहले ही अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया है। सरकार के विचारार्थ मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।

1998 की जनगणना के अनुसार, सारे देश में बीड़ी कर्मकारों की संख्या 44 लाख है। तमिलनाडु में बीड़ी के निर्माण में सात लाख बीड़ी कर्मकार शामिल हैं। इनमें से बड़ी संख्या में कर्मकार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस काम के बगैर उन्हें अपने परिवार का लालन-पालन करना मुश्किल हो जाएगा। इनमें से अधिकतर परिवारों में बच्चे एवं महिलाएं बीड़ी बनाने के कार्य में शामिल हैं।

जहां तक न्यूनतम मजदूरी का संबंध है यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। तमिलनाडू में न्यूनतम मजदूरी 38-50 रुपये प्रति हजार बीड़ी निर्धारित की गई है। यह राशि परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि आज कल हर चीज के दाम बहुत ऊंचे हैं। बीड़ी उद्योग के मालिक बीड़ी कर्मकारों को उचित मजदूरी नहीं देते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन बीड़ी कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं।

सरकार ने बीड़ी कर्मकारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में उन्हें तपेदिक, दमा आदि बीमारी हो जाती है। श्रम संबंधी संसदीय समिति ने इन बीड़ी कर्मकारों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि हरेक तालुक एवं जिला मुख्यालयों में जहां ऐसे बीड़ी कर्मकार हैं, कम से कम 25 एवं 100 बिस्तरों वाले अस्पताल होने चाहिए, जिससे कि इन कर्मकारों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

तमिलनाडु के साढ़े छह लाख बीड़ी कर्मकारों में से मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी में तीन लाख बीड़ी कर्मकार हैं। सरकार ने मेरे जिले में पहले ही 50 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्वीकृति दी है, मगर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अत: मैं श्रम मंत्रालय के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि अलानगुलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस 50 बिस्तर वाले अस्पताल को तुरंत स्थापित किया जाए। मैं श्रम मंत्री का आभारी होऊंगा यदि इस 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अलानगुलाम में स्थापित किया जाता है। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। पानी और सड़क की भी सुविधा वहां है। अलानगुलाम एक बड़ा शहर है। यह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय भी है।

सरकार ने इन बीड़ी कर्मकारों को अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रदान की हैं। हमारे माननीय मंत्री ने इन बीड़ी कर्मकारों के लिए कुछ योजनाएं आरंभ की हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

बीड़ी कर्मकारों के बच्चों के लिए प्राप्तांकों के आधार पर छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई है। यह पढ़ने वाले सभी बच्चों को दी जानी चाहिए क्योंकि वह सभी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन- यापन कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि आवासीय योजना की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाए। राजसहायता भी बढ़ायी जानी चाहिए।

इस संशोधन विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री ने अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की हैं। ये बीड़ी कर्मकारों को तुरंत मुहैया कराई जानी चाहिए। सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिए जिससे की बीड़ी कर्मकारों को सभी सुविधाएं मिलें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 6.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): आप की अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम.: महोदय, हम सभा की बैठक एक घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं। विधेयक को आज ही पारित किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यों को संक्षेप में बोलने का अनुरोध किया जा सकता है।

[हिन्दी]

अगर माननीय सदस्य छोटी-छोटी स्पीच दें तो एक घंटे के अंदर समाप्त करके इस बिल को आज पास कर दें, ऐसा मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : विधेयक आज पारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : महोदय, इस पर बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए अब समय बढ़ाने की बजाए कल बहस जारी रखें तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय : अगर सभा की सहमति हो तो इस विधेयक को पास कराने के लिए कुछ समय बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर : इस विधेयक का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सब समर्थन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, एक घंटे के लिए समय बढ़ा देते हैं। अगर सभी माननीय सदस्य संक्षेप में बोलेंगे तो आज समाप्त हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, क्या आपने सभा की बैठक को बढ़ाने का फैसला किया है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर एक घंटे का समय नहीं बढ़ाएंगे तो आपको बोलने का मौका कैसे मिलेगा, इसलिए एक घंटे का समय बढ़ा दिया गया है।

अपराह्न 6.03 बजे

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक – *जारी*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उपकर को पचास पैसे से बढ़ाकर पांच रुपये करने का स्वागत करता हूं।

सबसे पहले मैं वित्तीय ज्ञापन में विसंगति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं विधेयक में संलग्न वित्तीय ज्ञापन के दूसरे पैरा की चौथी पंक्ति से आगे उद्धृत करना चाहूंगा.

> "बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अधीन बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाए रखने के लिए और कतिपय स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं के पैमाने में वृद्धि करने के लिए भी यह आवश्यक होगा कि कल्याण निधियों की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष 40 से 50 करोड़ रुपयों के बीच धनराशि सृष्ट की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यह प्रस्ताव है कि उपकर की दर को विनिर्मित बीड़ी के प्रति हजार पर पांच रुपए तक बढ़ाया जाए। यद्यपि उच्चतर सीमा का उपबंध बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम को बार-बार संशोधित करने से बचने के लिए किया गया है, फिर भी इस समय अधिसूचित की जाने वाली उपकर की दर विनिर्मित बीड़ी के प्रति हजार पर एक रुपया रखी जाएगी। विनिर्मित बीड़ी के प्रति हजार एक रुपया के उपकर की इस दर से यह परिणाम होगा कि निधि को व्यवहार्य बनाने के लिए बीड़ी के उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 42 करोड़ रुपए की वसूली होगी।"

महोदय, इस अधिनियम में कहा गया है कि यह चार रुपये से ज्यादा नहीं है। यहां कहा गया है कि यह एक रुपया होगा। मुझे नहीं पता कि हर दूसरे दिन एक अधिसूचना जारी की जाएगी। क्या मंत्री महोदय की मंशा यह है कि अब अधिसूचना एक रुपये के लिए होगी और तत्पश्चात् इसमें वृद्धि की जाएगी? मुख्य अधिनियम में यह उल्लेख क्यों किया गया है कि यह पांच रुपये से अधिक नहीं होगा? यह भी पांच रुपये होना चाहिए। अन्तर क्यों हो? यदि संभव है तो मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : यह केवल ऊपरी सीमा है।

श्री ए.सी. जोस : मैं समझता हूं। ऊपरी सीमा का मतलब है कि अधिसूचना जारी की जाएगी। मंत्री महोदय ने यह अनुमान इस समय क्यों लगाया। मैं समझता हूं। इससे सरकार को अधिसूचना की सुविधा मिल जाएगी। यदि यह पांच रुपये है तो इसे कम करके दो या एक रुपये क्यों किया जाए। अब इसे दो रुपये क्यों नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय कृपा करके इस विसंगित पर ध्यान दें।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 376 के उप-नियम (2) के अनुसार सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं और अध्यक्ष को निर्णय लेना होगा। मेरे दोस्त ने यह बताया है। वस्तुतः मैं इस मुद्दे को आरंभिक चरण में उठाना चाहता था। मेरी इच्छा यह है कि इस पर बहस होनी चाहिए और आपको इसकी अनुमति देनी चाहिए। उद्देश्यों और कारणों के कथन और वित्तीय ज्ञापन में विसंगतियां हैं। जैसा की मेरे माननीय मित्र ने कहा, बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उप-धारा (3) में "दस पैसे से अन्यून अथवा 50 पैसे से अनधिक" का जिक्र है, और वित्तीय ज्ञापन में एक रुपये का जिक्र है। अब आपको विनिर्णय देना होगा। पहले, प्रति हजार बीड़ी पर एक रुपये का

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मैं केवल मुख्य-मुख्य बातें बता रहा हूं। मेरा अगला मुद्दा यह है कि असंगठित क्षेत्र के लिए बने इन अस्पतालों के प्रबंधन के लिए कोई तंत्र बनाया जाना चाहिए। आप एक योजना बनाकर इसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पर छोड़ दें, लेकिन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अपने आप में एक वृहत योजना है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह बात समाप्त हो गई।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बाधा न पहुंचाएं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, एक आवास योजना बनाई गई है लेकिन क्या उन्होंने यह सोचा है कि उस योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए इस समय निर्धारित की गई राशि क्या इस काम के लिए पर्याप्त है? हरेक व्यक्ति ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित राशि में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इसे युक्तियुक्त बनाया जा सके। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत उन्हें राजसहायता भी दी जानी चाहिए। ये सब गरीब मजदूर हैं। वे सभी निरक्षर हैं और अधिकतर महिलाएं हैं। हमारे शहरी विकास मंत्री सारे देश का दौरा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वह आवास समस्या का समाधान कर देंगे। मैं श्रम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन मजदूरों को और अधिक राजसहायता देने के लिए अनुदेश जारी किए जाएं ताकि वे अपने घर बना सकें।

मेरा अगला मुद्दा इन गरीब मजदूरों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में है। मुझे मालूम नहीं है कि बोर्ड द्वारा उन्हें इस समय क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अत: मेरा निवेदन है कि बीड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाए।

महोदय, मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी का ध्यान भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण अधिनियम की ओर आकर्षित करता हूं। हमने यह अधिनियम, 1996 में पारित किया था। यह अधिनियम मेरे पास यहां पर है। यह अधिनियम 1996 को अधिनियम संख्या 28 अगस्त, 1996 में प्रभावी हुआ था। इसे लागू हुए दो वर्ष होने जा रहे हैं और इस सरकार ने इस अधिनियम के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। एक बोर्ड का गठन किया जाना है और नियम भी बनाए जाने हैं। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार ने इसे पारित किया था और संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इसे जारी रखा था। यह आज भी ठंडे बस्ते में है। केवल केरल सरकार ने निर्माण कार्य मजदूर विधेयक पारित किया है और इस राज्य में कल्याण निधि ठीक ढंग से कार्य कर रहा है।

अनेक विसंगतियां हैं। इस अधिनियम पर चर्चा के समय भी मैंने यह उल्लेख किया था कि इसमें अनेक विसंगतियां हैं लेकिन अधिकारियों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मंत्री जी ने केवल अधिकारियों की बात मानी। मैंने सुझाव दिया था कि विधेयक के नाम में ''भवन और अन्य निर्माण कार्य मजदूर कल्याण विधेयक'' में ''भवन'' शब्द की आवश्यकता नहीं है और इसे ''निर्माण कार्य मजदूर'' कल्याण विधेयक कहा जाना चाहिए। इसका पूरा विरोध किया गया था। मुझे आज भी मालूम नहीं है कि उन्होंने इसका विरोध क्यों किया। विधेयक पारित करने के बाद भी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है और नियम नहीं बनाए गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप गंभीर नतीजे सामने आए हैं। केरल सरकार का निर्माण कार्य मजदूर कल्याण कोष जो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा था वह अब अवरूद्ध हो गया है क्योंकि इसे केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत कार्य करना पड़ रहा है।

मैं गंभीरतापूर्वक मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें। मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल सरकार की अच्छी योजनाओं में से एक योजना इस समय कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि बोर्ड का गठन नहीं किया गया है और नियम नहीं बनाए गए हैं। अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मजदूर कल्याण अधिनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह भवन और निर्माण कार्य पर तत्काल कार्रवाई करें और नियम भी बनाएं। ...*(व्यवधान)* यह बिलकुल भिन्न है। मैं केवल इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। अत: मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि बीड़ी मजदूर कल्याण कोष को सुचारू बनाए जाने और इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है और असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कोष बनाए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति जी, मंत्री जी जो बीड़ी वर्कर्स का बिल लाए हैं और इसमें जो सैस बढ़ाने की बात हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

सभी लोग जानते हैं कि बीड़ी बनाने का काम एक घरेलू उद्योग है और हमारे देश में यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह अच्छी बात है कि इसको लघु उद्योग का दर्जा दे दिया गया है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। इससे थोड़ी राहत मिली है। क्योंकि यह घरेलू उद्योग भी है इसलिए इसमें आदमी, औरतें और 12-14 साल के छोटे-छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। बीड़ी उद्योग में जो बच्चे काम कर रहे हैं वह पैकिंग और लेबलिंग का काम करते हैं लेकिन जो सबसे खतरनाक काम इस उद्योग में है वह है बीड़ियों को गरम करने का। बीड़ी जब गरम की जाती है तो उसमें से बहुत प्रकार की गैस निकलती है जो बच्चों को काफी नुकसान देती हैं। इसलिए मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पर खास ध्यान दिया जाए।

इस समय बीड़ी उद्योग में जो काम करने वाले लोग है, हालांकि सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है, वह लगभग 37 रुपये प्रति 1000 बीड़ी निर्धारित किया है, लेकिन चिन्ता की बात यह है कि यह रेट कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा में लगभग 25,000 आदमी बीड़ी उद्योग में काम कर रहे है। उनकी हालत बहुत दयनीय है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने सही कहा है कि वे बहुत बुरी हालत में हैं। इस उद्योग में काम करने वाले बहुत गरीब हैं, जो लगातार अस्पताल जाते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार से यह रेट इम्प्लीमेंट हो जिससे कि बीड़ी वर्कर्स की आर्थिक अवस्था में सुधार हो सके। अधिकतर यह देखा जा रहा है कि बीड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग 20-22 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखायी देने लगते है, बीमार दिखाई देने लगते हैं। उनकी दवा-दारू की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। बीड़ी वर्कर्स की यूनियन के लोग मुझे मिलने आये थे, उन्होंने मुझे बताया कि इतने सारे लोग इस उद्योग में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो अस्पताल है उनमें डाक्टर की व्यवस्था ठीक नहीं है और दवा इत्यादि भी बराबर नहीं मिलती है। अधिकतर लोग ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और दूसरे रोगों से पीड़ित है, उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही हैं। इसमें एक और चिंता वाली बात यह है कि जो बीड़ी उद्योगों के ओनर्स है, जिनके बीड़ी के कारखाने हैं, वे एक तरफ तो वर्कर्स को बहुत कम पैसा देते है और दूसरी तरफ सैंट्रल गवर्नमेंट को जो एक्साइज ड्यूटी जाती है, वह भी वे बहुत कम दे रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी एक लाख बीड़ी पर पांच से सात रुपये है जबकि बीड़ी बनाने के बाद जब उसको बेचा जाता है तो प्रति हजार बीड़ी पर 25 से 30 रुपये एक्साइज ड्यूटी का रेट लगता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत वेरीयेशन है, अतः मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

वर्कर्स बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी यह ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि बढ़ती जाने वाली है। चूंकि आम आदमी के जीवन में जो मुसीबतें हैं, उनमें वह आराम करने के लिए या अपने मनोरंजन के लिए बीड़ी पीता है। बीड़ी पीना अपने देश में कम नहीं हो सकता लेकिन इस उद्योग को एक खतरा पैदा हो रहा है, सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी काफी कम हो गई है, जिसके कारण बीड़ी का कंजम्पशन घटता चला जा रहा है। स्टैडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, माननीय मंत्री जी कृपया इस पर ध्यान दीजिए और आपके विभाग के आफिसर्स भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि इसकी जो संस्तुतियां हैं उनमें यह कहा गया है कि हर जिले में एक अस्पताल होना चाहिए, उनमें एक्स-रे की सुविधा हो, पैथोलोजी की सुविधा हो, जिससे कि भयानक बीमारियां डायग्नोस की जा सके। हर जिले में 25 से 30 बैड का अस्पताल हो, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। 50 बैड का अस्पताल लगभग छः करोड़ रुपये में बनता है और उसका रिकरिंग एक्सपेंडीचर लगभग 25 से 30 लाख रुपये किया जाए। आप जो 42 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं यह पैसा इन अस्पतालों को बनाने के लिए, उन्हें चलाने के लिए और वर्कर्स के वैलफेयर के काम में कहां तक पूरा पड़ेगा, इसमें मुझे थोड़ा शक लगता है। अतः इस पर थोड़ा विचार कीजिए। दूसरे लोगों ने जो बातें कहीं हैं मैं उनसे भी बिल्कुल सहमत हूं कि 42 करोड़ रुपया आप यहां से रेज कर रहे हैं, 42 करोड़ रुपये इसमें सरकार भी डालें, इससे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आप काम कर सकते हैं।

सरकार जो वैलफेयर स्कीम चला रही है, उसमें खास तौर से दो-तीन स्कीमों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आपने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया है जिसमें यदि किसी वर्कर नेचुरल डेथ हो तो उनको तीन से पांच हजार रुपया दिया जाए। आपके विभाग ने वर्किंग ग्रुप बुलाया था, जिसमें इंश्योरेंस के लोग थे और दूसरे लोगों ने भी उसमें भाग लिया था। उस वर्किंग ग्रुप ने जो रिकमेडेशंस दी थीं, अब उनकी क्या स्थिति है?

[श्री चेतन चौहान]

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो रिक्मेंडेशन की गई हैं वे कहां तक पहुंची है, क्या वे एक्सैप्ट हो गई हैं? क्या लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन या दूसरे कार्पोरेशन ने वे रिक्मेंडेशन मान ली हैं और लागू हो गई है? नैचुरल डैथ पर आपने रु. 5,000/- और एक्सीडेंटल डैथ पर रु. 10,000/- की रिक्मेंडेशन की थी, लेकिन उनका अभी तक कोई अता-पता नहीं है कि वे स्वीकार हुई या नहीं?

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने बीड़ी श्रमिकों को जो घर बनाने की सुविधा दी है, उसमें दो तरह की सुविधाएं हैं एक तो "इकनौमीकली वीकर सैक्शंस" के लिए और दूसरी "बिल्ड यौर ओन हाउस" - इनमें आप रु. 15,000/- का ऋण दे रहे है जिसके ऊपर लगभग रु. 1700/- की सबसिडी देते हैं। इस संबंध में यहां हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है। मेरा भी निवेदन है कि यह राशि बहुत कम है। इसमें किसी भी प्रकार से पक्का मकान नहीं बन सकता। इसलिए इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम रु. 25,000/- कर दिया जाए और जो सबसिडी है उसको बढ़ाकर रु. 5,000/- कर दिया जाए, इस प्रकार से उसको रु. 30,000/- मिल जाएंगे जिससे वह अपना एक कमरे का घर बना सकेगा।

सभापति महोदय, इस विधेयक के ऊपर ज्यादा विवाद नहीं है और सभी लोग इससे सहमत है। बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए आप पैसा और बढ़ाइए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो जो वर्कर्स इस कार्य में लगे हैं उनका भला होगा और मंत्री जी वे आपको भी दुआएं देंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर अपने विचार प्रस्तुत करने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे देश में 50 लाख से ज्यादा बीड़ी मजदूर कार्यरत हैं और ज्यादातर इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कार्य करते हैं। अभी सदन में सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए सुझाव के तौर पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

महोदय, मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है और ज्यादातर बीड़ी का उपयोग करने वाले हमारे किसान, मजदूर या रिक्शे वाले लोग होते हैं। संपूर्ण देश के कुल बीड़ी उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और जबलपुर में होता है। संपूर्ण देश के कुल तेन्दू पत्ते का 65 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश के जंगलों में ही पाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीड़ी निर्माण की दरों को दुगना करे ताकि हमारे बीड़ी श्रमिकों को लाभ मिल सके। आपने राज्यों में अस्पताल खोलने की बहुत सी स्कीमें बनाई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अस्पतालों को तहसील स्तर पर खोला जाए। यदि यह संभव न हो, तो कम से कम प्रत्येक जिले में एक अस्पताल की स्थापना अवश्य की जाए और इन अस्पतालों में एक्स-रे मशीन और पैथोलौजी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए क्योंकि बीड़ी श्रमिक ज्यादातर टीबी के रोग से ग्रस्त होते हैं और उनके फेफड़े खराब हो जाते है। इसलिए उनके खून आदि की जांच और एक्स-रे करने की व्यवस्था इन अस्पतालों में अवश्य होनी चाहिए।

महोदय, अस्पतालों की सुविधा के साथ-साथ बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों की सुविधा हो और उनको छात्रवृत्ति कंपलसरिली दी जाए क्योंकि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो देखेंगे कि छोटे-छोटे लड़के लड़कियां तथा महिलाएं घरों में बीड़ी बनाती रहती है। जो बाल श्रमिक हैं उनको काम से हटाकर पढ़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनका भविष्य बन सके। तेन्दू पत्ते की नीति में भी फेर-बदल करने की आवश्यकता है। मजदूरों की कल्याण योजनाओं को लागू करने और उनके ऊपर अमल करने हेतु मालिकों के साथ प्रापर समझौता होना चाहिए ताकि हमारे मजदूरों को सुविधा मिल सके। बीड़ी उद्योग में घपले भी बहुत हो रहे हैं ज्यादातर खराब गुणवत्ता के मामले में, चाहे तम्बाकू की क्वालिटी हो या कम तोलने की प्रवृत्ति हो। इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप योजना बनाये। इसी के साथ-साथ मजदूरों को यह भी सुविधा मिल सके कि सरकार की तरफ से, बीड़ियों के ऊपर जो धागे बांधे जाते हैं, वे उन्हें मुफ्त में मुहैया कराये जाये। ऐसा लगता है कि शासन ने बीड़ी उद्योग के मालिकों के आगे घुटने टेक दिए है क्योंकि जितने भी उद्योग समूह है, वे बड़े ही धनवान, अरबपति, खरबपति हो गये है लेकिन बीड़ी मजदूरों की समस्या जहां की तहां बनी हुई है।

दूसरी बात सामूहिक बीमा योजना की कही गई है। इसे कड़ाई से लागू करने का आवश्यकता है। आपने स्वाभाविक मृत्यु पर तीन हजार रुपये से पांच हजार रुपये की राशि बढ़ाई है जबकि आज की महंगाई में पांच हजार रुपये की राशि बहुत कम है। कम से कम स्वाभाविक मृत्यु पर दस हजार रुपये की धनराशि आप मुहैया कराये। इसी के साथ-साथ आकस्मिक दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दस हजार रुपये की जगह पच्चीस हजार रुपये मुहैया ही कराने चाहिए। आवास सुविधा के नाम पर आपने अभी तक 14,180 आवास मुहैया कराये हैं। मैं

आपसे मांग करता हूं कि बीड़ी मजदूरों की संख्या को देखते हुए आवास नीति को आप आगे बढ़ायें और ज्यादा से ज्यादा उन्हें आवासीय सुविधा के लिए ऋण दें खासकर जो बहुत ही कमजोर तबके के लोग हैं। बीड़ी मजदूरों में जैसा मैंने कहा कि बालकों की अधिक भागीदारी को खत्म करना चाहिए। वैसे सरकार भी बाल मजदूरों के बारे में चिन्तित है। इसी के साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की संख्या कम नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 25 हजार इनकी संख्या होगी। इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग ही इसको बनाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए। जैसा कहा गया है कि राज्य सरकारों को भी वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी तय करने की सुविधा हो।

इसी तरह पारिवारिक सेविंग स्कीम भी लागू की जाये ताकि भविष्य में उनके परिवार को कुछ सुविधा मिल सके। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, उस पर एक शुल्क, चाहे दो पैसे हो, पांच पैसे हो, लगा दें और उस राशि का 50 प्रतिशत, और 50 प्रतिशत सरकार की तरफ से उनकी बीमारी पर खर्च किया जाये ताकि उनको संरक्षण मिल सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और वे शालीनता और लगन से अपना काम कर सकें। ...*(व्यवधान)* मैं खत्म कर रहा हूं। बहुत से कमजोर तबके के लोग कुटीर उद्योग के नाम पर अपने धंधे लगाना चाहते हैं। उनको कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मुहैया हो ताकि कुटीर उद्योग लगाकर वे अपना पालन-पोषण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बिल पेश किया है और उस पर मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर आप अमल करेंगे, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आता हूं जहां बीड़ी मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। आज सारे देश में बीड़ी उद्योग एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। लगभग 60 लाख बीड़ी मजदूर बीड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। अकेले सागर में ही लगभग 60 हजार मजदूर बीड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इनमें बच्चे, महिलायें, नौजवान व अनुसूचित जाति व जनजाति और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों के रूप में काम कर रहे है। क्योंकि ये लोग अशिक्षित होते हैं, इसलिए दरिद्रता में अपना जीवन गुजारते हैं और इनमें अज्ञानता का अभाव रहता है। ये संगठित नहीं होते हैं जिसके कारण बीड़ी निर्माताओं द्वारा इनका शोषण किया जाता है। इन बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र, लॉग बुक, न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, बोनस, छात्रवृत्ति, आवास योजना, चिकित्सा सुविधा तथा किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको अशिक्षा के कारण नहीं मिल पाता है। बहुत सारे मजदूर ऐसे भी होते है जिनको अपने मालिक का नाम भी नहीं पता होता। वैसे तो सरकार के द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए बहुत से कानून बनाये गये हैं जैसे बीड़ी सिगार अधिनियम, 1966, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बोनस अधिनियम, 1965, ग्रैच्युटी एक्ट, 1972, भविष्य निधि अधिनियम, 1952 आदि। साथ ही केन्द्र सरकार ने बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 भी बनाया है तथा मजदूरों के वेतन निर्धारण हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 भी लागू है। इतने सारे कानूनों के बावजूद भी बीड़ी मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। सट्टेदारों द्वारा बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र न दिए जाने के कारण सरकार द्वारा घोषित समस्त सुविधाओं के लाभ से उनको वंचित रहना पड़ता है। आज देश के बीड़ी मजदूरों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों में गरीबी रेखा की जो परिभाषा की जाती है, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 15 हजार रुपये वार्षिक प्रति परिवार कमाने वाले जो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को 600 रुपये मासिक से अधिक नहीं मिल पाता। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की दयनीय स्थिति का पता चलता है। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए तभी मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। नियमों को कार्यान्वित करने के लिए, व्यावहारिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करते हुए कर्मचारियों के हित में इनमें संशोधन करने की जरूरत है। नियोजन अथवा सट्टेदार, ठेकेदार को बिना परिचय पत्र मजदूर रखने के लिए कड़ी सजा तथा भारी जुर्माने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। परिचय पत्र न देना, इम्प्लायमेंट रजिस्टर न रखना, इसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस स्थिति में मजदूरों को मुकदमा करने का अधिकार मिले।

अलग-अलग प्रांतों में बीड़ी मजदूरी की दरों में काफी अंतर है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मजदूरी बीड़ी मजदूरों को दी जाती है। उत्तर प्रदेश में 35 रुपये प्रति हजार, कर्नाटक में 36 रुपये प्रति हजार, केरल में 42 रुपये प्रति हजार है जबकि मध्य प्रदेश में साढ़े बाइस रुपये प्रति हजार दी जाती है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में अन्य प्रांतों की तुलना में सबसे कम मजदूरी है। यह जो विसंगति बनी हुई है, वह दूर होनी चाहिए और सारे देश में बीड़ी मजदूरों को मजदूरी की दर एक समान निर्धारित की जानी चाहिए। बहुत सारे प्रदेशों में मजदूरों को पत्ती, धागा दिया जाता है। मध्य प्रदेश

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

में मजदूरों को जो धागा दिया जाता है, उस का पैसा भी मजदूरी में से काटा जाता है।

7 फरवरी, 1997 को सागर में संयुक्त मोर्चे की सरकार के श्रम मंत्री गए थे। उन्होंने वहां बीड़ी मजदूर अस्पताल का शिलान्यास किया था। उसके पहले 6-7 वर्ष पूर्व भी उसी स्थान पर बीड़ी मजदूर अस्पताल बनाने के लिए शिलान्यास किया गया था। गत 7 फरवरी, 1997 को श्रम मंत्री महोदय ने बीड़ी श्रमिक अस्पताल का शिलान्यास करते हुए यह घोषणा की थी कि यह अस्पताल दो वर्ष में बनकर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लगभग डेढ़ वर्ष पूरा होने जा रहा है, उस स्थान पर एक ईंट भी अस्पताल के निर्माण के लिए नहीं रखी गई है। बीड़ी मजदूर जिस स्थान पर बैठकर कार्य करते हैं, उनके छोटे-छोटे घर होते हैं जिनमें एक परिवार के 6-7 सदस्य एक साथ बैठकर बीड़ी बनाते हैं जिसके प्रदूषण के कारण वे तपेदिक और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं होती कि वे अपने परिवार के सदस्य की टी.बी. का इलाज करा सकें। जो डिस्पैंसरियां उनके इलाज के लिए बनाई गई है, खास तौर से मैंने सागर में देखा है, बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम विभाग द्वारा जो डिस्पेंसरी चल रही है, उनमें साधारण इलाज के लिए भी दवाएं उपलब्ध नहीं होती। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। हर कोई एक ही बात कह रहा है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं क्योंकि मेरा जिला बीड़ी मजदूरों का है और सबसे ज्यादा बीड़ी मजदूर मध्य प्रदेश के सागर जिले में हैं। ...*(व्यवधान)* सागर, दमोह, जबलपुर, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड के बांदा, महोबा, झांसी ये सारे ऐसे स्थान हैं जहां व्यापक रूप में बीड़ी श्रमिक बीड़ी मजदूर के कार्य में लगे हुए हैं। व्यावहारिक रूप में देखने में आया है कि अधिकांशत: बीड़ी निर्माता अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए बीड़ी श्रमिकों का शोषण तो करते ही हैं लेकिन उनके कल्याणार्थ सरकार के साथ ही साथ उन मालिकों की बीड़ी श्रमिकों के कल्याण में जो सहभागिता होनी चाहिए, उस का अभाव देखा जाता है। केवल कानून बनाने से ही समस्याओं का समाधान आज की तारीख में असम्भव लगता है। वर्तमान स्थिति में मजदूरों का जो आवास बनाने के लिए 25 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक की लागत स्थानीय विभिन्नता पर आती है, इसमें केन्द्र सरकार के द्वारा 30 परसेंट लागत अनुदानस्वरूप और 30 परसेंट लागत ऋण स्वरूप देने की आवश्यकता है। चूंकि ये आर्थिक रूप में इतने सक्षम नहीं होते है कि स्वयं अपने बल पर ये अपना मकान बना सके।

मालिक उद्योग के कर्त्ता एवं मुखिया है और मजदूर परिवार के सदस्य हैं, यह भाव मालिक में पैदा करने की जरूरत है। इस भाव को जाग्रत होने के बाद परिवार कल्याण की जिम्मेदारी कर्त्ता के ऊपर आती है, यह बदल होना बहुत जरूरी है। मजदूरों को शिक्षण, प्रशिक्षण देकर उनके अज्ञात भय को दूर करके विश्वास पैदा करने की भी आवश्यकता है। यह जो बीड़ी मजदूर कर्मकार उपकर विधेयक सरकार द्वारा लाया जा रहा है, मैं इस भावना के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि हमारे मंत्री जी कवि हृदय और साथ ही साथ एक मजदूर नेता भी हैं, ये मजदूरों की भावना के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझते है। इस उपकर के द्वारा जो 50 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया किया जा रहा है, इससे जो राशि प्राप्त होगी, इससे मात्र बीड़ी मजदूरों का कल्याण होने वाला नहीं है। सरकार को और भी संसाधनों से राशि जुटाने का प्रयास करना चाहिए, तभी वास्तव में बीड़ी निर्माता, मजदूर, शासन, प्रशासन ये सभी आपस में सामंजस्य बनाकर शासन, प्रशासन, मालिक, सट्टेदार और संगठन पर एक के हक को पहचानते हुए प्रभावशाली मानसिक परिवर्तन करेगा, तभी मजदूरों का वास्तव में कल्याण होगा और इन योजनाओं का लाभ इनको प्राप्त हो सकेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, बीड़ी मजदूर कल्याण और सैस वाला विधेयक सुनने से हमको लगा था कि कुछ मजदूर के कल्याण, भलाई और उसको शोषण से मुक्ति दिलाने का विधेयक होगा। पहले तो लगा कि ये लोग वर्कर्स और मजदूर के विरोधी आदमी हैं, तब कैसे ये लोग मजदूर को फायदे वाला विधेयक लेकर आये। शुरू में तो लगा, लेकिन जब ...*(व्यवधान)* इसीलिए तो कह रहे है। कहते हैं कि मिनिस्टर गरीबोन्मुखी और मजदूर की भलाई करने वाले हैं। ऐसा बताते हैं तो भलाई करने वाला मैं आपके कहने से मानूंगा कि मैं देखूंगा कि बिल में मजदूरों की क्या भलाई है? उसके लिए कुछ साहस दिखाएंगे, तब हम मानेंगे कि पार्टी से अलग ये मजदूरों की भलाई करने वाले हैं।

इसमें कम से कम 10 पैसे सैस लगाना था और ज्यादा से ज्यादा 50 पैसा। इन्होंने कम से कम 10 पैसे वाले को 50 पैसे करने का संशोधन किया है और 50 पैसे वाले को एक रुपया करने का संशोधन किया है। यही संशोधन किया है न?

डा. सत्यनारायण जटिया : वह मालिक से लेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मालिक से ही लेंगे। एक हजार बीड़ी बनाने पर एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, यही न? मालिक से आमद करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से मजदूर को क्या देंगे, यह इसमें कुछ नहीं है। जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका शोषण मालिक लोग कर रहे हैं तो मालिक के शोषण पर कर लगाओ, जितना लगाना हो, लेकिन अपनी तरफ से भी तो मजदूर को कुछ दे, तब हम लोग समझेंगे कि ये सही रूप में मजदूर के पक्षधर हैं। हमें इनकी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इस सरकार पर भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं कि मंत्री गरीबोन्मुख और गरीब घर से आने वाले आदमी हैं तो ये तो कम से कम मजदूर की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर काम करके दिखायें। देश भर में 50 से 60 लाख की संख्या बीड़ी मजदूरों की लोग बताते है।

बिहार में कम से कम 7-8 लाख बीड़ी मजदूर से कम नहीं हैं। वहां के मजदूर इतनी बढ़िया बीड़ी बनाते हैं कि वहां की बीड़ी यदि कोई सिगरेट पीने वाला आदमी पी ले तो सिगरेट पीना छोड़ देगा, बीड़ी पीने का ही अभ्यास उसको हो जायेगा। इसलिए वहां बढ़िया बीड़ी, बछवाड़ा बीड़ी नामी है। बिहारशरीफ में हजारों मजदूर काम करते है और बड़ी मशहूर बीड़ी बनाते है। हमारे यहां से कलकत्ता में बीड़ी जाती है। वहां काम करने वाले जो मजदूर है, वे खोजते है कि बछवाड़ी बीड़ी कहां है, बिहारशरीफ वाली बीड़ी कहां है। हमने इसमें देखा कि मजदूरों की भलाई, उसकी शोषण मुक्ति का कुछ नहीं है। आप मालिक से कुछ लेकर फण्ड जमा करना चाहते हैं। वह जो फंड जमा होगा, उससे मजदूरों की भलाई और सदुपयोग होगा। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है; इसलिए सरकार खुलकर यह बताए कि जो यह सैस से पैसा जमा करेगी, उसमें जो पचास-साठ लाख मजदूर हैं, उनकी भलाई में अपनी तरफ से कितना पैसा लगाएगी? उस पैसे का मजदूर की भलाई में ही कितना सदुपयोग होगा, यह भी सरकार बताए। जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं कि मजदूरों की भलाई और उनके कल्याण के लिए अस्पताल होना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस राशि का सदुपयोग भी होना चाहिए। अत: सरकार गारंटी दे और सदन को बताए कि सैस से जो पैसा एकत्र होगा, वह मजदूरों की भलाई पर किस प्रकार से खर्च करेगी, इस बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सब लोग जाने कि पैसा किस प्रकार से खर्च किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राशि मजदूर के नाम पर दी जाए और खर्च अन्यत्र दूसरी चीज पर हो जाए क्योंकि इस तरह से मजदूर की भलाई नहीं होने वाली है। अत: जो पैसा मजदूर के नाम पर दिया जाए, वह मजदूर के कल्याण पर ही खर्च किया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि उस पैसे से मजदूर के शोषकों का भला हो। इस मामले में दो-तीन बातों पर कसौटी कसी जानी चाहिए।

जब हमें इस बारे में मालूम हुआ तो हमें आश्चर्य हुआ कि यह सरकार मजदूर विरोधी है। ये लोग मजदूर को देख नहीं सकते, मजदूर का ख्याल नहीं करते, यह बड़े लोगों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े-बड़े व्यापारी इसके शुभुक्षु हैं और ये लोग मजदूर पर विधेयक लाए हैं। हमें यह भी जानकारी हुई कि सैस से पैसा जमा करेंगे लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहे हैं। मालिकों द्वारा जो शोषण हो रहा है, उसका भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया है। लेकिन मैं भरोसा करता हूं, जैसा चाक्को साहब का कहना है कि मंत्री गरीब घर से आते हैं तो वे मजदूर का जरूर ख्याल रखेंगे। इसलिए मैं भी भरोसा कर लेता हूं कि इस बिल को तत्काल पास करिए लेकिन साफ-साफ बताएं कि सरकार की तरफ से मजदूरों के कल्याण में कितनी राशि दी जाएगी? उस पैसे की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री बी.एम. मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी लोक शक्ति की ओर से बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में उपकर 50 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपए करने की मांग की गई है।

बीड़ी उद्योग में लगभग 50 लाख लोग काम कर रहे हैं। इसमें से 25 लाख लोग युवा बालक तथा बालिकाएं हैं। भारत सरकार ने बीड़ी उद्योग में कार्यरत युवा बालक और बालिकाओं की प्रमुख समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय इस संशोधन का सहारा लिया है। उनकी अनेक गंभीर समस्याएं हैं। हमारे देश में 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा निदेशात्मक बना दी गई है। दुर्भाग्यवश इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। बालक, बालिकाओं और यहां तक कि बच्चों को भी बीड़ी बनाने के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार अनिवार्य शिक्षा को लागू करने पर गंभीरता से सोचती है।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बी.एम. मेनसिंकाई]

महोदय, सरकार उपकर के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए की प्राप्ति कर सकती है। इस धनराशि का महत्वपूर्ण भाग समाज द्वारा शोषित इन बच्चों के कल्याण पर अवश्य खर्च किया जाना चाहिए। लड़कों और लड़कियों को बीड़ी बनाने के बदले बहुत मामूली पैसा दिया जाता है। उनके भविष्य का क्या होगा? क्या उन्हें अपने जीवन भर गुलामों की तरह काम करना चाहिए। इन बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार एक विस्तृत संशोधन विधेयक क्यों नहीं लाती है?

बीड़ी उद्योग में काम करने वाले उन बच्चों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। वे अपनी मामूली आमदनी से दवाएं खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा सकते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से इन गरीब बच्चों की मदद करने का आग्रह करता हूं ताकि उनके स्वास्थ्य को बीड़ी उद्योग के खतरों से बचाया जा सके।

कर्नाटक राज्य में बागे बीड़ी कंपनी है। सवानूर में भी बीड़ी का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। वहां बीड़ी का उत्पादन घरों के अंदर किया जा रहा है। यह एक बहुत आवश्यक कुटीर उद्योग बन गया है। घरों में इन बच्चों से प्रत्येक दिन बीड़ी बनाने के लिए कहा जाता है। एक हजार बीड़ी की गिनती की और तदनुसार बच्चों को भुगतान किया जाता है। तथापि, युवा पीढ़ी, विशेषरूप से बहुत गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों की शिक्षा खतरे में है।

अतएव मैं एक बार पुन: माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह बीड़ी उद्योग में कार्यरत बच्चों की इस गंभीर समस्या पर ध्यान दें। उन्हें बिना कोई और विलम्ब किए इन बच्चों को सभी शैक्षणिक और चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

महोदय, मैं आपको इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा यह संशोधन विधेयक बीड़ी उत्पादन पर उपकर बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र से 42 करोड़ रुपए की प्राप्ति करना है। सदस्यों में इस बात को लेकर तनिक भी मतभेद नहीं है कि बीड़ी कर्मकार इस देश में सर्वाधिक असंगठित कर्मकार हैं। वे समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग हैं। वे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। जहां वे काम करते हैं वहां के शेड्स और अड़ोस-पड़ोस बहुत ही गन्दे और अस्वास्थ्यकर हैं। उनके काम करने के लिए कोई उपयुक्त प्रबंध नहीं है। यहां तक कि महिला कर्मकारों के लिए शौचालयों का भी प्रबन्ध नहीं है।

बीड़ी कर्मकार देश में सर्वाधिक खतरनाक काम कर रहे हैं। इसलिए वे अनेक गंभीर बीमारियों, विशेषरूप से तपेदिक से पीड़ित हैं। हमारे देश के बीड़ी कर्मकारों के लिए समुचित चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने हेतु कोई प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। सचल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था है लेकिन वह समुचित रूप से काम नहीं कर रही है। वह उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। अत: मैं भारत सरकार, विशेषरूप से संबंधित माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस और ध्यान दें ताकि केवल बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए देश के विभिन्न भागों में हस्पताल खोलने के प्रबन्ध किए जा सकें। बीड़ी कर्मकारों का रोजगार सुरक्षित नहीं है। उनका रोजगार नियोक्ता की इच्छा और दया पर निर्भर करता है। उन्हें कोई पेंशन और भविष्य निधि सुविधा नहीं दी गई है। उन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा कर्मकारों के कल्याण के लिए अधिनियमित विधियों के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। बीड़ी कर्मकारों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए श्रम अधिकारियों और श्रम निरीक्षकों का प्रावधान किया गया है ताकि बीड़ी कर्मकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें।

लेकिन श्रम अधिकारी और श्रम विभाग अपनी ड्युटी करने से बहुत कतराते हैं। बीड़ी कर्मकारों का समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है - बीड़ी क्षेत्र में लगभग एक करोड़ लोग कार्यरत हैं। लेकिन वे गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। उनके लिए चिकित्सकीय सुविधाओं का कोई प्रबन्ध नहीं है; शैक्षणिक सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है और वे गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं।

अत: सरकार को बीड़ी कर्मकारों की हालत में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ी संख्या में बीड़ी कर्मकार अपने-अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। बच्चे और महिलाएं भी अपने घरों में बीड़ी कर्मकारों के रूप में काम कर रही हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त सामग्री आपूर्ति नहीं की जाती है।

उन्हें बैंकों से भी कोई ऋण नहीं मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत ही निष्ठुर हैं। वे बड़े अनिच्छुक हैं और बीड़ी कर्मकारों को कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दे रहे हैं। बीड़ी कर्मकार समाज के गरीब तबके के लोग हैं। इसलिए बीड़ी कर्मकारों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें तथा बीड़ी

कर्मकारों को विशेष सुविधाएं प्रदान करें जिससे कि उनकी दयनीय दुर्दशा में सुधार किया जा सके।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर अपने विचार प्रकट करने हेतु मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं डी.एम.के. लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन की ओर से इस पर अपने विचार प्रकट करता हूं।

भारत में श्रम शक्ति का लगभग 95 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र में है। बीड़ी उद्योग उन कर्मकारों के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है जो असंगठित हैं। यद्यपि मजदूर संघ कर्मकारों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं परन्तु चूंकि यह एक घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है अतः मजदूर संघों के लिए इन कर्मकारों की समस्याओं हेतु लड़ना बहुत कठिन है।

अकेले तमिलनाडु में, 6 लाख से ज्यादा कर्मकार बीड़ी उद्योग में कार्यरत हैं। डा. कालायंगर एम. करुणानिधि के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार बीड़ी कर्मकारों की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए अनेक ठोस कदम उठा रही है। तमिलनाडु सरकार ने बीड़ी कर्मकारों हेतु तिरुनेलवेली जिले के मेलापालायम में 435 मकानों और मुक्कूडल में 535 मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके अतिरिक्त उसने उन अन्य जिलों में भी मकानों के निर्माण की योजना बनाई है जहां बीड़ी कर्मकार बड़ी संख्या में कार्यरत हैं।

यहां, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन कर्मकारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु केवल 9000 रु. की मामूली राशि ही मंजूर की जाती है। भवन निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि को देखते हुए प्रत्येक कर्मकार को निर्माण के लिए शेष धनराशि की व्यवस्था करने हेतु 40000 रु. से लेकर 45,000 रु. तक का ऋण जुटाना होता है। अतः कर्मकारों के लिए भवन निर्माण बहुत कठिन है। इसलिए अनुदान राशि बढ़ाकर कम से कम 30,000 रु. प्रति कर्मकार की जानी चाहिए।

तमिलनाडु प्रमुख बीड़ी उत्पादक राज्यों में से एक है और, हालांकि, तमिलनाडु से उपकर के जरिए अच्छी खासी धनराशि वसूला जाती है लेकिन वह धनराशि उसी समानुपात में तमिलनाडु में उन कर्मकारों के कल्याण हेतु वापस नहीं जाती है जिनके लिए उपकर का भुगतान किया जाता है।

भारत सरकार की मौजूदा बीड़ी कल्याण योजना के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों के बच्चे शैक्षणिक छात्रवृत्ति के लिए अधिकृत हैं। लेकिन योजना के अंतर्गत एक शर्त निर्धारित कर दी गई कि कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। इन निर्धन कर्मकारों की कोई सामाजिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं होती है और ये बच्चे अपने मां बाप द्वारा उन्हें बीड़ी उत्पादन में सहायता प्रदान करने के अभ्यस्त बना दिये जाते हैं।

सायं 7.00 बजे

आप बच्चों से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जहां तक बीड़ी कर्मकारों का संबंध है, इस शर्त में छूट दी जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की इस शर्त को समाप्त कर दे और उन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करे जो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं।

मौजूदा बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष अधिनियम, 1976 के साथ पठित नियमों के अंतर्गत, बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। इन कर्मकारों को पहचान पत्र जारी करने की जिम्मेदारी कल्याण आयुक्त की होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश पहचान पत्र समुचित रूप से जारी नहीं किए जा रहे हैं। मैं सरकार तथा माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के श्रम विभाग को सौंप दें। चूंकि चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र का होना अनिवार्य है अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर वह व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें।

बीड़ी उद्योग एक विशेष प्रकार का उद्योग है जिसमें ठेका प्रणाली चलती है। यह प्रणाली बीड़ी कर्मकारों के विकास को अवरूद्ध करती है। ठेकेदार, एक ओर बीड़ी कर्मकारों का शोषण करते हैं तो दूसरी ओर उन्हें उनके सांविधिक लाभों से वंचित करते हैं। ठेकेदारों द्वारा कर्मकारों को मजदूरी के साथ छुट्टी, बोनस, इत्यादि नहीं दिया जाता है।

कर्मकारों को ठेकेदारों के शिकंजे से मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा बीड़ी कर्मकारों को सहकारिता के आधार पर संगठित करने के लिए प्रोत्साहन, सहायता और मदद देनी चाहिए। तमिलनाडु बड़ी विसंगत स्थिति में है। हालांकि इसके बीड़ी कर्मकार वंचित लोग हैं फिर इसके पास कच्ची सामग्री भी नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा सहकारी समितियों को रियायती दरों पर कोमल पत्तियों की आपूर्ति करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इन

[श्री पी. कुप्पुसामी]

समितियों के अंतर्गत आने वाले बीड़ी निर्माता उनकी बिक्री प्रतियोगी दरों पर करें। इसी प्रकार भारत सरकार को अपने प्रयोग के लिए केवल सहकारी समितियों से ही खरीदारी करनी चाहिए।

ऐसा समझा जाता है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष के लिए राज्य परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन 1991 से नहीं किया गया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस समिति का गठन शीघ्र करें। चूंकि बीड़ी उद्योग के कर्मकारों को उपजीविकाजन्य रोगों से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है। अतः तमिलनाडु में मौजूदा चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार तथा उनका विस्तार किया जाना चाहिए ताकि कर्मकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त रूप से हो सके।

सभापति महोदय : अब सांय के 7 बज चुके हैं। सभा ने बैठक की अनुमति 7 बजे तक के लिए दी थी। अभी सात अथवा आठ सदस्यों को और बोलना है। हम आधे घंटे और अथवा जब तक विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक बैठक जारी रख सकते हैं। प्रत्येक सदस्य केवल दो मिनट लेगा। श्रीमती जयन्ती पटनायक।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, बीड़ी उद्योग लघु उद्योग विकास संगठन की पंजीकृत योजना के अंतर्गत एक लघु उद्योग है। ऐसे सभी पंजीकृत लघु बीड़ी उत्पादक एकक उन प्रोत्साहनों, रियायतों और सुविधाओं को पाने के हकदार हैं जो अन्य लघु उद्योगों को राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अंतर्गत प्राप्त होता है।

अधिनियम के इस वर्तमान संशोधन में अधिसूचित उपकर 1 रुपया रखा जायेगा जिससे करीब 42 करोड़ रुपए प्राप्त किए जा सकेंगे। लेकिन बीड़ी कर्मकारों की दयनीय दशा और उनकी समस्याओं को देखते हुए यह भी अपर्याप्त होगा। सरकार को इस कोष के लिए इतनी ही धनराशि का योगदान स्वयं करना चाहिए था।

सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बीड़ी कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी ही नहीं मिलती है क्योंकि वे असंगठित क्षेत्र में है और जो उन्हें प्राप्त होता है वह निर्धारित दर से बहुत कम होता है। कभी कभार तो कुशल बीड़ी कर्मकार को भी 10 रु. से 12 रु. ही मिलता है। औरतों और बच्चों के बारे में क्या कहा जाए? निश्चित तौर पर महिलाओं को उतना नहीं मिलता जितना कि पुरुषों को मिलता है। हमारे वैधानिक प्रतिबन्धों के बावजूद, बच्चे बीड़ी बनाने का काम करते हैं। विशेषरूप से पैकिंग, लेबल लगाने और बीड़ियों को 'हीट' देने का कार्य करते हैं। 'हीट'' देने का काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह काम बच्चों द्वारा किया जाता है जो 20 से 22 वर्ष की आयु में ही काफी बूढ़े लगने लगते हैं। बीड़ी बनाने के काम में लगी लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं और यदि जाती भी हैं तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें बीड़ी बनाने के काम से कमाई करनी है और अपनी शादी के लिए पैसा बचाना है।

इसीलिए वे स्कूल नहीं जाती है। इस बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए, खासतौर से जब आप लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।

बीड़ी बनाने वाले कर्मकारों को उनकी चाल से ही पहचाना जा सकता है। कभीकभार बीड़ी कर्मकार क्लिनिकों और अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। वे इधर-उधर थूकते हैं। हम जानते हैं कि उनके लिए कोई अस्पताल और कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। और यदि ये हैं भी तो उनमें न कोई डाक्टर है और न ही कोई औषधि। संसदीय समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक ताल्लुक और जिले में क्रमशः 25 बिस्तर वाले और 100 बिस्तर वाले अस्पताल स्थापित किए जाने हैं। लेकिन यह अभी देखने में नहीं आया है।

आवास के संबंध में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वे बहुत ही शोचनीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की हालत ज्यादा खराब हैं। उनके लिए कोई शौचालय सुविधा नहीं है। वे बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थिति में रह रही हैं। इस समय, आप 19,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। यह राशि अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाए।

अब मैं बीमे के बारे में कहता हूं। उनका जीवन जोखिम भरा है। शुरूआत से, वे बीड़ी निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। आप दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10,000 रु. और स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने पर 5000 रु. का भुगतान कर रहे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब उनका जीवन इतना जोखिम भरा है तो उन्हें स्वाभाविक मृत्यु होने की स्थिति में भी कम से कम 10,000 रु. मिलने चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका सबसे अधिक शोषण हो रहा है। मालिकों द्वारा उनका विशेष रूप से शोषण किया जा रहा है। एक ओर, वे कर्मचारियों का शोषण करते हैं दूसरी ओर वे बाजार से 25 से 30 रु. प्रति हजार की दर से 20 लाख रु. मूल्य की एक लाख बीड़ियों को निकाल करके उत्पाद-शुल्क विभाग को प्रतिवर्ष राजस्व का चूना लगाते हैं। मैं यह कहूंगा कि बीमा राशि में वृद्धि की जाए। बीड़ी कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की बहुत गहराई से जांच की जाए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विंलोन) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं कुछेक टिप्पणियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बीड़ी उद्योग को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है यानी गृह आधारित उद्योग और कारखाना आधारित उद्योग। सन् 1994-95 में पूर्व स्थायी समिति द्वारा यह बताया गया कि 70 प्रतिशत बीड़ी कर्मकार गृह आधारित उद्योगों में काम करते हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। वे गरीबी की रेखा के नीचे भी रह रहे हैं। अत: जैसाकि पिछले प्रतिवेदन में बताया गया था, बीड़ी कर्मकारों की स्थिति अभी भी पहले जैसी बनी हुई है।

इन कर्मकारों को कल्याण संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने में यह कठिनाई है कि चूंकि ये असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए उन कर्मकारों का पता लगाना बहुत कठिन है। उक्त अधिनियम और कल्याण निधि अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कल्याण आयुक्त का दायित्व है कि वह उन्हें पहचान पत्र जारी करे। अत: यह बहुत कठिन लगता है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संगठित उद्योग और गृह-आधारित उद्योग दोनों मे 44 लाख बीड़ी कर्मकार काम करते हैं। अत: ये आंकड़े सही नहीं हैं। जैसाकि सभा में बताया गया है, यह संख्या एक करोड़ से भी अधिक हो सकती है।

चूंकि, वे असंगठित उद्योग में काम करते हैं, इसलिए, हम बीड़ी उद्योग में काम करने वाले कर्मकारों का उपयुक्त रूप से आकलन नहीं कर पाते हैं। अत: मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक इन कर्मकारो का पता लगाने का संबंध है, श्रम मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों को इन कर्मकारों के बारे में सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अब तक, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और केन्द्र सरकार अथवा श्रम मंत्रालय को कोई आंकड़े नहीं प्राप्त हुए हैं। यह स्थायी समिति के प्रतिवेदन से भी पता चलता है। अत: मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कर्मकारों की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जाएं।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। कई स्थानीय निकाय हैं। हमारे देश में, विशेषरूप से हमारे राज्य में तीन-स्तरीय पंचायत प्रणाली और नगरपालिका प्रणाली भली-भांति काम कर रही है। अत: ये स्थानीय निकाय इन कर्मकारों का पता लगाने में सफल हुए हैं। जहां तक कृषि श्रमिकों का संबंध है, हम अदालतें बिठाते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर भी हमारे यहां अदालतें हैं।

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कृषि श्रमिकों का श्रम अधिकारी अथवा संगठित अधिकारी पता लगाते हैं और पंचायत के अध्यक्ष अथवा पंचायत का कोई सदस्य उन्हें प्रमाणिक करता है। अत: स्थानीय निकायों द्वारा भी बीड़ी कर्मकारों का पता लगाया जा सकता है और उनके संबंध में एक रिपोर्ट राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जा सकती है। स्थानीथ निकायों द्वारा उनका प्रमाणन भी किया जा सकता है और राज्य सरकार भी सर्वेक्षण पूरा कर सकती है। अत: मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों को कर्मकारों का पता लगाने का मौका दिया जाए और उनका पंजीकरण किया जाए। सभी कर्मकारों को कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के दायरे में लाया जाए।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव कल्याण संबंधी उपायों के बारे में है। बीड़ी कर्मकारों द्वारा इस समय जिन कल्याण संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है वे बहुत ही कम हैं। तीन कल्याण योजनाएं हैं अर्थात् आवास लाभ योजना, चिकित्सा सुविधाएं और शैक्षणिक सुविधाएं। शैक्षणिक सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं। जैसाकि माननीय महोदया ने बताया है कि किसी कर्मकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को बहुत कम राशि दी जाती है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में वस्तुओं संबंधी योजना के अंतर्गत उपकर के रूप में 24 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। एक हजार बीड़ियों पर 50 पैसे की दर से उपकर लगाया जाता है तो उपकर 50 पैसे ही हुआ। अब इसे बढ़ाकर एक रुपए कर दिया गया है। अत: सरकार को इस बढ़ोत्तरी से 42 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की आशा है। अत: कल्याण संबंधी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए। जहां तक बीड़ी कर्मकारों के परिवारों की लड़कियों के विवाह का संबंध है, उन्हें प्रसूति संबंधी लाभ और ऐसे अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। अत: मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण संबंधी सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

महोदय, अन्त में एक और सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। हालांकि उसका संबंध उक्त अधिनियम अथवा निधि से नहीं है। केरल में केरल दिनेश बीड़ी नामक एक अग्रणी सहकारी समिति है। इसे सन् 1969 में 12,000 कर्मकारों के साथ शुरू किया गया था। यह उद्योग भी कई समस्याओं और कई चीजों के अभाव में संकट में पड़ गया है। वे अब अपने कर्मकारों के पुनर्वास की कोशिश कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग को नहीं अपितु सहकारी समिति को कुछ सहायता अथवा अनुदान दिया जाए। भारत सरकार द्वारा इस सहकारी समिति को कुछ वित्तीय सहायता अथवा अनुदान दिया जाए। ये बारह कल्याण निधियां विशेषरूप से देश के गरीब और सामान्य कर्मकारों के कल्याण संबंधी कार्यकलापों के लिए हैं।

[श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन]

लेकिन कल्याण निधियों में धन जमा करने के फलत: मिलने वाले ब्याज पर वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर लगाया जाता है। मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसे मंत्रिमण्डल में उठाएं ताकि कल्याण निधियों में धन जमा करने के फलत: मिलने वाले ब्याज को आयकर से छूट प्रदान की जाए ताकि कर्मकारों को लाभ पहुंचाया जा सके।

महोदय, इन सुझावों के साथ, मैं एक बार पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : सभापति महोदय, आरम्भ में इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

महोदय, यहां हम एक ऐसे विधेयक पर कार्यवाही कर रहे हैं जिस पर इस देश के लगभग एक करोड़ बीड़ी श्रमिकों का भविष्य टिका हुआ है। मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए और मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रमुख उद्देश्य उपकर दर में वृद्धि करना है ताकि बीड़ी श्रमिकों को सुविधाएं उपकर दर में वृद्धि उपलब्ध करायी जा सके।

महोदय, मैं विधेयक के उपबंधों को दोहराना नहीं चाहूंगा। परन्तु, मैं विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों का सार रखना चाहूंगा। मैं जिसका उद्धरण देने जा रहा हूं वह मेरे भाषण का हिस्सा नहीं है बल्कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों में बताया गया है। इसका उद्धरण इस प्रकार है:

> ''आरम्भ में बीड़ी का निर्माण करने के लिए भण्डार से जारी किए गए प्रति किलोग्राम तम्बाकू पर पच्चीस पैसे का उपकर निर्धारित किया गया है। 1979-80 के लिए वित्त अधिनियम द्वारा छूट प्रदान किए जाने के कारण बीड़ी श्रमिक कल्याणकारी उपकर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बीड़ी श्रमिक कल्याणकारी कोष के वित्त पोषणार्थ उपकर की 1 मार्च, 1979 से वसूली नहीं की जा सकी। तत्पश्चात् बीड़ी श्रमिक कल्याणकारी उपकर अधिनियम, 1976 को 1981 में संशोधित किया गया था ताकि...''

अर्थात् वे लगभग आठ से दस वर्षों से धनराशि जुटाने की स्थिति में नहीं थे। इसी से बीड़ी श्रमिकों के प्रति सरकार की उपेक्षा का पता चलता है। राज्य धनराशि जुटाने की स्थिति में नहीं है। सरकार को इस विधेयक में समय-समय पर संशोधन करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं इसके तकनीकी मामलों की तह तक जाना नहीं चाहता हूं। मैंने एक संशोधन दिया है। वित्तीय ज्ञापन में अंतर्विष्ट बातों से गलत अंदेशा मिलता है। वित्तीय ज्ञापन में प्रति हजार बीड़ी के निर्माण पर उपकर की दर पांच रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है और प्रमुख अधिनियम के खंड 2, धारा 3 जिसमें सरकार संशोधन चाहती है, ''पचास पैसे से कम नहीं और अथवा पांच रुपये से अधिक नहीं'' की व्यवस्था है। यह तो घोर असंगति है। निस्संदेह मैं इसकी तकनीकी बातों की तह तक जाना नहीं चाहता हूं।

अब मैं संगत मुद्दे पर आता हूं। मैं यह कहूंगा कि इस अधिनियम का कई टुकड़ों में संशोधन किया गया है। कई माननीय सदस्यों ने 1976 के मूल विधेयक में कमियों को इंगित किया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। मेरे विचार से इसमें बड़े पैमाने पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

भविष्य निधि का क्या हुआ? मुझे महाराष्ट्र राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी है। भण्डारा, नासिक, पुणे, अहमदनगर और ऐसे ही कई स्थानों पर बीड़ी उद्योग हैं। बीड़ी श्रमिकों की भारी संख्या में शिकायतें है। उनकी वैध धनराशि, उन्हें उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। भविष्य निधि जैसे मात्र आलंकारिक प्रावधानों का क्या औचित्य है? तकनीकी पेचीदे वित्तीय कानून के कारण सरकार धनराशि नहीं जुटायी जा सकी और इसीलिए निर्धन लोगों की सेवा नहीं की जा सकी।

पेंशन के बारे में क्या हुआ? सरकार ने पेंशन से संबंधित नियमों का समय-समय पर संशोधन किया है। पेंशन की राशि 225 से 240 रुपये तक है। क्या सरकार ने इस संबंध में कार्य निष्पादन की समीक्षा की है? कितने बीड़ी निर्माता अपने श्रमिकों को पेंशन उपलब्ध करा रहे हैं? ऐसे कितने निर्माता श्रमिकों को भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? इस संबंध में कार्यनिष्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा यह सुझाव है कि पेंशन की दर कम से कम 500 रुपये कर दी जाए।

अधिनियम में एक अन्य परन्तुक भ्रष्टाचार के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार खुली बीड़ी विनिर्माताओं पर कोई उपकर नहीं लगाती है। इसके परिणामस्वरूप सिर्फ राजस्व की क्षति नहीं होती बल्कि भ्रष्टाचार के लिए भी रास्ता खुल जाता है। महाराष्ट्र राज्य में श्रमिक एक करोड़ तक की खुली बीड़ी का निर्माण करते है जिससे लगभग 25 लाख रुपये की हानि होती है। निर्माता ने इसे धन कमाने का एक साधन बना दिया हैं। वे बीड़ी को 'रोल

हेंड' पर खरीद कर इसे बाजार में बेचते हैं। विनिर्माता ऐसी बीड़ी को बाजार में स्वयं बेचते हैं। इस प्रकार से इस विधेयक में विद्यमान परन्तुक के कारण सही बीड़ी श्रमिकों को अवसर से वंचित होना पड़ रहा है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने ठेकेदार प्रणाली को अनुमति क्यों दी है। सरकार की नीति बिचौलियों को रोकने की है। सरकार ने ठेकेदार रखने हेतु प्रावधान क्यों अंतर्विष्ट किया है? एक ओर तो हम बिचौलियों को हतोत्साहित करते हैं और दूसरी ओर ठेकेदार के लिए प्रावधान अंतर्विष्ट करते हैं। इसे हटाया जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने देश भर में एक समान दर लागू करने की बात की है। सरकार ने अब इसकी बागडोर विनिर्माताओं के हाथ में सौंप दी है। उदाहरण के लिए यदि विनिर्माता बीड़ी निर्माण पर कम दर लगायेगा तो श्रमिक एक मोर्चा खोलकर यह कह सकते हैं कि वे गुजरात अथवा मध्य प्रदेश चले जायेंगे जहां दर थोड़ी अधिक होगी। अतएव पूरे भारत भर में एक समान दर क्यों न लागू की जाए।

1977 के अधिनियम में किया गया प्रावधान के केवल आलंकारिक है और यह हास्यास्पद है। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की है अथवा इस अधिनियम के परन्तुक पर कभी कोई चर्चा की है? वहां आवास मातृत्व, शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं फिर सरकार यह धनराशि क्यों एकत्रित कर रही है? यदि हम भारत को एक कल्याणकारी राज्य मानते हैं तो कठिनाई होने पर हमें लोगों का ध्यान रखना होगा।

नियम का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विशेष न्यायालय का प्रावधान है। देश में अब तक कितने न्यायालय स्थापित किए गए हैं? उन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कितने न्यायालय स्थापित किए गए हैं जहां बीड़ी श्रमिक अपना कारोबार कर रहे हैं। विशेष न्यायालय की कार्यवाही दो वर्षों के बाद की जाती है। शिकायतों के बारे में क्या हुआ? क्या बीड़ी श्रमिकों की सभी शिकायतों पर संक्षिप्त पेशी करने की कोई अनिवार्यता है?

मेरे एक मित्र ने ठेकेदारों के मुद्दों पर विस्तारपूर्वक बताया है और मैं उनकी बात से सहमत हूं। इस क्षेत्र में ठेकेदारों को अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? हम सहकारी समितियों को बढ़ावा क्यों नहीं देते? मुझे अपने मित्र स्वर्गीय एन.एच. कुम्भारे की याद आ रही है जो संसद सदस्य थे और जिन्होंने वास्तव में बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने सहकारी समिति चलाई थी और यह आज भी सही ढंग से कार्य कर रही है एवं यह आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है। तो फिर सरकार सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा क्यों नहीं देती है? सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचना क्यों चाहती है? यदि वे उपकर के रूप में 42 करोड़ रुपये संग्रहीत करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परन्तु इसके अनुरूप केन्द्रीय सरकार से अनुदान की धनराशि का क्या हुआ? उनको कम से कम तदनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान देना चाहिए; संबंधित राज्य सरकारों को 25 प्रतिशत अनुदान देना चाहिए। इसकी गणना करने पर यह धनराशि कुल 100 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसका बीड़ी श्रमिकों के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है।

महोदय, समयाभाव के कारण मैंने केवल मुद्दों का उल्लेख ही किया है।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, यह सरकारी विधेयक है और सभा में गणपूर्ति नहीं है। इससे सभा की कार्यवाही में सरकार की अरुचि का पता चलता है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1998 का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितना और जिस प्रकार से सैस इकट्ठा किया गया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस उद्योग में तीन प्रकार से मजदूर काम करते हैं। एक वे मजदूर हैं जो तेन्दू पत्ता बीनने का काम करते हैं, दूसरे वे मजदूर हैं जो बीड़ी मालिक के कारखाने में काम करते हैं तीसरे वे मजदूर है जो बीड़ी मालिकों को कानूनों से बचाने के लिए ठेकेदार के मातहत काम करते हैं।

महोदय, मंत्री महोदय, यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बीड़ी उद्योग में कानून की दृष्टि के अनुसार काम करने वाले मजदूरों की संख्या मात्र 20-25 प्रतिशत है और 75-80 प्रतिशत मजदूर अभी भी कानून की पहुंच के बाहर काम करते हैं और ठेकेदारों के द्वारा मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक हजार बीड़ी बनाने पर रु. 35/- प्रति हजार का रेट तय है, लेकिन बीड़ी मजदूर को अधिक से अधिक रु. 17/- प्रति हजार मिलते है जो यदि औसत लगाया जाए तो रु. 10/- प्रति हजार से ज्यादा नहीं बैठता है। इसमें तेन्दू पत्ते की कटौती, धागा खराब मिलता है उसकी कटौती और जर्दा जब बीड़ी बनाने के लिए दिया जाता है तब गीला होता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

है और जब बीड़ी बनाकर दी जाती है, तो वह सूख जाता है, इस प्रकार से उसकी कटौती भी होती है। इस प्रकार से औसत रु. 10/- प्रति हजार से ज्यादा नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हू कि जो बीड़ी मजदूर ठेकेदार के माध्यम से काम करता है क्या उसको वही दर्जा और सुविधाएं दी जाएंगी जो बीड़ी कारखाने में काम करने वाले मजदूर को प्राप्त हो रही है। यदि इस बारे में वे सदन को विश्वास दिलाएं, तो मैं समझूंगा इससे बीड़ी मजदूरों का बहुत भला हो सकता है। ठेकेदार के यहां काम करने वाले बीड़ी मजदूर और बीड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूर को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इस बारे में वे अपने उत्तर में सदन को विश्वास दिलाएं।

सभापति जी, अगर वह घोषित नहीं करते तो इस विधेयक का कोई लाभ नहीं है क्योंकि 80 परसेंट मजदूर जो एक हजार बीड़ी बनाकर देते हैं, उनको उसके केवल 12 से 15 रुपये ही मिलते हैं। भारत सरकार के कानून के अनुसार केवल 30 परसेंट मजदूर आपके कारखाने में काम करते है। आपका जो विधेयक आया है, वह कल्याणकारी विधेयक है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी ने इस विधेयक में जो कार्यक्रम घोषित किया है, उसके हिसाब से वे उनको छात्रवृत्ति, आवास योजना, चिकित्सा की सुविधायें और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाले है। आज सबसे बड़ा बीड़ी मजदूरों का केन्द्र झांसी है। मैं मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि झांसी में बीड़ी मजदूरों के लिए चिकित्सालय नहीं है जबकि वहां 70 हजार मजदूर काम करते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन सब बातों पर दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि मेरी दो मांगें हैं। पहली मांग यह है कि दुर्घटना में बीड़ी मजदूरों को अभी तक जितना पैसा मिलता है, उसे दुगुना किया जाये। यह पैसा आज से 10 साल पहले घोषित किया गया था। दस साल और आज के बीच में काफी अंतर आया है। उसको पांच हजार रुपये मिलते हैं और 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य जगह जो मजदूर काम करता है, उसे इससे तिगुना पैसा मिलता है। मेरा यह कहना है कि इसे दुगुना किया जाये। इसी तरह जो मजदूरी सारे देश में 22 या 35 रुपये है, उसे 40 या 50 रुपये किया जाये। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं कहना चाहता हूं कि एक हजार बीड़ी एक व्यक्ति नहीं बनाता है बल्कि उसके परिवार के चार सदस्य मिलकर बनाते हैं। इसलिए उनको 50 रुपये मजदूरी देनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि वे मजदूरों के हित में घोषणा करेंगे जिससे उनको लाभ मिल सके।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। माननीय मंत्री जी का विश्वास यह था कि यह गरीब घराने से हैं और ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जिसमें ज्यादा तादाद मजदूरों की है। बीड़ी कर्मकार कल्याण के नाम से जो बिल आया है, उसका नाम तो कल्याण है लेकिन इसमें कल्याण कुछ दिखाई नहीं देता है। आदमी की नीयत और नियम में फर्क होता है। अगर हमारी किसी काम के प्रति नीयत है तो कानून हो या न हो तब भी हम उसे लागू कर सकते हैं। अगर माननीय मंत्री जी की नीयत मजदूरों का कल्याण करने में है तो जितनी विसंगति मजदूरों के बारे में है, उसे दूर करें चाहे वह डाटाज से संबंधित हो या उनके परिवार के कल्याण से संबंधित हो। हमारा मंत्री जी से यह कहना है कि उनके पास जो फिगर है, वह किस सर्वे के आधार पर है, तो इनको खुद ही विश्वास हो जायेगा कि तब से आज तक दुगुने-चौगुने का फर्क हो गया है। पूरे देश के अंदर बीड़ी मजदूरों की मजदूरी में विसंगति है, उस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें आज की महंगाई के हिसाब से बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। यह ग्रामीण उद्योग है और व्यक्तियों के हाथ में है। इसकी कोई फैक्टरी नहीं है। अभी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ठीक कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी कमी दिखाई जाती है। मजदूरों के बहुत बड़ा परसेंटेज और उनकी मेहनत में कटौती की जाती है और ये लोग गरीब घराने के लोग होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे होते हैं और इनकी जो बेसिक नीड होती है, वह भी पूरी नहीं होती। न इनकी दवा की, न आवास की, न मृतक के आश्रितों की और न इनके किसी और प्रकार के उत्थान की पूर्ति होती है। इनकी कोई भी नीति ऐसी नहीं है जिससे इनका एक पैसे का भी कल्याण हो। आप जो 42 करोड़ रुपये करने जा रहे हैं, इससे तो आप किसी भी क्षेत्र में पूरा नहीं कर सकते। न तो शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं और न चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। 42 जिलों में अगर बीड़ी मजदूर हैं और एक-एक जिले में अस्पताल खोलना हो तो 1 करोड़ रुपये में अस्पताल नहीं हो सकता। इनको सीधे पांच रुपये कर देना चाहिए। आज आप जो एक रुपये करके बटोर रहे हैं तो सीधे ही पांच रुपये कर देना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे उनको 300 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। किनसे मिलेंगे, वे लोग जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं? यदि मंत्री जी बीड़ी मजदूरों का कल्याण करना चाहते हैं तो इन सुझावों को, जो आज मजदूरों की आवश्यकता है, सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वीर सिंह महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदय सबसे पहले तो मैं बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक को पेश करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को भी बधाई देता हूं। बीड़ी कामगार बहुत ही गरीब हैं और सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस बीड़ी उद्योग में वे खुद और उनका पूरा परिवार भी लगा रहता है। न तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिल पाती है और न ही बोनस जैसी सुविधाएं मिलती है। इन कर्मकारों के लिए उपदान भी नहीं मिलता है। इन कर्मकारों का बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 30 लाख से अधिक बीड़ी कर्मकार हैं परन्तु उनके लिए एक भी अस्पताल नहीं है। जब श्री पी.ए. संगमा श्रम मंत्री थे, उस समय यह प्रस्ताव किया गया था कि पुरुलिया जिले के झालदा में एक अस्पताल बनाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चुनाव क्षेत्र झालदा, पुरुलिया में अस्पताल खोला जाए।

शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति सभी बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को दी जानी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन की शुरूआत की जानी चाहिए। आवास योजना के लिए राजसहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। सामूहिक बीमा योजना भी शुरू की जानी चाहिए। वहां पर एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति तो है परन्तु जिला स्तर पर भी सलाहकार समिति होनी चाहिए और उन समितियों में मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। बीड़ी कर्मकारों को परिचय पत्र प्रदान किए जाने चाहिएं अन्यथा उन्हें मिलने वाले लाभ उन्हें नहीं मिल पाएंगे।

महोदय, इस संशोधन विधेयक से 42 करोड़ रुपए की धनराशि संग्रहीत की जाएगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन कर्मकारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक कल्याण कोष बनाने के लिए 42 करोड़ रुपए की धनराशि और प्रदान करें।

***श्री एन.टी. षणमुगम** (वैल्लूर) : सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष पीठ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में संशोधन करने हेतु लाए गए विधेयक पर मुझे अपना समर्थन देने और बोलने का अवसर प्रदान किया।

सबसे पहले तो मैं अपने तमिल लोगों के ओजस्वी नेता डा. रामदास को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे लोक सभा के हाल ही में हुए चुनावों में वैल्लूर जिला पट्टली मक्कल कटची, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट का घटक था, से इस सम्मानीय सदन के लिए उम्मीदवारों का पर्चा भरवा कर मुझे वैल्लूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्रदान किया।

मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट के नेता डा. पुरात्ची थलैवी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने चुनाव में जीताने के लिए सहायता करने वाले सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने वैल्लूर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर मुझे यहां भेजा।

तमिलनाडु में लगभग 6 लाख परिवार बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। उनमें से कम से कम आधे कर्मकार मेरे वैल्लूर चुनाव क्षेत्र के हैं। इन कर्मकारों के पूरे के पूरे परिवार दिन-रात बीड़ी बनाने के काम में लगे रहते हैं। दिन और रात इतनी मेहनत करने के बावजूद वे केवल 50 से 75 रुपए प्रतिदिन ही कमा पाते हैं। उनके बच्चे भी इसी बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं।

इस कार्य के लिए हालांकि न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित की गई है परन्तु उसके अनुसार उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए मैं माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब इस अधिनियम को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं तो न्यूनतम मजदूरी की दरों में भी वृद्धि की जाए। वे घोर गरीबी में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। उनकी दशा दयनीय है। अन्य किसी रोजगार के बारे में वे जानते ही नहीं हैं। वे अपने इस पेशे को बदलने में सक्षम नहीं हैं। उनके जीवनयापन का और कोई साधन नहीं है। उनका यह कार्य भी सेहत के लिए खतरनाक है। लेकिन इस पर भी हम उन्हें कोई अन्य रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं हैं। उनमें से अधिकांश लोग क्षय रोग और दमा के शिकार हैं। इसलिए उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान करते समय अलग-अलग परिचय पत्र प्रदान किए जाएं। उनके पेशागत खतरों को देखते हुए उनके निवास स्थान के समीप ही अस्पताल खोले जाने चाहिए। उन्हें 50 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करके आवास सुविधा अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। उनके बच्चों के लिए उदार छात्रवृत्ति होनी चाहिए ताकि उनके बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने को बढ़ावा मिले।

जहां तक वैल्लूर जिले का सम्बन्ध है, तो यहां पर बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देने वाले ठेकेदार मौजूद हैं। कर्मकार अपने बच्चों को पैसे के लिए इन ठेकेदारों के पास बंधक रख देते हैं। बीड़ी कर्मकारों की हालत इतनी खराब है कि जब उनका धन्धा मंदा हो जाता है तो वह अपना कुछ भी यहां तक बर्तन भाण्डे तक भी गिरवी रख देते हैं। बच्चों को गिरवी रख देने के अनेक

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एन.टी. षणमुगम]

मामले हैं जिससे बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा मिल रहा है। उनके लिए कानूनी सहायता भी उपलब्ध होनी चाहिए। जिस परिवार का कमाने वाला मुखिया गुजर जाता है तो ऐसे परिवारों को अनुग्रह राशि और पेंशन योजना के रूप में मुआवजे के भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार दिए जाने वाला मुआवजा दुगना कर दिया जाना चाहिए। बीड़ी कर्मकारों को उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभ मिलने चाहिए जो उनके लिए बनी हैं। उनकी भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से पुन: यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो भी योजनाएं इन कर्मकारों के लिए बनाई गई हैं, उनका लाभ उन्हीं को मिले। मुझे बोलने के लिए दिए गए अवसर का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, हमारे श्रम मंत्री जी बीड़ी वर्कर्स वैलफेयर सैस एमेंडमेंट बिल लाये हैं, मैं उनको सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं। वे खुद मजदूरों के नेता रहे हैं और मजदूर आन्दोलन को भी उन्होंने अच्छी तरह से चलाया है। इसलिए आज के इस संशोधन बिल को देखते हुए मुझे हमारे मजदूरों के नेता एडवोकेट एन.एच. कुम्भारे साहब की याद आ रही है, जो राज्य सभा के सदस्य थे और पहली बार इस देश में बीड़ी और सिगार बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका रही है। मैं श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं कि बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए संशोधन बिल यहां पर लाये हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात मैं मंत्री महोदय के सामने लाना चाहता हूं। एक तो बीड़ी मजदूरों के जो मिनिमम वेजेज़ है, उसकी यूनोफार्म वेज पालिसी होनी चाहिए। सारे देश के बीड़ी मजदूरों का समान वेतन होना चाहिए, मिनिमम वेजेज़ एक समान होने चाहिए। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में 35 रुपये एक हजार बीड़ी के पीछे मजदूरों को दिये जाते हैं और मध्य प्रदेश में 20 रुपये दिये जाते हैं तो महाराष्ट्र के कारखानेदार लोग मध्य प्रदेश में भाग लेते हैं अगर दूसरा कहीं मिलता है तो वहां के लिए जाते हैं। इस प्रकार वे बीड़ी मजदूरों का शोषण करते हैं।

बीड़ी उद्योग में लगभग 50 से 60 लाख मजदूर काम करते हैं ऐसे मजदूर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, ऐसे मजदूर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग है। यह देश का सबसे उपेक्षित उद्योग है, व्यवसाय है। यह कारखानेदारों को अमीर बनाने वाला और मजदूरों को बीमार बनाने वाला उद्योग है। इस उद्योग में जो शोषण है, इस शोषण को रोकने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बीड़ी मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोकने के लिए कड़े से कड़ा प्रावधान कानून में किया जाये। केवल उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर ही काम नहीं चलेगा। कल्याणकारी योजनाओं को उद्योगपति लागू नहीं करेगा, जो कारखानेदार लागू नहीं करेगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था भी इस कानून में जब तक नहीं होगी, तब तक हमारे बीड़ी मजदूरों का शोषण नहीं रुकेगा। यहां पर आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी है, जो मल्टीनेशनल हमारे देश में आये हैं और हमारे कुछ बड़े, भारतीय सिगरेट उद्योग भी है, जिसको छोटी सिगरेट बनाने का लाइसेंस आपने दिया है, जिसे मिनी सिगरेट कहा जाता है। इस मिनी सिगरेट पर जो एक्साइज ड्यूटी आपने लगाई है, वह पहले 120 रुपये थी, उसको कम करके आपने 90 रुपये कर दिया। उसकी वजह से आज यह हो रहा है कि बीड़ी और मिनी सिगरेट से कम्पीटीशन हो रहा है। इसकी वजह से बीड़ी उद्योग के ऊपर इसका दुष्परिणाम हो रहा है और बीड़ी की मांग कम होती जा रही है। इसका कारण है कि आपने मिनी सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसको बढ़ाया जाये और बीड़ी को संरक्षण दिया जाये।

बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में जो बीड़ी वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटीज़ हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से इनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। यह जो सैस है, हमारे साथी ने ठीक ही कहा है कि एक रुपये से काम नहीं चलेगा, यह कम से कम पांच रुपये होना चाहिए। यह यदि पांच रुपये होगा तो ज्यादा से ज्यादा निधि हम कलैक्ट कर सकते हैं और मजदूरों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकते हैं।

कारखानेदारों से सैस लेकर उसके साथ में हमारी सैण्ट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। कारखानेदारों से वसूल किया हुआ सैस, सैण्ट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी, ये तीनों मिलकर अगर यह फंड बनेगा तो मेरे ख्याल से बीड़ी मजदूरों के कल्याण की बहुत अच्छी बात हो जायेगी। जो मैडीकल फैसिलिटीज है, उसमें हमारे लेबर आफिसर्स हैं, हमारे लेबर कमिश्नर्स है, बहुत सारी यंत्रणा है, लेकिन ये बीड़ी मजदूरों का शोषण करने वाले पूंजीपति कारखानेदारों का साथ देते है, हमारे मजदूरों की भलाई की बात नहीं करते है। मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इस पर

आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर अभी जो बीड़ी मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसे हर हालत में रोंके। यह व्यवस्था आपके कानून में होनी चाहिए। हर प्रकार की सुविधाएं हैं, सुविधाएं तो बहुत है, टेलीवीजन भी देकर रखा है। लेकिन मजदूरों के हालात बहुत खराब हैं। हमारी जो महिलाएं इन कारखानों में काम करती है, वहां की वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब है। ये महिलाएं अपने दूध पीते बच्चों के साथ वहां जाती है और जहां हम जैसे लोग पांच मिनट नहीं रूक सकते, वहां ये महिलाएं आठ-आठ, दस-दस घंटे काम करती हैं ये महिला मजदूर तथा इनके बच्चे टी.बी. और कैन्सर जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और इनके इलाज के लिए कोई प्रावधान भी नहीं है। अत: मेरा निवेदन है कि इनके लिए अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं, दवाइयां तथा डाक्टर होने चाहिए और मोबाइल हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। जिससे सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ इनके जीवन को सुखी बनाने को व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। यही बातें आपसे पहले बोल चुके सदस्य कह चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : बीड़ी कारखानेदार कांट्रेक्ट, इसमें बीड़ी की छंटनी कर उस पर अपना लेबल लगाकर फिर से बेच देते हैं। बीड़ी उद्योग के अंदर जो सिस्टम हैं, कांट्रेक्ट सिस्टम की वजह से कांट्रेक्टर्स से बीड़ी लेकर कारखानों के मालिक अपना लेबल लगाकर मार्केट में बेच देते है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : सभापति महोदय, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कांट्रेक्ट सिस्टम को बंद किया जाए। मंत्री महोदय, जो गरीबों के नेता कहलाते हैं, मजदूरों के नेता रह भी चुके हैं, यह हमारे बीड़ी मजदूरों की भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सी.एच. विद्यासागर राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए तीन सुझाव देना चाहता हूं। कई स्टेट्स में वैलफेयर एक्टिविटीज हैं और लेबर डिपार्टमेंट इत्यादि कई डिपार्टमेंट है। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जब तक सिंगल विडो सिस्टम नहीं आता तब तक बीड़ी मजदूरों का फायदा नहीं हो सकता। दूसरे, जितना पैसा आप स्टेट्स से कलेक्ट करते हैं,

[अनुवाद]

आप उन्हें संबंधित धनराशि तो वापिस नहीं दे रहे है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश से आप पहले ही 50 करोड़ रु. की राशि का संकलन कर चुके हैं। परन्तु आपने बीड़ी कामगारों के लिए मुश्किल से 3.5 करोड़ रुपये ही दिए हैं।

[हिन्दी]

इसलिए हरेक राज्य में जो एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं, उनको यह तो मालूम होता है कि आन्ध्र प्रदेश से या महाराष्ट्र से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है लेकिन बीड़ी मजदूरों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, वह उनको मालूम नहीं है। उसका कुछ हिसाब वहां नहीं है, इसलिए हर प्रदेश में ऐसा हिसाब-किताब रहना चाहिए। जब तक आप मिनी सिगरेटों को बैन नहीं करते, तब तक आप सैस कलेक्ट नहीं कर सकते। यह जो बिल लाए हैं, खाली तनख्वाह देने के लिए और इंफ्राक्ट्रक्चर मेनटेन करने के लिए है और आइन्दा जब तक आप मिनी सिगरेट्स को बैन नहीं करेंगे, मजदूरों का भला नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें छोटी सिगरेटों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक तुरन्त पेश करना चाहिए ताकि वे इस देश की महिला समुदाय की सहायता कर सकें।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, वह काफी देर से इन्तजार कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। हमारे कुछ और लोग भी बोलना चाहते हैं। उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। मैं उन्हें अवसर प्रदान करूंगा।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री जो वास्तव में श्रमिक नेता थे और अब मंत्री है, को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। वे श्रमिकों की समस्याएं जानते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें श्रमिकों की समस्याओं का समाधान सच्चे मन से करना चाहिए। यही मेरा पहला मुद्दा है।

[श्री एस. मल्लिकार्जुनय्य]

दूसरे, मेरे चुनाव क्षेत्र में अधिकांश बीड़ी कामगार हैं। वे असंगठित हैं। वे छोटे-छोटे मकानों में रह रहे हैं, उनके मकान बहुत छोटे-छोटे हैं। एक घर में चार से 6 सदस्य रहते हैं। उनके मकान एक दूसरे से सटे हैं और उनमें हवा तक नहीं आती है। उनमें कोई रोशनदान नहीं होता। उनमें कोई जल सुविधा नहीं हैं। यह कल्पना करना असम्भव है कि व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में रह रहे हैं। लेकिन वे मतदाता सूची में हैं। हम उनके पास जाकर मतदान करने का अनुरोध करते हैं और वे अपना वोट भी डालते हैं। हम उनकी खराब स्थिति को न्यूनतम करने में सक्षम नहीं है। इन बीड़ी विनिर्माण उद्योगों में बच्चे कार्य करते है।

इन बच्चों ने शिक्षा नहीं पाई है। विशेषरूप से महिलाओं ने, क्योंकि बीड़ी विनिर्माण प्रणाली ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया है। छोटे-छोटे बच्चे भी इस बीड़ी उद्योग में लगे हैं। पैसा कमाने के कारण वे स्कूल जाना छोड़ देते है। इसलिए सरकार को यह देखने के लिए सभी ऐहतियाती उपाय करने चाहिए कि महिलाएं और बच्चे जो इन बीड़ी विनिर्माण कामगारों के बच्चे हैं को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो और उन्हें इस बीड़ी विनिर्माण में नहीं लगाया जाना चाहिए।

वास्तव में वहां इन बच्चों से काम कराना निषिद्ध है। लेकिन हमारे रोकने से पहले ही ये बच्चे वहां नौकरी करने लगते हैं और उन्होंने रोजगार से रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है। उन्हें सभी शैक्षिक सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए अपनाए जाने वाले प्रयास अप्रभावी हो गए है।

मैं माननीय मंत्री को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वे इन समस्याओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मजदूर नेता के रूप में उन्होंने यह देखने के लिए तन मन लगा दिया है इन सभी समस्याओं की समाधान हो। अस्पताल और अन्य चीजों के बारे में मुझे कुछ संदेह हैं। वहां एक छोटा औषधालय होगा जहां डाक्टर छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज करेंगे। वहां किसी विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। उन्हें विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समयाभाव में भी बोलने के लिए समय दिया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आजादी की 50वीं वर्षगांठ में पांच पैसे से पचास पैसे मजदूरी में बढ़ोत्तरी की है। मंत्री जी ने एक बार में ही इतनी बढ़ोत्तरी कर दी है, यह सराहनीय कदम है और वे धन्यवाद के पात्र है।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कोडरमा है। इस क्षेत्र में करमा नामक स्थान में ऑल इंडिया श्रम संस्थान है। यही पर बीड़ी, डोलोमाइट और माइका के हैडक्वार्टर भी हैं। ये सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते हैं। मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, इन संस्थानों से उत्पन्न कठिनाई की और मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। इन हैडक्वार्टर्स में समस्याओं के अम्बार है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सारे हिन्दुस्तान की आबादी एक अरब के लगभग होने जा रही है और इस आबादी में करीब एक करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन एक करोड़ लोगों के लिए आज तक जितने भी कानून बने है, उन कानूनों को लागू नहीं किया गया है और न ही जमीन पर उतारा गया है। यदि इन समस्याओं को दूर करने की ओर मंत्री जी ध्यान देंगे, तो उनमें आशा की एक नई किरण पैदा होगी।

मैं एक खास समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। माइका माइन्स वैलफेयर आर्गेनिजेशन, बीड़ी वर्कर्स आर्गेनिजेशन और डोलोमाइट एसोसिएशन की तरफ से जो स्कूल इन मजदूरों के लिए चलाए जा रहे हैं, इन स्कूलों में प्राइमरी कक्षा से लेकर हाईस्कूल तक नामांकन नहीं किए जा रहे हैं। इन स्कूलों को बन्द किया जा रहा है। खासतौर से माइका माइन्स के स्कूल को बन्द किया जा रहा है, इससे सारे गरीब लोग प्रभावित हो रहे है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्कूलों को तुरन्त चलाने के लिए आदेश दे, ताकि इन गरीब बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो।

दूसरी बात, नौ अस्पताल के लिए बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन अस्पताल नहीं चलाए जा रहे है। मंत्री जी तुरन्त उनको चलाने के लिए आदेश दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविंदन (कासरगोड) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं, समय बहुत कीमती है। यहां बीड़ी कामगार कल्याण कोष योजना और प्रशासनिक मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए विधि का एक

छोटा सा हिस्सा है। अतः इस विधेयक का समर्थन करना मुश्किल नहीं है और मैं इसका विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री से इस योजना में सरकार की भागीदारी के बारे में विचार करने का अनुरोध करता हूं और उनसे उपकर बढ़ाने तथा बीड़ी कामगारों के बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख, आवास और शिक्षा जैसी सुविधाओं को बढ़ाने का भी अनुरोध करता हूं।

मैं बीड़ी उद्योग के एक या दो पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो इन एककों के मालिकों द्वारा अपने उद्योग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के बारे में है। इन उद्योगों के मालिक बहुत चतुर और प्रभावी वर्ग के हैं। वे अपने उद्योगों को उन स्थानों पर स्थानान्तरित कर रहे हैं जहां कम मजदूरी और अन्य सुविधाएं मौजूद है। इसे रोकने के उद्देश्य से मैं माननीय मंत्री से बीड़ी कामगारों के लिए राष्ट्रीय या क्षेत्रवार न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं।

मैं धूम्रपान निषेद्ध प्रचार के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इस प्रचार के लिए सरकार या सामाजिक अथवा स्वैच्छिक संगठनों पर दोष नहीं लगा रहा हूं लेकिन यह छोटे और बीड़ी उद्योगों को काफी प्रभावित कर रहा है। सिगरेट के बारे में काफी प्रचार किया जा रहा है। सरकार सिगरेट उद्योग को बढ़ावा देने के बारे में घोषणाएं कर रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने सिगरेट उद्योग पर कर के संबंध में ठीक ही उल्लेख किया है। मैं माननीय मंत्री से छोटी सिगरेटों के संबंध में पूर्व स्तर को बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। मैं उनसे सलाहकार बोर्ड को भी सुदृढ़ करने का अनुरोध करता हूं। अब यह बोर्ड बहुत घटिया तरीके से कार्य कर कर रहा है। बीड़ी उद्योग में गिरावट आ रही है। अतः मैं माननीय मंत्री से इस उद्योग को अर्थक्षम बनाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इस उद्योग में काफी संख्या में स्त्री और पुरुष कार्य कर रहे हैं।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, यह बहुप्रतीक्षित कानून है और मैं अन्य सदस्यों जिन्होंने इस कानून का स्वागत किया है, उनके साथ हूं।

हमारे पास अनेकों अधिनियम हैं हमारे पास अधिनियमों की कमी नहीं है। लेकिन इन अधिनियमों का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यहां बाल श्रम निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम के विद्यमान होने के बावजूद, हमने अनेक बाल श्रमिक विशेषरूप से बीड़ी उद्योग में देखे हैं और इन्हें नहीं रोका गया है।

इसी तरह, सरकार का अब कुछ सीमा तक इन कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। महोदय, आप सरकारी अस्पतालों की हालत को तो जानते ही हैं और अधिकांश अस्पतालों में रोगियों का किस तरह से इलाज किया जाता है इस बात को भी जानते हैं। यहां तक कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब इन सरकारी अस्पतालों में जाना नहीं चाहता है। इसलिए, यदि इन अस्पतालों, जो मूलतः बीड़ी कामगारों के लिए हैं, उसी तरह से कार्य कर रहे हैं और ये वास्तविक रूप से सहायता नहीं कर रहे है।

मैं नहीं जानता कि क्या यहां स्वास्थ्य बीमा योजना विशेषरूप से बीड़ी कामगारों के लिए, शुरू करने की कोई सम्भाव्यता है। यदि यह शुरू कर दी गई तो क्या इन कामगारों द्वारा, जहां वे चाहे, वहां इलाज कराने पर पर्याप्त राशि का भुगतान किया जा सकता है। अब इस कानून को लागू करने से, हम उन बीड़ी कामगारों जो घातक बीमारी से ग्रस्त हैं चाहे यह बीमारी क्षयरोग हो अथवा कोई अन्य बीमारी हो, का इलाज कराने के लिए इस विशेष अस्पताल में जाने के लिए कहेंगे और उनका ठीक तरह से इलाज नहीं किया जाएगा। ऐसा होना आम बात है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस ओर ध्यान देने की अपील करता हूं कि वे यह देखे कि क्या कर्मकारों के इस विशेष वर्ग को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : माननीय सभापति जी, चर्चा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और उस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए माननीय सदस्यों ने जो अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूं कि समस्या के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति है और वह इसके लिए कुछ होते हुए देखना चाहते हैं।

इस बिल के माध्यम से छोटा या संशोधन लाने का काम हुआ है। इसमें सीमा बढ़ाने की दृष्टि से अधिकार प्राप्त करने का काम हुआ है। इसके माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा करके ऐसे लोग जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन की आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे सभी लोग जो इस काम में जुटे है, उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। बीड़ी बनाने के काम से सम्पन्न लोग जुटे हैं, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। इसके प्रति हाउस और माननीय सदस्यों का जो कनसर्न और कंट्रीब्यूशन रहा है, इस दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बहुत से सुझाव भी दिए गए। जो जिज्ञासा प्रकट की गई, वह मुझे मार्गदर्शन देंगे।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

मैंने कुछ समय पहले इस विभाग में काम करना शुरू किया है। बीड़ी के लिए जो बोर्ड बना है, मैंने उसकी बैठक कराने का काम किया। पहले इसकी बैठक प्राय: कभी होती थी और कभी नहीं होती थी। अनुसूचित जाति के मजदूरों और मेहनतकशों के बारे में जो समझ बनी है, उनकी तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। आज की सार्थक चर्चा में जो सुझाव आए हैं, मैंने निश्चित रूप से प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव को नोट करने की कोशिश की है। इस प्रोसिडिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।

चर्चा शुरू करते हुए महाराष्ट्र के माननीय सदस्य ने जो सुझाव और चिन्ता प्रकट की, निश्चित रूप से उनकी चिन्ता मेरी चिन्ता है। उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हैं और उनसे निजात दिलाने के लिए जो उपाय किए जा रहे है, वे नाकाफी हैं। मैंने जैसा पहले बताया कि उन पर पैसा खर्च करने के लिए धन नहीं है। इसलिए इस बात को जोड़ कर यह कोशिश की जा रही है कि पैसा जुटाया जाए। वह पैसा 40-42 करोड़ रुपए होगा। यह पैसा सरकार एक्साइज और सैस के रूप में जुटाएगी। उनके कल्याण के लिए यह राशि जुटायी गई है। हम जानते हैं कि अस्पताल को बनाने, चलाने और उसके रख-रखाव के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। वहां जो उपकरण और दवाइयां प्रयोग होती है, उसके लिए पांच करोड़ रुपए सामान्य बात है। आप निश्चित रूप से इस बात पर विचार करते होंगे कि 40-42 करोड़ रुपए जुटा कर कितने अस्पताल खोले जा सकते हैं? हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है, उसको देखते हुए, इसको चलाने के लिए कुछ पैसा जुटाना जरूरी है। ...*(व्यवधान)* आज हम जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से यथार्थ के धरातल पर विचार कर रहे है। आप सब जो कह रहे हैं, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जो सीमाएं और संभावनाएं हैं, उनका दोहन करते हुए जो अधिकतम किया जा सकता है, वह चुनौती हमारे सामने है। इन चुनौतियों से पार पाने की दृष्टि से उनकी जो दशा है, मकान, कारखाने और घर की है, वे सब के सामने हैं। बीड़ी के पत्ते को साफ करने के लिए उसे ठेकेदार की डांट-फटकार सहनी पड़ती हैं। मैंने बीड़ी बनाते हुए मजदूरों को देखा है। मैं उनसे जुड़ा रहा हूं। मैं देखता हूं कि उनके सामने किस प्रकार की कठिनाइयां आती है? अगर पत्ता सड़ा-गला आ जाता है तो वह रोल करते हुए बनता नहीं है, टूट जाता है। पत्ता पुराने होने पर भी टूट जाता है। उनके पास पत्ते की साज-संवार करने के पर्याप्त उपाय नहीं होते हैं। पत्ता और तम्बाकू देने के बाद उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बढ़िया से बढ़िया बीड़ी बना कर लाए। ऐसी परिस्थिति में काम करने के बाद जो अच्छे परिणाम की आशा की जाती है, वह सम्भव नहीं है। उनका ठेकेदार के माध्यम से जो शोषण हो रहा है, उनसे मुक्ति दिलाने की दृष्टि से अन्यान्य उपाय करने होंगे। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, लेकिन हमारा भी उतना ही दायित्व है, जिन पर आज हम विचार कर रहे हैं।

रात्रि 8.00 बजे

इस दृष्टि से जो चर्चा हो रही है, उस माध्यम से एक संदेश जाना चाहिये कि यह महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। बीड़ी मजदूरों की संख्या 44 लाख आंकी गई है जिनके लिये माननीय सदस्यों ने कहा है कि उन्हें परिचय पत्र जारी होने चाहिए। परिचय पत्र जारी भी हुए हैं और आज की स्थिति में जो परिचय पत्र जारी किये गये है, उनकी संख्या 35 लाख है। यह माना जाता है कि मध्य प्रदेश में साढ़े सात लाख बीड़ी वर्कर्स है, जिनमें से सात लाख बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र जारी करने का काम हुआ है। इसका मतलब यह है कि और भी मजदूर ऐसे हैं जिनको परिचय पत्र जारी किये जाने हैं। इसलिए यदि परिचय पत्र जारी किये जाएं तो आगे आने वाले समय में उनको वे सारी सुविधाएं मिल सकती है और वे मिलेंगी।

आपने कहा कि उनको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए और प्रोविडेंट फंड के बारे में सदस्य बनने के बाद उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है। इससे लाखों मजदूर लाभान्वित है। आज की चर्चा में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनके सुझाव काफी उपयोगी रहे हैं। यदि यह चर्चा दिन में होती तो कई माननीय सदस्य अपने सुझाव और देते और इस चर्चा में भाग लेते। आज यह विषय मानवीय संवेदना से परिपूर्ण बन गया है और विषय के प्रति जो सहानुभूति आनी चाहिए वह सभी लोगों की तरफ से आई है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे इसमें किये गये संशोधनों में सहयोग नहीं करना चाहते हैं। मैम्बरों ने कहा कि मानवीय प्रश्न के आधार पर विषय और प्रखर बनाना चाहिए, इसके लिए अधिक धन जुटाना चाहिए और सरकार को इसमें ज्यादा पैसा देना चाहिए। इस मद में 40-42 करोड़ रुपये की राशि एकत्र होकर आती है, लेकिन यह राशि दस गुना होनी चाहिए। आप लोगों की इस प्रकार की कल्पना निश्चित रूप से कैसे पूरी की जाए, इसका उपाय करने के लिए श्रम मंत्रालय पीछे नहीं रहेगा। आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वे निश्चित रूप से योग्यताओं से संबंधित है, परंतु आपकी जो मुझसे अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप मैं अपने आपको सिद्ध कर सकूं, उसके लिए निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन मिलेगा और वह मेरे लिए एक प्रेरणा बनेगा। मेरी यह कोशिश रहेगी कि जो अपेक्षाएं आपने मुझसे की है, मैं अपने प्राणपन और अपनी क्षमता से उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा।

इसके अलावा कई और सुझाव भी आये हैं - जैसे मजदूरों के लिए अस्पताल बनाया जाना। चर्चा के साथ एक और विषय भी आया है जो निर्माण मजदूरों के संबंध में है। निर्माण का विषय इसमें मिला हुआ नहीं है, परंतु मजदूरों से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर है। इस कार्य में लाखों लोग लगे हुए है। इसका प्रारूप बनाकर और कानून मंत्रालय/विधा की दृष्टि से इस कार्य में लगा हुआ है। उसे फिर से ठीक प्रकार से पारित करके लागू किया जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। मेरे सामने समय की सीमा एवं मर्यादा विद्यमान है, जिन बातों की आपको मुझसे अपेक्षाएं हैं, यदि सब बातों का जवाब दिया जाएगा तो उसमें समय लगेगा। फिर भी मैंने सब बाते नोट कर ली हैं। आपने एक सुझाव बच्चों की स्कॉलरशिप के बारे में उठाया है, यह बात अलग है कि इस मद में राशि थोड़ी है। एक्सीडेंट होने की स्थिति में 25 हजार रुपये की सहायता राशि देने की आपने संभावना व्यक्त की है, वह यहां उपलब्ध है। इसके अलावा आपने और जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उसके लिए चिंता करनी चाहिए।

श्री जोगेन्द्र कवाडे : आपको मल्टी नैशनल और इंडियन कम्पनीज़ द्वारा मिनी सिग्रेट्स के रेट के अंतर के बारे में क्या कहना है?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय वित्त मंत्री इस कार्य मे लगे हुए हैं। इस पर विचार करके वे अपना मत देने वाले हैं। हम सबने कहा कि बीड़ी उद्योग, तम्बाकू स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन इससे आम मजदूर जुड़ा हुआ है, मेहनतकश मजदूर को रोजगार मिला हुआ है, उस दृष्टि से उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय करने चाहिए। मैंने इस बारे में प्रयास भी किये हैं और उनमें मुझे कुछ हद तक सफलता भी मिली है। आपने देखा होगा बाकी बातों के होते-होते तुलनात्मक दृष्टि से बीड़ी उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सहायता मिली है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिशः मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव दिये हैं और भविष्य में सुझाव आते रहेंगे। इस बारे में प्रत्यक्ष चर्चा के माध्यम से सार्थक साकार उपाय करने के बारे में जो भी निष्कर्ष है, वे निकाले जा सकते हैं। आज इस प्रकार बहुत ज्यादा को थोड़े में कहकर कैसे समेटा जाए, यह कहने की बात है और अभी जो बढ़ रहा है, वह केवल एक रुपया बढ़ा है। माननीय सदस्यों ने चिन्ता की थी कि यह काफी हो जाएगी। किसी ने कहा कि यह नाकाफी है। परंतु अभी जो सीमा 10 से 50 पैसे थी, उसको बढ़ाकर पांच रुपये तक किया जा रहा है। आज के हालात में केवल एक रुपया बढ़ाकर जो लगभग 40-42 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का काम है, वह हम कर रहे हैं।

सहकारी समितियों का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से सहकारी समितियां बनाकर उनके माध्यम से बिचौलियों को खत्म करेंगे और अधिक से अधिक लाभ मजदूरों को मिलेगा। हम जानते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अलग-अलग प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी की दर भी काफी कम है इसलिए उसको तय करने का काम प्रदेश की सरकारें करती हैं। केन्द्र ने न्यूनतम मजदूरी 33 रुपये की है परंतु अनेक प्रदेशों में यह नहीं थी। पश्चिमी राज्यों से बात करने का मौका हमें अहमदाबाद में मिला था तो सभी ने कहा था कि 33 रुपये तक न्यूनतम मजदूरी करने वाले हैं। बीड़ी कर्मकारों के लिए सभी राज्यों में अलग-अलग मजदूरी की दरें हैं और चतुराई करने वाले लोग जहां मजदूरी कम होती है, वहां से बीड़ी बनवाकर दूसरे प्रदेशों में लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ये सारी संभावनाएं हैं। कोशिश यह होगी कि इस चर्चा को सबके साथ बैठकर क्या यूनीफॉर्म हो सकता है, सारी संभावनाओं पर विचार करने का काम किया जाएगा।

आज के सुअवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस संवेदना के साथ, जिस जोर के साथ आपने मेहनतकश लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक मार्गदर्शन का काम करेगी और मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन लाया गया है, मैं प्रस्तावित करता हूं कि इसको स्वीकृति देने और अनुमति देने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: ठेकेदारी पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में आपका क्या कहना है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुददों का विस्तृत उत्तर दे दिया है।

अब प्रश्न यह है:

"कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री आर.एस. गवई और श्री बसुदेव आचार्य द्वारा क्रमश: दिए गए संशोधन संख्या 1 और 2 के लिए संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 274(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित है। चूंकि अपेक्षित सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है, ये संशोधन नियमानुसार नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा मंगलवार, 28 जुलाई, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.09 **बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 जुलाई, 1998/6 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।